पंचदश माला, खंड 14, अंक 23

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2010
22 अग्रहायण, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 82
Dated 18 July 2013

(खण्ड 14 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
सम्पादक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदशमाला, खंड 14, छठा सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 23, सोमवार, 13 दिसम्बर, 2010/22 अग्रहायण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 9वीं बरसी	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 480	2–55
अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520	56–404
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	403
माननीय सदस्यों के लिए इंटरनेट सुविधा	
अध्यक्ष द्वारा बधाई	404
12 दिसम्बर, 2010 को हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में टाईटल जीतने पर सायना नेहवाल को बधाई	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	405–414
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	415–416
213वें से 220वां प्रतिवेदन	
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	416–418
(एक) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	416
(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	417–418
नियम 377 के अधीन मामले	419
(एक) राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खेती के लिए अनुपयुक्त ठहराई गई कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु राजस्थान सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भरत राम मेघवाल	419
(दो) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोलाचेल पत्तन पर 'ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	419
(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खाद्यान्न भंडारण सुविधा बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. कुपारानी किल्ली	419–420
(चार) केरल में अंतर्राज्यीय लॉटरी व्यवसाय में कथित तौर पर की जाने वाली अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	420

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए, उन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित माना गया।

	विषय	कॉलम
(पांच)	सिलचर से गुवाहाटी तक एयर बससेवा शुरू किए जाने तथा सिलचर से कोलकाता तक की एयर बस उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	420–421
(छह)	आंध्र प्रदेश के विजय नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआई के औषधालय को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	421
(सात)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में सीटों के आवंटन में एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री जगदम्बिका पाल	422
(आठ)	14 अप्रैल को पड़ने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की वर्षगांठ को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पन्ना लाल पुनिया	422
(नौ)	हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा इसकी वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए इस को दी जाने वाली विशेष योजना सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. राजन सुशान्त	423
(दस)	इंदौर से अजमेर और उदयपुर के लिए नियमित रेल सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	423–424
(ग्यारह)	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चन्दला–मटौध और रामपुर घाट–कंडेला के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	424
(बारह)	उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	424–425
(तेरह)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	425
(चौदह)	बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में फलगू नदी बैराज से उद्भूत जल–नहरों की मरम्मत किए जाने और गाद निकाले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री कौशलेन्द्र कुमार	425–426
(पन्द्रह)	तमिलनाडु के धर्मापुरी में आयकर कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. थामराईसेलवन	426–427
(सोलह)	तमिलनाडु के पापनाशम में कंबन एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री ओ.एस. मणियन	427
(सत्रह)	पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण दिनाजपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलीटेकनिक खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	427–428
राष्ट्र गीत		428
अनुबंध–I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	429
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	430–436
अनुबंध–II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	437–438
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	437–438

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2010/22 अग्रहायण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 9वीं बरसी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है कि नौ वर्ष पूर्व 13 दिसम्बर, 2001 को एक दु:साहसपूर्ण हमले में आतंकवादियों ने हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की बुनियाद, भारत की संसद पर एक असफल हमला किया।

इस कायरतापूर्ण हमले को संसदीय परिसर की सुरक्षा कर रहे हमारे बहादुर सुरक्षाबलों ने पूरी सतर्कता का परिचय देते हुए विफल कर दिया। यद्यपि यह दु:ख की बात है कि इस हमले के दौरान दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय रिजर्व बल की एक महिला कांस्टेबल और संसदीय सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक शहीद हो गए।

इस भावपूर्ण अवसर पर यह सभा शूरवीर सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है और आतंकवाद की वैश्विक विभीषिका का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर नए जोश के साथ प्रयास करने का आह्वान करती है। हम इस अवसर पर आतंकवादियों के घातक मनसूबों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने का संकल्प लेते हैं और मातृभूमि की एकता, अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल/प्रश्न संख्या 461-श्री प्रेमचन्द गुड्डू।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निगरानी समितियां

[हिन्दी]

***461. श्री प्रेमचन्द गुड्डू:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों के लिए किस भूमिका पर विचार किया गया है;

(ख) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें कितने समय-अंतराल पर आयोजित की जाती हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सहित देश के प्रत्येक राज्य तथा जिले में उक्त समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) इन बैठकों का दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी में संसद सदस्यों सहित जन-प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट भूमिका की संकल्पना की गई है जो नीचे दी गई है:

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सड़क कार्यों का समयबद्ध निरीक्षण कराएं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005: महात्मा गांधी नरेगा की धारा 13(1) के अंतर्गत जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तर पर पंचायतें योजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण होगी। धारा 16(1) के अंतर्गत, ग्राम पंचायतें ऐसे कार्यों जो ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित हों, के निष्पादन एवं पर्यवेक्षण के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजना निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। धारा 16(5) के अंतर्गत लागत के हिसाब से कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाएंगे।

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी): आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत जिला आयोजना समिति (डीपीसी) जिसमें जिले के निर्वाचित जन प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, पूर्ण शासकीय सहायता उपलब्ध कराती है और समग्र जिला योजना के साथ समेकन सहित वार्षिक कार्य योजनाएं अनुमोदित करती है और इसके कार्यान्वयन की जांच करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसमें संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देने की संकल्पना की गई है और संसद सदस्यों को उनके प्रस्तावों को शामिल किए जाने अथवा नहीं किए जाने के बारे में भी अवगत कराना होता है।

सतर्कता एवं निगरानी समितियां मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने में संसद सदस्यों और अन्य निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। XVवीं लोक सभा गठित होने के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां पुनर्गठित करें।

(ख) से (घ) सतर्कता एवं निगरानी समितियों के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि प्रत्येक तीन माह पर राज्य एवं जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष सहित विगत चार वर्षों के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर हुई सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) दिशा-निर्देशों में हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके। संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित है कि सदस्य सचिव बैठकें आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय सतर्कता एवं निगरानी समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्यों/जिलों को सलाह देता रहा है।

विवरण

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक

क्रम सं.	राज्य	हुई बैठकों की संख्या			
		2007-08	2008-09	20009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	1
3.	असम	1	1	1	2

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	1	3	–	–
5.	छत्तीसगढ़	1	1	–	1
6.	गोआ	3	1	–	–
7.	गुजरात	–	1	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1	–	–	
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	1	1
11.	झारखंड	1	1	–	–
12.	कर्नाटक	2	2	1	2
13.	केरल	1	1	–	1
14.	मध्य प्रदेश	2	1	1	1
15.	महाराष्ट्र	1	–	1	1
16.	मणिपुर	1	–	–	–
17.	मेघालय	–	1	–	1
18.	मिजोरम	–	–	1	1
19.	नागालैंड	1	–	1	1
20.	उड़ीसा	1	1	1	1
21.	पंजाब	1	1	–	–
22.	राजस्थान	3	1	–	–
23.	सिक्किम	3	2	1	2
24.	तमिलनाडु	2	2	1	2
25.	त्रिपुरा	–	1	–	1
26.	उत्तराखंड	1	1	1	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	3	–	1
28.	पश्चिम बंगाल	3	3	–	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	–	1
30.	दमन व दीव	–	1	1	1
31.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	1	1	–	–
33.	पुडुचेरी	2	2	–	–
	कुल	35	36	14	25

*दिनांक 8.12.2010 तक प्राप्त जानकारी।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान हुई जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठक

क्रम सं.	राज्य का नाम	सतर्कता एवं निगरानी समिति जिलों की सं.	उन जिलों की संख्या जहां बैठकें हुईं	बैठकों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां बैठकें हुईं	बैठकों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां बैठकें हुईं	बैठकों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां बैठकें हुईं	बैठकों की संख्या
			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22	22	42	19	29	20	23	10	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	14	18	10	10	11	12	7	8
3.	असम	27	22	25	11	15	25	36	19	23
4.	बिहार	38	37	45	35	43	31	40	4	5
5.	छत्तीसगढ़	16	16	36	10	12	8	9	7	10
6.	गोआ	2	2	4	2	2	1	1		
7.	गुजरात	26	25	60	25	60	22	37	18	20
8.	हरियाणा	21	19	25	10	13	18	20	16	17
9.	हिमाचल प्रदेश	12	11	17	3	4	5	6	2	17
10.	जम्मू व कश्मीर	22	9	9	2	2	1	2		
11.	झारखंड	24	20	33	5	6	6	12	7	11
12.	कर्नाटक	30	26	41	15	16	25	31	24	33
13.	केरल	14	14	40	14	32	13	19	13	14
14.	मध्य प्रदेश	50	48	76	40	63	29	35	34	42
15.	महाराष्ट्र	33	32	59	22	38	19	23	22	23
16.	मणिपुर	9	5	5	3	3	9	9	7	8
17.	मेघालय	7	7	7	7	7	7	11	5	6
18.	मिजोरम	8	8	15	8	11	8	12	8	13
19.	नागालैंड	11	9	9	3	3	2	2	1	1
20.	उड़ीसा	30	30	49	20	34	29	37	25	31
21.	पंजाब	20	17	28	7	8	14	15	9	12
22.	राजस्थान	33	31	47	26	41	13	18	21	28
23.	सिक्किम	4	1	1	1	2	3	3		
24.	तमिलनाडु	31	29	57	29	51	25	29	17	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	4	4	5	4	4	3	6	1	1
26.	उत्तराखंड	13	13	17	13	13	8	8	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	72	70	105	44	63	30	32	32	35
28.	पश्चिम बंगाल	19	18	34	11	15	3	3	3	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	2	3	1	1	1	1
30.	दमन व दीव	1	1	1	–	–	1	1		
31.	दादर व नगर हवेली	2	0	0	2	3	1	1		
32.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	1				
33.	पुडुचेरी	1	1	2	1	2				
	कुल	621	562	913	405	609	388	490	318	385

*दिनांक 8.12.2010 तक प्राप्त जानकारी।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अनियमितताएं

***462. श्री के.सी. वेणुगोपाल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों द्वारा केरल सहित कतिपय राज्यों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों का दावा किए जाने की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, और प्रत्येक वित्त में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। इस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सभी वयस्क सदस्यों को मांग के आधार पर अकुशल श्रम कार्य करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों का रोजगार मिल सकता है और इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वे केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सूचीबद्ध हैं या नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

***463. श्री राम सुन्दर दास:**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवारों को शामिल किया गया है;

(ख) उक्त योजना पर केन्द्र तथा तथा राज्य सरकारों के बीच व्यय की भागीदारी का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस योजना के अंतर्गत सभी कामगारों को शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) दिनांक 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 2.18 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत भट्ठा प्रीमियम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रीमियम 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कार्ड की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है

(ग) और (घ) यह योजना शुरू में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए थी जिन्हें 5 वर्षों में कवर किया जाना था परन्तु इसे धीरे-धीरे कामगारों के अन्य संघटकों जैसे भवन एवं निर्माण कामगारों तथा खोमचे वालों तक विस्तारित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रयोक्ता

***464. श्री सुरेश कुमार शेटकर:**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबधी वर्ष/राज्य/सेक्टर/शहरी/ग्रामीण क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से देश के सुदूर, दुर्गम दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दूरसंचार कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या मार्च, 2008 में 300.49 मिलियन से बढ़ कर अक्तूबर 2010 के अंत तक 742.13 मिलियन हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में टेलीफोन कनेक्शनों का वर्ष/लाइसेंस क्षेत्र/सेक्टर/शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा देश में दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या में और अधिक वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठए गए हैं। उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में वायर लाईन टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अब मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर पहले के एक्सचेंज से 2.5 किसी दूरी के मानक के बजाय 5 किमी की दूरी तक केबल बिछा रहा है।

2. बीएसएनएल ने, जिन छितरे हुए और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, वहां टेलीफोन की मांग को पूरा करने के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क स्थापित किया है।

3. जिन सुदूर और दूर-दराज के क्षेत्रों को स्थलीय प्रौद्योगिकी द्वारा कवर करना संभव नहीं है उन्हें डिजीटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) द्वारा कवर करने की योजना है।

4. बीएसएनएल ने अपना मोबाइल नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, और राज्य राजमार्गों पर संस्थापित किया है।

5. निवल लागत की दृष्टि से सकारात्मक सभी 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

6. यूएसओ निधि के तहत देश के 27 राज्यों में स्थित 500 जिलों में 7387 अवसंरचना स्थल (टावर) संस्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई है ताकि जिन विशिष्ट ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्थिर वायरलेस या मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है वहां मोबाइल सेवाओं

का प्रावधान किया जा सके। दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार ऐसा प्रदाताओं द्वारा लगभग 7227 स्थल और 13692 ट्रांसीवर स्टेशन (वीटीएस) स्थापित किए गए है।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) सेलुलर मोबाइल सेवा के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग, सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमावली में निर्धारित किए गए विभिन्न पैरामीटरों हेतु तय किए गए बैंचमार्को के आधार पर तिमाही कार्य निष्पादन मानीटरिंग रिपार्टो के माध्यम से करता रहा है। सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग करने से यह पता चलता है कि कुछ सेवा प्रदाता कुछ सेवा क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता संबंधी कुछ बैंचमार्को को पूरा नहीं कर रहे है। टीआरएआई सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्को को पूरा करने में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। एक स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से तिमाही आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि संबंधी सर्वेक्षण भी करवाया जाता है और इसके परिणाम जनता/स्टेक होल्डरों की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित कराए जाते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण ने सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक सुनिश्चित पद्धति और प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य बना दिया है। दिनांक 04.05.2007 की दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण विनियावली, 2007 में सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है अर्थात प्रत्येक सेवा क्षेत्र में कॉल सेंटर, नोडल अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी की व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के प्रस्तावित प्रशुल्क, बिलिंग, मूल्य संवर्धित सेवाएं आदि में पारदर्शिता लाने के संबंध में समय-समय पर अनेक विनियम/निर्देश/टेरिफ आदेश जारी किए हैं। दिनांक 01.जुलाई, 2009 से सेवा की गुणवत्ता संबंधी अनेक नए पैरामीटर कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें उपभोक्ता केन्द्रित पैरामीटर जैसे कि बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए समय अवधि, प्री-पेड उपभोक्ताओं से प्रभार वसूलने के संबध में मीटरिंग और बिलिंग संबंधी विश्वसनीयता का मूल्यांकन, प्रतिभूति जमा राशि को लौटाना आदि शामिल है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की सीधे निगरानी करता रहा है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाताओं से अपनी शिकायतों का निवारण करवाने के लिए इन्हें ऑन लाइन दर्ज करवाने के संबंध में एक वेब आधारित ऑन लाइन दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत मानीटरिंग पद्धति'' कार्यान्वित करने की कार्यवाही कर रहा है। इससे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओ की शिकायतों के निवारण की प्रभावी देखरेख का प्रावधान भी होगा। इसके साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए टीआरएआई शिकायत निवारण तंत्र और इससे संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है।

विवरण

वर्ष/लाइसेंस-क्षेत्र/सेक्टर/शहरी/ग्रामीण क्षेत्र-वार टेलीफोनों की संख्या

क्रम सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार				31.03.2009 की स्थिति के अनुसार			
		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4313397	14044802	1918666	3011643	6750946	20543931	2417557	3239969
2.	असम	678448	2315971	443150	905840	1950521	2887339	436504	887624
3.	बिहार	1931994	7679815	1135256	2187424	6509222	11444369	1636292	2773153
4.	गुजरात	4190579	10674975	1485914	2893488	7269938	14380021	1554297	3020268
5.	हरियाणा	1841769	3253748	976661	1283545	3262921	4934161	1394394	1186090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हिमाचल प्रदेश	1038019	628303	778733	271558	1504140	929066	902976	364360
7.	जम्मू और कश्मीर	489346	790485	164623	1016943	1236161	1337141	169412	1001066
8.	कर्नाटक	306017	12427149	1173746	3226267	4051405	17358230	1251964	3664940
9.	केरल	2807670	6307482	3788502	2467260	4997355	8425132	4002329	2551687
10.	मध्य प्रदेश	1901355	9260340	992473	2830353	470221	13049826	121859	3272982
11.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	4890596	12769149	2664574	4397648	10365803	17162883	2756760	4330165
12.	पूर्वोत्तर	199209	1209342	329041	723214	581809	1998703	372164	732545
13.	उड़ीसा	1485453	2524620	887104	1056136	3120934	3962946	1080258	1170612
14.	पंजाब	2754616	7200191	1490377	1954649	3759018	8530015	1871669	2369544
15.	राजस्थान	4781352	6459475	1496124	2606824	6675973	13025052	1696444	3025086
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	3654486	11986772	1479073	3665876	6748832	17717495	1469961	4102224
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4278266	7371381	1970116	4057927	7810663	13325387	2216969	5321551
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2563200	8138955	928800	2556010	4867458	1202154	1084669	2815414
19	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	3344099	4538661	1340692	1362882	7052687	6599886	1565106	1493933
20	कोलकाता	730448	6172587	0	2427517	1042267	9190362	0	2948318
21.	चेन्नै	0	6444310	121445	1870994	0	8495958	122737	2014813
22.	दिल्ली	0	15522127	0	3181463	38	20915430	0	3585914
23.	मुंबई	126	12288268	0	4028385	126	17644873	0	4469804
	जोड़	50934605	170008908	25565070	53983846	94308438	245870360	29204321	60342062

टिप्पणी: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमश: अंडमान तथा निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के टेलीफोनों की संख्या भी शामिल है क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल लाइसेंस क्षेत्र-वार ही आंकड़े प्रदान करते है।

क्रम सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार				31.03.2009 की स्थिति के अनुसार			
		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11806224	29656779	2977585	3645960	14281780	34358026	3673865	4068314
2.	असम	4278246	3336499	481092	968555	4985466	4010188	536758	1039655
3.	बिहार	13954147	18287581	2196776	3918090	18265506	22625480	2402750	4378359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	गुजरात	10081230	19221320	1757234	3371158	12674089	24144639	1818344	3527566
5.	हरियाणा	4596790	6999817	1993384	1367224	5504065	9375747	2162368	1425570
6.	हिमाचल प्रदेश	2055832	1658064	1095005	534318	2592321	2220821	1233398	656438
7.	जम्मू और कश्मीर	2106412	2466445	181652	1024848	2080751	2023337	148976	776774
8.	कर्नाटक	7577534	26287501	1365195	4678123	9848814	29946937	1403266	5347103
9.	केरल	7134124	13013217	4298039	3209599	8066228	15526626	4730540	3941863
10.	मध्य प्रदेश	8761663	19369720	2032089	3387556	11073531	22897489	2133847	3648596
11.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	16740370	22094332	2917366	4773622	20713901	26350392	3034027	5185727
12.	पूर्वोत्तर	2004891	2232468	512629	886234	2279084	2683110	572748	997412
13.	उड़ीसा	5525148	7248226	1422670	1689095	6967284	9065432	1736387	997412
14.	पंजाब	5099664	11655009	2162279	2783947	6478578	14458352	2137644	3199148
15.	राजस्थान	13778242	15578394	2210131	3699326	15276488	18218558	2327606	4208131
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	10505424	27293656	1522716	5120163	12270833	33858200	1548607	5747101
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	16415777	19505902	2709114	6899608	21447678	23895039	3258202	7511301
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	8929631	18244575	1400158	3398568	114429023	228770399	1416469	3403439
19	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	13332953	9456611	1666759	1614882	1714223	12240784	1833006	1716734
20	कोलकाता	721672	14034402	0	3109242	848871	16964685	0	3397762
21.	चेन्नै	0	10515188	120852	2177629	0	11360669	120245	2279413
22.	दिल्ली	344276	2672431	0	3941848	574496	32203820	0	4101986
23.	मुंबई	0	24778487	0	4648922	0	30414316	0	4717530
	जोड़	165750250	349658494	35022825	70848517	2048812410	421713046	38229053	77375321

[हिन्दी]

अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन

***465. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अन्तरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (ग) अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित

करने के मद्देनजर, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का है, दम्पत्ति के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों के कुल व्यय की 50% राशि उन्हें केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जबकि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन की राशि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तय की जाती है।

विगत तीन वर्षों तथा 2010-10 (9.12.2010 तक) के दौरान इस प्रयोजन के लिए निर्मुक्त प्रोत्साहन और केन्द्रीय सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन के संबंध में 2007-08 से 2010-11 (9.12.2010 तक) के दौरान निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रोत्साहन की धनराशि (रुपए में)	2007-08 से 2010-11 (9.12.2010 तक) के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता
			(लाख रुपए में)
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	10,000/-	257.69
2.	बिहार	25,000/-	3.5
3.	छत्तीसगढ़	25,000/-	17.05
4.	गोवा	100,000/-	17.0
5.	हरियाणा	50,000/-	90.0
6.	हिमाचल प्रदेश	25,000/-	67.38
7.	कर्नाटक	50,000/-	300.0
8.	केरल	50,000/-	401.03
9.	मध्य प्रदेश	50,000/-	322.94
10.	महाराष्ट्र	50,000/-	672.85
11.	उड़ीसा	50,000/-	115.5
12.	पंजाब	50,000/-	125.5
13.	राजस्थान	50,000/-	60.0
14.	सिक्किम	20,000/-	22.3
15.	उत्तर प्रदेश	10,000/-	10.0
	संघ राज्य क्षेत्र		
16.	चंडीगढ़	50,000/-	3.0
17.	दिल्ली	50,000/-	4.6
18.	पुडुचेरी	50,000/-	2.6

[अनुवाद]

1971 युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों को सहायता

***466. श्री बलीराम जाधव:**
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1971 के युद्ध के उन वयोवृद्ध सेनानियों की संख्या/ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है;

(ख) उन्हें/उनके परिवारों को प्रदान की गई सहायता/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि अनेक वयोवृद्ध सेनानियों और उनके परिवारों को अभी तक कोई सहायता नही दी गई है और काफी समय से उनकी कथित रूप से उपेक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) वर्ष 1971 के वयोवृद्ध सेनानियों को प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों का ब्यौरा निम्नवत् है:–

पुरसकार का नाम	सेना	नौसेना	वायुसेना
परमवीर चक्र	03	–	01
महावीर चक्र	57	08	11
कीर्ति चक्र	01	–	–
वीर चक्र	354	46	105
शौर्य चक्र	26	06	07
सेना/नौसेना/वायुसेना मेडल	518	111	59
कुल	989	171	183

उस समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं के संक्षिप्त प्रशस्ति पत्रों के साथ नाम और सेवा संबंधी ब्यौरे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इन पुरस्कार विजेताओं को प्रदत्त लाभों और सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ऐसा कोई खास मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसमें वयोवृद्ध सेनानियों अथवा उनके परिवारों की अनदेखी की गई हो। सरकार जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्डों, राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड और केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से वीरता पुरस्कार पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, प्रशिक्षण, रोजगार तथा कल्याण संबंधी अनेक स्कीमें चलाते हैं। वीरता पुरस्कार विजेता/वयोवृद्ध सेनानी भी इन स्कीमों से लाभ उठाने के हकदार हैं।

विवरण

1. वीरता पुरस्कार विजेताओं को सरकार द्वारा प्रतिमाह दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	पुरसकार	आर्थिक भत्ता दर
(क)	परमवीर चक्र (पीवीसी)	3000/-
(ख)	अशोक चक्र (एसी)	2800/-
(ग)	महावीर चक्र (एमवीसी	2400/-
(घ)	कीर्ति चक्र (केसी)	2100/-
(ङ)	वीर चक्र (वीसी)	1700/-
(च)	शौर्य चक्र (एससी)	1500/-
(छ)	सेना/नौसेना/वायुसेना मेडल	500/-

2. चक्र शृंखला वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रतिस्थापन प्रभारों सहित किराया मुक्त टेलीफोन सुविधा।

3. पीवीसी, एमवीसी, वीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के लिए एक साथी सहित राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस में जीवन भर के लिए प्रथम श्रेणी/एसी 2 टियर संबंधी मानार्थ कार्ड पासों को जारी करना।

4. एसी/केसी/एससी पुरस्कार प्राप्तकर्ता राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर किसी भी रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी/एसी 2 टियर के हकदार हैं।

5. पीवीसी, एसी, एमवीसी और केसी पुरस्कारों के सशस्त्र सेना बाह्य प्राप्तकर्ताओं कार्मियों के लिए इंडियन एयरलाइंस की सामान्य किफायती श्रेणी में आईएनआर किराए में आजीवन 75% की छूट।

6. वीरता पुरस्कार विजेताओं को पेंशन में आय कर से छूट।

7. इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों के प्रशासन भी पुरस्कार विजेताओं को अनेक लाभ उपलब्ध कराते हैं जो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हैं। इन लाभों में अधिकांशत: अनुदान, भूमि और वार्षिकी के बदले में नकद राशि होती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विशेष समिति

***467. श्री भूदेव चौधरी:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में विलम्ब तथा घटिया स्तर के निर्माण की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत निर्माण-कार्यों की गुणवत्ता तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने की निगरानी करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित अनेक सड़कें निर्माण के चार महीने के अंदर बदहाल हो गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समयपूर्व बदहाल होने वाली सड़कों की मरम्मत ठेकेदारों की लागत पर कराने तथा/अथवा ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डालने तथा उनके लाइसेंस रद्द करने सहित क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) और (ख) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण के जरिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की एकबार की विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रख रखाव और स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए इन सड़कों को समय पर पूरा करने की तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हो जाती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के समापन के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार, योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं निर्धारित अवधि के भीतर पूरी करनी होती हैं। विलंब के मामले में, मानक बोली दस्तावेज के संबद्ध प्रावधानों में परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने तथा लगातार विलंब के मामले में ठेके को रद्द करने की मांग की गई है। अधिक समय लगने की वजह से लागत में हुई बढ़ोतरी का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2009 के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) द्वारा की गई जांचों में कार्य पूरा होने के बाद एनक्यूएम यदि किसी भी कार्य को "श्रेणी में डालते हैं और यदि कार्यों में पाई गई कमियां सुधारी नहीं जा सकती तब इन कार्यों को नहीं सुधारे जाने योग्य कमी वाले कार्यों के रूप में माना जाता है। ऐसे कार्यों की लागत की कटौती भविष्य में संबंधित राज्य सरकारों को की जाने वाली निधियों की रिलीज में से की जाती है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, कार्यों को समय पर पूरा करने संबंधी मामले पर राज्य सरकारों के साथ निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्रीय समीक्षाओं और राज्य विशिष्ट समीक्षाओं सहित आवधिक समीक्षाओं में चर्चा की जाती है। इसके अलावा, पूरे हो चुके तथा चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की औचक आधार पर जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता भी तैनात किए जाते हैं।

(घ) से (च) मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के प्रावधानों के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के 5 वर्षीय रख रखाव का ठेका उसी ठेकेदार को दिया जाता है जिसने निर्माण कार्य का ठेका लिया हो और इसका निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के रख-रखाव के लिए निर्धारित निधियां जुटाने के लिए उपाय करने की जरूरत होती है। मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकार द्वारा रख-रखाव निधियों के प्रावधान को कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की रिलीज से जोड़ दिया गया है। चूंकि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों के कार्यान्वयन और उनके रख-रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है, जो कि कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं, इसलिए ठेकेदारों को काली सूची में डालने सहित उन पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है।

[अनुवाद]

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार बैठक

***468. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार ब्रूसेल्स में दिसम्बर, 2010 में होने वाली भारत-यूरोपीय संघ व्यापार बैठक में भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में विचार-विमर्श किए जाने हेतु किन-किन मुद्दों को चुना गया है; और

(घ) व्यापार-भिन्न मुद्दों तथा सरकारी खरीद के संबंध में भारत के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यूरोपीय संघ से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) ब्रुसेल्स में दिसम्बर, 2010 में कोई भारत-ईयू व्यापार बैठक आयोजित नहीं है। तथापि, ब्रुसेल्स में दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को भारत-ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें अन्य बातों के अलावा व्यापार सहित अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। इसमें सामान्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की स्थिति एवं भारत-ईयू व्यापक आधारित व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) के संबंध में चल रही वार्ताओं की स्थिति और भावी रूपरेखा की समीक्षा की गई थी।

व्यापार से इतर सभी मुद्दों यथा श्रम मानकों, पर्यावरण मानकों, पशु कल्याण आदि के बारे में भारत की वैचारिक स्थिति सर्वविदित है। भारत का यह स्पष्ट विचार है कि व्यापार से इतर मुद्दे व्यापारिक सौदे का भाग नहीं होने चाहिए। व्यापार से इतर सभी मुद्दों का जायजा लेने और उन्हें उठाने के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय निकाय हैं और भारत ऐसे सभी निकायों का एक जिम्मेवार सदस्य है।

जहाँ तक सार्वजनिक खरीद का संबंध है, इसमें भी हमारी वैचारिक स्थिति सुविचारित है। भारत वर्ष 2010 में सरकारी खरीद संबंधी बहुपक्षीय करार (जीपीए) एक पर्यवेक्षक देश बना था। यह जीपीए का सदस्य देश नहीं है और इसने बाजार पहुंच वचनबद्धताओं को स्वीकार नहीं किया है। तथापि, भारत के पास एक पारदर्शी सरकारी खरीद तंत्र है। बीटीआईए से संबंधित वार्ताएं अभी चल रही हैं और सरकारी खरीद सहित अलग-अलग विषयों में वैचारिक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रकट करना भारत के हित के प्रतिकूल होगा।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

***469. श्री शत्रुघ्न सिन्हा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार कितने बाल श्रमिक लाभान्वित हुए और कितने लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। सरकार कार्य से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्य से हटाये गये बच्चों को विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है, जहां उन्हें ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख, पोषणाहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक स्कूल को एक व्यावसायिक अनुदेशक प्रदान किया जाता है और शैक्षणिक तथा व्यावसायिक सामग्रियां खरीदने के लिए प्रति स्कूल 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष की धनराशि निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एनसीएलपी सोसाइटी को व्यावसायिक अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मास्टर प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को जारी किये गये अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस योजना हेतु चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान 135 करोड़ रुपये है।

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 3.39 लाख है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य धारा में लाये गये बाल श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान लगभग एक लाख बच्चों को मुख्य धारा में लाये जाने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत जारी किये गये अनुदानों को राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (अगले दशमलव तक पूर्णांक में बदले गये लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1618.24	1056.31	399.52
2.	असम	315.70	352.19	616.68
3.	बिहार	979.42	2130.96	1661.44
4.	छत्तीसगढ़	690.56	603.80	293.99
5.	गुजरात	71.88	250.17	169.64
6.	हरियाणा	92.20	156.39	63.28
7.	जम्मू और कश्मीर	23.93	11.41	0

1	2	3	4	5
8.	झारखण्ड	343.10	354.29	155.95
9.	कर्नाटक	536.53	404.94	447.03
10.	मध्य प्रदेश	893.39	838.68	560.92
11.	महाराष्ट्र	385.72	514.12	419.39
12.	नगालैंड	0	28.34	21.43
13.	उड़ीसा	1169.19	1109.14	862.56
14.	पंजाब	147.55	329.88	127.22
15.	राजस्थान	1149.01	1510.60	371.58
16.	तमिलनाडु	584.39	348.71	449.53
17.	उत्तर प्रदेश	3079.81	2307.92	1627.43
18.	उत्तराखंड	16.12	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	1344.83	1866.97	1015.35

विवरण–II

		पिछले तीन वर्षो के दौरान मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	असम	शून्य	शून्य	3685
2.	आंध्र प्रदेश	11,501	10779	13689
3.	बिहार	657	1126	7998
4.	छत्तीसगढ़	3015	1674	1063
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	620	845	1437
7.	हरियाणा	शून्य	1164	1354
8.	जम्मू और कश्मीर	6	शून्य	शून्य
9.	झारखण्ड	617	4785	1816
10.	कर्नाटक	4343	4549	3217
11.	महाराष्ट्र	3430	3495	5150
12.	मध्य प्रदेश	9692	9582	9692
13.	उड़ीसा	9661	10283	10585
14.	पंजाब	460	428	1023
15.	राजस्थान	4155	11630	12326
16.	तमिलनाडु	9215	7950	6321
17.	उत्तर प्रदेश	9500	26390	40297
18.	पश्चिम बंगाल	1092	3127	12187

[अनुवाद]

लंबित श्रम मामले

***470. श्री जयराम पांगी:**
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम विवादों के निपटान के लिए देश में कार्यरत श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन न्यायालयों में गत दो वर्षो से लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनके निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे दृष्टांतों की जानकारी मिली है जिनमें न्यायाधिकरणों के आदेशों का नियोजकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार ने 22 केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों की स्थापना विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के निपटाने के लिए की है। तथापि, सरकार द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों से संबंधित ब्यौरों का अनुरक्षण केन्द्र द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों से इन केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों तथा इनमें लम्बित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया हैं मामलों के निपटान में विलम्ब के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सुनवाई के दौरान प्रभावित पक्षों की अनुपस्थिति;

(ii) दस्तावेजों को दाखिल करने हेतु पक्षों द्वारा लगातार स्थगन की मांग;

(iii) उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में समुचित सरकार द्वारा जारी संदर्भित आदेशों के साथ-साथ प्रारंभिक बिंदुओं पर न्यायाधिकरणों द्वारा जारी आदेशों को पक्षों द्वारा चुनौती देने के कारण;

(iv) पक्षों द्वारा अपने मामलों का निपटान लोक अदालतों में कराने के लिए आने की अनिच्छा;

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए "वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र" के रूप में लोक अदालतों का गठन करने की योजना;

(ii) जब नियमित पीठासीन अधिकारियों का पद प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण रिक्त हो तब केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों के न्यायिक कार्य प्रभावित न होने देना सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों के बीच लिंक अधिकारियों की प्रणाली विकसित करना;

(iii) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के सभी पद, एक पद को छोड़कर, भर लिए गए हैं;

(iv) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को कैंप अदालतें आयोजित करने का परामर्श दिया गया है; और

(v) मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निपटान के लिए समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है ताकि नई रणनीतियां तैयार की जा सकें।

(घ) जी हां।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और वे नियोक्ताओं पर बाध्यकारी होते हैं। पंचाट पर कार्रवाई न होने की स्थिति में कामगार समुचित सरकार के श्रम विभाग में पंचाट के क्रियान्वयन के लिए अपील कर सकता है। क्रियान्वयन प्राधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत नियोक्ताओं को केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों के पंचाट/आदेश को क्रियान्वित न करने के लिए अभियोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 को हाल ही में संशोधित किया गया है जिसके द्वारा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में अथवा के समक्ष दिए गए प्रत्येक पंचाट/जारी किए गए आदेश अथवा कराए गए समझौतों पर कार्रवाई सिविल कोड के आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसरण में की जायेगी। साथ ही, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले मामलों में पंचाट, आदेश अथवा समझौते कराएगा और ऐसे सिविल न्यायालय वैसे ही पंचाट, आदेश अथवा समझौते कराएंगे जैसे कि उनके द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय लम्बन का वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालय (सी जी आई टी)

क्र.सं.	सी जी आई टी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित	पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुम्बई I	237	10	5	242	38	23	3	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मुम्बई II	427	87	81	433	530	49	43	536
3.	धनबाद I	1,877	62	139	1800	356	8	15	349
4.	धनबाद II	976	17	40	953	35	0	0	35
5.	आसनसोल	661	55	9	707	68	4	0	72
6.	कोलकाता	303	23	32	294	103	5	2	106
7.	चंडीगढ़ I	841	28	467	402	103	111	143	71
8.	नई दिल्ली I	220	0	0	220	342	0	0	342
9.	कानपुर	526	65	48	543	150	256	79	327
10.	जबलपुर	2,146	65	46	2165	167	3	5	165
11.	चेन्नई	305	53	50	308	42	8	26	24
12.	बंगलौर	368	94	13	449	80	10	1	89
13.	हैदराबाद	993	87	265	815	207	534	134	607
14.	नागपुर	898	40	44	894	25	5	1	29
15.	भुवनेश्वर	405	100	74	431	127	263	12	378
16.	लखनऊ	394	41	47	388	29	2	0	31
17.	जयपुर	267	67	0	334	37	7	0	44
18.	नई दिल्ली II	568	84	236	416	43	16	1	58
19.	गुवाहाटी	27	12	9	30	6	0	0	6
20.	एर्नाकुलम	175	51	116	110	25	21	15	31
21.	अहमदाबाद	305	12	310	7	1,627	32	88	1571
22.	चंडीगढ़ II	867	207	88	986	140	38	2	176
	कुल	13,786	1,260	2,119	12,927	4,280	1,395	570	5,105
	मुम्बई I राष्ट्रीय	5	1	0	6	92	23	0	115
	कोलकाता राष्ट्रीय	10	0	1	9	0	0	0	0
	कुल	13,801	1,261	2,120	12,942	4,372	1,418	570	5,220

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय लम्बन का वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालय (सी जी आई टी)

क्र.सं.	सी जी आई टी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित	पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुम्बई I	242	0	4	238	58	1	0	59
2.	मुम्बई II	433	83	83	433	536	23	51	508
3.	धनबाद I^^	1819	89	209	1699	349	4	25	328
4.	धनबाद II	953	1	3	951	35	0	0	35
5.	आसनसोल	707	27	107	627	72	6	24	54
6.	कोलकाता	294	0	0	294	27	0	0	27
7.	चंडीगढ़ I	402	1213	1051	564	71	125	128	68
8.	नई दिल्ली I	220	73	168	125	342	39	347	34
9.	कानपुर	543	52	51	544	327	34	4	357
10.	जबलपुर	2165	94	124	2135	165	2	6	161
11.	चेन्नई	308	74	98	284	24	5	14	15
12.	बंगलौर	449	56	1	504	89	4	0	93
13.	हैदराबाद	815	201	70	946	607	13	21	599
14.	नागपुर	894	40	66	868	29	0	0	29
15.	भुवनेश्वर	431	27	29	429	378	3	5	376
16.	लखनऊ	388	52	78	362	31	22	11	42
17.	जयपुर	334	28	2	360	44	6	1	49
18.	नई दिल्ली II	416	60	15	461	58	2	6	54
19.	गुवाहाटी	30	3	6	27	6	3	1	8
20.	एर्नाकुलम	110	54	68	96	31	27	34	24
21.	अहमदाबाद	7	16	0	23	1,571	6	0	1577
22.	चंडीगढ़ II	986	506	986	506	176	28	177	27
	कुल	12,946	2,749	3,219	12,476	5,026	353	855	4,524
	मुम्बई I राष्ट्रीय	6	0	0	6	115	0	0	115
	कोलकाता राष्ट्रीय	9	0	0	9	79	0	0	79
	कुल+राष्ट्रीय	12,961	2,749	3,219	12,491	5,220	353	855	4,718

^^मामलों के अग्रेणित आंकड़े वास्तविक सत्यापन के पश्चात पुनरीक्षित किए गए हैं।

^सी जी आई टी कोलकाता ने अब सी जी आई टी तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के लिए आवेदनों के अलग-अलग आंकड़े दिए हैं।

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय लम्बन का वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालय (सी जी आई टी)

क्र.सं.	सी जी आई टी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित	पिछले वर्ष से अग्रेणित	प्राप्त	निपटाए गए	लम्बित
1.	मुम्बई I^	238	5	4	239	59	27	1	85
2.	मुम्बई II	433	36	28	441	508	49	17	540
3.	धनबाद I	1,699	15	76	1,638	328	18	2	344
4.	धनबाद II	951	3	3	951	35	0	0	35
5.	आसनसोल	627	6	20	613	54	4	8	50
6.	कोलकाता	294	28	12	310	27	2	0	29
7.	चंडीगढ़ I	564	21	294	291	68	19	56	31
8.	नई दिल्ली I	125	27	80	72	34	3	9	28
9.	कानपुर	544	65	43	566	357	12	4	365
10.	जबलपुर*	2,116	3	34	2,085	391	1	113	279
11.	चेन्नई	284	31	44	271	15	6	3	18
12.	बंगलौर	504	26	16	514	93	4	1	96
13.	हैदराबाद	946	40	60	926	599	0	20	579
14.	नागपुर^	868	5	14	859	29	0	0	29
15.	भुवनेश्वर	429	13	42	400	376	5	5	376
16.	लखनऊ**	354	6	0	360	44	2	0	46
17.	जयपुर	360	4	31	333	49	1	0	50
18.	नई दिल्ली II	461	19	18	462	54	3	1	56
19.	गुवाहाटी	27	8	5	30	8	1	2	7
20.	एर्नाकुलम	96	16	29	83	24	12	20	16
21.	अहमदाबाद	23	10	2	31	1,577	2	2	1,577
22.	चंडीगढ़ II^	506	69	28	547	27	1	0	28
	कुल	12,449	456	883	12,022	4,756	172	264	4,664
	मुम्बई I राष्ट्रीय	6	0	0	6	115	39	0	154
	कोलकाता राष्ट्रीय	9	0	0	9	79	0	0	79
	कुल+राष्ट्रीय	12,464	456	883	12,037	4,950	211	264	4,897

*आंकड़े मामलों के वास्तविक सत्यापन के पश्चात जुलाई, 2010 से पुनरीक्षित हैं।

**आंकड़े जुलाई, 2010 से पुनरीक्षित हैं।

^सूचना अगस्त, 2010 तक है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

***471. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देश के सभी जिलों में लागू कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना की कोई समीक्षा की है/मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा/मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार को कतिपय राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त शिकायतों का संज्ञान लिया है और उन पर कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) यह योजना देश के सभी जिलों में विस्तारित की गई है तथापि, अब तक यह 306 जिलों में प्रचालन में है। शुरू में यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए क्रियान्वित की गई थी परन्तु अब इसे चरणों में कामगारों के अन्य संघटकों तक विस्तारित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया है। अस्पतालों में उपचार के बारे में संतुष्टि की रेटिंग उच्चस्तर की सूचित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा कुछ अन्य राज्यों में भी मूल्यांकन किये जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से अनियमितताओं और कदाचारों की कुछ शिकायतों की सूचना मिली है। ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार ने शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति लाभार्थियों, बीमा कम्पनियों और अस्पतालों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पर अब तक 54 अस्पतालों को पैनल से बाहर किया जा चुका है। सरकार ने अस्पतालों को पैनल से बाहर करते हुए अपनायी जाने वाले प्रक्रिया के बारे में बीमा कम्पनियों/राज्य की राज्य नॉडल एजेंसी के लिए एक सलाह भी जारी की है। राज्य नॉडल एजेंसियों को यह सलाह भी दी गई है कि किसी भी हितधारक द्वारा कदाचार रोकने के लिए राज्य शिकायत निवारण समितियों का गठन करें।

ठेका मजदूरों का कल्याण

***472. श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ठेका मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रुपरेखा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सरकार ठेका श्रमिकों के कल्याण के प्रति सजग है तथा ठेका श्रमिकों को समुचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मूलभूत सुविधाएं तथा अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार द्वारा ठेका कामगारों को उच्च सामाजिक संरक्षण प्रदान करने तथा अधिनियम में संशोधनों के बारे में सुझाव देने की दृष्टि से ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्साहन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों की जांच करने के लिए 30.06.2009 को एक कार्यबल गठित किया गया था। इस मुद्दे को 22 जनवरी, 2010 को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था। इस मुद्दे पर 23 एवं 24 नवम्बर, 2010 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 43वें सत्र में भी विचार-विमर्श किया गया था। अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाएं

***473. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के साथ किए गए समझौते के अनुरूप परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब, यदि कोई है, तथा समझौतों के उल्लंघन के कारण क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतर्वाह कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मौजूदा नीति के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: मार्ग से या सरकार के द्वारा अनुमोदित मार्ग से लाया जा सकता है। स्वत: मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अधिकांश क्षेत्र/कार्यकलाप खुले हैं तथा उन क्षेत्रों की केवल एक सीमित सूची है, जिनमें सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। जिन क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए स्वत: मार्ग के तहत एक सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, उनके लिए सरकार से किसी पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार से पूर्वानुमोदन की अपेक्षा वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) आवेदन-पत्रों पर विचार करता है तथा सरकार से अनुमोदन की सिफारिश करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदनों की प्रक्रिया में राज्य सरकारों के साथ किए गए करार शामिल नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अन्तर्वाहों और एफआईपीबी मार्ग के जरिए अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(यू एस मिलियन डॉलर में)

वर्ष	स्वत: मार्ग तथा एफआईपीबी दोनों मार्गों से कुल एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह	एफआईपीबी मार्ग के जरिए अनुमोदित एफडीआई
2007-08	24,575	4,297
2008-09	27,331	9,580
2009-10	25,834	1,828
2010-11	11,005*	881**

*अप्रैल-सितम्बर 2010

**अप्रैल-अगस्त 2010

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

***474. श्री रुद्रमाधव राय:**
श्री पी.विश्वनाथन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों के स्वामित्वाधीन भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकरण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्प्यूटरीकरण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा संपदा विभाग के पास मौजूद भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा "रक्षा भूमि" नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो रक्षा संपदा विभाग के सभी फील्ड कार्यालयों में लगा हुआ है। परियोजना को 6 महीने में पूरी किए जाने की संभवाना है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी कुछ भूमि अभिलेखों का रखरखाव कर रहा है। उनका कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम एक वर्ष में पूरा होने की संभवाना है।

(घ) अतिक्रमणों को हटाने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह

***475. श्री यशवंत लागुरी:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या जाली/फर्जी स्व-सहायता समूहों के मामले भी सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा फर्जी/जाली स्व-सहायता समूहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत राज्य-वार तथा वर्ष-वार बनाए गए तथा परिक्रामी निधि से सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत फर्जी/झूठे स्व-सहायता समूह बनाए जाने के किसी मामले की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 (अक्टूबर, 2010) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत परिक्रामी निधि से सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्टूबर, 10)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	71641	142356	15780
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	66	6
3.	असम	23962	23765	9796
4.	बिहार	13961	25027	9308
5.	छत्तीसगढ़	4654	4717	2287
6.	गोआ	103	120	22
7.	गुजरात	2401	4022	2720
8.	हरियाणा	2880	3906	2229
9.	हिमाचल प्रदेश	863	945	380
10.	जम्मू और कश्मीर	393	366	66
11.	झारखण्ड	6723	8710	6278
12.	कर्नाटक	8406	8035	3788
13.	केरल	3437	3007	979
14.	मध्य प्रदेश	17659	12199	6938
15.	महाराष्ट्र	26720	32562	11325
16.	मणिपुर	405	159	32
17.	मेघालय	478	954	274
18.	मिजोरम	350	307	221
19.	नागालैंड	301	286	45
20.	उड़ीसा	10851	17793	5724

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	413	500	444
22.	राजस्थान	9691	9176	2573
23.	सिक्किम	212	170	72
24.	तमिलनाडु	56336	55484	28616
25.	त्रिपुरा	5187	6324	1353
26.	उत्तर प्रदेश	23952	32055	15549
27.	उत्तराखंड	1296	3664	2766
28.	पश्चिम बंगाल	28802	42235	17541
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30	45	13
30.	दमन व दीव			
31.	दादरा और नगर हवेली	0		
32.	लक्षद्वीप		0	0
33.	पुदुचेरी	201	270	141
	कुल	322322	439275	147266

रक्षा सौदे

***476. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रक्षा सौदों में कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इनमें शामिल अधिकारियों तथा कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कराई गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मई, 2009 में पूर्व महानिदेशक, आयुध निर्माणी श्री सुदिप्तो घोष तथा अन्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उक्त प्राथमिकी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित फर्मों/विक्रेताओं के नामों का उल्लेख है:

1. मैसर्स इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज, इजराइल
2. मैसर्स सिंगापुर टेक्नोलोजी, सिंगापुर
3. मैसर्स एच वाई टी इंजीनियर्स
4. मैसर्स टी एस किस्सन एण्ड कंपनी प्रा. लि., नई दिल्ली
5. मैसर्स आर के मशीन टूल्स, प्रा. लि. लुधियाना
6. मैसर्स बी बी टी, पोलेंड
7. मैसर्स मीडिया आर्किटेक्ट्स प्रा. लि. सिंगापुर

(ग) अभी तक सी बी आई ने अन्यों के साथ-साथ, पूर्व महानिदेशक आयुध निर्माणी श्री सुदिप्तो घोष तथा मैसर्स टी एस किस्सन एण्ड कं. लि., नई दिल्ली और मैसर्स आर के मशीन टूल्स प्रा. लि., लुधियाना नामक दो फर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए हैं। अन्य कंपनियों के मामले में सी बी आई रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि श्री सुदिप्तो घोष के विरुद्ध अवैध परितोषण के भुगतान के प्रथम दृष्टया अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। सी बी आई द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है।

(घ) पूर्व महानिदेशक, आयुध निर्माणी श्री सुदिप्तो घोष के विरुद्ध के.सि.से. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के तहत विभागीय कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है तथा सी

बी आई द्वारा काली सूची में डालने की सिफारिश की गई कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा, लोक दायित्व तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रक्रिया में 100 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित मूल्य के अधिप्राप्ति मामलों में संविदापूर्व सत्यनिष्ठा करार किए जाने संबंधी व्यवस्था का प्रावधान है और साथ ही एजेंटों की मदद लेने अथवा अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल को निषेध करने के भी प्रावधान हैं।

सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत परियोजनाएँ

***477. श्री अर्जुन राय:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोत परिवहन क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जा चुकी/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक किए गए निवेश का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि कोई विलम्ब/धीमी प्रगति हुई है तो इसके परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए निजी निवेश की कितनी संभावना है?

पोत-परिवहन मंत्र (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) उन परियोजनाओं को तालिकाबद्ध दर्शाने वाला विवरण, जो परियोजना-वार लागत/निवेश से युक्त पत्तन क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से अथवा कैप्टिव आधार पर पूरी कर ली गई है और संचालतात्मक हैं, विवरण–I के रूप में संलग्न है। उन परियोजनाओं की सूची, जिन्हें सौंप दिया गया है और निर्माण/कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, विवरण–II में रूप में संलग्न हैं।

(ग) पत्तन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब सामान्य रूप से विभिन्न कारणों अर्थात् विस्तृत परियोजना रिर्पोटों को पूरा किए जाने में विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण अनापत्ति और सुरक्षा से संबंधित में विलंब, अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण में विलंब, मुकदमेबाजी इत्यादि के कारण होती है।

(घ) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अनुसार, देश में महापत्तनों की क्षमता बढ़ाने और समग्र विकास के लिए घाटों और टर्मिनलों के निर्माण, मशीनीकरण, उपकरणों का प्रतिस्थापन इत्यादि हेतु पत्तन क्षेत्र में सभी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

विवरण I

निजी क्षेत्र/कैप्टिव क्षेत्र की परियोजनाएं, जो पूरी हो गई है और संचालनात्मक है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पत्तन का नाम	परियोजना लागत/संचयी निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	कंटेनर टर्मिनल, एनएसआईसीटी	जेएनपीटी	1000.00
2.	बीपीसीएल जेटी	जेएनपीटी	200
3.	तीसरा कंटेनर टर्मिनल	जेएनपीटी	1078.60
4.	बल्क कार्गो घाट सं. 5क. एंड 6क	मुरगांव	250
5.	पांचवीं तेल जेटी(आईएफएफसीओ)	कांडला	21.50
6.	वाडीनार (एस्सार) में तेल जेटी संबंधी सुविधाएं	कांडला	750.00
7.	मै.आईओसीएल को तेल जेटी सौंप दी गई	कांडला	20.70

1	2	3	4
8.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	कांडला	41.07
9.	कंटेनर टर्मिनल (चरण I और II)	कांडला	206.61
10.	कंटेनर टर्मिनल (घाट सं. 7)	तूतीकोरिन	135.00
11.	कंटेनर टर्मिनल, बाहरी बंदरगाह	विशाखापट्टणम	77.98
12.	बहुउद्देशीय घाट-ईक्यू-8 और ईक्यू-9	विशाखापट्टणम	320.29
13.	कैप्टिव उर्वरक घाट	पारादीप	26.17
14.	कार्गो संभालने के मशीनीकरण की परियोजना-1	पारादीप	37.32
15.	कार्गो संभालने के मशीनीकरण की परियोजना-2	पारादीप	25.13
16.	केन्द्रीय क्वे III घाट का मशीनीकरण	पारादीप	40.00
17.	चेन्नई में कंटेनर टर्मिनल	चेन्नई	772.94
18.	सिंगल पाइंट मूरिंग कैप्टिव घाट का निर्माण	पारादीप	500
19.	दूसरे कंटेनर टर्मिनल का विकास	चेन्नई	675.00
20.	समुद्री द्रव्य टर्मिनल	इन्नौर	249.43
21.	बहुउद्देशीय घाट सं. 4क	कोलकाता	126.00
22.	बहुउद्देशीय घाट सं. 12	कोलकाता	25.80
23.	एचडीसी में घाट सं. 2 का मशीनीकरण	कोलकाता	75
24.	एचडीसी में घाट सं. 2 का मशीनीकरण	कोलकाता	75
25.	कच्चा तेल संभालने की सुविधाएं	कोचीन	703.34
	कुल		7432.88

विवरण II

निर्माणाधीन और कार्यान्वित की जा रहीं निजी क्षेत्र/कैप्टिव पत्तन की परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पत्तन	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल	कोचीन पत्तन न्यास	2118.00
2.	एल एन जी पुनः गैसीकरण टर्मिनल	कोचीन पत्तन न्यास	3195.00
3.	कोयला टर्मिनल	इन्नौर पत्तन लिमिटेड	399.13
4.	लौह अयस्क टर्मिनल	इन्नौर पत्तन लिमिटेड	480.00
5.	कंटेनर टर्मिनल का विकास	इन्नौर पत्तन लिमिटेड	1407.00
6.	मुम्बई बंदरगाह में बी ओ टी आधार पर दो नये अपतट कंटेनर घाटों का निर्माण और कंटेनर टर्मिनल का विकास	मुम्बई पत्तन न्यास	1460.00

1	2	3	4
7.	मैसर्स एन पी सी एल द्वारा कोयला संभालने के लिए कैप्टिव जेटी का निर्माण	नव मंगलूर पत्तन न्यास	230.00
8.	घाट सं.-14 में मशीनीकृत रूप से लौह अयस्क संभालने की सुविधाओं की स्थापना	नव मंगलूर पत्तन न्यास	296.03
9.	एन एस सी तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए एन बी डब्ल्यू में कोयला घाट का निर्माण	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	49.00
10.	बल्क कार्गो संभालने के लिए उत्तरी कार्गो घाट-2 का निर्माण	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	332.16
11.	13-16 बहुउद्देशीय कार्गो घाट (द्रव्य और कंटेनर कार्गो घाट के अलावा) का विकास	कांडला पत्तन न्यास	728.50
12.	पुराने कांडला में कैप्टिव बेज जेटी का निर्माण (आई एफ एफ सी ओ)	कांडला पत्तन न्यास	20.50
13.	गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण	पारादीप पत्तन न्यास	591.00
14.	पत्तन न्यास परियोजना-1 में बहुउद्देशीय घाट	पारादीप पत्तन न्यास	387.31
15.	गहरे डुबाव वाले कोयला घाट का निर्माण	पारादीप पत्तन न्यास	479.00
16.	बल्क कार्गो संभालने के लिए घाट सं.-7 का विकास	मुरगांव पत्तन न्यास	252.00
17.	शुष्क बल्क कार्गो संभालने के लिए वी पी टी के आंतरिक बंदरगाह के दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी क्वे (डब्ल्यू क्यू-6) का विकास	विजाग	114.50
18.	द्रव्य कार्गो संभालने के लिए आंतरिक बंदरगाह में ई क्यू-10 घाट का विकास	विजाग	55.38
19.	बाहरी बंदरगाह में सामान्य और कार्गो घाट में मशीनीकृत रूप से कोयला संभालने की सुविधाएं	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	444.10
	कुल		13038.61

2 जी. लाइसेंसों का रद्द किया जाना

***478. श्री जगदीश शर्मा:**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दूरसंचार कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2008 में 2 जी. स्पेक्ट्रम जारी किए गए थे और जिन्होंने अपना कार्य/सेवाएं अभी तक शुरू नहीं की है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार से चूक करने वाली कंपनियों द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन नही करने के लिए उनके लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस की शर्त के अनुसार, यदि परीक्षण किए जाने पर रॉल-आउट दायित्व के लिए निर्धारित कवरेज का मानदंड पूरा कर लिया जाता है तो दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी)/दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठों द्वारा पंजीकरण किए जाने की तारीख को रॉल-आउट दायित्व पूरा किए जाने की तारीख माना जाता है। निम्नलिखित यूएएस लाइसेंसधारकों को छोड़कर जिन्होंने रॉल-आउट कवरेज परीक्षण के लिए अपने नेटवर्क टर्म सेलों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं, वर्ष 2008 में शुरूआती स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले सभी यूएएस लाइसेंसधारकों ने 1 वर्ष के रॉल-आउट दायित्व परीक्षण को पूरा करने के प्रयोजनार्थ दूरसंचार विभाग के टर्म सेलों में अपना नेटवर्क प्रस्तुत कर दिया है/नेटवर्क का पंजीकरण करा लिया है।

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र का नाम
1.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड	मुंबई
2.	एस टेल प्रा. लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर
3.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर
4.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड	उत्तर पूर्व
5.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
6.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	हरियाणा
7.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	महाराष्ट्र
8.	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	कर्नाटक
9.	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	पंजाब

क्र. सं. 5 से 9 पर उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, यूएएस लाइसेंसधारक स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि. का माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।

(ख) और (ग) ट्राई ने 18 नवंबर, 2010 के पत्र सं. 102-6/2009-एमएन (खंड-II) 126 के तहत 38 एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	यूएएस लाइसेंसों की संख्या
1.	एयरसेल लिमिटेड	1
2.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	3
3.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड	2
4.	लूप टेलीकॉम लिमिटेड	14
5.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड	10
6.	यूनिटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा. लिमिटेड	2
7.	यूनिटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा. लिमिटेड	5
8.	यूनिटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा. लिमिटेड	1

इसके अलावा, ट्राई ने ऊपर उल्लिखित पत्र के माध्यम से कानूनी जांच के पश्चात 31 यूएएस लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	यूएएस लाइसेंसों की संख्या
1.	एयरसेल लिमिटेड	1
2.	आलियांज इन्फ्राटेक (प्रा.) लिमिटेड	2
3.	एटिसलाट डीबी टेलिकॉम प्रा. लिमिटेड	11
4.	लूप टेलीकॉम लिमिटेड	6
5.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड	1
6.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	10

(घ) और (ङ) रॉल-ऑऊट में विलम्ब और इसके कारण सरकार को होने वाली हानि, यदि कोई हो, को रोकने और इसकी भरपाई करने के लिए यूएएस लाइसेंस करार में परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी) का प्रावधान मौजूद है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस प्रदाता 7.00 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन प्रथम 13 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 5 लाख रुपए (पांच लाख रुपए) की दर से; अगले 13 सप्ताहों तक 10 लाख रुपए की दर से और तत्पश्चात 26 सप्ताहों के लिए 20 लाख रुपए की दर से परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार की वसूली करने का हकदार होगा।

[अनुवाद]

बेरोजगारी की दर

***479. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री जयंत चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण (2009-10) पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2009-10 के दौरान सामान्य प्रमुख स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 10.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 7.3 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	बेरोजगारी दरें (श्रम बल के % के रुप में)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	8.7	14.8	10.1
शहरी	5.9	13.8	7.3
ग्रामीण + शहरी	8.0	14.6	9.4

(ग) और (घ) 11वीं योजना का उद्देश्य, अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य विकास प्रक्रिया तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसी विभिन्न रोजगार सृजन ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण तथा शहरी-दोनों क्षेत्रों में 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है। युवाओं में रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत देशभर में व्यापक विस्तार के साथ एक वृहद कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल व्यक्ति हैं और सभी संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को तदनुसार कौशल विकास कार्यक्रम को आरंभ करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना भी आरंभ की गई है। परियोजना के तहत, एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है जो आभासी रोजगार बाजार की तरह कार्य करेगा। इसमें एक तरफ कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता तथा दूसरी ओर उद्योग द्वारा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित आंकड़े होंगे। अत: यह युवाओं को उपयुक्त रूप से नियोजित होने में सहायता करेगा तथा उद्योग को वास्तविक समय आधार पर आवश्यक कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार

*480. **श्री के. सुगुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों का रोजगार प्रदान करने में कथित भेदभाव का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को इस प्रकार का भेदभाव रोकने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 ("सरकारी नियोजन में भेदभाव न करना") में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख है कि कोई भी स्थापना अपनी सेवा के दौरान विकलांग हुए किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेगी अथवा उसके रैंक को कम नहीं करेगी और केवल उसकी विकलांगता के आधार पर उसकी प्रोन्नति को नहीं रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 33 में उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्येक स्थापना में कम से कम 3 प्रतिशत रिक्तियों में विकलंग व्यक्तियों को नियुक्त करने की अपेक्षा है।

उपरोक्त अधिनियम की क्रमश: धारा 57 और 60 के अंतर्गत नियुक्त नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयक्त एवं राज्य आयुक्तों को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में विकलांग व्यक्तियों की किसी शिकायत की जांच करने और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने की शक्ति प्राप्त है।

स्व-सहायता समूहों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज राजसहायता

5291. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004-05 में स्व-सहायता समूहों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पवला वद्दी परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को अब तक वर्ष-वार कितनी वित्तीय राजसहायता दी गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिड़ी देने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 के दौरान पवला वद्दी योजना (ब्याज सब्सिडी) शुरू की थी ताकि स्व-सहायता समूहों के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। यह योजना एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 1.7.2004 को अथवा इसके बाद बैंकों द्वारा दिए गए सभी ऋणों पर लागू है।

आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक 10% से 13% के बीच विभेदक ब्याज दरों पर एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत ऋण देते रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस योजना के तहत स्व-सहायता समूहों द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रति वर्ष 3% से अधिक ब्याज का भुगतान किए जाने पर पश्चात प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देती है। योजना की वर्तमान स्थिति इसका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रु. करोड़ में

वर्ष	मांग	आबंटन	रिलीज	व्यय	वास्तविक उपलब्धि (समूह)
2004-05	15.00	10.00	10.00	52.67	475164
2005-06	61.00	48.00	48.00		
2006-07	121.00	75.00	56.25	50.02	290825
2007-08	196.00	100.00	100.00	112.30	554359
2008-09	300.00	250.00	250.00	175.30	714930
2009-10	550.00	200.00	100.00	173.57	426611
2010-11	749.17	200.00	270.00	268.24	741313
कुल	1992.17	883.00	834.25	832.10	

(ग) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकर द्वारा कार्यान्वित की जा रही पवला वद्दी योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

[हिन्दी]

गुजरात में पत्तन

5292. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाहेज वेरावल मंगरोल और पोरबंदर पत्तन सहित गुजरात में अनेक पत्तन बड़े पत्तन की योग्यता रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) गुजरात में अवस्थित दहेज, वेरावल, मंगरोल और पोबंदर पत्तन महापत्तन नहीं हैं। भारत सरकार, नीतिगत अपेक्षाओं और व्यापार एवं वाणिज्य की संभावनाओं के आधार पर महापत्तन घोषित करता है।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत वाटर चैनल

5293. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार करने कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनुमत्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब राज्य में लघु और सीमान्त तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसानों की छोटे खेतों पर छोटे वाटर चैनलों (खाल्स) को वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार तंत्र का पर्यवेक्षण करती है ताकि लघु, सीमांत और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों के खेतों पर वाटर चैनलों का निर्माण भी किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलापों में नए कार्यों को शामिल करने के लिए कुछ राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण; निर्धनों के लिए मकान; विद्यालय भवन; एएनएम के केन्द्र; आंगनवाड़ी भवनों; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल स्थानों में पक्की नालियों और पक्की आंतरिक सड़कों के निर्माण; मलबे को हटाने और ग्रामीण नालियों की सफाई; सब्जियों की खेती तथा रेशम कीट पालन कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि का विकास; बायोगैस संयत्र के निर्माण (बायोगैस गड्ढों की खुदाई); ग्रामीण पशुधन के लिए वर्षभर चारे का इंतजाम; जमीन की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए वैयक्तिक भूमि पर कार्य; पशुधन विकास की सुविधाओं आदि से संबंधित हैं।

(ग) से (च) सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान (जिसमें छोटे वाटर चैनल शामिल हो सकते है), बागवानी पौधरोपण और अनु. जा./अनु.ज.जा./बीपीएल/आईएवाई के परिवारों तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों/छोटे एवं सीमान्त किसानों की भूमि पर भूमि विकास से संबंधित कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलापों के रूप में रखा गया है।

उद्योग से बाल श्रम का उन्मूलन

5294. श्री जोस के. मणि:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
डॉ. कुपारानी किल्ली:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी गलीचे, वस्त्र और खनन जैसे खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषत: खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को कम करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में विभिन्न खतरनाक उद्योगों में से कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 बीड़ी, कारपेट, कपड़ा तथा खनन उद्योगों में कार्यरत बच्चों सहित 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है।

(ग) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम क्रियान्वित

कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से हटाये गये बच्चों को विशेष विद्यालयों में दाखिल कराया जाता है जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, वयावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, स्वास्थ्य देख रेख उपलब्ध करायी जाती है तथा उन्हें नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाया जाता है।

(घ) विगत तीन वर्षों में 298611 बाल श्रमिकों को जोखिमकारी कार्य से हटाया गया है और विशेष विद्यालयों के माध्यम से पुनर्वासित किया गया है तथा अंतिम रूप में औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाया गया है।

निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

5295. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भवन और निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए इस समय कितने कानून मौजूद हैं;

(ख) क्या इनके क्रियान्वयन में कोई बाधा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याण बोर्डों की स्थापना करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राज्य सरकारों ने कल्याण बोर्डों का गठन किया है; और

(च) अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है तथा राज्य कल्याण बोर्डों को भेजी गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों इत्यादि की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किए हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित करना होता है। बोर्ड के कार्यों में दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को तुरंत सहायता, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान, मकान निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम से संबंधित राशि के भुगतान इत्यादि जैसे कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना शामिल है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कल्याण बोर्ड गठित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कल्याण बोर्ड गठित कर दिए हैं।

(च) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्माण लागत के 1% की दर से उपकर एकत्रित किया जाता है तथा निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर हुए खर्चों को पूरा करने के लिए संबंधित कल्याण बोर्डों को दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.06.2010 तक एकत्रित उपकर की कुल राशि 3251 करोड़ रुपये (लगभग) है। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों की संख्या, उगाहे गये उपकर और खर्ची गई धनराशि की राज्य-वार स्थिति

30.06.2010 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बोर्ड के पास पंजीकृत कामगारों की संख्या	संग्रहीत उपकर की धन राशि (करोड़ रुपये)	खर्च की गई धन राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8,55,106	425	11.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,397	7.16	1.23
3.	असम	0	16.02	0.01

1	2	3	4	5
4.	बिहार	6,898	80.44	0.09
5.	छत्तीसगढ़	2,146	10.28	0.55
6.	गोवा	0	1.03	0
7.	गुजरात	36,972	146.62	0.93
8.	हरियाणा	1,05,437	237.61	3.61
9.	हिमाचल प्रदेश	467	33.95	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	13,981	8.2	0.06
12.	कर्नाटक	1,13,776	494.91	3.85
13.	केरल	15,98,246	411.62	328.21
14.	मध्य प्रदेश	10,40,000	254.29	209.93
15.	महाराष्ट्र	0	10.53	0
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	47,205	46.26	0.002
21.	पंजाब	7,782	53.81	1.5
22.	राजस्थान	10,836	3.26	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	20,05,120	345.6	135.61
25.	त्रिपुरा	5,027	17.74	0.04
26.	उत्तर प्रदेश	8,594	7.63	0
27.	उत्तराखंड	0	2.61	0
28.	पश्चिम बंगाल	1,25,692	170.21	0.95
29.	दिल्ली	29,678	440.84	27.94
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	224	3.01	0
31.	चंडीगढ़	0	1.37	0.0054
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0.17	0
33.	दमन व दीव	0	0.19	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	25,455	20,65	4,62
	कुल	60,40,039	3251.01	730.9674

[हिन्दी]

बाल श्रम संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

5296. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1996 में लिए गए निर्णय के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों को रोजगार देने को मानवता के प्रति अत्याचार माना जाता है तथा इस संबंध में राज्यों को विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने के निदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट भेज दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1996 को एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य की रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/1986 में बाल श्रम उन्मूलन के मुद्दे पर कतिपय निदेश दिए थे तथा राज्यों को इस संबंध में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट देने के निदेश दिए गए थे। तद्नुसार, राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्य न्यायालय में शपथ पत्र दायर किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड जारी करना

5297. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी जिन स्मार्ट कार्डों के माध्यम से लोग अपनी बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं उन जरूरतमंद व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितने राज्यों एवं जिलों में स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) इसे कब लागू किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत कुल कितने जरूरतमंद लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे चल रही है; और

(घ) इससे अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र में (पांच की इकाई वाले) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रतिवर्ष 30,000/- रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 01.10.2007 को शुरू की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से लागू हुई थी। 30.11.2010 तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 304 जिलों को कवर करते हुए 2.18 करोड़ परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

इलाज के लिए लाभग्राही को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। इस योजना के अंतर्गत राज्य की राज्यीय नोडल एजेंसी के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में बांट ली जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के मामले में यह अनुपात 90:10 है।

यह योजना स्वैच्छिक है क्योंकि लाभग्राही को पंजीकरण शुल्क का अंशदान करना होता है। अत:, केवल वार्षिक अनुमान लगाये गये हैं।

(घ) दिनांक 30.11.2010 तक अस्पताल-सुविधाएं पाने वाले लाभग्राहियों की संख्या 10,93,275 है।

भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

5298. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, अगासंद, बीमा मध्य प्रदेश के कामगारों को कंपनियों के साथ हुए करार तथा केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित मजदूरी के बावजूद भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीओआरएल के विरुद्ध श्रम कानूनों के उल्लंघन की कितनी शिकायतें मिली हैं तथा ये शिकायतें किस प्रकार की हैं एवं ये शिकायतें कब मिली हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के.) द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को प्रवर्तन करने के लिए भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, बीमा, मध्य प्रदेश में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत-ओमान रिफाइनरी मजदूर/कर्मचारी महासंघ, बीमा ने अपने दिनांक 03.01.2009, 05.08.2009 और 31.08.2009 के पत्र के माध्यम से बीओआरएल, बीना के ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन और सांविधिक कल्याण सुविधाएं नहीं दिए जाने से संबंधित शिकायत की है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के.) द्वारा किए जा रहे नियमित निरीक्षणों के अलावा, बीओआरएल, बीना की स्थापना में व्यापक निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों का एक विशेष दल नियुक्त किया गया था। विशेष दल ने इस प्रतिष्ठान के 06.12.2009 से 10.12.2009 के बीच विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण किए। इन निरीक्षणों के आधार पर, अभियोजन दायर किए गए और चूककर्ता ठेकेदारों पर जुर्माने लगाये गये।

दूरसंचार सेवाएं

5299. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्थान में लगातार पड़ने वाले दुर्भिक्षों के मद्देनजर राजस्थान को विशेष दर्जा देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ोसी देश के मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी रेंज हमारे क्षेत्र के सिग्नल पकड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकर द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड अपने प्रचालन क्षेत्र के राजस्थान सहित सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रहा है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई लाइसेंस शर्तों के अनुसार मोबाइल टॉवर स्थापित कर रहा है। लाइसेंस शर्तों के अनुसार मोबाइल टॉवर इस तरीके से स्थापित किए जाते हैं और इनका प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि इनसे निकलने वाले रेडियो सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने पर अथवा उनको पार करते समय क्षीण हो जाते हैं और ऐसी सीमाओ के पार जाने पर अनुपयोगी हो जाते हैं।

वस्त्र मजदूरों हेतु टीडब्ल्यूआरएफ

5300. श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मिलों के बंद होने के मद्देनजर मजदूरों के पुनर्वास के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास कोष योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता चला है कि 1993 से पहले 22 वस्त्र मिलें बंद हुई थीं लेकिन उनमें काम करने वालों को अभी टीडब्ल्यूआरएफ योजना के लाभ मिलने बाकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख): वस्त्र कामगार पुनर्वास कोष योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस), निजी क्षेत्र में किसी समूची वस्त्र इकाई अथवा उसके भाग विशेष के स्थायी रूप से बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गये वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करती है। बंद हो गई वस्त्र मिलों की पात्रता निम्नलिखित आधार पर तय की जाती है:

(i) अपने बंद होने के दिन, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अथवा वस्त्र आयुक्त के पास मध्यम स्तर की इकाई के रूप में लाइसेंस-प्राप्त अथवा पंजीकृत कोई इकाई;

(ii) मिल ने उद्योग विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत समुचित राज्य सरकार से बंद होने के संबंध में अपेक्षित अनुमति हासिल की हो अथवा विकल्पत: कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इकाई को बंद करने के प्रयोजन से आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया हो।

(iii) इकाई 6 जून, 1985 को अथवा उसके उपरांत बंद की गई हो

(iv) इसमें आंशिक रूप से बंद हुई इकाइयां भी शामिल हैं जिनमें राज्य सरकारों ने यह सिफारिश की हो की समूचा घाटे का कार्यकलाप (जैसे बुनाई अथवा प्रसंस्करण) नोडल एजेंसी/बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किसी रूग्ण/कमजोर मिल (आरबीआई परिभाषा के अनुसार) हेतु पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में बंद कर दिया जाये बशर्ते कि बंद की गई क्षमता को रद्द करने हेतु अभ्यर्पित कर दिया गया हो और इसका इस आशय का पृष्ठांकन लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र पर कर दिया गया हो।

(ग) और (घ) वस्त्र मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, दो पात्र वस्त्र मिलें हैं नामत: मैसर्स राजा टेक्सटाइल्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश और मैसर्स दनवार कॉटन मिल्स, श्यामनगर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल जिन्हें 05.06.1985 के उपरांत तथा 1993 से पहले बंद किया गया था। तथापि, लाभ प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित राज्य सरकार से संबद्ध राज्यीय श्रम विभागों के साथ पुरजोर सम्पर्क साधने के उपरांत भी पात्र कामगारों की सूची निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट लिंकेज

5301. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अन्य प्रक्रियात्मक विलंब करने के लिए पेटेंट लिंकेज के लिए किए जाने वाले झूठे दावों की ओर आकृष्ट किया गया है ताकि इससे प्रतिस्पर्धी भारतीय कंपनियों को सस्ती दवाइयां बनाना शुरू करने में देरी हो जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पेटेंट लिंकेज की मांग करती रही हैं। पेटेंट लिंकेज मुद्दे पर एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय कानून पेटेंट लिंकेज की अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

ओबीसी के लिए आरक्षण

5302. श्रीमती जे. शान्ता: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-से राज्य हैं जहां की सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है;

(ख) क्या राज्यों ने राज्य स्तरीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिंता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) सरकार की आरक्षण नीति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा देखी जाती है जो केन्द्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित है।

राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की आरक्षण नीति हैं। आरक्षण सहित राज्यों की सेवाओं के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों का सरोकार है।

[हिन्दी]

ई-कॉमर्स का संवर्धन

5303. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ई-कॉमर्स का विस्तार, उसे स्थिर तथा उसे मानकीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 देश में ई-वाणिज्य के संवर्धन के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अंकीय हस्ताक्षर को कानूनी वैधता प्रदान की गई है।

प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यालय (सीसीए) की स्थापना अंकीय हस्ताक्षरों के इस्तेमाल से ऑनलाइन लेन-देन की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के लिए देश में सार्वजनिक कुंजी मूलसंरचना (पीकेआई) के कार्यान्वयन के लिए की गई है। इस्तेमाल किए जाने वाले मानदण्डों का वर्णन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी भारत में मोबाइल भुगतान ढांचे का विकास करने के लिए आईआईटी, मद्रास में अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ई-वाणिज्य के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के कार्य शुरू किए हैं। परियोजना का शीर्षक और परिव्यय नीचे दिए अनुसार है:

- मोबाइल भुगतान प्रमाणन प्रयोगशाला, 63.22 लाख रुपए
- वाक् समर्थित मोबाइल बैंकिंग लेन-देन के लिए परीक्षण प्लेटफॉर्म, 20.00 लाख रुपए

अंकीय हस्ताक्षरों के विकास में पिछले तीन वर्षों में तेजी आई है। कई सरकारी ऑनलाइन अनुप्रयोग पीकेआई समर्थित हैं। उदाहरणों में ये शामिल हैं:

- कम्पनी की आय का ब्यौरा दर्ज करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एमसीए 21
- आयात/निर्यात लाइसेंस के लिए डीजीएफटी के साथ ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना
- आयकर ब्यौरे ऑनलाइन दर्ज करना
- ई-क्रय
- ई-निविदा
- बैंकिंग अनुप्रयोग
- अधिप्रमाणित एजेंटों के लिए रेलवे बुकिंग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई-वाणिज्य से संबंधित राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है।

हेलीकाप्टरों की खरीद

5304. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए रूस से एम आई-17 हेलीकाप्टरों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त हेलीकाप्टरों की उपयोगिता क्या है; और

(घ) इनका परिदान कब तक शुरू होने की संभावान है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और सम्बद्ध उपस्करों सहित 80 एम आई 17-वी 5 हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय और मैसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस के बीच 1,345,836,495.83 अमरीकी डॉलर की लागत पर दिनांक 05 दिसंबर, 2008 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) एम आई 17-वी 5 हेलिकॉप्टरों का उपयोग विशेष हेलीकॉप्टर वाहित संक्रियाओं, हवाई अनुरक्षण, सैन्य टुकड़ियों और उपस्करों के परिवहन, खोज और बचाव, हताहतों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और सशस्त्र हेलिकॉप्टर भूमिकाओं में किया जाएगा। इन हेलिकाप्टरों की सुपुर्दगी मार्च 2011 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

ई-मेल की ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर

5305. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव है जो ई-मेल को ट्रैक कर सके तथा वेबसाइट पर सूचना का संपादन करने के लिए चीन की तरह अन्य सरकारी वेबसाइटों को हैक कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

लैंडलाइन कनेक्शनों का प्रावधान

5306. श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ और सारगुजा जिलों सहित देश में राज्य-वार कितने लैंडलाइन/मोबाइल कनेक्शन काम कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2007-08 से 2009-10 की उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी वृद्धि/गिरावट दर्ज की गई है; और

(ग) उक्त दूरसंचार जिलों सहित देश में कब से टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की गई है तथा इसके कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ और सारगुजा दूरसंचार जिलों सहित देश में कार्य कर रहे लैंडलाइन/मोबाइल कनेक्शनों की संख्या का राज्य-वार/लाइसेंस क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य (बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त) के रायगढ़ और सारगुजा में कार्य कर रहे लैंडलाइन/मोबाइल कनेक्शनों की संख्या का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	दूरसंचार जिला	दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए लैंडलाइन कनेक्शन	दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शन
1.	रायगढ़	10806	94671
2.	सारगुजा	23723	170312

(ख) वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान राज्य-वार/लाइसेंस क्षेत्र-वार टेलीफोन कनेक्शनों में हुई वृद्धि ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी तथा रायगढ़ और सारगुजा दूरसंचार जिलों सहित सर्किल और गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए)-वार प्रकाशित किया जाने वाला अगले अंक का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), दिल्ली द्वारा पिछली टेलीफोन डायरेक्टरी का मुद्रण वर्ष 1999 में किया गया था तथा अनुपूरक डायरेक्टरी का मुद्रण वर्ष 2000 में किया गया था।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) मुंबई द्वारा पिछली टेलीफोन डायरेक्टरी का मुद्रण वर्ष 1999 में किया गया था तथा वर्ष 2001 में अनुपूरक डायरेक्टरी का भी मुद्रण किया गया था तथा इसे वर्ष 2002 में उपभोक्ताओं को वितरित किया गया था।

एमटीएनएल में मुद्रित डायरेक्टरी के प्रकाशन को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि एमटीएनएल (i) 197-प्रचालक सहायक गैर-मीटर कम्प्यूटाइज्ड डायरेक्टरी संबंधी पूछताछ सेवा (ii) एमटीएनएल वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से एमटीएनएल की लैंडलाइन डायरेक्टरी संबंधी सूचना को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है।

विवरण I

दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शनों का राज्य/लाइसेंस क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/लाइसेंस-क्षेत्र का नाम	लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन	मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन	कुल टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2381606	54000379	56381985
2.	असम	287250	10284817	10572067
3.	बिहार	1360804	46311291	47672095
4.	गुजरात	2005976	40158662	42164638
5.	हरियाणा	686838	17780912	18467750
6.	हिमाचल प्रदेश	343997	6358981	6702978

1	2	3	4	5
7.	जम्मू और कश्मीर	217710	4812128	5029838
8.	कर्नाटक	2743432	43802688	46546120
9.	केरल	3337112	28928145	32265257
10.	मध्य प्रदेश	1457566	38295897	39753463
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	2891945	52392102	55284047
12.	पूर्वोत्तर	290386	6241968	6532354
13.	उड़ीसा	566332	19302134	19868466
14.	पंजाब	1572326	24701432	26273758
15.	राजस्थान	1380999	38649784	40030783
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	2037744	51386997	53424741
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1483615	54628605	56112220
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	880100	38239230	39119330
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	825800	32113947	32939747
20.	कोलकाता	1423298	19788020	21211318
21.	चेन्नै	1475796	12284531	13760327
22.	दिल्ली	2798298	34086404	36884702
23.	मुंबई	2980221	32151625	35131846
	समस्त-भारत	35429151	706700679	742129830

नोट: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों मे क्रमश: अंडमान-निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के टेलीफोनों को भी शामिल किया गया है क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल लाइसेंस क्षेत्र वार आंकड़े प्रदान करते हैं।

विवरण II

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/लाइसेंस-क्षेत्र का नाम	2007-08 की स्थित के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन	2009-10 की स्थित के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन	2007-08 से 2009-10 के दौरान वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23288508	48086548	24798040
2.	असम	4343409	9064392	4720983

1	2	3	4	5
3.	बिहार	12934489	38356594	25422105
4.	गुजरात	19244956	34430942	15185986
5.	हरियाणा	7355723	14957215	7601492
6.	हिमाचल प्रदेश	2716613	5343219	2626606
7.	जम्मू और कश्मीर	2461397	5779357	3317960
8.	कर्नाटक	19887339	39908353	20021014
9.	केरल	15370914	27654979	12284065
10.	मध्य प्रदेश	14984521	33551028	18566507
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	24721967	46525690	21803723
12.	पूर्वोत्तर	2460806	5636222	3175416
13.	उड़ीसा	5953313	15885139	9931826
14.	पंजाब	13399833	21700899	8301066
15.	राजस्थान	15343775	35266093	19922318
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	20786207	44441959	23655752
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	17677690	45530401	27852711
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	14186965	31972932	17785967
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	10586334	26071205	15484871
20.	कोलकाता	9330552	17865316	8534764
21.	चेन्नै	8436749	12813769	4377020
22.	दिल्ली	18703590	31010425	12306835
23.	मुंबई	16316779	29427409	13110630
	समस्त-भारत	300492429	621280086	320787657

नोट: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों मे क्रमशः अंडमान-निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के टेलीफोनों को भी शामिल किया गया है क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल लाइसेंस क्षेत्र वार आंकड़े प्रदान करते हैं।

विवरण III

अंडमान और निकोबार

क्र.सं.	एसएसए का नाम	नवीनतम उपलब्ध डायरेक्टरी के मुद्रण का माह एवं वर्ष	डायरेक्टरी के अंक को जारी किए जाने का अगला संभावित माह
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	अक्तूबर, 2004	जनवरी, 2011
आंध्र प्रदेश			
1.	अदिलाबाद	जून-2007	जनवरी, 2011
2.	अनंतपुर	मार्च-2006	जनवरी, 2011
3.	चित्तूर	दिसंबर-2007	जनवरी, 2011
4.	कुडप्पाह	अप्रैल-2007	जनवरी, 2011
5.	पूर्वी गोदावरी	अक्तूबर-2008	जनवरी, 2011
6.	गुंटूर	अक्तूबर-2003	जनवरी, 2011
7.	हैदराबाद दूरसंचार जिला	जनवरी-2009	जनवरी, 2011
8.	करीमनगर	जुलाई-2008	जनवरी, 2011
9.	खम्माम	सितंबर-2007	जनवरी, 2011
10.	कृष्णा	जनवरी-2005	जनवरी, 2011
11.	कुर्नूल	जनवरी-2005	जनवरी, 2011
12.	महबूबनगर	मई-2009	जनवरी, 2011
13.	मेड़क	सितंबर-2007	जनवरी, 2011
14.	नगलोंडा	जनवरी-2001	जनवरी, 2011
15.	नेल्लौर	जून-2008	जनवरी, 2011
16.	निजामाबाद	मार्च-2003	जनवरी, 2011
17.	प्रकाशम	अप्रैल-2000	जनवरी, 2011
18.	श्रीकाकुलम	अगस्त-2006	जनवरी, 2011
19.	विशाखापट्नम	अगस्त-2008	जनवरी, 2011
20.	विजयनगरम	अक्तूबर-2006	जनवरी, 2011
21.	वारंगल	अगस्त-2006	जनवरी, 2011
22.	पश्चिमी गोदावरी	मार्च-2001	जनवरी, 2011
असम			
1.	कामरूप	2001	जून, 2011
2.	सिलचर	जुलाई, 2003	जून, 2011
3.	डिब्रूगढ़	जून, 2001	जून, 2011

1	2	3	4
4.	जोरहाट	मार्च, 2003	जून, 2011
5.	नौगांव	सितम्बर, 2007	जून, 2011
6.	तेजपुर	मार्च, 2003	जून, 2011
7.	बोंगाईगांव	दिसम्बर, 2004	जून, 2011
बिहार			
1.	आरा	मई-2008	दिसंबर, 2011
2.	बेगुसराय	जून-2008	दिसंबर, 2011
3.	बेतिया	मई-2008	दिसंबर, 2011
4.	भागलपुर	मई-2004	दिसंबर, 2011
5.	छपरा	अक्तूबर-2006	दिसंबर, 2011
6.	दरभंगा	मार्च-2003	दिसंबर, 2011
7.	गया	मार्च-2001	दिसंबर, 2011
8.	हाजीपुर	दिसंबर-2008	दिसंबर, 2011
9.	कटिहार	मई-2010	दिसंबर, 2011
10.	खगरिया	अप्रैल-2001	दिसंबर, 2011
11.	मधुबनी	दिसंबर, 2001	दिसंबर, 2011
12.	मोतीहारी	जून-2008	दिसंबर, 2011
13.	मुंगेर	सितंबर-2008	दिसंबर, 2011
14.	मुजफ्फरपुर	जनवरी-2007	दिसंबर, 2011
15.	पटना	फरवरी-2005	दिसंबर, 2011
16.	सहरसा	दिसंबर-2001	दिसंबर, 2011
17.	समस्तीपुर	सितंबर-2009	दिसंबर, 2012
18.	सासाराम	अप्रैल-2008	दिसंबर, 2011
झारखंड			
1.	रांची	सितंबर-2009	2013
2.	धनबाद	दिसंबर-2006	जनवरी 2011
3.	जमशेदपुर	अप्रैल-2006	जनवरी 2011
4.	हजारीबाग	अप्रैल-2006	जनवरी 2011
5.	डाल्टनगंज	फरवरी-2008	जनवरी 2011
6.	दुमका	दिसंबर-2001	जनवरी 2011

1	2	3	4
गुजरात			
1.	अहमदाबाद	जनवरी, 2009	2011
2.	अमेरली	फरवरी-06	जून, 2011
3.	भरूच	दिसंबर-04	जनवरी,11
4.	भावनगर	सिंतबर-08	मार्च,11
5.	भुज	जून-08	जनवरी,2011
6.	गोधरा	फरवरी-06	मार्च,11
7.	हिम्मतनगर	सितंबर-10	2011
8.	जामनगर	मई-07	जनवरी, 11
9.	जूनागढ़	जुलाई-03	मार्च, 11
10.	मेहसाणा	नवंबर-04	जनवरी, 11
11.	नडिआड	जुलाई-10	2011
12.	पालनपुर	जुलाई-06	अप्रैल, 11
13.	राजकोट	मार्च-06	अप्रैल, 11
14.	सूरत	अक्तूबर-07	कम प्रत्युत्तर प्राप्त होने के कारण इस निविदा को रद्द कर दिया गया है।
15.	सुरेन्द्रनगर	फरवरी-05	जनवरी, 11
16.	वड़ोदरा	अगस्त, 09	जनवरी, 11
17.	वल्साड़	दिसंबर-09	निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई किन्तु किसी ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है।
हरियाणा			
1.	जींद	जून-07	मार्च, 2011,
2.	रेवाड़ी	अगस्त, 10	मार्च, 2011
3.	फरीदाबाद	फरवरी 06	मार्च, 2011
4.	गुड़गांव	फरवरी 06	मार्च, 2011
5.	सोनीपत	मार्च 05	मार्च, 2011
6.	हिसार	अप्रैल 06	जनवरी, 2011

1	2	3	4
7.	रोहतक	फरवरी 07	मार्च, 2011
8.	अंबाला	जनवरी 08	मार्च, 2011
9.	करनाल	सितंबर 07	मार्च, 2011
हिमाचल प्रदेश			
1.	धर्मशाला	जुलाई, 06	जनवरी, 2011
2.	हमीरपुर	मई, 09	जनवरी, 2011
3.	कुल्लू	दिसंबर, 06	फरवरी, 2011
4.	मण्डी	दिसंबर, 06	मार्च, 2011
5.	शिमला	अक्तूबर, 07	मार्च, 2011
6.	सोलन	मार्च, 04	जनवरी, 2011
जम्मू और कश्मीर			
1.	जम्मू	सितंबर, 2003	जुलाई, 2011
2.	श्रीनगर	2009	अगस्त, 2011
3.	ऊद्यमपुर	मार्च, 2008	जनवरी, 2011
4.	राजौरी	नवंबर, 02	जनवरी, 2011
5.	लेह	जून, 07	जुलाई, 2011
कर्नाटक			
1.	बेंगलुरू	मई, 10	जून, 2011
2.	हुबली	मई, 08	मार्च, 2011
3.	मेदिकेरी (कोडागु)	अप्रैल, 04	मार्च, 2011
4.	मांडया	मई, 10	जून, 2011
5.	मंगलौर (दक्षिण कन्नड़ा)	अप्रैल 09	मार्च, 2011
6.	मैसूर	अप्रैल, 08	मार्च, 2011
7.	शिमोगा	जुलाई, 04	मार्च, 2011
8.	कोलार	अप्रैल, 06	मार्च, 2011
9.	बेल्लारी	जुलाई, 07	मार्च, 2011
10.	बीदर	सितंबर, 01	मार्च, 2011
11.	बीजापुर	अप्रैल, 01	मार्च, 2011

1	2	3	4
12.	चिकमगलूर	जनवरी, 05	मार्च, 2011
13.	देवांगिरी	नवंबर, 08	मार्च, 2011
14.	गुलबर्गा	जनवरी, 05	मार्च, 2011
15.	हासन	अप्रैल, 06	मार्च, 2011
16.	रायचुर	फरवरी, 08	मार्च, 2011
17.	तुमकुर	जनवरी, 07	मार्च, 2011
18.	करवर (उत्तर कन्नड़ा)	जून, 10	जून, 2011
19.	बेलगांव	जुलाई, 02	मार्च, 2011
केरल			
1.	त्रिवेंद्रम	नवंबर, 05	अदालती मामला
2.	कोलाम	जून, 07	अदालती मामला
3.	अलेप्पि	जनवरी, 09	अदालती मामला
4.	पथनमथिटा	अप्रैल, 08	अदालती मामला
5.	कोट्टायम	दिसंबर, 06	अदालती मामला
6.	एर्नाकुलम	जुलाई, 05	अदालती मामला
7.	त्रिचुर	दिसंबर, 09	अदालती मामला
8.	पाल्लाकड	जून, 07	अदालती मामला
9.	मलाप्पूरम	जून, 09	अदालती मामला
10.	कालीकट	जुलाई, 07	अदालती मामला
11.	कन्नूर	जनवरी, 08	अदालती मामला
मध्य प्रदेश			
1.	बालाघाट	दिसंबर, 2006	जनवरी, 2011
2.	बेतूल	फरवरी, 2006	जनवरी, 2011
3.	भोपाल	दिसंबर, 2008	जनवरी, 2011
4.	छतरपुर	जून, 2008	जनवरी, 2011
5.	छिंदवाड़ा	मई, 2008	जनवरी, 2011
6.	दमोह	मार्च, 2003	जनवरी, 2011
7.	देवास	नवंबर, 2006	जनवरी, 2011

1	2	3	4
8.	धार	मार्च, 2005	जनवरी, 2011
9.	गुना	मार्च, 2005	जनवरी, 2011
10.	ग्वालियर	दिसंबर, 2005	जनवरी, 2011
11.	होशंगाबाद	नवंबर, 2007	जनवरी, 2011
12.	इंदौर	दिसंबर, 2006	जनवरी, 2011
13.	जबलपुर	जून, 2006	जनवरी, 2011
14.	झाबुआ	नवंबर, 2004	जनवरी, 2011
15.	खंडवा	फरवरी, 2007	जनवरी, 2011
16.	खरगौन	दिसंबर, 2004	जनवरी, 2011
17.	मंडला	अगस्त, 2006	जनवरी, 2011
18.	मंदसौर	दिसंबर, 2008	जनवरी, 2011
19.	मुरैना	मार्च, 2005	जनवरी, 2011
20.	नरसिंहपुर	मार्च, 2007	जनवरी, 2011
21.	पन्ना	नवंबर, 2002	जनवरी, 2011
22.	रायसेन	अगस्त, 2002	जनवरी, 2011
23.	राजगढ़	अक्तूबर, 2000	जनवरी, 2011
24.	रतलाम	जुलाई, 2007	जनवरी, 2011
25.	रीवा	सितंबर, 2007	जनवरी, 2011
26.	सागर	मार्च, 2006	जनवरी, 2011
27.	सतना	मार्च, 2001	जनवरी, 2011
28.	सिवनी	सितंबर, 2007	जनवरी, 2011
29.	शहडोल	अगस्त, 2003	जनवरी, 2011
30.	शाजापुर	अप्रैल, 2008	जनवरी, 2011
31.	शिवपुरी	जुलाई, 2006	जनवरी, 2011
32.	सिधी	जून, 2000	जनवरी, 2011
33.	उज्जैन	सितंबर, 2006	जनवरी, 2011
34.	विदिशा	मार्च, 2005	जनवरी, 2011

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
1.	बस्तर (जगदलपुर)	दिसंबर, 08	2011
2.	बिलासपुर	दिसंबर, 07	मार्च, 11
3.	दुर्ग	सितंबर 07	मार्च, 11
4.	सरगुजा	सितंबर, 08	जनवरी, 11
5.	रायगढ़	2000	मार्च, 11
6.	रायपुर	2001	मार्च, 11
महाराष्ट्र			
1.	अहमदनगर	मार्च, 03	2011
2.	अकोला	फरवरी, 03	2011
3.	अमरावती	अगस्त, 03	2011
4.	ओरंगाबाद	फरवरी, 08	2011
5.	बीड	जुलाई, 05	2011
6.	भंडारा	जून, 01	2011
7.	बुलधाना	जनवरी, 02	2011
8.	चन्द्रपुर	मार्च, 03	2011
9.	धुले	जनवरी, 10	जनवरी, 11
10.	गोवा	दिसंबर, 09	2011
11.	जलगांव	मार्च, 03	2011
12.	जालना	अगस्त, 06	2011
13.	कल्याण	मई, 04	2011
14.	कोल्हापुर	जनवरी, 03	2011
15.	लातूर	अप्रैल, 04	2011
16.	नागपुर	अगस्त, 04	जनवरी, 11
17.	नांदेड	फरवरी, 07	जनवरी, 11
18.	नासिक	जून, 06	जनवरी, 11
19.	उस्मानाबाद	सितंबर, 04	2011
20.	परभानी	जून, 03	2011

1	2	3	4
21.	पुणे	नवंबर, 07	2011
22.	रायगढ़	मई, 01	जनवरी, 11
23.	रतनगिरी	मार्च, 07	2011
24.	सांगली	जनवरी, 09	2011
25.	सतारा	अगस्त, 04	जनवरी, 11
26.	सिंधदुर्ग	मई, 02	2011
27.	सोलापूर	नवंबर, 03	2011
28.	वर्धा	मई, 10	2011
29.	यवतमाल	सितंबर, 05	जनवरी, 11
पूर्वोत्तर–I			
1.	मेघालय	सितंबर, 2008	2011
2.	मिजोरम	दिसंबर, 07	2011
3.	त्रिपुरा	जुलाई, 0	2011
पूर्वोत्तर–II			
1.	अरूणाचल प्रदेश	अगस्त, 08	2012-13
2.	मणिपुर	मार्च, 2003	2011-12
3.	नागालैंड	जनवरी, 04	2011-12
उड़ीसा			
1.	बालासोर	अक्तूबर, 07	मार्च, 2011
2.	बारीपदा	दिसंबर, 04	मार्च, 2011
3.	बरहमपुर	अगस्त, 07	जून, 2011
4.	भवानीपाटणा	मार्च, 07	जून, 2011
5.	भुवनेश्वर	अगस्त, 06	जनू, 2011
6.	बोलांगिर	दिसंबर, 06	जनू, 2011
7.	कटक	मार्च, 08	जून, 2011
8.	ढेंकानाल	मार्च, 07	मार्च, 2011
9.	क्योंझर	मार्च, 09	जून 2011

1	2	3	4
10.	कोरापुट	फरवरी, 07	जून 2011
11.	फुलबाणी	मार्च, 09	जून 2011
12.	राउरकेला	जुलाई, 05	जून 2011
13.	सबलपुर	जनवरी, 06	जून 2011
पंजाब			
1.	अमृतसर	मार्च, 04	मार्च, 11
2.	बठिंडा	मार्च, 09	मार्च, 11
3.	चंडीगढ़	अप्रैल, 08	दिसंबर, 2012
4.	फिरोजपुर	जनवरी, 05	मार्च, 11
5.	होशियारपुर	जनवरी, 09	2011
6.	जलंधर	सितंबर, 08	दिसंबर, 11
7.	लुधियाना	दिसंबर, 07	दिसंबर, 11
8.	पठानकोट	नवंबर, 09	अप्रैल, 11
9.	पटियाला	अक्तूबर, 08	जनवरी, 11
10.	रोपड़	सितंबर, 03	जनवरी, 11
11.	संगरूर	मई, 09	मार्च, 11
राजस्थान			
1.	अजमेर	सितंबर, 2001	दिसंबर, 2011
2.	अलवर	जनवरी, 2002	दिसंबर, 2011
3.	बांसवाड़ा	जनवरी, 2003	दिसंबर, 2011
4.	बाड़मेर	दिसंबर, 2006	दिसंबर, 2011
5.	भरतपुर	फरवरी, 2002	दिसंबर, 2011
6.	भीलवाड़ा	अप्रैल, 2005	दिसंबर, 2011
7.	बिकानेर	मार्च, 2002	दिसंबर, 2011
8.	बुंदी	जनवरी, 2004	दिसंबर, 2011
9.	चित्तौड़गढ़	फरवरी, 2003	दिसंबर, 2011
10.	चुरू	अगस्त, 2002	दिसंबर, 2011
11.	जैसलमेर	मार्च, 2001	दिसंबर, 2011

1	2	3	4
12.	जयपुर	फरवरी, 2003	दिसंबर, 2011
13.	झालावाड़	जनवरी, 2001	दिसंबर, 2011
14.	झुनझुनु	फरवरी, 2001	दिसंबर, 2011
15.	जोधपुर	मार्च, 2006	दिसंबर, 2011
16.	कोटा	अगस्त, 2005	दिसंबर, 2011
17.	नागौर	अप्रैल, 2001	दिसंबर, 2011
18.	पाली	जून, 2000	दिसंबर, 2011
19.	स्वाइमाधोरपुर	फरवरी, 2000	दिसंबर, 2011
20.	सीकार	सितंबर, 2000	दिसंबर, 2011
21.	सिरोही	जून, 1999	दिसंबर, 2011
22.	श्रीगंगानगर	मई, 1999	दिसंबर, 2011
23.	टोंक	मार्च, 2000	दिसंबर, 2011
24.	उदयपुर	जून, 2003	दिसंबर, 2011
तमिलनाडु			
1.	कोयम्बटूर	जून, 2001	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश
2.	कुड्डालोर	अक्तूबर, 02	2011
3.	धर्मापुरी	2009	2011
4.	इरोड़	2009	2011
5.	करईकुड़ी	2006	2011
6.	कुम्बकोणम	2005	2011
7.	मदुरै	जुलाई, 07	2011
8.	नागरकोइल	2008	2011
9.	नीलगिरिकुनूर	दिसंबर, 08	2011
10.	पुडुचेरी	2008	2011
11.	सेलम	दिसंबर, 2008	2011
12.	तंजावुर	अगस्त, 09	2011
13.	तिरूनेलवेली	अगस्त, 06	2011

1	2	3	4
14.	त्रिची	जून, 07	2011
15.	तूतीकोरिन	2008	2011
16.	वेल्लोर	2010	2011
17.	विरुधुनगर	2009	2011
उत्तर प्रदेश (पूर्व)			
1.	इलाहाबाद	मार्च, 07	जनवरी, 2011
2.	आजमगढ़	दिसंबर, 99	जनवरी, 2011
3.	बहराइच	फरवरी, 01	जनवरी, 2011
4.	बलिया	99-2000	जनवरी, 2011
5.	बांदा	अक्तूबर, 00	जनवरी, 2011
6.	बाराबंकी	दिसंबर, 02	जनवरी, 2011
7.	बस्ती	जनवरी, 02	जनवरी, 2011
8.	देवरिया	अप्रैल 03	जनवरी, 2011
9.	इटावा	दिसंबर, 01	जनवरी, 2011
10.	फैजाबाद	मई, 2000	जनवरी, 2011
11.	फरूखाबाद	जनवरी, 04	जनवरी, 2011
12.	फतेहपुर	जून, 00	जनवरी, 2011
13.	गाजीपुर	फरवरी, 04	जनवरी, 2011
14.	गोंडा	मई, 00	जनवरी, 2011
15.	गोरखपुर	फरवरी, 00	जनवरी, 2011
16.	हमीरपुर	जून, 04	जनवरी, 2011
17.	हरदोई	जून, 04	जनवरी, 2011
18.	जौनपुर	अक्तूबर, 00	जनवरी, 2011
19.	झांसी	मार्च, 02	जनवरी, 2011
20.	कानपुर	दिसंबर, 01	जनवरी, 2011
21.	लखीमपुर खीरी	अगस्त, 02	जनवरी, 2011
22.	लखनऊ	मई, 04	जनवरी, 2011
23.	मैनपुरी	अगस्त, 01	जनवरी, 2011

1	2	3	4
24.	मऊ	सितंबर, 02	जनवरी, 2011
25.	मिर्जापुर	मई, 03	जनवरी, 2011
26.	उरई	अप्रैल, 04	जनवरी, 2011
27.	प्रतापगढ़	मई, 03	जनवरी, 2011
28.	रायबरेली	सितंबर, 00	जनवरी, 2011
29.	शाहजहांपुर	अगस्त, 08	जनवरी, 2011
30.	सीतापुर	मई, 04	जनवरी, 2011
31.	सुल्तानपुर	अगस्त, 02	जनवरी, 2011
32.	उन्नाव	अगस्त, 03	जनवरी, 2011
33.	वाराणसी	दिसंबर, 00	जनवरी, 2011
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
1.	अगरा	सितंबर-06	योजना बनाई जाती है
2.	अलीगढ़	जुलाई, 07	जनवरी, 11
3.	बदायूं	दिसंबर, 03	जनवरी, 11
4.	बरेली	सितंबर, 05	जनवरी, 11
5.	बिजनौर	जनवरी,	जनवरी, 11
6.	बुलंदशहर	मार्च, 03	जनवरी, 11
7.	एटा	जून, 03	मई, 11
8.	गाजियाबाद	फरवरी, 02	मामले का समाधान होने के बाद निर्णय लिया जाएगा
9.	मथुरा	अप्रैल, 04	जनवरी, 11
10.	नोएडा	जून, 09	2011
11.	मेरठ	नवंबर, 01	मार्च, 11
12.	मुरादाबाद	दिसंबर, 03	अभी निर्णय नहीं किया गया है
13.	मुजफ्फरनगर	दिसंबर, 01	जनवरी, 11
14.	रामपुर	अक्तूबर, 03	जनवरी, 11
15.	पीलीभीत	मार्च, 05	मार्च, 11
16.	सहारनपुर	अक्तूबर, 02	अभी निर्णय नही किया गया है
17.	इटावा	मार्च, 02	जनवरी, 11
18.	मैनपुरी	जून, 01	मामले का समाधान होने के बाद निर्णय लिया जाएगा

1	2	3	4
उत्तरांचल			
1.	अल्मोड़ा	जनवरी, 04	जून, 2011
2.	देहरादून	जनवरी, 04	जून, 2011
3.	नैनीताल	अप्रैल, 03	जून, 2011
4.	श्रीनगर गढ़वाल	मई, 03	जून, 2011
5.	नई टिहरी	अप्रैल, 05	जून, 2011
6.	हरिद्वार	अक्तूबर, 01	जून, 2011
पश्चिम बंगाल			
1.	आसनसोल	जनवरी, 2002	जनवरी, 2011
2.	बांकुरा	अगस्त, 2003	जनवरी, 2011
3.	बहरामपुर	जून, 2003	जनवरी, 2011
4.	कोलकता	अगस्त, 2001	जनवरी, 2011
5.	कूचबिहार	जून, 2005	जनवरी, 2011
6.	जलपाईगुड़ी	अप्रैल, 2003	जनवरी, 2011
7.	खड़गपुर	अक्तूबर, 2004	जनवरी, 2011
8.	कृष्णानगर	जनवरी, 2001	जनवरी, 2011
9.	मालदा	फरवरी, 2004	जनवरी, 2011
10.	पुरलिया	नवंबर, 2008	जनवरी, 2011
11.	रायगंज	मई, 2002	जनवरी, 2011
12.	सिलीगुड़ी	मई, 2003	जनवरी, 2011
13.	सुरी	मार्च, 2004	जनवरी, 2011
14.	गंगटोक	अप्रैल, 2003	जनवरी, 2011
चेन्नई टेलीफोन्स			
1.	चेन्नई टेलीफोन्स जिला	31.03.2007 तक संशोधित जिसे 26.01.08 को जारी किया गया था और 1 मार्च, 2008 को इसे आम जनता को दिया गया था।	2011
2.	चेंगलापेट एसएसए(पूर्ववर्ती)	अगस्त, 07	2011
कोलकाता टेलीफोन्स			
1.	कोलकाता (कागज पर) जुलाई 06	जुलाई-7	जनवरी, 11

राजस्थान में लिंक रोड का निर्माण

5307. श्री भरतराम मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार से मुदियावास गांव (सिंगियो की धाडी) सहित राजस्थान में बलाई समाज (अनुसूचित जातियों) के लोगों को आवंटित भूमि पर संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा है लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कोई विशेष संज्ञान लेने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) पीएमजीएसवाई का मानदण्ड मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा इससे अधिक के आबादी और पहाड़ी राज्य, जनजातीय (अनुसूची–V) क्षेत्रों, मरुभूमि (मरुभूमि विकास कार्यक्रम) क्षेत्रों, गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 250 तथा इसके अधिक की आबादी वाली पात्र संपर्क–विहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क से जोड़ना है।

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा

5308. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में काफी प्रगति हुई है जिसने वैश्विक रोजगार रुझान: 2010 की रिपोर्ट के अनुसार उपभोग और गरीबी के स्तर को बनाए रखने में भी मदद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या टिप्पणी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से किए गए मनरेगा के स्वतंत्र मूल्यांकन तथा क्षेत्र से प्राप्त जानकारी में यह सुझाव दिया गया है कि मनरेगा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का एक साधन सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम के विविध प्रभावों में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विविधीकरण तथा काम की उपलब्धता में वृद्धि शामिल हैं। इस अधिनियम की रूपरेखा तथा उपबंध भी उत्पादक रोजगार सृजित करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने तथा सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने के वृहद लक्ष्य में मदद करते हैं। इस कार्यक्रम के कुछ परिणाम हैं (i) समावेशी विकास, (ii) समान मजदूरी तथा काम के और अधिक अवसर के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, (iii) पारिवारिक आय में वृद्धि (iv) न्यूनतम कृषि मजदूरी तथा प्रतिदिन मजदूरी में वृद्धि, (v) वित्तीय समावेशन, तथा (vi) आपदा के समय पलायन में कमी।

इस कार्यक्रम में अनु.जाति/अनु.जनजाति जैसे सीमांत समूहों के श्रमिकों की भागीदारी काफी अधिक अर्थात वर्ष 2007–08 में 56%, 2008–09 में 54% तथा 2009–10 में 52% थी। महिला श्रमिकों की भागीदारी भी न्यूनतम तिहाई भागीदारी की सांविधिक अपेक्षा से अधिक थी। महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2007–08 में 43%, 2008–09 में 48% तथा 2009–10 में 49% थी।,

चेन्नई पत्तन में जवाहर डोक बर्थ

5309. श्री सी. शिवासामी: क्या **पोत–परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई पोर्ट में जवाहर डोक (जेडी) बर्थों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

पोत–परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जवाहर डॉक के उस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें तीन गैन्ट्री क्रेनों की स्थापना की गई है, उसके सभी छ: घाटों में आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही कर लिया गया है। जवाहर डॉक घाटों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया खर्च अक्तूबर, 2010 तक 35. 89 करोड़ रु रहा।

[हिन्दी]

सिगनल टावरों की स्थापना

5310. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश में सिगनल टॉवरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त सिगनल टावर देश में मोबाइल तथा टेलीफोन सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं कि सिगनल टावरों के कारण आम आदमी को कोई असुविधा न हो;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा गुजरात सहित देश भर में सिगनल टावर स्थापित किए गए हैं। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नेटवर्क की परिवर्तनशील स्थिति के दृष्टिगत बीएसएनएल आबादी, मौजूदा उपभोक्ता आधार, प्रत्याशित उपभोक्ता आधार, मोबाइल कवरेज, मोबाइल संकुलन, उपलब्ध/आयोजनागत उपकरण, आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर निरंतर नए टावर स्थापित करता रहा है ताकि आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

(ङ) से (छ) बीएसएनएल सरकार (दूरसंचार विभाग) द्वारा जारी किए गए निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

विवरण

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	31.10.2010 की स्थिति के अनुसार टावरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	120
2.	आंध्र प्रदेश	4293
3.	असम	1102
4.	बिहार	2112
5.	छत्तीसगढ़	1347
6.	गुजरात	3953
7.	हरियाणा	1270
8.	हिमाचल प्रदेश	962
9.	जम्मू और कश्मीर	935
10.	झारखण्ड	893
11.	केरल	2810
12.	कर्नाटक	3156
13.	महाराष्ट्र	5050
14.	मध्य प्रदेश	4171
15.	पूर्वोत्तर-I	426
16.	पूर्वोत्तर-II	424
17.	उड़ीसा	1710
18.	पंजाब	1831
19.	राजस्थान	3806
20.	तमिलनाडु	4428
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4359
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1782
23.	उत्तरांचल	859
24.	पश्चिम बंगाल	1964
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	770
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	1011
	कुल	55544

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार

5311. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा अन्य राज्यों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवारों को शामिल किया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने बीपीएल परिवारों को अभी शामिल किया जाना है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, आवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना वर्ष 1985-86 से लागू है। योजना के आरंभ से 63529.69 करोड़ रुपये के व्यय से 246.00 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन कराया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बिहार सहित राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक के कार्यालय के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे देश के (दिल्ली एवं चंडीगढ़ के अलावा) ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आवास की कमी 148.25 लाख मकानों की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासी कमी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आईएवाई के अंतर्गत, ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध कराया गया केन्द्रीय बजट परिव्यय के आधार पर वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। फिर भी सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी को जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी कम करने का प्रयास कर रही है। 11वीं योजना दस्तावेज में वर्ष 2016-17 तक ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय निर्माण कार्य में तेजी लाने की संकल्पना की गई है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना की शुरूआत से अब तक (वर्ष 1985-86 से अब तक) राज्य-वार आवासीय कमी तथा आईएवाई के तहत निर्मित मकानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी	निर्मित किए गए मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1350282	2343999
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728	62152
3.	असम	2241230	1262587
4.	बिहार	4210293	4367783
5.	छत्तीसगढ़	115528	284464
6.	गोवा	6422	10941
7.	गुजरात	674354	904189
8.	हरियाणा	55572	180529
9.	हिमाचल प्रदेश	15928	63672
10.	जम्मू और कश्मीर	92923	139326
11.	झारखण्ड	105867	703997
12.	कर्नाटक	436638	919715
13.	केरल	261347	599038
14.	मध्य प्रदेश	207744	1447123
15.	महाराष्ट्र	612441	1547046
16.	मणिपुर	69062	34070
17.	मेघालय	148657	62223
18.	मिजोरम	30250	32565
19.	नागालैंड	97157	118069
20.	उड़ीसा	655617	1944177
21.	पंजाब	75374	139647
22.	राजस्थान	258634	740501
23.	सिक्किम	11944	20967
24.	तमिलनाडु	431010	1339529
25.	त्रिपुरा	174835	157439
26.	उत्तर प्रदेश	1324028	3380196
27.	उत्तरांचल	53521	181361
28.	पश्चिम बंगाल	974479	1602889
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17890	3807
30.	दादरा और नगर हवेली	1926	1408
31.	दमन व दीव	787	524
32.	लक्षद्वीप	190	882
33.	पुदुचेरी	7778	3865
	कुल	14825436	24600680

नोट: इस आवासीय कमी में ऐसे ग्रामीण परिवार शामिल हैं जिनके पास मकान नहीं हैं तथा जिनके मकान जीर्ण-शीर्ण एवं अस्थायी हैं।

[अनुवाद]

नि:शक्तों हेतु प्रवेश

5312. श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी कार्यालयों में नि:शक्तता कार्यों से संबंधित कार्यालयों में प्रवेश के लिए नि:शक्त व्यक्तियों के प्रति अभी भी उदासीनता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 46 में उल्लेख है कि उपयुक्त सरकारें और स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अन्दर निर्मित वातावरण में भेदभाव न करते हुए कदम उठाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय के दिल्ली प्रभाग ने संख्या के 12016/5/79/डीडीआईए/वीए।बी वॉल्य ix (भाग), दिनांक 28 अगस्त, 2002 के तहत संशोधित बिल्डिंग उप-विधियां, 1983 को अधिसूचित किया था ताकि यह सुनिश्चित हो कि दिल्ली में बनाई गई सार्वजनिक इमारतों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण प्रदान किया गया हो। सार्वजनिक बिल्डिंगों में बाधामुक्त बनावट वातावरण हेतु इन बिल्डिंग उप-विधियों को नगर-निगम बिल्डिंग उप-उपविधियों में समाहित करने हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

राज्य सरकारों के सहयोग से मुख्य आयुक्त, नि:शक्त व्यक्ति, के कार्यालय ने देश में विभिन्न स्थानों पर बाधामुक्त वातावरण के संबंध में जागरूकता पैदा करने से संबंधित कार्यशाला/सम्मेलनों का आयोजन किया है।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन संबंधी योजना के अंतर्गत बाधामुक्त पहुंच की व्यवस्था करने हेतु स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निकायों सहित राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रैंप, लिफ्ट, स्पर्शक्षम रास्ते, व्हील चेयर का प्रयोग करने वालों के लिए शौचालयों का अभिग्रहण और ब्रेल चिन्ह तथा श्रव्य संकेतों की व्यवस्था शामिल है।

सभी वर्गों को आरक्षण लाभ

5313. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को एक राज्य में मिलने वाले लाभ अन्य राज्यों में भी प्राप्त हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 341 (1) तथा अनुच्छेद 342 (1) में यथा उपबंधित, किसी जाति/जनजाति का विनिर्देशन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में है।

किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य, भारत सरकार के तहत पदों में आरक्षण के लिए तथा केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में भी, जहां आरक्षण लागू है उम्मीदवार के मूल राज्य पर ध्यान दिए बिना पात्र होंगे। तथापि, केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत मुआवजा

5314. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) कामगार 15 दिनों के अंदर अपनी मजदूरी प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसे मुआवजे की मांग की गई और इसका भुगतान किया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II के पैरा 30 में यह व्यवस्था है कि यदि मजदूरी का भुगतान योजना के तहत निर्धारित की गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो श्रमिक, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में विलंब के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक 249 कामगारों को 498000.00 रु. का भुगतान किया गया है।

(ग) इस तरह की घटना को रोकने के लिए मंत्रालय ने निम्न उपाय किए है:

(i) राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों में तकनीकी स्टाफ सहित पर्याप्त संख्या में समर्पित स्टाफ तैनात करने को कहा गया है ताकि मनरेगा कामगारों के कार्यों की समय पर माप की जा सके। प्रशासनिक व्यय, जिसमें से समर्पित स्टाफ के वेतन का भुगतान किया जाता है, को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(ii) मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नरेगा कामगारों को उनके बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) झूठी उपस्थिति तथा झूठे भुगतानों को रोकने के लिए मनरेगा कामगारों को सही समय पर भुगतान करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए आईसीटी आधारित बायोमेट्रिक शुरू किया गया है।

सियाचिन के लिए सिविलियन ट्रैकिंग

5315. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष में सियाचिन के लिए सिविलियन ट्रैकिंग रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी महीनों में इसे पुन: शुरू करने का प्रस्ताव, यदि कोई है, क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। यद्यपि सरकार की योजना सियाचिन में वार्षिक सिविलियन ट्रैकिंग को जारी रखने की है, किन्तु सितंबर 2010 में बनाई गई ट्रैकिंग योजना को लद्दाख में बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से रद्द कर दिया गया क्योंकि उससे उस क्षेत्र में सड़क यातायात और अन्य अवसंरचनाएं प्रभावित हुई थी।

एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण

5316. श्री एस. अलागिरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)/ भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) उपभोक्ताओं से प्राप्त सुझावों/मामलों की यथार्थ संख्या के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले सुझावों/शिकायतों को उनके स्वरूप के आधार पर संबंधित एककों द्वारा निपटाया जाता है। तथापि इसकी सही-सही संख्या का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

नगरपालिकाओं/नगर निगमों के अपशिष्ट के निपटान हेतु योजना

5317. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं/नगर निगमों के अपशिष्ट को इकट्ठा करने, इनका पृथक्करण करने एवं सुरक्षित निपटान करने की कोई विशिष्ट स्कीम अथवा योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जैव-अपघट्य अपशिष्ट से कुशल उर्वरक उपयोग तथा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने को बढ़ावा देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेय जल और सफाई विभाग के पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल परियोजना लागत का 10% तक उपयोग किया जा सकता है। केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थी के बीच वित्त भागीदारी प्रतिमान 60:20:20 के अनुपात में है। इस घटक के तहत सामूहिक कम्पोस्ट गडढ़े, निम्न लागत जन निकासी, सोखन (सोकेज) चैनल-गडढ़े, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, घर के कूड़े के एकत्रण, पृथकरण और निपटान इत्यादि के लिए व्यवस्था जैसे कार्यकलाप निष्पादित किए जा सकते हैं।

राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, भारत सरकार ने सुधारोन्मुख कार्यनीति के साथ देश के सभी शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं सहित ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरंभ किया है। जेएनएनयूआरएम के दो उप-मिशन हैं, अर्थात् शहरी ढांचा अभिशासन और लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास स्कीम। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं समेकित दृष्टिकोण के साथ अनुमोदित की गई हैं जिसमें स्रोत पर पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, शोधन और उपचार तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का निपटान शामिल है। जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के तहत पात्र 65 मिशन शहरों में से 2245.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की 42 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसी प्रकार यूआईडीएसएसएमटी के तहत 408.98 करोड़ रुपए की एक अनुमाति लागत पर 70 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय भारतीय वायु सेना के एयर फील्ड वाले 10 चुनिंदा कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम में इन कस्बों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संकलन, भंडारण, परिवहन और उपचार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए 100% अनुदान सहायता का प्रावधान हैं

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2000 अधिसूचित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए विभिन्न मानदंडों और उनके अनुपालन के मानदंडों का उल्लेख है। इन नियमों के प्रावधानो के अनुसार नगरपालिका अधिकारी संकलन, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, शोधन और नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के निपटन के लिए कोई ढांचा विकसित करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार जैव-अपघट्य कूड़े से प्रभावी उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन देती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय ने मार्च, 2003 में कृषि, बागवानी, रोपण फसलों, वानिकी के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों सहित शहरी कम्पोस्ट के प्रयोग के संबंध में "एकीकृत पौध-पोषक प्रबंधन" को बढ़ावा देने के लिए नीति, कार्यनीति और कार्य-योजना तैयार करने और सभी शहरी स्थानीय निकायों और उनके कम्पोस्ट संयंत्रों की 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर शहरी कम्पोस्ट के लिए बाजार मांग और आपूर्ति को सृजित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। समिति द्वारा इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा समिति की सिफारिशों का अनुसरण करने के लिए निदेश देते हुए माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2006 में इसे स्वीकार किया था। शहरी विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया है। यह रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट. www.urbanindia.nic.in पर भी लोड कर दी गई है।

जेएनएनयूआरएम के तहत अनुमोदित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में शोधन और उपचार सुविधाओं के लिए आवश्यक ढाचागत सुविधाएं, जैसे जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैव अपघट्य पदार्थ के लिए कम्पोस्टिंग और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से पुन: चक्रणों का उपयोग करते हुए अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) पैलेट्स बनाना भी शामिल हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी शहरी और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्त संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास तथा सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

नये पोतों के लिए निधियाँ

5318. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर पोतों के बेड़े खड़े हैं और इनमें पोतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए पोतों की खरीद के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पोत किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं ठहरते हैं। वे पत्तन से पत्तन के बीच चलते हैं।

(ख) उदारीकरण के युग में, सरकार पोतों की खरीद के लिए कोई बजटीय सहायता/आसान ऋण मुहैया नहीं करवाती है और कंपनियों/उद्यमियों को अपनी स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है।

[अनुवाद]

मल्टी-स्किलिंग पाठ्यक्रम

5319. श्री इज्यराज सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्कृष्टता के केन्द्र (सी.ओ.ई.) द्वारा विभिन्न आई. टी.आई. में दो वर्ष के मल्टी-स्किलिंग पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने प्रस्तावित उत्कृष्टता के केन्द्र है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रस्ताव के लिए जारी की गई निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निजी तकनीकी संस्थानों द्वारा इस प्रस्ताव को पूर्णत: विफल किए जाने के किसी दबाव/गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। कुल 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) ने अब तक निम्नलिखित तीन योजनाओं के तहत बहु कौशल (सीओई) पाठ्यक्रमों को आरंभ किया है:

(i) घरेलू निधिकरण से 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन।

(ii) विश्व बैंक सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के माध्यम से 400 सरकारी आईटीआईज का उन्नयन।

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआईज का उन्नयन।

(ग) और (घ) उपरोक्त योजनाओं के तहत अवसंरचनात्मक सुविधाओं अर्थात सिविल कार्य, उपकरण अधिप्रापण एवं भाग लेने वाले आईटीआईज हेतु आवर्ती लागत प्रदान करने हेतु निधियां जारी की जाती हैं। एक चरणबद्ध ढंग से उन्नयन हेतु सरकारी आईटीआईज की पहचान की गई है तथा अत: अवसंरचना के विकास के विभिन्न चरणों में हैं तथा तदनुसार निधियों का उपयोग किया जा रहा है। अवसंरचनात्मक विकास तथा निधियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए सतत अनुवर्तन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन को देशीयकरण

5320. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा अनुसंधान का कार्य करने वाली रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं को अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश की रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा उत्पादन कार्य के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन करने का है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अंतर्गत कार्यरत प्रयोगशालाएं हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए सामरिक, जटिल तथा सुरक्षा संवेदी प्रणालियों के विकास में लगी हुई हैं जिनके लिए सरकार ने रक्षा बजट में पहले ही वित्तीय प्रावधान किए हुए हैं। रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों का आबंटन रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रस्तावित मांगों के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

मर्केन्टाइल मैरीन विभाग

5321. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विभिन्न मर्केन्टाइल मैरीन विभागों (एम.एम.डी.) तथा विशेषकर चेन्नई एवं मुम्बई स्थिति एमएमडी के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मर्केन्टाइल मैरीन विभागों ने अपने कार्यों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया है और समुद्री यात्रा करने वालों को अपना कार्य करवाने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो देश में एमएमडी के विभिन्न कार्यों को सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) केन्द्र सरकार समय-समय पर मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय है नौवहन महानिदेशालय की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करती रहती है। यह निदेशालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् विभिन्न पत्तन शहरों में स्थित वाणिज्य समुद्री प्रभाग (एम एम डी) की देख-रेख में इन कार्यों को करता है। एम एम डी सर्वेक्षण, आई एस एम लेखापरीक्षा और पोत के कार्य का प्रमाणीकरण के दायित्वों का निर्वाह करता है जोकि वर्गीकृत सोसाइटियों के लिए सौंपे नहीं गए हैं। निदेशालय ने 7 वर्गीकृत सोसाइटियों के लिए सर्वेक्षण और भारतीय कार्गो पोतों के प्रमाणिकरण भी सौंपा नहीं है। भारतीय जल में निम्न स्तर के विदेशी पोतों के नहीं क्रियाशील होने को सुनिश्चित करने के लिए एम एम डी विभिन्न आई एम ओ दस्तावेज के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी पोतों के पोर्ट स्टैट कंट्रोल इस्पेकशन भी किया है। सांविधिक प्राधिकारी होते हुए नौवहन महानिदेशालय सभी सांविधिक आवश्यकताओं/नीतिगत निर्णयों स्वीकृत किया जाता है और इस प्रकार प्रमुख सांविधिक आवश्यकताएं/नीतिगत मामले अंतिम निर्णय/अनुमोदन के लिए नौवहन महानिदेशक को एम एम डी द्वारा भेज दिए गए हैं।

निदेशालय द्वारा उनके समुद्री और पोत परिवहन सेक्टर सेवाओं को सरल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रीय एम एम डी ने सरलकर्ता के लिए विनियंत्रक के भूमिका से एकाग्रता को हटाने के लिए पुन: अनुकूल किया जा रहा है। मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और कांडला में क्षेत्रीय एम एम डी कार्यालय मंगलौर, पारादीप, हल्दिया, जामनगर, गोवा, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर में जल स्तरिए कार्यालयों के साथ इन कार्यों को प्रभावी रूप में पूरा करता है।

(ग) एम एम डी का कम्प्यूटरीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(घ) हाल के वर्षों में महानिदेशक नौवहन/एम एम डी की कार्य प्रणाली को सरल करने के लिए निम्नलिखित कदम प्रारंभ किए गए हैं।

(i) प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणालियों को आई एस ओ 9001 के अंतर्गत प्रमाणित किए गए हैं।

(ii) इस वर्गीकृत सोसाइटियों के लिए सुरक्षा निर्माण पर भारतीय पोतों के सर्वेक्षण और निरीक्षण के प्रतिनिधित्व।

(iii) आधुनिक प्रौद्योगिकी बेहतर कुशलता के लिए चलाई गई है। ई-गर्वनेस सभी वेब में ई-सेवा सभी सर्वेक्षण और निरीक्षण और प्रदान करने वाली ई-सेवाएं सभी वेब के लिए कार्यान्वित कर दी है। ई-गर्वनेस का प्रथम चरण पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। जन-साधारण के लिए ऑन लाईन सेवा के तेज ऑन लाईन सेवा और सरल करने के लिए नौवहन महानिदेशालय और जुड़े हुए कार्यालयों के मध्य नेटवर्कीग मजबूत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम

5322. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इंदिरा गांधी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत छत्तीगढ़ सहित प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के कर्मकार भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्र सकार द्वारा 'इंदिरा गांधी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम' नामक कोई अधिनियम प्रशासित नहीं किया जा रहा है। तथापि, संगठित क्षेत्र के कामगारों के लाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'कर्मकार (अब कर्मचारी) प्रतिकर अधिनियम, 1923' संचालित किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्यों को कोई बजट आबंटित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

ए.डी.बी. तथा आर.आर.एस.पी. के अंतर्गत सड़कें

5323. श्री कैलाश जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर.आर.एस.पी. भाग-एक तथा भाग-दो के अंतर्गत ए. डी.बी. बैच-छह तथा सात के अंतर्गत सड़कों के निर्माण से संबंधित कितने प्रस्ताव मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश ने एशिया विकास बैंक (एडीबी) द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-III के भाग-I व II के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजना प्रस्तुत की है। एडीबी के साथ ऋण के बारे में वार्ता नहीं की गई है।

बीड़ी/बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

5324. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी कामगार आवास योजना के अंतर्गत 420 बीड़ी कामगारों तथा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के अंतर्गत पहचान किए गए शेष 361 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र का उक्त अंशदान कब तक जारी किया जायेगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) छत्तीसगढ़ राज्य में बीड़ी कामगारों आदि के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना के घटक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत राज्य सरकार से राजनंद गांव में 254 मकानों, डोंगरगढ़ में 116 मकानों और रायगढ़ जिले में 50 मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सब्सिडी की मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2007 में राज्य सरकार को 20,000/- रुपये प्रति मकान सब्सिडी की पहली किस्त जारी की गई थी। सब्सिडी की दूसरी किस्त इस योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण के छत स्तर तक पहुंचने के पश्चात राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के उत्तर में केन्द्र सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत 586 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को 58,60 लाख रुपये की राशि जुलाई, 2010 में जारी की है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय

5325. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना" के अंतर्गत कितने विद्यालय चल रहे हैं और आज की तिथि के अनुसार इसमें छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन विद्यालयों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बाल श्रमिकों के कल्याण एवं उनकी शिक्षा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम 8710 विशेष विद्यालयों के माध्यम से लगभग 3.39 लाख बच्चों को कवर करते हुए 20 राज्यों के 266 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से हटाये गये बच्चों को विशेष विद्यालयों में दाखिल कराया जाता है जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, स्वास्थ्य देख रेख उपलब्ध करायी जाती है तथा उन्हें नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना

5326. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में सी.एच.आई.एस. के अंतर्गत कुल कितने व्यक्ति कवर किए गए हैं; और

(ग) सी.एच.आई.एस. के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छंटनी के विरुद्ध संरक्षण

5327. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश कामगारों को छंटनी तथा वेतन एवं मजदूरी में कमी के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 क्रमश: श्रमिकों की छंटनी तथा वेतन एवं मजदूरी में कटौती के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि छंटनीग्रस्त कामगारों को उचित क्षतिपूर्ति दी जाती है तथा उनकी मजदूरी से कोई गैर-कानूनी कटौती नहीं की जाती है, नियमित रूप से प्रतिष्ठानों में जाते हैं तथा निरीक्षण करते हैं।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं के बारे में शिकायतें

5328. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के डाकघरों से बुक किए गए पंजीकृत पत्रों, पार्सलों तथा स्पीड पोस्ट के गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहने के बारे में श्रेणी-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है तथा कितनी शिकायतें लंबित हैं तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित शिकायतों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) डाक संबंधी शिकायतों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। डाकघर, डिवीजन, क्षेत्रीय तथा सर्किल कार्यालय स्तर पर शिकायतों को शीघ्र निपटाने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक तकनीक से शिकायतों को पहले के मुकाबले जल्दी निपटाया जा रहा है। इसके अलावा, शिकायतों के मौके पर निपटान के लिए हर छमाही में डिवीजन एवं क्षेत्रीय स्तर पर डाक अदालतें लगाई जाती हैं।

विवरण

हैंडल की गई, निपटाई गई एवं लंबित शिकायतें

वर्ष	पंजीकृत पत्र			पंजीकृत पार्सल			स्पीड पोस्ट वस्तुएं			देरी के कारण
	हैंडल की गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित	हैंडल की गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित	हैंडल की गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2007-08	267897	256760	11137	15591	13848	1743	122868	11793	44934	सामान्यत: ऐसी शिकायतों को निपटाने

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2008-09	268458	258514	9944	14882	13925	957	148627	141371	7256	में देरी होती है जिनमें विस्तृत जांच की जानी होती है क्योंकि उनमें निर्धारित एक माह की सीमा से अधिक समय लगता है। इसके अलावा, डाक विभाग द्वारा कवर किए जाने वाला विशाल क्षेत्र, इसमें शामिल व्यापक प्रचालन कार्य तथा दूर-दूर तक फैले इसके नेटवर्क आदि के कारण कुछ शिकायतों के निपटाने में देरी होना स्वाभाविक है।
2009-10	277312	268333	8979	13845	12733	1112	174040	167653	6387	
2010-11 (30-6-2010 तक)	70790	64415	6375	4599	3858	741	57327	50501	6826	

[अनुवाद]

हरियाली योजना

5329. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हरियाली योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) योजना के अंतर्गत उपलब्धियों के लिए किए गए प्रावधानों में राज्य-वार तथा जिला-वार कितनी राशि आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई है; और

(ग) आबंटित/लक्षित राशि तथा व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग द्वारा हरियाली नामक किसी योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा राज्यों से वाटरशेड परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव न तो मंगवाये गए हैं और न ही स्वीकृत किए गए हैं।

भूमि संसाधन विभाग क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वर्ष 1995 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को अब 26.02.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में एकीकृत एवं समेकित किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी को वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डीपीएपी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई तथा उपयोग में लायी गई निधियों को ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई ताकि उपयोग में लायी गई निधियां

निधिया करोड रुपये में

क्र.सं	राज्य का नाम	आईडब्ल्यूडीपी (2007-11)*		डीडीपी(2007-11)*		डीपीएपी(2007-11)*		आईडब्ल्यूएमपी*	
		जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	जारी की गई निधियां	वर्ष 2009-10 से 31.08.2010 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	119.81	112.92	84.53	93.38	167.04	191.28	150.48	4.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	15.03		18.05		0.2	0.57	0	0.00
3.	छत्तीसगढ़	71.95		61.24		68.07	56.15	45.64	14.08
4.	गोवा								
5.	गुजरात	90.16	95.29	280.21	353.81	115.99	156.44	167.42	6.74
6.	हरियाणा	14.22	13.56	81.69	85.57				
7.	हिमाचल प्रदेश	74.91	76.83	20.05	19.52	22.78	31.57	51.25	0.53
8.	जम्मू और कश्मीर	23.33	11.60	39.58	31.43	17.29	9.21	0	0.00
9.	झारखण्ड	15.68	8.67			2.9	51.66	25.46	0.34
10.	कर्नाटक	115.88	127.82	149.17	139.33	177.65	210.48	151.96	30.22
11.	केरल	21.83	18.62					14.74	0.00
12.	मध्य प्रदेश	82.08	173.96			179.6	238.56	144.94	0.00
13.	महाराष्ट्र	181.81	83.10			237.82	193.68	225.91	6.63
14.	उड़ीसा	85.22	88.68			105.28	117.42	72.57	1.90
15.	पंजाब	9.7	16.64					2.29	0.00
16.	राजस्थान	118.96	144.88	484.58	609.83	60.95	99.91	543.75	2.42
17.	तमिलनाडु	78.13	88.24			90.25	127.30	76.33	3.66
18.	उत्तर प्रदेश	177.12	177.34			123.63	107.20	188.19	6.09
19.	उत्तराखंड	55.99	45.37			31.34	43.96	0	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	17.74	25.22			9.25	13.55	0	0.00
21.	अरूणाचल प्रदेश	88.5	49.77					25.53	4.16
22.	असम	95.08	34.58					49.38	16.28
23.	मणिपुर	34.99	34.96					0	0.00
24.	मेघालय	42.65	31.87					12.31	7.63
25.	मिजोरम	111.43	64.14					5.06	5.73
26.	नागालैंड	64.66	91.24					35.28	19.28
27.	सिक्किम	15.75	28.69					1.17	0.31
28.	त्रिपुरा	1.97	3.17					10.6	1.36
	योग	1824.58	1726.54	1139.81	1332.87	1648.94	2000.26	132.34	

टिप्पणी: निधियों के उपयोग में केन्द्र का भाग, निधियों का राज्य भाग खर्च न की गई शेष राशि पर उपार्जित ब्याज एवं विविध प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
आईडब्ल्यूएमपी को वर्ष 2009-10 में आंरभ किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं आरंभिक चरण में हैं।
* डीपीएपी को 16 राज्यों में, डीडीपी को 7 राज्यों में तथा आईडब्ल्यूडीपी को 28 राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है।

खाद्य उत्पादों का पेटेंट

5330. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियों को खाद्य उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाद्य उत्पादों का पेटेंट प्राप्त करने के लिए नियमों को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारतीय कंपनियों द्वारा अभी तक किन-किन खाद्य उत्पादों का पेटेंट लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीयों कंपनियों द्वारा अब तक जिन खाद्य उत्पादों का पेटेंट लिया गया है, उनके नामों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पेटेंट संख्या	आविष्कार का शीर्षक	आईपीस	आवेदक
1	2	3	4	5	6
1.	783/एमयूएम/2005	224338	चोकरयुक्त गेहूं को भूरा होने से रोकने हेतु जैव-संवर्धकों वाला एक संयोजन	ए23के1/22 ए23बी9/28 ए23एल1/272	एडवांस्ड एन्जाइम टेक्नोलोजीज लिमिटेड
2.	133/एमएएस/1999	218430	रेशम कीट चारा और उसे बनाने की प्रक्रिया	ए23के1/18	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान
3.	1214/सीएचई/2007	240259	छोटे इनस्टार ट्रॉपिकल टसर रेशम कीट, एंथेरिया माइलिटा पालन के लिए एक अर्द्ध-सिंथेटिक आहार	ए23के1/00	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान
4.	392/डीईएलएनपी/2004	240004	उच्च प्रोटीन तत्वों वाला एक शुष्क सूप मिश्रण	ए23एल1/39	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
5.	469/डीईएल/2004	241409	आहार संबंधी रेशे से समृद्ध बनाई गई अनाज पट्टी का फार्मुलेशन और उसका प्रसंस्करण	ए23एल1/00	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
6.	525/डीईएल/2003	225631	पूरक आहार हेतु उपयोगी एक पौष्टिक सोया आधारित सम्मिश्रण और उसकी प्रक्रिया	ए23जे1/14	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
7.	424/डीईएल/2003	226862	खाने हेतु तैयार शुष्क प्याज संमिश्रण और उसका प्रसंस्करण	ए23एल1/064	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
8.	464/डीईएल/2004	241572	वसाहीन किए गए सोया आटे वाले परिष्कृत सूप मिश्रण हेतु एक सोया आधारित सूप फार्मुलेशन और उसका प्रसंस्करण	ए23एल1/40	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

1	2	3	4	5	6
9.	391/डीईएल/2003	242550	बेकरी उत्पादों में उपयोग हेतु एक आक्सीकारक के तौर पर उपयोग हेतु एक सहक्रियाशील सुधारात्मक मिश्रण	ए23एल1/00	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
10.	327/डीईएल/2002	233495	उन्नत गुणवत्ता के केक बनाने हेतु एक पायसीकरण फार्मुलेशन	ए23डी/00	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
11.	1002/डीईएल/2003	227580	आक्सीकारक-रोधी तिल का सत्त	ए23एल1/28	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
12.	399/डीईएल/2003	243385	पारंपरिक भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए उपयोगी एक सहक्रियाशीता चीनी-रहित सीरप सम्मिश्रण	ए23एल1/22	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
13.	2228/डीईएल/2004	237157	गाजर को संभालने की मियाद बढ़ाने हेतु एक खाद्य कोटिंग और उससे अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए पसंस्करण	ए23बी7/16	महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)
14.	189/डीईएल/2007	230786	एक शेल्फ सविज्ञ स्वीट कार्न सम्मिश्रण और उसका प्रसंस्करण	ए23एल1/00	महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)
15.	1210/डीईएल/	200	238317 एक क्षुधावर्धक मिश्रण और उसमे अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रसंस्करण	ए23एल1/317	महानिदेशक डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, पश्चिमी खण्ड-VII, विंग-1, सेक्टर-1, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
16.	241/डीईएल/2005	240832	बाजरा खीर मिश्रण	ए23एल1/00	महानिदेशक डीआरडीओ
17.	2129/एमयूएम/2006	242722	वजन घटाने का सम्मिश्रण	ए61के35/00 ए23एल1/09	डॉ. किशोरी गणपत आप्टे
18.	66/सीएचई/2007	241795	सूखे मांस के स्वादिष्ट पदार्थ	ए23एल01/31	जी. रमेश कुमार
19.	1671/केओएलएनपी/2003		194579 गर्म पानी में घुलनशील इन्सेटेंट टी	ए23एफ3/16	गुडरिक ग्रुप लिमिटेड
20.	1597/एमयूएम/एनपी2005	240126	एक सहक्रियाशील काफी आधारित सम्मिश्रण	ए23एल1/234	गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड
21.	600/एमयूएमएनपी/2004	220857	एक फाइटोस्टेरोल वाला खाद्य उत्पाद	ए23डी7/00 ए23एल1/30	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
22.	1261/एमयूएमएनपी/2006	225769	स्टेटिन वाले सम्मिश्रण	ए23एल1/20	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
23.	1244/एमयूएमएनपी/2007	239396	वसा कणिकाएं	ए23डी9/05	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
24.	944/एमयूएमएनपी/2007	235753	जमाए हुए मिष्टान्न	ए23जी9/32	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
25.	976/एमयूएमएनपी/2007	242847	जमाए हुए अथवा ठंडे सब्जी उत्पाद	ए23एल1/0524 ए23बी7/04	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
26.	247//एमयूएमएनपी/2006	229159	तृप्ति वर्धक खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/29	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
27.	248/एमयूएमएनपी/2006	224339	तृप्ति वर्धक खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/29	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
28.	1285/एमयूएमएनपी/2006	226944	चाय सत्त	ए23एल3/20	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
29.	683/एमयूएमएनपी/2004	234060	टमाटर आधारित उत्पाद और इसे तैयार करने के लिए प्रसंस्करण	ए23एल1/24	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
30.	99/एमयूएमएनपी/2007	241157	हाईड्रफोबिन वाले एयरेटेड खाद्य उत्पाद	ए23एल2/66	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
31.	551/एमयूएमएनपी/2005	211469	ब्लैक टी से बने आंतों के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/30	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
32.	259/एमयूएमएनपी/2006	221799	स्वाद-गंध और भौतिक स्थायित्व वाला एक खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/29	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
33.	84/एमयूएमएनपी/2004	209032	रक्त कॉलेस्ट्रोल को कम करने के लिए सम्मिश्रण	ए23एल1/30	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
34.	402//एमयूएमएनपी/2005	216711	वसा और नमक वाले खाद्य उत्पाद	ए23डी7/00	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
35.	305/एमयूएम/2003	203885	जमे हुए बर्फ के मिष्ठान	ए23जी9/00	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
36.	आईएन/पीसीटी/200101026/एमयूएम		211262 बर्फ के मिष्ठान	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
37.	548/एमयूएमएनपी/2003	200652	उन्नत पाक कला गुणवत्ता के साथ इंस्टेंट पास्ता	ए23एल1/16	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
38.	आईएन/पीसीटी/2002/0163/एमयूएम		196164 लैक्टोबैसिलस युक्त उत्पाद	ए23एल1/03	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
39.	859//एमयूएमएनपी/2006	224169	क्रीमर और/या व्हाइटनर के रूप में उपयोग के लिए फाइटोस्टेरोलस कण सम्मिश्रण संरचना	ए23एल1/30	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
40.	1558/सीएएल/1995	180617	मिष्ठान तैयार करना	ए23जी3/00,3/28	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
41.	743/एमयूएम/2004	233403	जमे हुए वातित उत्पाद	ए23जी9/04	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
42.	948/एमयूएमएनपी/2007	238910	एक लिपिड फंज युक्त समिश्रण और इसी से बन खाद्य उत्पाद	ए23एल1/30 ए23एल2/52	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
43.	1251/एमयूएम/2004	233991	एक चाय सम्मिश्रण और इसे बनाने के लिए प्रसंस्करण	ए23एफ3/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
44.	138//एमयूएमएनपी/2004	234839	एंटीफ्रीज प्रोटीन वाटर आइस	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
45.	518/एमयूएम/2006	240814	वातित खाद्य मिश्रण	ए23जी9/46	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
46.	98/एमयूएमएनपी/2007	238231	हाइड्रोफोबिन सहित वातित खाद्य उत्पाद और इसके उत्पादन के लिए सम्मिश्रण	ए23एल2/66	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
47.	382/एमयूएमएनपी/2004	236622	बर्फ मिष्ठान उत्पाद	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
48.	253/एमयूएमएनपी/2004	213499	अवातित बर्फ-मिष्ठान	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
49.	81/एमयूएमएनपी/2007	234710	अवातित बर्फ युक्त उत्पाद और उसके उत्पादन की विधि	ए23जी9/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
50.	739/एमयूएमएनपी/2006	238173	पेय पदार्थ और उनको तैयार करना	ए23एल2/39	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
51.	517/एमयूएमएनपी/2004	234031	ठंडी ब्रू चाय	ए23एफ3/10	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
52.	631/एमयूएमएनपी/2005	213615	लिपोफिलिक कोर सहित काम्पलेक्स कोएसरवेट एन्कैप्सूलेट	बी01जे13/10 ए23एल1/30	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
53.	713/एमयूएमएनपी/2006	221068	कन्फेक्शनरी उत्पाद	ए23जी	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
54.	634/एमयूएमएनपी/2007	235503	एंटीऑक्सीडेंट सहित भोज्य सम्मिश्रण	ए23एफ3/16	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
55.	738/एमयूएमएनपी/2006	229747	खाद्य बेरीयर	ए23एल1/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
56.	555/एमयूएमएनपी/2006	224397	जमी हुई वातित मिठाई	ए23जी9/20	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
57.	652/एमयूएमएनपी/2004	234706	कंटेनर में जमे हुए वातित उत्पाद	ए23जी9/20	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
58.	1067/एमयूएमएनपी/2006	235187	कंटेनर में जमे हुए वातित उत्पाद और इसके निर्माण की विधि	बी65डी83/14 ए23ही9/20	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
59.	2088/एमयूएमएनपी/2007		240983 जमे हुए खाद्य उत्पाद	ए23जी9/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
60.	1246/एमयूएमएनपी/2007		236105 स्टेरोल वाली ग्रेन्यूल्स	ए23डी9/05 ए23एल1/40	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
61.	1213/एमयूएमएनपी/2005		237129 टेरीपेप्टाइड्स आईपीपी और/या वीपीपी सहित हाइड्रोलाइज्ड कैसीन उत्पाद	ए23जे3/34	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
62.	84/एमयूएमएनपी/2007	234417	उन्नत फ्लो/कोमलता विशेषताओं के लिए बर्फ युक्त बाईमॉडल जमे हुए कण वितरण वाले उत्पाद	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
63.	82/एमयूएमएनपी/2007	223434	बर्फ युक्त उत्पाद	ए23जी9/02	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
64.	777/एमयूएम/2006	237991	कम वसा वाले फ्रोजन कन्फेक्शनरी उत्पाद	ए23ही9/38	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
65.	526/एमयूएमएनपी/2007	239447	कम वसा वाले डेयरी फ्रोजन कन्फेक्शनरी उत्पाद	ए23जी9/32	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
66.	683/एमयूएमएनपी/2006	223576	ऐस इनहेबिटिंग प्रभाव वाले पेप्टाइड्स	ए23एल1/305	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
67.	246/एमयूएमएनपी/2006	221766	तृप्ति वर्धक खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/29	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
68.	1317/एमयूएमएनपी/2005	229874	तृप्ति वर्धक खाद्य उत्पाद	ए23पी1/04	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
69.	1316/एमयूएमएनपी/2005	229746	तृप्ति वर्धक खाद्य उत्पाद	ए23एल1/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
70.	860/एमयूएमएनपी/2006	220727	कम ट्रांस वसा ट्राइग्लिसराइड सॅमिश्रण वाले स्वादिष्ट खाद्य सम्मिश्रण	ए23एल1/39 ए23एल1/40	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
71.	आईएन/पीसीटी/2002/ 01832/एमयूएम	236623	स्प्रेएबल ब्राउनिंग सम्मिश्रण	ए23डी7/00	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
72.	599/एमयूएमएनपी/2006	223448	बेहतर स्वाद वाले चाय पेय	ए23एल2/44	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
73.	83/एमयूएमएनपी/2007	235168	चाय आधारित पेय	ए23एफ3/16	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
74.	262/एमयूएमएनपी/2005	217639	स्टेरोलेस्टर्स सहित वाटर इन ऑयल इम्लशन	ए23एल1/30	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
75.	155/एमयूएमएनपी/2006	234855	सोया प्रोटीन वाले किण्वित खाद्य उत्पाद	ए23/9/13	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
76.	1203/एमयूएम/2003	221179	खाद्य ग्रेड फ्लोऐड और इसको शामिल करते हुए फ्री फ्लोइंग साल्ट	ए23एल1/237	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
77.	850/एमयूएमएनपी/2007	235184	मानसिक सतर्कता बढ़ाने के लिए थैनीन व कैफीन वाले खाद्य एवं पेय उत्पाद	ए23एल1/305 ए23एफ3/6	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
78.	1214/एमयूएमएनपी/2005	235628	फंक्शनल फूड प्रॉडक्ट फॉर एन्जियोटेंसिन कन्किंरटग एन्जाइम इनहेबिशन कम्प्राइजिंग पेपिटाइड्स हेविंग एस एनहेबिटिंग इफेक्ट एण्ड इट्स मेन्युफेक्चर	ए23जे3/34	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
79.	7/एमयूएमएनपी/2006	219410	पोषण बार	ए23एल1/305	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
80.	1921/एमयूएमएनपी/2007	241217	पोषण बार	ए21डी2/02 ए23पी1/12	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
81.	1399/डीईएल/2003	232467	पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहक्रियशील खनिज मिश्रण	ए23एफ1/00	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
82.	613/केओएल/2005	235908	अनार के रस की एन्जाईमेटिक डिबिटरिंग	ए23एल2	भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान
83.	322/एमएएस/2001	199161	चावल का आटा (पलाडा/एडीए)	ए23पी	कल्पाथी चिदम्बरेश्वरण वेंकिटाचलपथी
84.	506/सीएएल/2002	235860	उच्च धातु आयन और प्रोटीन सामग्री सहित शुद्ध शहद तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया	ए23एल1/08	खान देबी प्रसाद
85.	731/सीएचई/2004	200285	कम ग्लाईसेमिक की मिठाइयां	ए23जी3/00	कृष्णमाचारी रामू
86.	1402/सीएचई/2005	229189	फोर्टिफिकेन्ट्स, इन फोर्टिफिकेन्ट्स वाला मिश्रण तथा इनके बनाने की प्रक्रियाएं	ए23एल1/27	कृष्णन रामू
87.	771/सीएचई/2005	244205	शुद्ध पशुचारा	आईपीसीए23के1/22	कृष्णन रामू
88.	107/सीएएल/2002	212701	चाय/कॉफी गोलियां, एम्पाउल्स/चाय का वायल्स/कॉफी सिरप, स्वास्थ्यकर चाय/कॉफी पाउच (सूखा/तरल) बैग्स (टाईल्स किस्म के)	ए23एफ3/00	लाल रत्नाकर

1	2	3	4	5	6
89.	28/सीएचई/2004	209782	लिपोफिलिक पोषक तत्वों को नोवल स्टेबल बीडलेट्स	ए23एल1/30	मैं ओमनीएक्टिव हैल्थ टैक्नोलॉजी प्रा.लि.
90.	1998/एमएएस/1996	222530	स्थिर माइक्रोइन्कैप्सूलेटिड आयोडीन कम्पाउण्ड	ए23एल1/00	मालविका विनोद कुमार
91.	256/एमयूएम/2005	211319	गैर परंपरागत पशुधन पशुचारा	ए23के1/00	मारूति एग्रो इंडस्ट्रीज
92.	603/एमयूएम/2004	238212	पीने योग्य स्थिति में सुरक्षित मूसली हर्बल मिश्रण तथा इसके उत्पाद बनाने के लिए प्रसंस्करण	ए23एल1/29	नंदन एग्रो फार्म्स प्रा.लि.
93.	385/सीएचई/2006	240945	फल एवं सब्जियों के पोषकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन कस संमिश्रण एवं विधि	ए23एल1/30	पामुला चन्द्र शेखर
94.	672/सीएचई/2004	229239	ताजा पेय तैयार करने के लिए संमिश्रण एवं विधि	ए23एल1/48	पौलदुरैडेविड मनोहर राजापंडी
95.	392/एमएएस/2002	199137	एमीलेज बछुल भोजन के पूरक	ए23एल1/40	प्रो. तारा गोपालदास
96.	2239/सीएचई/2006	238538	प्रसंस्कृत टेंडर कोकोनट बॉल	ए23एल2/00	आर.सेकरन
97.	244/सीएचई/203	234469	बाई-फोल्ड दक्षता वाले मैथीओनाइन सहित पशुधन एवं पक्षियों के लिए खिलाने हेतु सामग्री	ए23के001/22	राजागोपालन वेंकटकृष्णन
98.	844/एमयूएम/2008	236022	हरी मिर्च पाऊडर/टुकडे/फ्लैक्स	ए23एल1/187	राजीव श्रीकृष्ण तांबे
99.	713/सीएचई/2004	239670	रक्त अल्पता के रोगियों में लौहे की कमी को पूरा करने के लिए एक आदर्श हर्बल खाद्य सम्मिश्रण।	ए23एल1/30	शरीफा तालहा
100.	568/एमयूएम/2004	210712	गोली के रूप में पोषक आहार पूरक और इन्हें तैंयार करने की विधि	ए23एल3/40	स्काईमैक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि.
101.	166/सीएएल/1993	180963	ग्रेन्यूलेटिड चाय कण उत्पादन के लिए उपकरणों में सुधार	ए23एि3/08	स्टीलसवर्थ लि.
102.	185/एमएएस/1995	223111	एक सहक्रियाशील रिजूवनेटिंग और रीविटेलाइजिंग भेषज सम्मिश्रण	ए23एल1/302	टेबलेट्स (इंडिया) लिमिटेड
103.	676/डीईएल/2003	197593	कुक्कुट पशुचारा सम्मिश्रण और इसे उत्पादित करने की प्रक्रिया	ए23एल1/00	तुलसी सत्यनारायणन

[हिन्दी]

भू-अर्जन अधिनियम में संशोधन

5331. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश भागों में कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा उनमें खेती का कार्य अधिकांशतया वैसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पास कोई प्रसंविदा विलेख नहीं है तथा ऐसे व्यक्ति उद्योगों की स्थापना के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाते समय मुआवजे के लिए दावा नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की भू-स्वामित्व तथा काश्तकारी पैटर्न एवं भू-अर्जन कानून में संशोधन करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा तथा छत्तीसगढ़ आदि के भागों में भू-कर नक्शे तैयार करने के लिए मूल सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि का अर्जन राज्यों द्वारा किया जाता है, और मुआवजे की अदायगी का संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) संविधान के अनुसार भूमि राज्य का विषय होने के कारण, भूमि स्वामित्व तथा काश्तकारी कानून में परिवर्तन करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन सरकार के विचाराधीन है। संशोधनों के ब्यौरे की जानकारी तभी होगी जब भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2010 को संसद में पुर: स्थापित किया जाएगा।

मोबाइल कंपनियों की संख्या

5330. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जयप्रकाश अग्रवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में निजी कर्पनियों सहित कंपनी-वार कितनी मोबाइल कंपनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) नई कंपनियां शुरू करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या निजी मोबाइल कंपनियां ग्राहकों को ऐसी आकर्षक योजनाओं की पेशकश कर रही हैं जिससे भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.गल.) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी विदेशी कंपनियों ने देश में सर्वर लगा दिये हैं;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनियां सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है;

(छ) यदि नहीं, तो उक्त कंपनियों को अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) दिनांक 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार अभिगम सेवा/सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसों की कपंनीवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भारतीय कंपनी को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) दिनांक 14.12.2005 के यूएएसएल संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) बीएसएनएल और एमटीएनएल समय-समय पर बाजार के रूख और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए निरंतर अपने प्रशुल्क प्लान प्रस्तुत/उनमें संशोधन करते रहते हैं।

(ङ) से (ज) लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने नेटवर्कों से होने वाले संचार के अंतरावरोधन और अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध कराएं। सुरक्षा एजेंसियों ने सूचित किया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कुछ सेवाओं का वे पठनीय रूप में अंतरावरोधन और अनुश्रवण नहीं कर पा रही हैं। ये सेवाएं जटिल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सरकार इन सेवाओं के अंतरावरोधन और अनुश्रवण हेतु समाधान प्राप्त करने के लिए दूरसंचार उद्योग और विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।

विवरण

अभिगम सेवाओं/सीएमटीएस लाइसेंसों की कंपनीवार सूची
(30.11.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंस की प्रभावी तिथि
1	2	3	4	5
1.	आदित्य बिरला टेलीकॉम लि.	बिहार	यूएएस	6 दिसंबर, 2006
2.	एयरसेल सेल्युलर लि.	चैन्नै	सीएमटीएस	29 नवंबर, 1994
3.	एयरसेल लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
4.	एयरसेल लि.	दिल्ली	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
5.	एयरसेल लि.	गुजरात	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
6.	एयरसेल लि.	कर्नाटक	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
7.	एयरसेल लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
8.	एयरसेल लि.	मुंबई	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
9.	एयरसेल लि.	राजस्थान	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
10.	एयरसेल लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	सीएमटीएस	31 दिसंबर, 1998
11.	एलियांस इंफ्राटेक (प्रा.) लि.	बिहार	यूएएस	31 जुलाई, 2008
12.	एलियांस इंफ्राटेक (प्रा.) लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	31 जुलाई, 2008
13.	भारत संचार निगम लि.	आंध्र प्रदेश	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
14.	भारत संचार निगम लि.	असम	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
15.	भारत संचार निगम लि.	बिहार	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
16.	भारत संचार निगम लि.	गुजरात	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
17.	भारत संचार निगम लि.	हरियाणा	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
18.	भारत संचार निगम लि.	हिमाचल प्रदेश	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
19.	भारत संचार निगम लि.	जम्मू और कश्मीर	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
20.	भारत संचार निगम लि.	कर्नाटक	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
21.	भारत संचार निगम लि.	केरल	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
22.	भारत संचार निगम लि.	कोलकाता	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
23.	भारत संचार निगम लि.	मध्य प्रदेश	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000

1	2	3	4	5
24.	भारत संचार निगम लि.	महाराष्ट्र	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
25.	भारत संचार निगम लि.	पूर्वोत्तर	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
26.	भारत संचार निगम लि.	उड़ीसा	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
27.	भारत संचार निगम लि.	पंजाब	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
28.	भारत संचार निगम लि.	राजस्थान	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
29.	भारत संचार निगम लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
30.	भारत संचार निगम लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
31.	भारत संचार निगम लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
32.	भारत संचार निगम लि.	पश्चिम बंगाल	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
33.	भारत एयरटेल लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
34.	भारती एयरटेल लि.	असम	यूएएस	8 जुलाई 2004
35.	भारती एयरटेल लि.	बिहार	यूएएस	10 फरवरी, 2004
36	भारती एयरटेल लि.	दिल्ली	यूएएस	29 नवंबर, 1994
37.	भारती एयरटेल लि.	गुजरात	यूएएस	28 सितंबर, 2001
38.	भारती एयरटेल लि.	हरियाणा	यूएएस	28 सितंबर, 2001
39.	भारती एयरटेल लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
40.	भारती एयरटेल लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	10 फरवरी, 2004
41.	भारती एयरटेल लि.	कर्नाटक	यूएएस	15 फरवरी, 1996
42.	भारती एयरटेल लि.	केरल	यूएएस	28 सितंबर, 2001
43.	भारती एयरटेल लि.	कोलकाता	यूएएस	29 नवंबर, 1994
44.	भारती एयरटेल लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	28 सितंबर, 2001
45.	भारती एयरटेल लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	28 सितंबर, 2001
46.	भारती एयरटेल लि.	मुंबई	यूएएस	28 सितंबर, 2001
47.	भारती एयरटेल लि.	उड़ीसा	यूएएस	10 फरवरी, 2004
48.	भारती एयरटेल लि.	पंजाब	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
49.	भारती एयरटेल लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	28 सितंबर, 2001

1	2	3	4	5
50.	भारती एयरटेल लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	10 फरवरी, 2004
51.	भारती एयरटेल लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	28 सितंबर, 2001
52.	भारती एयरटेल लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	11 फरवरी, 2004
53.	भारती हैक्साकॉम लि.	पूर्वोत्तर	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
54.	भारती हैक्साकॉम लि.	राजस्थान	यूएएस	22 अप्रैल, 1996
55.	डिशनेट वायरलेस लि.	असम	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
56.	डिशनेट वायरलेस लि.	बिहार	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
57.	डिशनेट वायरलेस लि.	हरियाणा	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
58.	डिशनेट वायरलेस लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
59.	डिशनेट वायरलेस लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
60.	डिशनेट वायरलेस लि.	केरल	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
61.	डिशनेट वायरलेस लि.	कोलकाता	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
62.	डिशनेट वायरलेस लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
63.	डिशनेट वायरलेस लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
64.	डिशनेट वायरलेस लि.	उड़ीसा	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
65.	डिशनेट वायरलेस लि.	पंजाब	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
66.	डिशनेट वायरलेस लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
67.	डिशनेट वायरलेस लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	14 दिसंबर, 2006
68.	डिशनेट वायरलेस लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	21 अप्रैल, 2004
69.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
70.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008
71.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	गुजरात	यूएएस	25 जनवरी, 2008
72.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
73.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	कर्नाटक	यूएएस	25 जनवरी, 2008
74.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	केरल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
75.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
76.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	मुंबई	यूएएस	25 जनवरी, 2008
77.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	पंजाब	यूएएस	25 जनवरी, 2008

1	2	3	4	5
78.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	राजस्थान	यूएएस	25 जनवरी, 2008
79.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
80.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
81.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
82.	एचएफसीएल इनफोटेल लि.	पंजाब	यूएएस	30 सितंबर, 1997
83.	आइडिया सेल्युलर लि.	आंध्र प्रदेश	सीएमटीएस	19 दिसंबर, 1995
84.	आइडिया सेल्युलर लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी 2008
85.	आइडिया सेल्युलर लि.	दिल्ली	सीएमटीएस	5 अक्तूबर, 2001
86.	आइडिया सेल्युलर लि.	गुजरात	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
87.	आइडिया सेल्युलर लि.	हरियाणा	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
88.	आइडिया सेल्युलर लि.	हिमाचल प्रदेश	सीएमटीएस	5 अक्तूबर, 2001
89.	आइडिया सेल्युलर लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
90.	आइडिया सेल्युलर लि.	कर्नाटक	यूएएस	24 जनवरी, 2008
91.	आइडिया सेल्युलर लि.	केरल	सीएमटीएस	12 दिसंबर 1995
92.	आइडिया सेल्युलर लि.	कोलकाता	यूएएस	25 जनवरी, 2008
93.	आइडिया सेल्युलर लि.	मध्य प्रदेश	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
94.	आइडिया सेल्युलर लि.	महाराष्ट्र	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
95.	आइडिया सेल्युलर लि.	मुंबई	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
96.	आइडिया सेल्युलर लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
97.	आइडिया सेल्युलर लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
98.	आइडिया सेल्युलर लि.	पंजाब	यूएएस	25 जनवरी, 2008
99.	आइडिया सेल्युलर लि.	राजस्थान	सीएमटीएस	5 अक्तूबर, 2001
100.	आइडिया सेल्युलर लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
101.	आइडिया सेल्युलर लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	सीएमटीएस	5 अक्तूबर, 2001
102.	आइडिया सेल्युलर लि.	उत्त प्रदेश (पश्चिम)	सीएमटीएस	12 दिसंबर, 1995
103.	आइडिया सेल्युलर लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	25 जनवरी, 2001
104.	लूप मोबाइल (इंडिया) लि.	मुंबई	सीएमटीएस	29 नवंबर, 1994

1	2	3	4	5
105.	लूप टेलीकॉम लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
106.	लूप टेलीकॉम लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
107.	लूप टेलीकॉम लि.	बिहार	यूएएस	25 जनवरी, 2008
108.	लूप टेलीकॉम लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008
109.	लूप टेलीकॉम लि.	गुजरात	यूएएस	25 जनवरी, 2008
110.	लूप टेलीकॉम लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
111.	लूप टेलीकॉम लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
112.	लूप टेलीकॉम लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
113.	लूप टेलीकॉम लि.	कर्नाटक	यूएएस	25 जनवरी, 2008
114.	लूप टेलीकॉम लि.	केरल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
115.	लूप टेलीकॉम लि.	कोलकाता	यूएएस	25 जनवरी, 2008
116.	लूप टेलीकॉम लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
117.	लूप टेलीकॉम लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
118.	लूप टेलीकॉम लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
119.	लूप टेलीकॉम लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
120.	लूप टेलीकॉम लि.	पंजाब	यूएएस	25 जनवरी, 2008
121.	लूप टेलीकॉम लि.	राजस्थान	यूएएस	25 जनवरी, 2008
122.	लूप टेलीकॉम लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
123.	लूप टेलीकॉम लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
124.	लूप टेलीकॉम लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
125.	लूप टेलीकॉम लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
126.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	दिल्ली	सीएमटीएस	10 अक्तूबर, 1997
127.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	मुंबई	सीएमटीएस	10 अक्तूबर, 1997
128.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	20 जुलाई, 2001
129.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	बिहार	यूएएस	20 जुलाई, 2001
130.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	दिल्ली	यूएएस	20 जुलाई, 2001
131.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	गुजरात	यूएएस	20 जुलाई, 2001

1	2	3	4	5
132.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	हरियाणा	यूएएस	20 जुलाई, 2001
133.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	20 जुलाई, 2001
134.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	20 जुलाई, 2001
135.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	कर्नाटक	यूएएस	20 जुलाई, 2001
136.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	केरल	यूएएस	20 जुलाई, 2001
137.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	कोलकाता	यूएएस	20 जुलाई, 2001
138.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	20 जुलाई, 2001
139.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	20 जुलाई, 2001
140.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	मुंबई	यूएएस	20 जुलाई, 2001
141.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	उड़ीसा	यूएएस	20 जुलाई, 2001
142.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पंजाब	यूएएस	20 जुलाई, 2001
143.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	राजस्थान	यूएएस	20 जुलाई, 2001
144.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	20 जुलाई, 2001
145.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	20 जुलाई, 2001
146.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	20 जुलाई, 2001
147.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	20 जुलाई, 2001
148.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	असम	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
149.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	बिहार	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
150.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
151.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	कोलकाता	यूएएस	27 सितंबर, 2001
152.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
153.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
154.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	उड़ीसा	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
155.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
156.	एस टेल प्रा. लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
157.	एस टेल प्रा. लि.	बिहार	यूएएस	25 जनवरी, 2008
158.	एस टेल प्रा. लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008

1	2	3	4	5
159.	एस टेल प्रा. लि.	जम्मू एवं कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
160.	एस टेल प्रा. लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
161.	एस टेल प्रा. लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
162.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
163.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
164.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	बिहार	यूएएस	25 जनवरी, 2008
165.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008
166.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	गुजरात	यूएएस	25 जनवरी, 2008
167.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
168.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
169.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
170.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	कर्नाटक	यूएएस	25 जनवरी, 2008
171.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	केरल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
172.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	कोलकाता	यूएएस	25 जनवरी, 2008
173.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
174.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
175.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	मुंबई	यूएएस	25 जनवरी, 2008
176.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
177.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
178.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	पंजाब	यूएएस	25 जनवरी, 2008
179.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	राजस्थान	यूएएस	25 जनवरी, 2008
180.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	4 मार्च, 1998
181.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
182.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
183.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
184.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
185.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008

1	2	3	4	5
186.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
187.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	कर्नाटक	यूएएस	9 अप्रैल, 1996
188.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
189.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	पंजाब	यूएएस	9 अप्रैल, 1996
190.	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	30 सितंबर, 1997
191.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मुंबई	यूएएस	30 सितंबर, 1997
192.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	30 सितंबर, 1997
193.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
194.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	बिहार	यूएएस	30 जनवरी, 2004
195.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	दिल्ली	यूएएस	31 अगस्त, 2001
196.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	गुजरात	यूएएस	31 अगस्त, 2001
197.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हरियाणा	यूएएस	30 जनवरी, 2004
198.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	30 जनवरी, 2004
199.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
200.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कर्नाटक	यूएएस	31 अगस्त, 2001
201.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	केरल	यूएएस	30 जनवरी, 2004
202.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कोलकाता	यूएएस	30 जनवरी, 2004
203.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	12 फरवरी, 2004
204.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
205.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उड़ीसा	यूएएस	30 जनवरी, 2004
206.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पंजाब	यूएएस	30 जनवरी, 2004
207.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	राजस्थान	यूएएस	30 जनवरी, 2004
208.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	31 अगस्त, 2001
209.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	30 जनवरी, 2004
210.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	30 जनवरी, 2004
211.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	30 जनवरी, 2004
212.	यूनिटेक वायरलेस (दिल्ली) प्रा. लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008

1	2	3	4	5
213.	यूनिटेक वायरलेस (दिल्ली) प्रा. लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
214.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लि.	बिहार	यूएएस	25 जनवरी, 2008
215.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
216.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
217.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
218.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
219.	यूनिटेक वायरलेस (कोलकाता) प्रा. लि.	कोलकाता	यूएएस	25 जनवरी, 2008
220.	यूनिटेक वायरलेस (मुंबई) प्रा. लि.	मुंबई	यूएएस	25 जनवरी, 2008
221.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
222.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
223.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
224.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	पंजाब	यूएएस	25 जनवरी, 2008
225.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	राजस्थान	यूएएस	25 जनवरी, 2008
226.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
227.	यूनिटेक वायरलेस (साऊथ) प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
228.	यूनिटेक वायरलेस (साऊथ) प्रा. लि.	कर्नाटक	यूएएस	25 जनवरी, 2008
229.	यूनिटेक वायरलेस (साऊथ) प्रा. लि.	केरल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
230.	यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा. लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
231.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा. लि.	गुजरात	यूएएस	25 जनवरी, 2008
232.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
233.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा. लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
234.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
235.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	असम	यूएएस	25 जनवरी, 2008
236.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	बिहार	यूएएस	25 जनवरी, 2008
237.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	दिल्ली	यूएएस	25 जनवरी, 2008
237.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	गुजरात	यूएएस	25 जनवरी, 2008
238.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	हरियाणा	यूएएस	25 जनवरी, 2008

1	2	3	4	5
239.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
240.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
241.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	कर्नाटक	यूएएस	25 जनवरी, 2008
242.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	केरल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
243.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	कोलकाता	यूएएस	25 जनवरी, 2008
244.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	25 जनवरी, 2008
245.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	25 जनवरी, 2008
246.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	मुंबई	यूएएस	25 जनवरी, 2008
247.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	25 जनवरी, 2008
249.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	उड़ीसा	यूएएस	25 जनवरी, 2008
250.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	राजस्थान	यूएएस	25 जनवरी, 2008
251.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
252.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
253.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	25 जनवरी, 2008
254.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	25 जनवरी, 2008
255.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	केरल	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
256.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	महाराष्ट्र	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
257.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
258.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	हरियाणा	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
259.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	राजस्थान	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
260.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूएएस	12 दिसंबर, 1995
261.	वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि.	कोलकाता	यूएएस	30 नवंबर, 1994
262.	वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.	गुजरात	यूएएस	19 दिसंबर, 1995
263.	वोडाफोन एस्सार लि.	मुंबई	यूएएस	29 नवंबर, 1994
264.	वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	दिल्ली	यूएएस	30 नवंबर, 1994
265.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	आंध्र प्रदेश	यूएएस	29 सितम्बर, 2001
266.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	चेन्नै	यूएएस	26 दिसंबर, 2001

1	2	3	4	5
267.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	कर्नाटक	यूएएस	26 सितम्बर, 2001
268.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	पंजाब	यूएएस	5 अक्तूबर, 2001
269.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूएएस	13 फरवरी, 2004
270.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	पश्चिम बंगाल	यूएएस	2 मार्च, 2004
271.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	असम	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
272.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	बिहार	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
273.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	हिमाचल प्रदेश	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
274.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	जम्मू और कश्मीर	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
275.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	मध्य प्रदेश	यूएएस	20 मार्च, 2007
276.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	पूर्वोत्तर	यूएएस	5 दिसंबर, 2006
277.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	उड़ीसा	यूएएस	5 दिसंबर, 2006

यूएएस: एकीकृत अभिगम सेवाएं **सीएमटीएस:** सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं

लाइसेंसधारकों का सार

सीएमटीएस लाइसेंसधारक	38
यूएएस लाइसेंसधारक	239
कुल लाइसेंसधारक	277

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कल्याण योजनाएं

5333. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन कल्याण योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) से सहायता ली जाती है;

(ग) क्या देश के कुछ राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ में उक्त कल्याण योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों से सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण परिवारों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं यथा-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) शामिल हैं, कार्यान्वित करता है।

(ख) से (ङ) ये योजनाएं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों से सहायता नहीं ली जाती है।

[अनुवाद]

नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी

5334. श्री पी. करुणाकरन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के संशोधन के फलस्वरूप डाक विभाग में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों और अंशकालिक कर्मचारियों का वेतन भी 1 जनवरी, 2006 से संशोधित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) अस्थायी हैसियत वाले पूर्णकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संशोधित की गई है। अस्थायी हैसियत प्रदान न किए गए एवं अन्य अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी संशोधित नहीं की गई है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एम. के अंतर्गत निधियां

5335. श्री पी. बलराम:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को यह जताया जाना आवश्यक है कि अतिशेष मात्रा को सूक्ष्म भंडारों तक श्रेणीबद्ध किया जा सकता है जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) निधियों से विकसित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा-1 में निर्धारित स्वीकार्य कार्यों में जल संरक्षण एवं जल एकत्रण, सूखा रोधन, माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल/आईएवाई/भूमि सुधार/लघु एवं सीमान्त किसानों से संबंधित परिवारों की भूमि पर सिंचाई कार्य आदि शामिल हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक शुरू किए गए उक्त कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	जल संरक्षण तथा जल एकत्रण	लघु सिंचाई कार्य	अनु.जाति/अनु.जनजाति/बीपीएल/आईएवाई लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	808443	414396	219581	216905	97109
2.	अरूणाचल प्रदेश	77	26	111	2	4
3.	असम	2319	2446	1406	406	728
4.	बिहार	7904	12659	17785	622	10265
5.	छत्तीसगढ़	2679	31456	5634	55044	20456
6.	गुजरात	11469	70596	2032	27906	8738
7.	हरियाणा	408	1959	1020	18	825
8.	हिमाचल प्रदेश	11590	15621	7356	1555	4741
9.	जम्मू और कश्मीर	3604	1668	1661	42	779
10.	झारखण्ड	542	117696	1368	10369	13890
11.	कर्नाटक	31078	77690	33204	62582	29553

1	2	3	4	5	6	7
12.	केरल	36053	13726	11316	3664	19099
13.	मध्य प्रदेश	3440	274591	1584	132731	26565
14.	महाराष्ट्र	408	54180	872	2485	26815
15.	मणिपुर	317	380	538	0	174
16.	मेघालय	372	2497	375	14	338
17.	मिजोरम	336	96	6	6	5
18.	नागालैंड	345	581	947	12	52
19.	उड़ीसा	1099	68243	2670	58263	53741
20.	पंजाब	501	409	1272	7	4556
21.	राजस्थान	4381	82991	17547	74116	50133
22.	सिक्किम	305	49	237	2	28
23.	तमिलनाडु	669	21172	15002	122	46431
24.	त्रिपुरा	2841	40566	15653	774	17151
25.	उत्तर प्रदेश	53511	161181	39771	83827	42142
26.	उत्तराखंड	7508	13923	2914	469	2969
27.	पश्चिम बंगाल	13120	64340	12179	9637	28837
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41	63	30	44	14
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
31.	गावा	583	65	58	7	204
32.	लक्षद्वीप	1	33	0	0	7
33.	पुडुचेरी	0	1	10	0	763
34.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
	कुल योग	278344	1545300	414139	741631	507112

क्रूज शिपिंग

5336. श्री मिलिंद देवरा: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्रूज शिपिंग संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन से देश को क्या लाभ पहुंचेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस नीति को तैयार करने तथा तत्पश्चात् इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने समुद्री परिवहन परियोजना के संबंध में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है और इससे देश को क्या लाभ पहुंचेगा?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के.वासन): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने जून, 2008 में क्रूज़ पोत परिवहन नीति अनुमोदित कर दी है। क्रूज़ पोत परिवहन विश्व पर्यटन में एक प्रमुख स्थान बनाने के भारत के प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगा और यह भारत को विश्व पर्यटन के एक प्रमुख उद्गम और गंतव्य स्थल के रूप में प्रदर्शित करेगा। इस नीति के लागू कर दिए जाने से विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक विकास होगा और इससे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। इससे न केवल रोज़गार के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे बल्कि इससे लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ेगा, जिससे विदेशी देशों से भारत के मैत्री संबंधों में बढ़ोत्तरी होगी। क्रूज़ पोत परिवहन नीति की विभिन्न विशेषताओं में शामिल हैं अनुकूल राजकोषीय पद्धति, पत्तनों में सुविधाओं का विकास और रेल, सड़क परिवहन, उड्डयन एवं मेट्रो के माध्यम से संपर्क, उत्प्रवासन औपचारिकताओं का तुरंत निपटान, कठिनाई मुक्त सीमाशुक्ल अनापत्ति और अपेक्षाकृत स्वच्छ सागर सुनिश्चित करने वाली उचित अपशिष्ट निपटान पद्धति। क्रूज़ पोत परिवहन नीति सभी संबंधित मंत्रालयों, हिस्सेदारों, महापत्तन न्यासों और समुद्री बोर्डों को परिचालित कर दी गई है।

(घ) सरकार ने देश में लागू किए जाने हेतु क्रूज़ पोत परिवहन नीति को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री परिवहन के अन्य विषयों से संबंधित भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर 13.09.2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता स्थूल रूप से समुद्री क्षेत्र में विकास एवं सहयोग, पत्तनों पर जलयानों से किए जाने वाले व्यवहार, पर्यावरणीय सुरक्षा, दस्तावेज़ो की मान्यता, घरेलू कानूनों, कर्मीदल सदस्यों के पारगमन और ठहरने के अधिकारों, आने वाले जलयानों के संबंध में विशेष दायित्व, कठिनाई में पड़े जलयानों, समुद्री लॉयजन समिति, परामर्शों और विवादों के निपटान तथा शुल्कों एवं देयताओं के भुगतान के पक्षों में लागू होता है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अपने-अपने महाद्वीपों में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री परिवहन के मामलों में संबंधों को मज़बूत बनाए जाने से इन तीनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की बढ़ोत्तरी में योगदान होगा।

तम्बाकू क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस

5337. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तम्बाकू क्षेत्र में कोई नया औद्योगिक लाइसेंस नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। तम्बाकू के प्रयोग से सिगार व सिगरेट बनाने वाले विनिर्माता के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। सरकार जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सिगरेट विनिर्माता के लिए नए एकक स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन नहीं दे रही है।

[हिन्दी]

पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

5338. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए व्यापक कृषि भूमि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां तो, गत तीन वर्षों के दौरान स्थापना और प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र में राज्य-वार कितनी कृषि भूमि अर्जनाधीन है;

(ग) क्या उन भू-स्वामियों को उनकी भूमि की उचित कीमत अथवा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिनकी भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अधिगृहीत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विस्थापित किसानों के लिए नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) संविधान के अंतर्गत भूमि राज्य का विषय है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए संबंधित राज्य सरकारों की नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि अर्जित की जाती है। सरकारी भूमि राज्य सरकरें आबंटित करती हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करती हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि सेज के लिए भूमि अर्जन के मामले में बंजर और ऊसर भूमि के अर्जन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सेज के लिए एकल फसल कृषि भूमि अर्जित की जा सकती है। यदि क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषरूप से बहु-उत्पाद वाले सेज के लिए, दो फसल वाली कृषि भूमि के एक भाग को अर्जित करना बाध्यकारी हो तो ऐसी भूमि सेज के लिए कुल अपेक्षित भूमि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेज अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित कर दिया गया हो। इसके अलावा, मंत्रियों के शक्ति प्राप्त समूह (ई.जी.ओ.एम.) की 5 अप्रैल, 2007 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों को 15 जून, 2007 को यह सूचित किया गया कि अनुमोदन बोर्ड किसी ऐसे सेज को अनुमोदित नहीं करेगा जिनमें राज्य सरकारों द्वारा 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे सेज के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन किया गया हो या ऐसा किया जाना प्रस्तावित हो। 367 अधिसूचित सेजों में शामिल भूमि का कुल क्षेत्रफल 44,162 हैक्टेयर है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007, जिसमें अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल हैं, 31 अक्तूबर, 2007 से प्रवृत्त हुई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

* नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल किए गए हैं;
* मैदानी/जनजातीय, पहाड़ी अनुसूचित क्षेत्रों आदि में 400/200 या इससे अधिक परिवारों के विस्थापन के मामलें में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) को शुरू किया गया है;
* 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना तैयार करना;
* ग्राम सभाओं के साथ परामर्श अथवा जन-सुनवाइयों को अनिवार्य बनाया गया है;
* विस्थापन से पूर्व पुनर्वास का सिद्धांत;
* यदि संभव हो, तो मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि;
* दक्षता विकास सहायता तथा परियोजना कार्यों में रोजगार में प्राथमिकता (प्रति एकल परिवार एक व्यक्ति);
* भूमि/रोजगार के बदले में पुनर्वास अनुदान:
* परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहीं कम्पनियों में प्रभावित परिवारों के लिए शेयरों का विकल्प;
* प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ;
* विकलांगों, नि:सहाय, अनाथों, विधवाओं, अविवाहित लड़कियों आदि जैसे अरक्षितों के लिए मासिक पेंशन;
* उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संयोजित मौद्रिक लाभ; साथ ही आवधिक अंतरालों पर इन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना;
* पुनर्स्थापन क्षेत्रों में अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा सुख-साधन उपलब्ध कराना;
* परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का विकास;
* पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति:
* शिकायत निवारण हेतु लोकपाल:
* बाह्य पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग।

विवरण

अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्यवार क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य	अधिसूचित सेज
1.	आंध्र प्रदेश	11469.35
2.	चंडीगढ़	58.46
3.	छत्तीसगढ़	0.00
4.	दादरा व नगर हवेली	23.11
5.	दिल्ली	0.00
6.	गोवा	249.48
7.	गुजरात	12769.42
8.	हरियाणा	1349.10
9.	झारखंड	36.42
10.	कर्नाटक	2178.52
11.	केरल	617.88
12.	मध्य प्रदेश	265.33
13.	महाराष्ट्र	9128.13
14.	नागालैंड	50.70
15.	उड़ीसा	652.74
16.	पुडुचेरी	0.00
17.	पंजाब	46.12
18.	राजस्थान	566.38
19.	तमिलनाडु	4124.94
20.	उत्तराखंड	28.14
21.	उत्तर प्रदेश	337.35
22.	प. बंगाल	210.44
	योग	44162

[अनुवाद]

केन्द्रीय योजना

5339. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार केन्द्रीय योजना/परियोजनाओं के नामों में बदलाव कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा अपने राष्ट्रीय नाम और प्रतीक (लोगो) के तहत ही अग्रणी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तथापि 'मनरेगा' जैसी योजनाओं के मामलों में कार्यान्वयन करने वाले राज्य का नाम राष्ट्रीय नाम के पश्चात् जोड़ने की अनुमति है।

पत्तनों में भीड़-भाड़ की समस्या

5340. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तन भीड़-भाड़ की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पत्तनों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। कभी-कभी जब जलयानों की बंचिंग होती है, तो जलयानों को घाट पर लगाए जाने में भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है।

(ख) घाटों के उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतीक्षा कर रहे जलयानों का पत्तन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

पत्तन का नाम	घाटों के उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतीक्षा कर रहे जलयानों की संख्या (29.11.2010 की स्थिति के अनुसार)
कोलकाता पत्तन न्यास	3
हल्दिया डॉक परिसर	2
चेन्नई पत्तन न्यास	5
कोचीन पत्तन न्यास	1
मुरगांव पत्तन न्यास	1
मुंबई पत्तन न्यास	2
कांडला पत्तन न्यास	22

सरकार ने भीड़ भाड़ को समाप्त करने के लिए महापत्तनों की कार्गो संभलाई क्षमता को बढ़ाए जाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। जलयानों तथा कार्गो की संभलाई तेज़ी से किए जाने के प्रयोजन से अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे कि जलमार्गों, को गहरा बनाया जाना, घाटों को निर्माण/पुन: निर्माण, रेल/सड़क संपर्क में सुधार और आवाजाही से संबंधित अन्य सुधार किए जा रहे हैं।

नौसेना का पनडुब्बी बेड़ा

5341. श्री जयंत चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना की 50 प्रतिशत से अधिक पनडुब्बियों के वर्ष 2012 तक अपनी संक्रियात्मक क्षमता खोने की संभावना है जैसा कि हाल ही में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पनडुब्बी का आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रम, संबंध में राजकोष पर अनेक करोड़ रुपयों का बोझ पड़ा, नौसेना द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही शुरू किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नई पेंशन योजना

5342. श्री एम.के. राघवन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष शुरू की गई नई पेंशन योजना का ग्राह्यता स्तर क्या है; और

(ख) इस योजना में शिथिलता के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसके संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्वच्छता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

5343. श्री एस.एस. रामासुब्बु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में स्वच्छता का प्रभार संभालने वाले राज्यों के मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों के स्वच्छता प्रभारी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार परिवार द्वारा शौचालय के निर्माण एवं उपयोग को अपनी उपलब्धि मानते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों को 1500.00 रु. (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 2000.00 रु.) की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी प्रोत्साहन राशि के रूप में कम से कम 700.00 रु. देती है।

(ङ) और (च) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 21.9% थी। जैसा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली के जरिए राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़कर लगभग 67% हो गई है।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व एवं सभी स्टेक होल्डरों के लिए मंच उपलब्ध कराना था ताकि मिशन के रूप में टीएससी को संचालित करने और भारत को ''निर्मल भारत'' जहां खुले में शौच की पारंपरिक आदत एवं भौतिक वातावरण संदूषण को पूर्णत: समाप्त कर दिया हो तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ हो, बनाने के लिए कार्यनीतिगत कार्य योजनाएं बनाई जा सके। सम्मेलन में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई, कमियां निर्धारित की गई, कुछ अभिनव श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीण स्वच्छता में उपलब्धियों में गति लाने के लिए समयबद्ध कार्यनीतिगत योजनाएं बनाई गई।

सम्मेलन में उन चुनौतियों से निबटने, जो टीएससी के संचालन में सामने आती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता

कार्यसूची को संचालित करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की गई कार्यनीतियां बनाने के लिए सभी प्रमुख स्टेक होल्डरों-राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक तंत्र, संस्थाओं विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों एवं मीडिया को एक मंच पर लाया गया।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और आंध्र प्रदेश असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख मामले एवं दिए गए सुझाव थे:

* पारिस्थितकीय स्वच्छता को बढ़ावा
* अनुसंधान एव विकास में निवेश
* पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी
* निर्माण के स्तर में सुधार
* अधिक सक्रिय निगरानी
* पुराने शौचालयों का अनुरक्षण
* एमजीएनआरईजीएस के साथ तालमेल के लिए प्रयास
* स्वच्छता से संबंधित संकेतकों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के भीतर सहयोग
* ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण अपनाना

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का कार्यान्वयन न किया जाना

5344. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में आया है कि देश की कुछ कंपनियां और प्रमुख उद्योग बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुरूप कार्य न करने के रूझान को रोकेने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार जिसमें यह प्रतिष्ठान स्थित है, अधिकतर कंपनियों/उद्योगों के लिए समुचित सरकार है। केन्द्र सरकार बैंकिंग और बीमा कंपनियों, खानों, हवाई परिवहन सेवाओं, प्रमुख पत्तनों, तेल फील्ड आदि के लिए ही समुचित सरकार है जिसके लिए मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और इसके उप/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इस अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के प्रवर्तन संबंधी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का संबंध है बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को नियमित निरीक्षणों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रवर्तित किया जाता है और जहां कहीं इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की कोई अनियमितता पाई जाती है, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने सहित चूककर्ताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत किए गए निरीक्षण और की गई कार्रवाई दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के भुगतान का प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या		शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या	दायर किए गए दावा मामलों की संख्या	निर्णीत दावा मामलों की संख्या
		पाई गई	समंजित				
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08	1527	2745	1333	11	19	0	0
208-09	1060	1742	1876	42	4	4	2
2009-10	1281	1952	1832	50	13	0	0

[हिन्दी]

बाल श्रम उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

5345. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बाल श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो भारत की इसमें भूमिका के संबंध में इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में धनराशि का विशिष्ट आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992 से अभी तक खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में आरक्षण नीति

5346. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षित कोटे को भरने के संबंध में आरक्षण मानदंडों का दूरसंचार विभाग के उपक्रमों/निगमों में अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने आरक्षित पद रिक्त हैं और ये पद कितने वर्षों से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) रिक्त पड़े आरक्षित पद विभिन्न वर्षों से संबंधित हैं। विभिन्न निगमों में इस प्रकार के रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है:-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	पिछले वर्षों से चली आ रही कुल ज्ञात रिक्तियां			भरे गए पद			भरे जाने वाले पद		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
एमटीएनएल(सीधी भर्ती)	21	17	26	9	3	26	12	14	–
टीसीआईएल (सीधी भर्ती)	1	–	10	–	–	–	1	–	10
बीएसएनएल (सीधी भर्ती)	291	212	448	239	116	330	52	96	118
(पदोन्नति)	393	384	–	–	–	–	393	384	–
कुल	706	613	484	248	119	356	458	494	128
		1803			723			1080	

(ग) इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रखी जाती है और यह अभ्यर्थियों की उपलब्धता और उपयुक्तता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ये निगम सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के भाग के रूप में पिछले वर्षों से चली आ रही रिक्तियों को भरने की कार्रवाई पहले से ही कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत शिपयार्ड

5347. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और झारखंड सहित देश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत शिपयार्डों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिपयार्डों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के फलस्वरूप इन पिछड़े क्षेत्रों में किस सीमा तक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की संभावना हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) निजी क्षेत्र में पोत निर्माण सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। फिर भी, सरकार ने संयुक्त उद्यम के रूप में एक सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आकार का एक नये शिपयार्ड के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है, जिसके संबंध में भारतीय नौवहन निगम को एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु समय और रोजगार अवसरों के सृजन की संभावित सीमा का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही पता चलेगा।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास

5348. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनवरी 2008 से मार्च 2010 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की निगरानी के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारें विशेषकर छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जनवरी, 2008 से मार्च, 2010 तक देश में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत बनाए गए मकानों की राज्यवार, वर्षवार संख्या का दर्शाने वाल ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) आईएवाई योजना की निगरानी मासिक प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण-पत्रों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, मासिक एवं तिमाही समीक्षा बैठकों तथा क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है। योजना की स्वतंत्र जांच तथा निगरानी करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता भी नियुक्त और तैनात किए जाते हैं। जून से सितंबर, 2009 की अवधि के दौरान, ग्रामीण विकास कार्क्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता तैनात किए गए थे जिन्होंने 27 राज्यों के 249 जिलों में 2387 गांवों का दौरा किया था। इंदिरा आवास योजना के संबंध में इन राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) इंदिरा आवास योजना केन्द्र सरकार की अत्यंत लोकप्रिय योजना है तथा सभी राज्यों में अत्यंत प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वित की जा रही है, विशेष रूप से इसलिए कि आईएवाई पूर्णत: सब्सिडी वाली योजना है तथा मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। छत्तीसगढ़, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों में कुशल श्रमिक, सामग्री तथा तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, आईएवाई मकानों के लिए दी जाने वाली इकाई सहायता निर्माण लागत के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में निधियों में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति वर्ष 4% ब्याज दर पर प्रति आवासीय इकाई 20,000 रु. तक का ऋण देने के लिए आईएवाई मकान को विभेदक ब्याज दर योजना में शामिल कर लिया है।

विवरण I

इंदिरा आवास योजना के तहत राज्यवार बनाए गए मकानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2007-08 बनाए गए कुल मकान (जनवरी, 2008 से मार्च, 2008 तक)	2008-09 बनाए गए कुल मकान	2009-10 बनाए गए कुल मकान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50428	266654	434733

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	2723	7236	6026
3.	असम	258360	112706	181162
4.	बिहार	57164	484197	653214
5.	छत्तीसगढ़	26591	30023	58449
6.	गोवा	99	586	1864
7.	गुजरात	46609	122412	166760
8.	हरियाणा	6331	13302	24138
9.	हिमाचल प्रदेश	2154	4501	9295
10.	जम्मू और कश्मीर	8237	13211	18594
11.	झारखंड	15122	56180	87524
12.	कर्नाटक	9796	87051	158417
13.	केरल	20727	53133	51590
14.	मध्य प्रदेश	26476	74651	96877
15.	महाराष्ट्र	49493	118611	207695
16.	मणिपुर	0	514	3296
17.	मेघालय	513	5619	9875
18.	मिजोरम	817	5179	4851
19.	नागालैंड	1863	24717	11645
20.	उड़ीसा	56423	62447	170766
21.	पंजाब	8238	11700	27108
22.	राजस्थान	24186	52654	86992
23.	सिक्किम	470	1774	1819
24.	तमिलनाडु	24460	94160	169753
25.	त्रिपुरा	11323	26389	8322
26.	उत्तर प्रदेश	90403	267543	483949
27.	उत्तराखंड	7768	12696	20373
28.	पश्चिम बंगाल	37510	123808	230155
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	138	124	242
30.	दादरा व नगर हवेली	121	41	0
31.	दमन व दीव	1	0	0
32.	लक्षद्वीप	5	190	88
33.	पुडुचेरी	35	52	47
	कुल	764584	2134061	3385619

विवरण II

एनआरएलएम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

* जितने मकानों का निरीक्षण किया गया उनमें से 5. 81% मकानों की गुणवत्ता उत्कृष्ट पाई गई, 67.37% को 'अच्छा', 24.66% को 'औसत' तथा 20.16% मकानों को 'खराब' श्रेणी दी गई।
* जितने गावों का दौरा किया गया उन सभी में से कुल 95% में भुगतान डाकघर/बैंक खातों के माध्यम से किया गया था।
* जितने गावों का दौरा किया गया उनमें से 90.86% में आईएवाई की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी।
* जितने गांवों का दौरा किया गया उनमें से 72.65% में आईएवाई की स्थायी प्रतीक्षा सूची को दीवारों पर प्रदर्शित/अंकित किया गया था।
* 2387 गांवों में विगत पांच वर्षों के दौरान आबंटित किए गए 10173 आईएवाई मकानों में से 89% मकान पूरी तरह बन गए थे।

[अनुवाद]

इंटरनेट पर सूचना ब्लॉक करना

5349. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापक सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय हित के लिए इंटरनेट पर किसी भी सूचना की सार्वजनिक सुलभता को रोकने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों के लागू होने के बावजुद, अनधिकृत व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा कम्प्यूटर संसाधनों के माध्यम से सूचना हासिल की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की जानकारी में कितने मामले आए है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सूचना प्रयौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 क में किसी भी कम्प्यूटर स्रोत के जरिए किसी भी सूचना का सार्वजनिक अभिगम अवरूद्ध करने के लिए निदेश जारी करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है।

इस धारा के अंतर्गत विस्तृत नियमावली अर्थात "सूचना प्रौद्योगिकी (जनसाधारण द्वारा सूचना का अभिगम अवरुद्ध करने की कार्यविधि एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश) नियमावली, 2009" को दिनांक 27.10.2009 को अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी प्रकार से अवरूद्ध की गई सूचना पूर्णतया प्रभावशाली नहीं हो सकती। तकनीकी रूप से अवरोध दूर करने के विभिन्न तरीके हैं। वेबसाइट के पते और वेबसाइट के आईपी पते में परिवर्तन करके अवरुद्ध की गई उसी सूचना को उपलब्ध कराया जा सकता है। विश्व में कई गुप्त सर्वर (जिन्हें अज्ञात प्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है) प्रतिष्ठापित किए गए हैं जिनके जरिए प्रयोक्ता उसी अवरूद्ध सूचना का अभिगम कर सकते हैं।

किसी भी अनधिकृत व्यक्ति/कंपनी द्वारा अवरूद्ध की गई सूचना का अभिगम करने से संबंधित ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्लोटिंग ब्रिज

5350. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप समूहों में पूर्वी छोर के दोषपूर्ण घाटों की मरम्मत करने के लिए फ्लोटिंग ब्रिजों की स्थापना की जाती है;

(ख) यहिा हां, तो यह मरम्मत कितनी निर्धारित अवधि में पूरी कर ली जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्री: (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि प्लवमान पनकट दीवार की संकल्पना भारतीय पत्तनों के लिए नई है, फिर भी, सरकार ने लक्षद्वीप समूह में पूर्वी ओर की जेटियो में घाट दिवसों को बढ़ाने हेतु प्लवमान पनकट दीवार की संकल्पना को समझने हेतु एक समिति गठित की है। प्लवमान पनकट दीवार की संस्थापना के बारे में निर्णय,

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और केन्द्रीय जल और विद्युत अनंसुधान संस्थान, पुणे को सौंपे गए अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कम लागत के आवास

5351. श्री अन्नू टन्डन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए विशेष बीमा कवर देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण आवासी परियोजनाओं की लागत कम करने के लिए फ्लाई-एश की ईंटों जैसी वैकल्पिक निर्माण सामग्री के उपयोग पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, मकान के निर्माण की जिम्मेवारी लाभार्थी पर छोड़ दी जाती है जिसे निर्माण सामग्री, डिजाईन आदि के चयन में पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/राज्य सरकार नवीनतम, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, सामग्रियां, डिजाइन आदि की जानकारी लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों में उत्पादन

5352. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित आयुध निर्माणियों में कई वर्षों से उत्पादन घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त निर्माणियों द्वारा उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) जबलपुर स्थित आयुध निर्माणियों में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का मूल्य निम्नानुसार है:-

निर्माणी	वर्ष 2007-08 में उपलब्धि	वर्ष 2008-09 में उपलब्धि	वर्ष 2009-10 में उपलब्धि
1. आयुध निर्माणी, खमरिया	693	831	812
2. तोप वाहक निर्माणी, जबलपुर	256	275	279
3. वाहन निर्माणी, जबलपुर	1102	707	763
4. ग्रे आयरन फांउड्री, जबलपुर	69	74	95

जबलपुर स्थित 4 निर्माणियों में से केवल वाहन निर्माणी जबलपुर में सेना परिवहन वाहनों के लिए आर्डरों में कमी के कारण उत्पादन में कुछ गिरावट आई है, जबकि अन्य तीन निर्माणियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) सेना द्वारा दिए जाने वाले परिवहन वाहनों के आर्डर में क्रमिक रूप से कमी आने के कारण वाहन निर्माणी जबलपुर ने अपने उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण किया है तथा सेना और गृह मंत्रालय के लिए सुरंग-रोधी वाहन और बुलेट प्रूफ वाहनों तथा बख्तरबंद वाहन के इंजनों की पूर्ण मरम्मत के लिए उत्पादन सुविधा स्थापित की है।

खाद्यान्नों के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस

5353. श्री महेश्वर हजारी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों का समस्त आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के दायरे में आता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बीज गुणवत्ता वाले अनाज का आयात प्रतिबंधित है तथा अन्य अनाजों का आयात केवल राज्य व्यापार उपक्रमों के जरिए अनुमत्य हैं। देश में गेहूं के भण्डार को और बढ़ाने के लिए बीज गुणवत्ता वाले गेहूं से इतर गेहूं के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

श्रमिकों के लिये आरक्षण

5354. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत पहले सरकारी निकायों में ठेका पर ठेका श्रमिकों/कामगारों/दिहाड़ी मजदूरों की नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 सहित किसी भी श्रम विधान में श्रमिकों, कामगारों तथा ठेका आधार पर सरकारी संगठनों में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

सरकारी संगठनों में नियमित पदों को उन पदों के लिए निर्मित भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाता है और उनके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। तथापि, उन प्रतिष्ठानों में जहां विशेष कार्यों में ठेका श्रमिकों का नियोजन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निषिद्ध किया गया है, उन प्रतिष्ठानों में अन्यथा उपयुक्त पाए गए ठेका श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग-3

5355. श्री के.पी. धनपालन: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (एनडब्ल्यू-3) के कोल्लम से कोट्टापुरम खंड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस मार्ग के विकास एवं उपयोग में राज्य सरकार की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग का उपयोग किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के विकास के लक्ष्य इस प्रकार हैं (i) आर्थिक दृष्टि से अनुकूल आकार के कार्गो बार्जों के प्रचालन के लिए 32 मीटर चौड़े तले और न्यूनतम 2 मीटर गहराई से युक्त नौचालनात्मक जलमार्ग का विकास (ii) 24 घंटे नौचालन के लिए सहायक सुविधाओं की व्यवस्था और (iii) कार्गो की लदाई और उतराई के लिए जलमार्ग के संरेखण में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना। जहां उपरोक्त विकासात्मक कार्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय आयोजना निधियों के अंतर्गत किया जाता है, वहीं अंतर्देशीय जल परिवहन जलयानों का प्रचालन निजी क्षेत्र करता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (चंपाकारा और उद्योगमंडल कैनालों सहित) की 2005 किलोमीटर की कुल लंबाई में से, 24.00 किलोमीटर (अलपुज्जा और कोल्लम के बीच 19.50 किलोमीटर तथा कोच्चि और कोट्टापुरम के बीच 4.50 किलोमीटर) लंबाई में समग्र रूप से अपेक्षित चौड़ाई और गहराई हासिल करने के लिए ड्रेजिंग कार्य किया जाना बाकी है। अलपुज्जा-कोल्लम खंड में कैपिटल ड्रैजिंग का कार्य संविदा के माध्यम से चल रहा है। अब तक राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में 26.33 वर्ग मीटर ड्रैजिंग का कार्य संविदा के माध्यम से चल रहा है। अब तक राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में 26.33 वर्ग मीटर ड्रैजिंग का कार्य पूरा कर लिए जाने का अनुमान है तथा शेष की जाने वाली ड्रैजिंग की मात्रा 14.00 लाख वर्ग मीटर होने का अनुमान है। यह कार्य जनवरी, 2013 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है। ड्रैजिंग की गई सामग्री के निपटान के लिए कैनाल के किनारों के साथ पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता। ड्रैजिंग कार्यों के विरुद्ध मछुआरों और जलमार्गों के पक्षकारों द्वारा अक्सर की जाने वाली आपत्तियों के कारण ड्रैजिंग कार्यों में काफी विलंब हुआ, जिससे इस समस्या के समाधान के लिए लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध बड़ी संख्या में कानूनी कार्रवाईयों की बाध्यता हुई एवं ड्रैजिंग की गई सामग्री के निपटान और इससे जुड़ी लंबी प्रक्रियाओं के संबंध में स्थानीय पंचायतों के कुछ प्रावधानों/अधिकारों के चलते भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ड्रैजिंग कार्यों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

अब तक, स्थाई तटरक्षण से युक्त 14.67 किलोमीटर लंबा तट तैयार कर लिया गया है। अलपुज्जा और कोल्लम के बीच चौड़े किए जा रहे कैनाल के खंडों में भी तट रक्षण की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की पूरे विस्तार में 24 घंटे नौचालनात्मक सहायक सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के संरेखण में 11 स्थानों पर जल परिवहन टर्मिनलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इनमें से सात का निर्माण कोट्टापुरम, अलुवा, माराडु (कोच्चि), वाईकॉम, चेरतला (तन्नीरमुक्कोम), त्रिकुनापुज्जा और कायमकुलम (अईरम तेंगू) में पहले ही कर लिया गया है। कोल्लम में कंटेनरीकृत कार्गो की संभलाई के लिए उपयुक्त एक टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा होने के नज़दीक है। अलपुज्जा में एक टर्मिनल के निर्माण के लिए धनराशि अनुमोदित कर दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और अंतर राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल, वल्लारपदम के बीच संपर्क

उपलब्ध करवाने के लिए कोचीन पत्तन न्याय क्षेत्र में बोलघाटी द्वीप और विलिंगडन द्वीप में दो और टर्मिनलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इन टर्मिनलों में एल ओ एल ओ (लिफ्ट ऑन-लिफ्ट ऑफ) तथा आर ओ आर ओ (रोल ऑन-रोल ऑफ) सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ख) कैपिटल ड्रैजिंग कार्य अकसर निकर्षित की गई सामग्री को फैंकने के लिए उचित स्थानों की कमी और स्थानीय जनता द्वारा विरोध किए जाने के कारण रुक जाता है। राज्य सरकार को जलमार्ग के संरेखण में निकर्षित की गई सामग्री को डालने के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाने और बाधा डालने वाले मछली पकड़ने के जालों को तेज़ी से हटाने में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की सहायता करनी पड़ती है। राज्य सरकार को राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर कार्य को अबाध गति से चलने में सहायता करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित अभिकरणों द्वारा पानी की पाईपलाईनों, बिजली की तारों, टैलीफोन क तारों आदि जैसी जनसुविधाओं को जलमार्ग के आस पास से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य को प्राथमिकता देनी होती है। जहाँ तक जलमार्गों के उपयोग का संबंध है, अंबालमुगल और उद्योगमंडल में अवस्थित एफ ए सी टी यूनिट, केरल जल प्राधिकरण और त्रावणकोर सिमेंट, मौजूदा तौर पर कार्गो के परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का नियमित उपयोग करने वाले प्रमुख संगठन हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के साथ-साथ अवस्थित विभिन्न उद्योग/राज्य सरकार के लोक उपक्रम जैसे कि इंडियन रेयर अर्थ्स लि., केरला मिनरल्स एंड मैटल्स लि. आदि को अपने कच्चे और तैयार माल को अधिक से अधिक जल परिवहन के माध्यम से लाने का सचेत निर्णय लेना होगा। राज्य सरकार इस मामले में नेतृत्व कर सकती है और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने हेतु उद्योगों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के सभी खंडों का जलमार्गों के मौजूदा वस्तुगत मापदंडों एवं राज्य के वाणिज्यिक परिदृष्य के अनुसार व्यवहारिक सीमा तक उपयोग किया जा रहा है। नौचालन की आधुनिक सहायक सुविधाओं और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षित जलमार्गों के साथ, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 मार्ग के सभी परंपरागत प्रयोक्ताओं, जैसे कि फेरी नौकाएं, पर्यटक नौकाएं, देसी नौकाएं और मत्स्यन नौकाएं, की कार्यकुशलता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में कार्गो के परिवहन की संभावना कहीं अधिक है जिसका लाभ राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकार के कार्गो को जल परिवहन साधन के माध्यम से विशेष रूप से भेजे जाने की नीतिगत पहलकदमी की सहायता से ही उठाया जा सकता है। कैपिटल ड्रैजिंग और चौड़ा करने का शेष कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद जलमार्ग के प्रयोग में बढ़ोत्तरी व्यवहारिक होगी।

खतरनाक स्थिति में कार्य कर रहे बच्चे

5356. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'यूनिसेफ' की उस रिपोर्ट से अवगत है जिसमें कहा गया है कि इस समय भारत में 12 मिलियन से अधिक बच्चे खतरनाक स्थितियों में कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बच्चों को विद्यालय में वापस लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) यूनीसेफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाती है कि भारत में अब तक 12 मिलियन बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हैं। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि "खतरनाक परिस्थितियों" के संबंध में तात्पर्य यूनीसेफ इण्डिया तथा वैश्विक वेबसाइटों से है और वे इसे सुधारने के प्रयास कर रहे हैं।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में नियोजित करना प्रतिषिद्ध है। सरकार लोगों में बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता सृजन का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियाजना स्कीम का क्रियान्वयन कार्य से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास करने के लिए किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहां इन बच्चों को त्वरित समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, वृत्तिका तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि उन्हें नियमित शिक्षण प्रणाली की मुख्यधारा में जोड़ने से पूर्व प्रदान की जाती हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

5357. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समान पारिश्रिमिक अधिनियम, 1976 का उल्लंघन किये जाने के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में (श्री हरीश रावत): (क) सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का अधिनियमन किया है जो पुरुष तथा महिला कामगारों को समान कार्य तथा साम्य प्रकृति के कार्य के लिए बिना भेद-भाव के समान पारिश्रमिक भुगतान करने का प्रावधान करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जानकारी में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को कोई मामला नहीं आया है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से प्रतिष्ठानों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया गया है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय केन्द्रीय क्षेत्र में तथा राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षणों के लिए समुचित प्राधिकारी हैं। केन्द्र सरकार इस अधिनियम का नियमित अनुवीक्षण कर रही है तथा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधियों का प्रभावी उपयोग

5358. श्री संजीव गणेश नाईक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार का लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उपयोग प्रमाण पत्र एवं श्रम बजट का प्रस्तुतीकरण जैसी विहित शर्तों के साथ निधियां जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय निर्गमन को सुगम एवं त्वरित बनाने के साथ ही उसे एमजीएनआरईजीएस के लक्ष्यों का उपयुक्त प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार ने ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव किया है जो वित्तीय प्रस्ताव के ऑनलाइन प्रसतुत किए जाने सहित आवश्यक पूर्व अपेक्षाओं का प्रावधान करती है;

(ग) क्या एमजीएनआरईजीएस श्रम बटज तैयार करने में (बॉटम-अप) अप्रौच पद्धति का प्रावधान है तथा राज्य सरकारों से इन बजटों के संबंधित दिशानिर्देश के प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इन उपायों से एमजीएनआरईजीएस के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की दिशा में सुधार करने हेतु किस सीमा तक मदद मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जारी अन्य प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं तथा राज्य सरकारें किस सीमा तक इसका अनुपालन करती रही हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा के तहत केन्द्रीय निधियों की रिलीज संबंधी प्रस्तावों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने के लिए एक मोड्यूल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में होने वाले विलम्ब को दूर करना और सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल एवं ऑन लाइन बनाना है।

पैरामेडिकल स्टाफ की शिकायतें

5359. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **श्रम रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी अस्पतालों के नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कष्टों को दूर करने एवं उनके जीवनयापन को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य सरकार, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराजा अग्रसेन अस्पताल, पंजाबी बाग की नर्सें 31.12.2009 से 8.1.2010 तक हड़ताल पर थी। माता चानन देवी अस्पताल, जनकपुरी, नई दिल्ली की नर्सें 1.2.2009 से 13.2.2010 तक हड़ताल पर थी। बतरा अस्पताल अनुसंधान केन्द्र की नर्सें 11. 12.2009 से 16.12.2009 तक हड़ताल पर थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य सरकार, दिल्ली के श्रम विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह हड़तालें कर्मचारियों और संबंधित प्रबंधन द्वारा पारस्परिक रूप से समाप्त कर दी गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

सेना में अवैध बिक्री रैकेट

5360. श्री शिवराम गौडा:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेना में हथियार एवं गोलाबारूद तथा शराब सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में संलिप्त अवैध बिक्री रैकेट का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) गैर सेना पद्धति (एन एस पी) के शस्त्रों/गोलाबारूदों की बिक्री तथा सूखे राशन और मदिरा की अधिप्राप्ति में अनियमितताओं से संबंधित कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों की जांच-अदालत द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है तथा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं।

[हिन्दी]

निधियों का रूपांतरण

5361. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जन प्रतिनिधि कोष का रूपांतरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लिए करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हॉकर्स के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

5362. श्री आर.के.सिंह पटेल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में हॉकर्स की कुल संख्या कितनी है तथा उस पद्धति का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा उनकी संख्या का आकलन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हॉकर्स को नि:शुल्क बीमा योजना प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रातव): (क) से (ग) वर्ष 2001 की जनगणणा के अनुसार देश में 42.19 लाख फेरीवाले (हाकर्स) है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार सभी 42.19 लाख फेरीवाले (हाकर्स) तक किया गया है

[अनुवाद]

असम में चाय उद्योग

5363. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय उद्योग असम की बराक घाटी का एक प्रमुख उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बराक घाटी में चाय उद्योग द्वारा लोगों को दिए गए रोजगार के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऊपरी असम में चाय उत्पादक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जबकि बराक घाटी में नहीं हुआ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) असम की बराक घाटी में चाय उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। असम की बराक घाटी में तीन क्षेत्र अर्थात कछार, करीमगंज और हैलाकांडी शामिल हैं। यहां 111 बड़े चाय बागान हैं जिनका कुल

चाय क्षेत्र 32312 हेक्टेयर है। इसके अलावा, 109 लघु चाय उपजकर्ता (चाय बोर्ड के पास पंजीकृत है) जिनके पास 398.44 हेक्टेयर क्षेत्र है। कैलेण्डर वर्ष 2008 और 2009 के दौरान बराक घाटी में चाय का कुल उत्पादन क्रमश: 55.15 मिलियन कि.ग्रा. तथा 54.87 मिलियन कि.ग्रा. का हुआ था।

(ग) चाय बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बराक घाटी के चाय बागानों में 69824 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं। इन कामगारों के वास्तविक आश्रितों की संख्या 79428 है। इस प्रकार चाय बागानों में 1,49,252 लोग रह रहे हैं, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बराक घाटी की कुल जनसंख्या का 4.98% है।

(घ) और (ङ) पिछले दो दशकों के दौरान बड़ी संख्या में लघु उपजकर्ताओं द्वारा मुख्यत: चाय की खेती के कारण ऊपरी असम में चाय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। असम सरकार द्वारा किए गए हाल ही के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 66,000 से अधिक लघु उपजकर्ता हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में हैं जबकि बराक घाटी में लघु उपजकर्ताओं की संख्या बहुत कम है।

(च) असम की बराक घाटी के लघु चाय उपजकर्ताओं के लाभार्थ सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से बागान विकास स्कीम के अंतर्गत नवरोपण कार्यकलाप हेतु सहायत प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

चाय का आयात

5364. डॉ. चरण दास महन्त: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान जनवरी से जुलाई की समयावधि में चाय का आयात घटा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। जनवरी से जुलाई, 2010 के बीच चाय का अनुमानित आयात वर्ष 2009 की समनुरूपी अवधि के दौरान हुए 13.17 मि.कि.ग्रा. के आयात की तुलना में 11.20 मि.कि.ग्रा. रहा था। चाय का आयात मुख्यतया निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा मूल्यवर्धन के पश्चात पुनर्निर्यात हेतु किया जाता है। जनवरी से जुलाई 2010 के दौरान पुनर्निर्यात हेतु ईओयू द्वारा चाय के आयात में कमी मुख्यत: घटे हुए हुए निर्यातों और चाय के आयात की उच्च लागत के कारण आई है।

स्पेक्ट्रम की होर्डिंग

5365. श्रीमती मीना सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक दूरसंचार कंपनियां देश में स्पेक्ट्रम की होर्डिंग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंपनियां सरकार से लाइसेंस प्राप्त करती हैं तथा उन्हें ऊंची दर पर अन्य कंपनियों को बेच देती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वार क्या कदम उठाये गये ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) मोबाईल दूरसंचार कम्पनियों को आरंभिक स्पेक्ट्रम उपलब्धता की शर्त के आधार पर सेवा लाईसेंस करारों के प्रावधानों के अनुसार आबंटित किया जाता है। आरंभिक स्पैक्ट्रम के आबंटन के बाद अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आबंटन उपलब्धता की शर्त के आधार पर ऐसे आबंटन के समय लागू दिशा-निर्देशों/आदेशों/मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ) एकीकृत अभिगम सेवा (य.ए.स.) लाइसेंसधारक कम्पनी की इक्विटी की बिक्री की अनुमति एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.स.) लाइसेंस करार के दिनांक 23 जुलाई 2009 के संशोधन के अनुसार की जाती है। इस करार के उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस धारक कम्पनी की इक्विटी की बिक्री हेतु लाक-इन-अवधि के बारे में यू.ए.एस. लाइसेंस करार में संशोधन

"1.8 एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनी की इक्विटी की बिक्री के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसकी एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की प्रभावी तारीख को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनी में अंशपूंजी 10% या इससे अधिक हो और जिसके निवल मूल्य को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु विचार किया गया हो, की इक्विटी की बिक्री पर एकीकृत अभिगत सेवा लाइसेंस की प्रभावी तारीख से 3 वर्ष पूरा होने या खंड 34 के अंतर्गत सभी रॉल आउट दायित्वों के पूरा करने, इनमें से जो भी पहले ही, तक लॉक इन अवधि की शर्त लागू होगी।

(ii) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनी को निजी प्लेसमेंट/सार्वजनिक निर्गम जारी करके अतिरिक्त इक्विटी अंशपूंजी जारी करने की अनुमति है। तथापि, ऐसा व्यक्ति (जिस पर उपर्युक्त पैरा (i) के अनुसार लॉक-इन-अवधि की शर्त लागू होती है) लॉक-इन-अवधि के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अंशपूंजी को किसी भी रूप में जैसेकि बिक्री, समनुदेशन, आदि द्वारा अंतरित नहीं करेगा अर्थात इक्विटीधारक द्वारा अंशधारित कंपनी में निवेश की गई राशि को लॉक-इन-अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जाएगा।

(iii) लॉक इन अवधि के भीतर कोई नयी इक्विटी जारी करने की स्थिति में लाभांश और/या विशेष लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध होगा।

(iv) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा की गई किसी चूक की स्थिति में ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा इक्विटी की बिक्री के लिए लॉक इन अवधि का उपबंध लागू नहीं होगा।

[अनुवाद]

प्रवासियों को अनुसूचित जाति का दर्जा

5366. श्री विष्णु पद राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से आये प्रवासियों जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वासित/बसे थे, को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ''अनुसूचित जाति' का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा किसी प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में संघों/अम्बेडकर बोधिस्ट एसोसिएशन/बी. बी.ए.ए.एन.आई. द्वारा कोई मांग की नई है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सकरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) किसी जाति के अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन पर विचार के लिए पालन किया जाने वाला मानदण्ड, अस्पृश्यता की पारम्परिक कुप्रथा से उत्पन्न अत्यन्त सामाजिक, शैक्षिक एंव आर्थिक पिछड़ापन है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन से सूचित किया है कि इस द्वीप समूह में अस्पृश्यता की कुप्रथा का चलन नहीं है और कोई भी समुदाय किसी जातिगत भेद भाव से ग्रस्त नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) जी, हां। प्रवासियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग की जांच, गृह मंत्रालय के पत्र सं. बीसी-16014/1/82-एससी एंड बीसीडी-1 दिनांक 6.8.1984 में समाहित वर्तमान अनुदेशों के आलोक में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा की गई थी और तदनुसार प्रवासी समुदायों के ऐसे लोगों पर अनुसूचित जाति स्तर के लिए प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

5367. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिलाओं के मूविंग मशीनरी पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाने तथा खतरनाक कार्यों में महिलाओं को लगाने पर प्रतिषेध संबंधी कार्यबल की सिफारिशों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त की थी; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ) महिला और बाल विकास संबंधी कृतक बल के उप-समूह-1 की सिफारिशों को विचारार्थ रखा गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। राज्य सरकार से अपेक्षित विचार-विमर्श किया जा चुका है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

5368. श्री गणेश सिंह:
श्री शत्रुघ्न सिन्हा:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री पकौड़ी लाल:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित श्रम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पूरे देश में कृषि मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा करने हेतु व्यापक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस विधान के अधिनियम हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी निधियां प्रदान की गई;

(च) क्या सरकार ने निर्माण, वन एवं असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को ई.पी.एफ. एवं ईएस.आई.सी. की ग्रेच्युटी एवं पेंशन सुविधाओं की सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन लाने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सरकार ने कृषि श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित श्रम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड 18.8.2009 को गठित किया गया था। यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अर्थात् जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए यथा निर्धारित अन्य लाभ की सिफारिश करता है। बोर्ड की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं और इसने असंगठित कामगारों की कुछ श्रेणियों के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं।

(ङ) सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। असंगठित श्रम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के अंतर्गत कुछ योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) फिलहाल असंगठित कामगारों पर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपदान एवं पेंशन सुविधाओं वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिक लाभ के पात्र हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन योजना नामक राष्ट्रीय पेंशन योजना भी शुरू की है।

विवरण

क्र.सं.	योजना	आबंटन			व्यय (करोड़ रुपए में)		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(i) 65 वर्ष की आयु पर बी.पी.एल. परिवार को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना (ii) निस्साह कमाऊ सदस्य को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना सहायता	2489.61	2889.73	4500*	1968.27*	312193*	40.55.82*

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना	135.51	250.00	1281.47	258.32	880.17	1241.3
3.	हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन एवं अपंगता कवर प्रदान करने के लिए हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	40	115.60	124.00	40	115.58	123.92
4.	कारीगरों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन एवं अपंगता कवर प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना	5.60	80.08	83.91	501	76.08	83.91
5.	मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना एवं आवास सहायता, बीमा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण एवं विस्तार	23.81**	21.38**	25.00**	7.51	6.38	13.17
6.	बी.पी.एल. एवं बी.पी.एल. से थोड़ा ऊपर के व्यक्तियों को जीवन एवं दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए जनश्री बीमा योजना	500**			132.79	2.04.50	237.13
7.	भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को जीवन एवं दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना	–	1000***	500** (छात्रवृति सहित)		44.81	4359 (छात्रवृति सहित)
8.	असंगठित क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आयी।	–	–	250	–	–	101.65

*इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के पांच घटक अर्थात इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी अपंगता पेंशन योजना एवं अन्नपूर्णा शामिल हैं।

**यह सभी घटकों अर्थात् मॉडल मछुआरा गांव, सामूहिक दुर्घटना बीमा, बचत-सह-राहत एवं प्रशिक्षण-सह-विस्तार के लिए मिलाजुला आबंटन है।

***यह कायिक निधि है।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पाद

5369. श्री एंटो एंटोनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध एवं पनीर को यूरोपीय संघ के साथ वार्ता के अंतर्गत मुक्त व्यापार समझौता में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय देश सरकार पर डेयरी उत्पादों के भारतीय बाजार को खोले जाने हेतु दबाव डाल रहे हैं; और

(घ) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) यूरोपीय संघ के साथ की जा रही वार्ताओं सहित वार्ताधीन सभी मुक्त व्यापार करारों में सभी टैरिफ लाइनें वार्ताओं के दायरे में आती हैं। दोनों पक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु एक-दूसरे के बाजारों को खोलने के विषय में वार्ताएं कर रहे हैं। चूंकि वार्ताएं अभी चल रही है अत: अंतिम वैचारिक स्थिति अभी नहीं बनी है।

ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात

5370. श्री एम.आई. शानवास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्पदा प्रक्रिया एवं आर्गेनिक कृषि के विदेशी व्यापार के संबंध में मंत्रालय की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सहयोग योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार आर्गेनिक बायो डायनमिक उत्पादों के निर्यात हेतु उपलब्ध करा रही है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिक प्रमाणन रखने वाली भारत की निर्यातोन्मुखी संस्थाओं एवं एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आर्गेनिक उत्पादों की निर्यात की मात्रा एवं मूल्य का तथा इन निर्यातों में केरल के योगदान का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) दिनांक 8 मई, 2000 को शुरू किया गया था और इसका कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एनपीओपी का उद्देश्य जैविक उत्पादों के विकास एवं प्रमाणन हेतु नीतियों का निर्धारण करना, जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना, प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन करना तथा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों को प्रमाणित करना और जैविक खेती एवं प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की दिनांक 21 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 72 (ब.अ. 2003)/2002-2007 के अनुसार:

"किसी कृषि उत्पाद को "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात करने की अनुमति उसी स्थिति में दी जाएगी, यदि उसका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकिंग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैविक उत्पाद संचालन समिति एनएससीओपी) द्वारा किसी विधिवत प्रत्यायित प्रमाणन एजेंसी द्वारा जारी वैध जैविक प्रमाणपत्र के अंतर्गत की गई हो।" यह समिति निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों के प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करेगी।

(ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ पंजीकृत जैविक उत्पादों के निर्यातक एपीडा की वित्तीय सहायता स्कीमों अर्थात (i) बाजार विकास स्कीम, (ii) अवसंरचना विकास स्कीम (iii) गुणवत्ता विकास स्कीम (iv) अनुसंधान एवं विकास स्कीम, (v) परिवहन सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन स्कीमों के अलावा सरकार जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए बाजार पहुंच पहल स्कीम (एमएआई), बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत एसोचैम, सीआईआई आदि जैसे विभिन्न व्यापार संगठनों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों द्वारा जैविक उत्पादों वे 194 निर्यातकों को प्रमाणित किया गया है। भारत की जैविक प्रणाली को ईयू, स्विट्जरलैंड तथा अमरीका जैसे प्रमुख बाजारों में मान्यता प्राप्त है।

(घ) वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 के दौरान जैविक उत्पादों का निर्यात तथा केरल का योगदान निम्नानुसार है:

निर्यात का वर्ष	मात्रा मी. टन	मूल्य मिलियन अम.डॉ.में	केरल का योगदान (मात्रा मी. टन में)	केरल का योगदान (मूल्य मिलि. अम. डॉ. में)
2007-08	37533	100.4	711.437	4.47
2008-09	44476	116	1186.95	6.96
2009-10	58408	112	786.72	4.00

(स्रोत: एपीडा)

[हिन्दी]

खरपतवार नाशक प्रतिरोधी फसलें

5371. श्री महाबल मिश्रा:
श्री समीर भुजबल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खरपतवार नाशक प्रतिरोधी फसलों जिनका परीक्षण देश में किया जा रहा है, के रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एक ओर एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. को प्रोत्साहन देने का प्रयास करने तथा दूसरी ओर श्रमिक प्रतिस्थापक प्रौद्योगिकी जैसे खरपतवार नाशक प्रतिरोधी फसलों के प्रोत्साहन को अनुमति प्रदान करने से परस्पर विरोध की स्थिति नही बन रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर-रायासनिक कृषि के माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आजीविका में सुधार करने हेतु स्वसहायता समूहों के माध्यम से सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में सामुदायिक प्रबंधीय सतत कृषि नामक विश्व की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी कृषि परियोजना का समर्थन किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार का इरादा इस अनुभव का देश के अन्य भागों में किस प्रकार उपयोग करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में आजमाई जा रही खर-पतवार नाशक प्रतिरोधी फसल का रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की मांग किए जाने पर प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम-से-कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार देने की कानूनी गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम में हल संरक्षण तथा जल संग्रहण, सूखा रोधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये सभी क्रियाकलाप कृषि में सहायक हैं।

(ङ) से (छ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मूलन समिति ने गरीबी का उन्मूलन करने तथा ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में वर्ष 2004 में समुदाय प्रबंधित सतत कृषि (सीएमएसए) शुरू की थी। सीएमएसए खेती की लागत को कम करने तथा कुल आय में वृद्धि करने के लिए सतत कृषि कार्यों को अपनाने में गरीब किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस पहल का उद्देश्य रासायनिक सामग्रियों का अत्यधिक उपयोग, उच्च कृषि लागत, स्थानीय जानकारियों का प्रचार-प्रसार तथा एक फसली कृषि, अपूर्ण विपणन इत्यादि जैसे कृषि संबंधी अस्थायी कार्यों जैसे कृषि में कठिनाई के प्रमुख कारणों को दूर करना है। सीएमएसए का विस्तार करते हुए इस वर्ष 2004-05 में 250 किसान, 400 एकड़ से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 10.7 लाख किसान, 28 लाख एकड़ कर दिया गया है जिसमें छोटे तथा सीमांत किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर और महिला स्व-सहायता समूह शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लघु कृषि को व्यवहार्य बनाना है।

दावा नहीं की गयी ई.पी.एफ. धनराशि

5372. श्री धनंजय सिंह:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री ए.सम्पत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत पूर्ण पते या उनके दावे के लिए आवेदन न करने के कारण साझादारियों की कुल कितनी राशि बिना भुगतान के पड़ी हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ई.पी.एफ. में जमा धनराशि श्रमिकों को नौकरी छोड़ने के समय ही कार्यस्थल पर भुगतान करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्त वर्ष 2008-09 के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 'निष्क्रिय खातों' के अंतर्गत 5,892.53 करोड़ रुपए की राशि अदत्त थी। वर्ष 2009-10 के खाते प्रक्रियाधीन हैं।

(ख से (घ) फिलहार केन्द्र सरकार ऐसी कोई योजना तैयार नही कर रही है।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी कानून

5373. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शिक्षित युवकों हेतु राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

अधिनियम की तर्ज पर शिक्षित युवाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने का कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत में चीन की कंपनियां

5374. श्री कीर्ति आजाद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों विशेषकर चीन की कंपनियों से आयात के कारण घरेलू उद्योग बंद हो रहे हैं साथ ही उत्पादन गिर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू उद्योग के पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संबंध में मापी गई औद्योगिक क्षेत्र विकास दर अप्रैल-अक्तूबर, 2010-11 के दौरान 10.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी, वर्ष 2009-10 की इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी।

(ख) सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं-ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार, एक सामर्थ्यकारी आर्थिक वातावरण का निर्माण, उपयुक्त वित्तीय और राजकोषीय नीतियां और कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संबंधी पहलें, ताकि देश में औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान की जा सके। औद्योगिक विकास को सुकर बनाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी विभिन्न स्कीम जैसे कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियां (टीयूएफएस); एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी); कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी); राष्ट्रीय ऑटोमैंटिक परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी); बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं उसे सुदृढ़ बनाना; एकीकृत अवसंरचनात्मक उन्नयन योजना (आईआईयूएस); जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स की स्थापना; जैव-प्रौद्योगिकी पार्क और लघु कारोबार नवप्रयोग अनुसंधान पहलें (एसबीआईआरओ); पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास और विशेष श्रेणी राज्यों हेतु विशेष पैकेज; एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम आदि चिन्हित की गई हैं।

कमला स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रसार समिति

5375. श्री अशोक अर्गल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमला स्वास्थ्य एवम् शिक्षा प्रसार समित, मुरैना (मध्य प्रदेश) का अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) चलाने के लिए अनुदान से संबंधित प्रस्ताव जिसे 2007-08 में स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था उसे मंत्रालय द्वारा अब तक अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) इस संगठन का प्रस्ताव जांच समिति द्वारा कतिपय रियायतों के अध्यधीन अनुशंसित किया गया था। तथापि, प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

भविष्य निधि विनियमन में विसंगति

5376. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि काजू पौधरोपण तथा कॅयर उद्योग में लगे हजारों कामगारों की सेवा मे व्यवधान और आयु में असंगति के आधार पर भविष्य निधि/पेंशन दिए जाने से मना कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/भविष्य निधि प्राधिकारियों के भविष्य निधि/पेंशन प्राप्त करने के लिए सेवा के व्यवधान अवधि की गणना करने के लिए नए विनियमन जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि गरीब कामगारों को बकाए के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किए बगैर भविष्य निधि/पेंशन का लाभ मिल सके?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971/कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में उल्लिखित उपबंधों के

अनुसार भविष्य निधि/पेंशन की पात्रता निर्धारित की जाती है। यदि पात्र हैं, तो कामगारों को सेवा-रोध तथा आयु की विसंगति के आधार पर भविष्य निधि/पेंशन से वंचित नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के उपबंधों के अनुसार मासिक सदस्यता पेंशन, न्यूनतम पात्रता सेवा प्रदान करने के लिए अर्थात् पूर्व कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पिछली सेवा के अंतर्गत की गई वास्तविक सेवा जोड़कर 10 वर्षों तक होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य 10 वर्षों की न्यूनतम पात्रता सेवा, सेवा में रोध के कारण पूरी नहीं करता है तो 15.11.1995 से पूर्व की सेवा में रोध यदि हो तो, उसे भी नियमित किया जा सकता है, बशर्ते कर्मचारी पेंशन निधि में उसके अंशदान प्राप्त हुए हों। सेवा में रोध के कारण सदस्यता समापत नहीं हो सकती और सदस्य इस योजना के अंतर्गत अनुमेय लाभों को प्राप्त करने का हकदार बना रहता है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अधीन बायो-डीजल उत्पाद

5377. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अधीन बायो-डीजल उत्पादों की संस्वीकृति के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के संबंध में कोई संस्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह क्रियाकलाप महात्मा गांधी नरेगा अनुसूची-I के पैरा-I में यथा निर्धारित अनुमेय कार्यों की सूची के अंतर्गत कवर नही किया गया है।

निधियों में असमानता

5378. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.पी.एल. कार्डों की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन देश के सभी जिलों द्वारा प्राप्त निधियों में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह विषय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित विधान है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य/जिलों को निधियां स्वीकृत श्रम बजट तथा पिछले वर्ष में जिलों/राज्यों द्वारा कार्यक्रम के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के आधार पर रिलीज़ की जाती हैं। इसलिए, मंत्रालय द्वारा राज्य/जिलों को रिलीज की गई निधियों मे कोई असमानता नहीं है।

[अनुवाद]

आई.एल.ओ. के अधीन वैश्विक रोजगार समझौते

5379. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में जेनेवा में 3 जून से 19 जून, 2009 तक हुए 98वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत, वैश्विक रोजगार समझौते संबंधी दस्तावेज के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदया, भारत सरकार ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार समझौते संबंधी सिफारिशों के अनुसरण में पहले ही कई कदम उठाए हैं जैसे कि 07.12.2008 को पहला, 02.01.2009 को दूसरा तथा 24.02.2009 को तीसरा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए हैं।

भारत सरकार ने असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई प्रयास किए हैं। विभिन्न योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना आदि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपलब्ध कराई गई हैं। संगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना तथा अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत सरकार ने रोजगार सृजन में सहायता के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति भी तैयार की है।

ई.पी.एफ.निपटान के लंबित मामले

5380. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि के निपटान के लिए लंबित मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन दावों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और सितम्बर, 2010 कर्मचारी भविष्य निधि निपटान के लिए लंबित राज्य-वार मामलों की संख्या संलग्न विवरण I, II, III और IV में दी गई है।,

(ख) दावों के लंबित रहने का कारण पिछले वर्ष से दावों का भारी संख्या में प्राप्त होना है। तथापि, पिछले वर्ष से दावों के निपटान में भी वृद्धि हुई है लेकिन भारी संख्या में मामले प्राप्त होने के कारण वर्ष के अंत में लंबित मामलों में तद्नुरूप वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लंबिल दावों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) वर्तमान कार्यालयों का उन्नयन और नए कार्यालय खोला जाना

(ii) निपटान प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

(iii) स्टाफ की भर्ती।

(ङ) दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। किसी माह विशेष में लंबित रहने वाले दावों को दावों के निपटान के परवर्ती दौर में निपटाया जाता है।

विवरण I

ई.पी.एफ.दावे (अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2007-08)

क्षेत्र	वर्ष का आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का कार्य भार	लौटाए गए दावे	अस्वीकृत दावे	निपटाए गए कुल दावे	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	7095	249961	257056	40231	2570	196520	17735
हरियाणा	3409	237513	240922	39194	4105	178052	19571
हिमाचल प्रदेश	419	27120	27539	6215	1810	19337	177
पंजाब	3304	165120	168424	26058	2992	136572	2802

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	449	175829	176278	27659	4693	143093	833
उत्तराखण्ड	1825	19305	21130	3204	992	16230	704
उत्तरी क्षेत्र	16501	874848	891349	142561	17162	689804	41822
बिहार	1441	15681	17122	3317	346	11888	1571
पश्चिम बंगाल	2456	180356	182812	36627	1744	128747	15694
झारखंड	733	26627	27360	3990	177	22517	676
उड़ीसा	104	55446	55550	10462	443	42153	2492
पूर्वोत्तर क्षेत्र	558	26343	26901	6769	1464	17896	772
पश्चिमी क्षेत्र	5292	304453	309745	61165	4174	223201	21205
कर्नाटक	12320	674965	687285	76576	5765	585719	19225
आंध्र प्रदेश	2173	267534	269707	41356	4415	209868	14068
केरल	171	196165	196336	23209	3046	169171	910
तमिलनाडु	15096	560977	576073	103150	4967	449311	18645
दक्षिण क्षेत्र	29760	1699641	1729401	244291	18193	1414069	52848
छत्तीसगढ़	61	19064	19125	2714	474	15875	62
गोवा	6	20049	20055	1909	385	17555	206
गुजरात	16954	226624	243578	25822	1101	211365	5290
महाराष्ट्र	8664	659999	668663	112665	4243	520495	31260
मध्य प्रदेश	971	106625	107596	15049	3672	88535	340
राजस्थान	0	98038	98038	13388	2345	82305	0
पश्चिम क्षेत्र	26656	1130399	1157055	171547	12220	936130	37158
कुल	78209	4009341	4087550	619564	51749	3263204	153033

विवरण II

ई.पी.एफ.दावे (अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2008-09)

क्षेत्र	वर्ष का आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का कार्य भार	लौटाए गए दावे	अस्वीकृत दावे	निपटाए गए कुल दावे	
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	17735	305317	323052	54834	1997	234142	32079
हरियाणा	19571	288965	308536	35902	5207	242841	24586

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	177	35859	36036	6567	1429	25517	2523
पंजाब	2802	192040	194842	29358	4229	155954	5301
उत्तर प्रदेश	833	202922	203755	33073	4157	164682	1843
उत्तराखंड	704	31342	32046	5545	852	24128	1521
उत्तरी क्षेत्र	41822	1056445	1098267	165279	17871	847264	67853
बिहार	1571	17265	18836	3899	176	14566	195
पश्चिम बंगाल	15094	178972	194666	42378	1091	140667	10530
झारखण्ड	676	38117	38793	7403	232	30094	1064
उड़ीसा	2492	55224	57716	10203	706	45610	1197
पूर्वोत्तर क्षेत्र	772	25805	26577	5703	489	19579	806
पूर्वी क्षेत्र	21205	315383	336588	69586	2694	250516	13792
कर्नाटक	19225	611178	630403	93077	4466	475357	57503
आंध्र प्रदेश	14068	323678	337746	53809	5060	268405	10472
केरल	910	152243	153153	20887	2589	128912	765
तमिलनाडु	18645	792735	811380	106809	4269	669053	31249
दक्षिणी क्षेत्र	52848	1879834	1932682	274582	16384	1541727	99989
छत्तीसगढ़	62	23477	23539	3286	297	19953	3
गोवा	206	25170	25376	1547	865	22427	537
गुजरात	5290	303277	308567	32408	3010	267670	5479
महाराष्ट्र	31260	832318	863578	128980	6554	664374	63670
मध्य प्रदेश	340	114520	114860	17524	3306	93877	153
राजस्थान	0	108906	108906	17806	4147	86953	0
पश्चिमी क्षेत्र	37158	1407668	1444826	201551	18179	1155254	69842
कुल	153033	4659330	4812363	710998	55128	3794761	251476

विवरण III

ई.पी.एफ.दावे (अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2009-10)

क्षेत्र	वर्ष का आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का कार्य भार	लौटाए गए दावे	अस्वीकृत दावे	निपटाए गए कुल दावे	
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	32079	394900	426979	58151	18023	321068	29737

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	24586	327144	351730	30243	15496	257870	48121
हिमाचल प्रदेश	2523	31017	33540	6855	222	26463	0
पंजाब	5301	183989	189290	26199	3759	156874	2458
उत्तर प्रदेश	1843	208598	210441	34617	4284	170339	1201
उत्तराखंड	1521	40118	41639	5394	1784	30358	4103
उत्तरी क्षेत्र	67853	1185766	1253619	161459	43568	962972	85620
बिहार	1951	15477	15672	2839	223	12565	45
पश्चिम बंगाल	10530	223862	234392	37018	1399	188614	7361
झारखंड	1064	37753	38817	6615	220	30637	1345
उड़ीसा	1197	55707	56904	8810	1000	44949	2145
पूर्वोत्तरी क्षेत्र	806	25017	25823	6540	301	18887	95
पूर्वी क्षेत्र	13792	357816	371608	61822	3143	295652	10991
कर्नाटक	57503	598228	655731	108038	13438	515635	18620
आंध्र प्रदेश	10472	358489	368961	49788	3620	295147	20406
केरल	765	138037	138802	19057	3020	115138	1587
तमिलनाडु	31249	656472	687721	90690	8909	544898	43224
दक्षिणी क्षेत्र	99989	1751226	1851215	267573	28987	1470818	43837
छत्तीसगढ़	3	25624	25627	3880	512	21210	25
गोवा	537	25886	26423	3088	312	22843	180
गुजरात	5479	295303	300782	39385	5733	236606	19058
महाराष्ट्र	63670	927356	991026	141176	14673	758525	76652
मध्य प्रदेश	153	108709	108862	14030	5826	87768	1238
राजस्थान	0	118524	118524	18092	4581	90900	4951
दक्षिणी क्षेत्र	69842	1501402	1571244	219651	31637	1217852	102104
कुल	251476	4796210	5047686	710505	107335	3947294	282552

विवरण IV

ई.पी.एफ.दावे (अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (अप्रैल से सितम्बर) (2010)

क्षेत्र	वर्ष का आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का कार्य भार	लौटाए गए दावे	अस्वीकृत दावे	निपटाए गए कुल दावे
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	29737	176949	206686	19216	17538	125610

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	48121	15476	202397	8402	17331	124404	52260
हिमाचल प्रदेश	0	19140	19140	0	3778	13324	2038
उत्तर प्रदेश	2458	97798	100256	4209	12477	74541	9029
उत्तर प्रदेश	1201	107941	109142	14909	3997	86645	3591
उत्तराखण्ड	4103	29953	34056	2786	10272	16601	4397
उत्तरी क्षेत्र	85620	586057	671677	49522	65393	441125	115637
बिहार	45	7397	7442	1339	100	5360	643
पश्चिम बंगाल	7361	114812	122173	11761	3146	82711	24555
झारखण्ड	1345	19307	20652	4183	344	15704	421
उड़ीसा	2145	26687	28832	1063	3997	18986	4786
पूर्वोत्तर क्षेत्र	95	13444	13539	3074	184	9875	406
पूर्वी क्षेत्र	10991	181647	192638	21420	7771	132636	30811
कर्नाटक	18620	327914	346534	44996	4118	222407	75013
आंध्र प्रदेश	20406	202436	222842	14908	17528	158491	31915
केरल	1587	70257	71844	8803	2894	55956	4191
तमिलनाडु	43224	337140	38064	23354	25939	266595	64476
दक्षिणी क्षेत्र	83837	937747	1021584	92061	50479	703449	175595
छत्तीसगढ़	25	13486	13511	2167	670	10595	79
गोवा	180	16199	16379	2341	209	11996	1833
गुजरात	19058	112079	131137	9428	10351	910101	20348
महाराष्ट्र	76652	435731	512383	52358	18109	345087	96829
मध्य प्रदेश	1238	56225	57463	4662	6691	39801	6309
राजस्थान	4951	51793	56744	9460	2327	42659	2298
पश्चिमी क्षेत्र	102104	685513	787617	80416	38357	541148	127696
कुल	282552	2390964	2673516	243419	162000	1818358	449739

[हिन्दी]

अजा/अजजा के लिए छात्रवृत्ति

5381. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति के वितरण में विलम्ब के संबध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त विद्यालयों/संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा सत्र की शुरूआत के कितने समय बाद आबंटन किया गया; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) सरकार पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। इस संबंध में जैसे ही और जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सलाह दी गई है:-,

(i) लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के नियमित और समय पर भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि डाकघरों तथा बैंकों में उनके व्यक्तिगत खातों के जरिए भुगतान की जाए;

(iii) छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित करना।

इस मामले की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर आयोजित बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

खनिजों का आयात

5382. श्री उदयनराजे भोंसले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे अथवा प्रसंस्कृत प्रमुख खनिजों की आयात की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे खनिजों का आयात किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे अथवा परिष्कृत खनिजों के आयात की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:-

अवधि	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2007-08	1076232.15	1277.37
2008-09	1178099.71	1946.70
2009-10	1490693.21	1892.70

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार आंकड़े क्रमश: मार्च, 2008, मार्च 2009 और मार्च, 2010 के डीजीसीआई एंड एस के सीडी के रूप में प्रकाशन अर्थात् "भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी" में उपलब्ध हैं जिन्हें डीजीसीआई एंड एस द्वारा नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजा जाता है।

[हिन्दी]

पुनर्स्थापन और पुनर्वास विधेयक

5383. श्री दत्ता मेघे:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूमि-अर्जन के मामलों में किसानों को लाभ देने के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास विधेयक में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2010 को संसद में पुर: स्थापित किए जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विधेयक के ब्यौरे की जानकारी तभी होगी जब इसे संसद में पुर: स्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

कामगारों के लिए कार्य घंटे

5384. श्री पी.के. बिजू: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कार्यालयों, रेलवे तथा असंगठित औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों तथा कर्मचारियों के लिए कितने कार्य-घंटे निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली सहित देश में श्रम कानूनों के व्यापक उल्लंघन का पता लगाने के लिए कभी भी किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में (श्री हरीश रावत): (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 51 के अनुसार किसी भी वयस्क कामगार से किसी कारखाने में किसी सप्ताह के 48 घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा अथवा अनुमति नहीं होगी और धारा 54 में यह प्रावधान है कि किसी भी वयस्क कामगार से किसी कारखाने में किसी कार्य दिवस को 9 घंटे से अधिक कर्य करना अपेक्षत/अनुमेय नहीं होगा।

खान अधिनियम, 1952 की धारा 30(1) के अनुसार किसी खान में भूमि से ऊपर कार्यरत और धारा 31(1) के अनुसार भूमि के नीचे कार्यरत किसी वयस्क कामगार से किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक अथवा किसी कार्य दिवस में आठ घंटे से अधिक कार्य करना अपेक्षित/अनुमेय नहीं होगा।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 नवंबर 1986 के परिपत्र के अनुसार भारत सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य घंटें 40 घंटे प्रति सप्ताह हैं।

रेलवे अधिनियम, 1989 तथा रेलवे कर्मी (कार्य के घंटे तथा विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के अनुसार रेलवे कार्मिकों को 'सतत', 'सघन' तथा 'अनिवार्य अंतर्विरामी' के रूप वर्गीकृत किया गया है और उनके अधिकतम सांविधिक कार्य घंटे क्रमशः 5945 और 75 घंटे प्रति सप्ताह माने गए हैं, सिर्फ आपातकालीन स्थितियों जैसे दुर्घटनाओं आदि को छोड़कर। रेलवे के प्रशासनिक कार्यालयों तथा रेलवे कार्यशालाओं के कर्मचारी क्रमशः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा कारखाना अधिनियम, 1948 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार जारी किए गए अनुदेशों द्वारा प्रशासित होते हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं, उल्लंघन, यदि हों, तो उनसे निपटने के लिए संबंधित श्रम कानूनों में पहले से ही समुचित उपबंध विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

विदेशियों को रोजगार

5385. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशियों के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो शिक्षित परंतु बेरोजगार भारतीयों की उपेक्षा कर विदेशियों को इस संबंध में तरजीह देने के क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशियों को रोजगार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार वीजा केवल अत्यंत कुशल तथा/अथवा अर्हता प्राप्त कार्मिक के लिए ही प्रदान किया जाए, रोजगार वीजा संबंधी दिशा-निर्देशों की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार वीजा हेतु प्रायोजित किए जा रहे विदेशी नागरिक को 25,000 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष से अधिक वेतन मिलना चाहिए। तथापि, आय पर वार्षिक न्यूनतम सीमा की यह शर्त (क) प्रजातीय रसोइयों, (ख) भाषा अध्यापकों (अंग्रेजी भाषा अध्यापकों के अलावा)/अनुवादकों तथा (ग) भारत में संबंधित दूतावास/उच्चायोग हेतु कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। विद्युत और इस्पात क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन हेतु भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार वीजा अध्याय के भीतर परियोजना ('पी') वीजा के रूप में नामित एक पृथक वीजा पद्धति आरम्भ की गई है।

मिनी आई.टी.आई. की स्थापना

5386. श्री सज्जन वर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुत खण्डों में मिनी आईटीआई की स्थापना द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मिनी आईटीआई स्थापित किए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय में मिनी आईटीआई की कोई अवधारणा नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने सेवारहित खण्डों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आईज) तथा 5000 कौशल विकास केन्द्रों (एस डी सीज) की स्थापना के लिए "कौशल विकास योजना " नामक एक योजना तैयार की है। यह परियोजना सरकार के विचाराधीन है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है।

लक्जरी कारों का आयात

5387. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लक्जरी कारों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या लाइसेंसधारकों ने देश में फर्जी होटलों के नाम से लक्जरी कारों का आयात किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लाइसेंसधारकों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। लाइसेंस जारी करने की तारीख में 8 वर्षों की अवधि के भीतर शुल्क से बचाई गई राशि के आठ गुना के समतुल्य निर्यात दायित्व की पूर्ति के अध्यधीन, विदेशी पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु 3% रियायती सीमाशुल्क पर होटलों ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों अथवा टूर परिवहन ऑपरेटरों तथा गोल्फ रिजॉर्टों पर मालिकाना अधिकार रखने वाली/उनको चलाने वाली कंपनियों को मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/ऑल पर्पस वाहनों के आयात हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (इंपीसीजी) स्कीम के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) की जांच के अनुसार (i) मै. हिस्ट्री लॉजिस्टिक्स, (ii) मै. नॉर्थवेस्ट मारवार रिजॉर्ट्स एंड हेल्थ स्पा प्रा. लि.; तथा (iii) मै. राज महल भिंडर नामक फर्मों ने फर्जी होटलों तथा आयातित लग्जरी कारों के नाम पर लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इन फर्मों के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के संगत उपबधों के तहत कार्यवाही की गई है और उन्हें अपवंचित सत्ता की सूची में रखा गया है। तथापि, इन फर्मों ने न्यायालय में याचिका दायर की है और इस समय यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी संगठन

5388. डॉ. भोला सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार से संचालित कई आतंकवादी संगठन देश में आतंकवाद फैलाने के लिए हवाला के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में निधियां भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सीमा पार से कार्य कर रहे आंतकवादी संगठनों द्वारा जम्मू-कश्मीर में धन भेजने की रिपोर्टें हैं। धन उपलब्ध कराए जाने के ऐसे स्रोतों की जांच करने की जिम्मेवारी का कार्य राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर के एम बहु-विषयक दल को सौंपा गया है। इस संबंध में प्राप्त किसी संदिग्ध धन और/अथवा किसी सत्ता के द्वारा कर चोरी करने से संबंधित किसी कार्यवाही योग्य सूचना/आसूचना प्राप्त होने पर कानूनी प्रावधान लागू किए जाते हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

5389. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए प्रति इकाई सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एकक को दिए जाने वाले प्रस्तावित पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार से अवगत है जिसकी वजह से गरीबों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेश क्या है;

(ङ) क्या पूर्ण यूनिट सहायता गरीबों तक नहीं पहुंच रही है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए इकाई सहायता को 1.4.2010 से मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 35,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 38,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये कर दिया गया है।

(ग) से (छ) इंदिरा आवास योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत व्यापक भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, पिछले कुछ समय में योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों को जांच तथा उपचारी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। कुछ मामलों में जांच के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता नियुक्त किए जाते हैं तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं के जांच नतीजों को आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

बीआरजीएफ का राजीव गांधी मिशन के रूप में पुनर्गठन

5390. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण व पिछड़ा क्षेत्र विकास मिशन के रूप में पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप विकास के पैटर्न में क्या सुधार संभावित है;

(ग) क्या उक्त निधियों के माध्यम से विकास कार्यों के लिए जारी निधियों का पूर्णत: उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विकासात्मक कार्यों के लिए जारी निधियों का पूर्णत: उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) कार्यक्रम की पुनर्संरचना करने एवं पंचायती राज मंत्रालय की वर्तमान स्कीमों में से कुछ का विलय एक स्कीम में करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित स्कीम का लक्ष्य पंचायती राज सस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उनकी श्रम शक्ति बढ़ाना कार्यालय के लिए स्थान एवं अन्य अवसंरचना में वृद्धि करना है।

(ग) और (घ) बी आर जी एफ के विकास अनुदान घटक के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं सूचित उपयोग के राज्य-वार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय कार्यान्वयन संबंधी मामलों का निपटारा करने, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के उपयोग को तथा कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए बी आर जी एफ राज्यों तथा कुछ मामले में जिलों से भी समय-समय पर समीक्षा बैठके एवं वीडियो कांफ्रेंस आयोजित करता है।

विवरण I

बी आर जी एफ के विकास अनुदान घटक के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति एवं उपयोग (दिनांक 30.11.2010 की स्थिति)

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल योग	
		निर्मुक्ति	उपयोग/सूचित व्यय	निर्मुक्ति	उपयोग/सूचित व्यय	निर्मुक्ति	उपयोग/सूचित व्यय*	निर्मुक्ति	उपयोग/सूचित व्यय	निर्मुक्ति	उपयोग/सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	301.88	30188	250.38	250.38	335.28	335.28	335.34	150.08	1222.88	1037.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	11.07	11.07	11.77	8.77	2.70	0.00	28.54	19.84
3.	असम	59.98	52.53	53.23	16.60	56.03	0.42	42.66	0.00	211.90	69.55
4.	बिहार	538.18	538.18	421.52	421.52	493.21	348.39	397.95	0.00	1850.86	1308.09
5.	छत्तीसगढ़	224.92	224.92	192.42	192.42	207.60	128.41	13840	0.00	763.34	454.75
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	91.17	54.75	63.64	0.00	763.34	545.75
7.	हरियाणा	25.60	25.60	22.45	22.45	19.35	16.19	22.43	0.00	89.83	64.24
8.	हिमाचल प्रदेश	25.65	25.65	21.52	21.52	25.65	20.05	21.35	6.85	94.17	74.07
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	40.77	36.40	0.00	0.00	36.89	0.00	77.66	36.40
10.	झारखंड	0.00	0.00	290.25	287.59	209.18	70.65	122.56	0.00	621.99	358.24
11.	कर्नाटक	84.47	84.47	0.00	0.00	94.88	47.97	69.51	0.00	248.88	132.44
12.	केरल	21.18	17.76	0.00	0.00	22.21	11.66	15.12	0.00	58.51	29.42
13.	मध्य प्रदेश	378.42	378.39	300.44	300.44	309.99	225.89	281.27	0.00	1270.12	904.72
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	228.19	165.28	165.25	0.00	393.44	165.28
15.	मणिपुर	34.66	34.66	10.02	10.02	27.71	19.33	26.80	0.00	99.19	64.01
16.	मेघालय	0.00	0.00	33.61	29.36	21.14	10.97	18.77	0.00	73.52	40.33
17.	मिजोरम	18.97	18.97	0.00	0.00	19.28	16.28	17.61	0.00	55.86	35.25
18.	नागालैंड	31.89	31.89	30.30	30.30	37.04	25.97	22.22	0.00	121.45	88.16
19.	उड़ीसा	262.72	262.72	227.84	226.78	200.40	159.90	241.93	35.77	932.89	685.17
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08	11.82	11.82	0.00	25.90	11.82
21.	राजस्थान	300.90	293.40	183.50	181.54	109.34	52.15	166.06	0.00	759.80	527.09
22.	सिक्किम	0.00	0.00	11.67	11.67	10.86	7.71	8.52	0.00	31.05	19.38
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	97.21	97.21	62.09	55.69	95.97	0.00	255.27	152.90
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	10.98	10.98	7.69	7.69	10.96	0.00	29.63	18.67
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	541.73	541.73	559.61	554.11	469.91	330.77	1571.25	1426.61
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	187.25	187.25	142.55	133.12	170.58	55.99	104.85	0.00	605.33	376.36
	कुल	2496.67	2478.27	2893.46	2833.10	3344.32	2411.32	2910.49	523.47	11644.95	8246.16

* वर्ष 2008-10 एवं 2010-11 में जारी की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र क्रमश: दिनांक 31.03.2011 एवं 31.03.2012 से देय हो जायेंगे।

[हिन्दी]

एसआईएएसओ को वित्तीय सहायता

5391. श्री डॉ. संजय सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन (एसआईएसएसओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय विभिन्न स्कीमों में उसके द्वारा की गयी वित्तीय धोखाधड़ी को ध्यान में रखा रखा है; और

(घ)यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास संबंधी स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से 225 मैनुअल स्केवेंजरों/उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशन सर्विस आर्गेनाजेशन के लिए 50.53 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

इसके अतिरिक्त, एसआईएसएसओ को नई दिल्ली में ''वर्ल्ड टॉयलेट समिट'' पर चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए 5.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई थी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त उक्त निधियों की गड़बड़ी की कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएम में नवीनता लाना

5392. श्री वैजयंत पांडा:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को रोजगार गारंटी योजना तथा गरीबों की ग्रामीण आजीविका आधार के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए इसमें नवीनता लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह हस्तक्षेप यूएनडीपी के सहयोग से वित्तपोषित तथा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के अधीन ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए अंतर्निहित तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के अधीन विशेषकर सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निर्धनता का तेजी से समाधान किए जाने के लिए इस योजना के अधीन क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा ग्रांधी नरेगा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक अभिनव कार्य शुरू किए गए हैं। शुरू किए गए कुछ उपाय हैं: बायोमीट्रिक आधारित आईसीटी अभिनव कार्य, उन सुदूर क्षेत्रों जहां बैंक/डाकघर नही हैं, में बिजनेस कॉरसपोंडेंट मॉडल और बायोमीट्रिक हस्तचालित उपकरण के मजदूरी वितरण, ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लानिंग और कौशल विकास क्रियाकलापों के साथ सहबद्ध करना।

(ग) और (घ) यूएनडीपी के सहयोग से कुछ उपर्युक्त क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं और शेष क्रियाकलाप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं।

(ङ) महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस अधिनियम की धारा 17 में ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू की गई सभी परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा नियमित निगरानी एवं नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक समीक्षा के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा आईसीटी आधारित एमआईएस लागू की गई है। इन आंकड़ों में जॉब कार्ड, मस्टर रोल मांगे गए तथा आवंटित रोजगार, किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतें दर्ज करना और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी देना शामिल हैं।

(च) सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों द्वारा अधिकारों का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें।

राज्यों से निर्यात

5393. श्री संजय भाई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को निर्यात में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में निर्यात प्रसंस्करण जोन भी स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने एक अंतरराज्यीय व्यापार परिषद का गठन किया है जिसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्रियों द्वारा नामित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री; और संघशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक या उनके नामिती हैं। इस परिषद का उद्देश्य राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के साथ केन्द्र सरकार का नियमित विचार-विमर्श सुनिश्चित करना, राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल परिवेश बनाने और भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रयासों में तेजी लाने संबंधी उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देना है।

(ग) और (घ) जी हां। अनेक राज्यों में विशेष आर्थिक जोन (जिन्हें पहले निर्यात प्रसंस्करण जोन कहा जाता था) स्थापित किए गए हैं और वे प्रचालनरत हैं जिनका ब्यौरा एसईजेड की साइट www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5394. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास की गति को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों विशेषकर असम के बोडोलैंड क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अतिरिक्त आईबीएस (पूर्व के विशेषकर अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजना) जैसे कुछ संशोधित पूंजी-गहन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए कोई विशेष पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका के साथ व्यापार क्षेत्रों की पहचान

5395. डॉ. चिन्ता मोहन:
श्री अर्जुन राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी व्यापार संस्थाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हाल के दौरे के दौरान भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान करने वाली एक सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची में शामिल व्यापार क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की भारतीय व्यापार संस्थाओं ने भी इसी प्रकार की सूची तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-अमेरिकी व्यापार को किन क्षेत्रों में बढ़ाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के तत्वावधान में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के अंतर्गत 5 फोकस समूहों के तहत चर्चा की जाती की जाती है: कृषि, अभिनवता एवं सृजनात्मकता, निवेश और टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाएं। दिनाक 6-9 नवंबर, 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश की क्षमताओं के पूर्ण दोहन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए थे।

एमजीएनआरईजीएस में संशोधन

5396. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु इस योजना में संशोधन करने और इसे प्रभावी बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को रोकने और योजना को प्रभावकारी बनाने के लिए इस अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) मजदूरी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 31 में संशोधन करके बैंको/डाकघरों में उनके खातों के जरिए महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।

(ii) इस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा कराए जाने को अधिक महत्व दिया है और राज्यों को निर्देश जारी किया कि वे इस प्रयोजनार्थ आवश्यक व्यवस्था करें। सामाजिक लेखा परीक्षा कराने की प्रक्रिया विधि का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 13 में संशोधन किए गए हैं। मंत्रालय ने नरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा संबंधी नए प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

[अनुवाद]

रक्षा संपदा महानिदेशालय का कार्यकरण

5397. श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री चंद्रकांत खैर:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश रक्षा भूमि हेतु सत्यापन योग्य उपयोग रिकार्ड की कमी को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रक्षा संपदा महानिदेशालय से संबंधित विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या रक्षा लेखा महानियंत्रक ने भी विभाग में भारी अनियमितताओं और भूमि रिकार्डों का प्रबंधन करने में विभाग की विफलता का उल्लेख किया है और सरकार से इसके प्रबंधन को किसी अन्य संगठन को अंतरित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा अधिकांश रक्षा भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूमि अभिलेख का रखरखाव किया जा रहा है तथा इसे अद्यतन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) रक्षा संपदा महानिदेशालय के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए सरकार को कुछ अनोयावेदन/सुझाव और शिकायतें मिली हैं। रक्षा संपदा महानिदेशालय के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य में तेजी लाई गई है।

(घ) और (ङ) विलम्ब के लिए उत्तरदायी कठिनाइयों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को डिकरीत राशि की विलम्बित अवधि पर ब्याज के कारण होने वाले परिहार्य व्यय से बचाने के लिए प्रणालीबद्ध उपाय सुझाने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक ने रक्षा लेखा नियंत्रक (आंतरिक लेखापरीक्षा) को मौजूदा भूमि अर्जन प्रणाली की जांच करने हेतु विशेष कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा था। अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसमें बहुत-सी सिफारिशें की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि:-

(i) सैन्य मुख्यालयों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आयुध निर्माणियों आदि जैसी अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों को भूमि अर्जन तथा भूमि अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय की मध्यस्थता के बिना सीधे ही राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाए। रक्षा भूमि अर्जन प्रक्रिया से रक्षा संपदा महानिदेशालय के अतिरिक्त स्तर को हटाए जाने से अर्जन प्रक्रिया में तेजी आएगी और इससे भूमि तथा उस पर अवसंरचना निर्माण, दोनों में समय तथा लागत में वृद्धि को समाप्त किए जाने की संभावना है।

(ii) रक्षा संपदा महानिदेशालय संगठन की अत्यंत सीमित प्रयोज्यता को देखते हुए, रक्षा मंत्रालय इस संगठन को रक्षा भूमि प्रबंधन के अधिकांश कार्यकलापों से चरणबद्ध ढंग से हटाए जाने के लिए व्यापक अध्ययन का आदेश दे सकता है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

विशेष रूप से नि:शक्त व्यक्तियों हेतु पद

5398. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों में नि:शक्त व्यक्तियों हेतु विशेष पदों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा इन चिह्नित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी.नैपोलियन): (क) और (ख) जी, हां। 2005 में नियुक्त की गई एक सुविज्ञ समिति ने विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समूह क, ख, ग और घ में पदों को चिह्नित किया था जिन्हें अधिसूचना सं. 16-70/2044-डीडी-III दिनांक 18.01.2007 और 15.03.2007 के तहत अधिसूचित किया गया था। चिह्नित किए गए पदों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी स्थापनाओं में कम से कम 3% रिक्तियों के आरक्षण का प्रावधान है जिसमें से 1% रिक्ति निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आरक्षित होगी: (i) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि; (ii) श्रवण बाधिता और (iii) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित विभिन्न सरकारी स्थापनाओं में आरक्षण दिए जाते हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने का.ज्ञा. सं. 36038/2/2008 स्था. (आरईएस) दिनांक 27 नवम्बर, 2009 के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की बैंकलाग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान आरम्भ किया था। प्रगति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मानीटर किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि हेतु जल संचयन के लिए प्रौद्योगिकी

5399. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में सभी गांवों में जल परिरक्षण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि हेतु जल संचयन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर कुमार अधिकारी): (क) और (ख) राज्यों में जल परिरक्षण हेतु कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, मृदा एवं नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन, वाटरशेड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अभिन्न अंग है।

भूमि संसाधन विभाग वर्ष 1995-96 से क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन तीन कार्यक्रमों को अब एकीकृत किया गया है और 26.02.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग निम्नलिखित वाटरशेड कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करता है:-

(i) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

(ii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (आर. वी.पी. एंड एफ.पी.आर.) के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(iii) झूम खेती क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडी-पीएससीए)

(ग) और (घ) विभाग में कृषि हेतु जल संचयन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), कृषि मंत्रालय स्थल-विशिष्ट बायो-इंजीनियरी उपायों तथा फार्म तालाबों, नाला बंध, रोक-बाधों, रिसाव टांकों, *खडिन, टांका, नडी, खाई और तटबंध* जैसे तालाबों आदि के जरिए उपयोगी वर्षा जल संचयन हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करता है।

आजीविका मिशन योजना

5401. डॉ. बलीराम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों (बीपीएल) के बीच उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए देश में "आजीविका मिशन योजना" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूसरे चरण के दौरान उक्त योजना को किन राज्यों में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रदान किए जा रहे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का स्वरूप क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि इसे लक्षित एवं समयबद्ध परिणाम हासिल करने के लिए मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा सके। एसजीएसवाई की तुलना में एनआरएलएम के अंतर्गत दो प्रमुख कार्यनीतिगत बदलाव यह किए गए हैं कि (i) एनआरएलएम एक मांग जनित कार्यक्रम होगा और राज्य विगत के अपने अनुभवों, संसाधनों और कौशल आधार पर अपने अंतर्गत अपनी-अपनी गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं बनाएंगे और (ii) एनआरएलएम के अंतर्गत विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय से लेकर उप-जिला स्तर तक सभी स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पेशागत सहायक संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, एनआरएलएम को अभी औपचारिक रूप से शुरू किया जाना है।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* एनआरएलएम की अंतर्गत स्वसहायता समूहों के गठन के जरिए सर्वव्यापी सामाजिक जुटान: इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य विशेषकर परिवार के महिला सदस्य को स्वसहायता समूह नेट के अंतर्गत लाया गया है।

* सुदृढ़ जन संस्था का निर्माण करने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत ग्राम पंचायत से जिला स्तरों तक स्व सहायता समूहों का परिसंघ बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये परिसंघ अपने सदस्यों को न केवल अपनी भूमिका एवं शक्ति उपलब्ध कराएंगे बल्कि सभी प्रकार की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराकर स्वसहायता समूहों का संचालन भी करेंगे।

* सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य निम्नलिखित के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्वसहायता समूहों, बैंकों के साथ सहबद्ध कर हासिल किए जाएंगे:

  – उच्च लागत वाले ऋण में बदलाव

  – उनकी उपयोग संबंधी आवश्यकताएं-भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पूरी करना

  – आय सृजन के लिए परिसंपत्तियां एवे कार्यशील पूंजी अर्जित करना

* क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण: क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से होंगे।

* परिक्रामी निधि, पूंजीगत सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी का प्रावधान: परिक्रामी निधि सहायता से स्वसहायता समूहों को अपने समूह संचयों की सहायता करने तथा प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने में मदद मिलती है ताकि बचत एवं ऋण की आदत पैदा हो सके तथा ऋा दाताओं की जाल में फंसे बिना उनकी उपभोग संबंधी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। ग्रामीण गरीबों को आय सर्जक क्रियाकलाप शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पूंजीगत सब्सिडी एवं ऋण की आवर्ती मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी।

  इसके अतिरिक्त, युक्तिसंगत ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

* एनआरएलएम के अंतर्गत नियोजन संबद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल आधारित मजदूरी रोजगार देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

* निगरानी, मूल्यांकन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना: एनआरएलएम के अंतर्गत एमआईएस के सृजन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचीबद्ध अध्ययनों आदि के लिए उपाय किए जाएंगे।

(ग) एनआरएलएम को इसे शुरू करने संबंधी राज्य की तैयारी के अनुसार दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाएगा। राज्यों को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्य में एनआरएलएम को लागू करने के संबंध में निर्णय लें।

(घ) एसजीएसवाई के अंतर्गत 15 प्रतिशत निधियां नियोजन संबंद्ध कौशल विकास और अभिनव विपणन संपर्क विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण युवाओं जो मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्रों यथा वस्त्र, फुटकर, निर्माण सेवा, आतिथ्य-सत्कार, सुरक्षा एवं आई टी समर्थित सेवाओं में नियोजन के लिए उपयुक्त है, को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

बड़े पत्तन न्यासों को सरकारी उपक्रमों में बदलना

5401. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार बड़े पत्तन न्यासों को सरकारी उपक्रमों में बदलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विभिन्न पणधारकों को किस प्रकार लाभ मिलेगा?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) निगमीकरण के माध्यम से महापत्तन न्यासों की ढांचागत पुन: संरचना किए जाने का एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में महापत्तनों को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के दायरे से हटाकर न्यासियों की मौजूदा पद्धति का विस्तार करना और महापत्तन न्यासों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी में परिवर्तित किया जाना परिकल्पित है। इन्नौर पत्तन लिमिटेड देश का पहला निगमीकृत पत्तन है और यह वर्ष 2001 से एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की तरह कार्य कर रहा है। महापत्तनों के निगमीकरण को सुकर बनाए जाने के लिए सक्षमता प्रदान करने वाले प्रावधानों को शामिल करते हुए महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में संशोधन किए जाने हेतु महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक नामक एक विधेयक 31.8.2001 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु 13वीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण उपर्युक्त विधेयक का कार्य रुक गया। फिर सरकार ने विचार किया कि देश में महापत्तनों के निगमीकरण अथवा कोई और नीति बनाने से पहले इन्नैर पत्तन के निष्पादन की समीक्षा की जाए।

(ग) निगमीकरण में महापत्तनों को ऐसे वाणिज्यिक संगठनों में परिवर्तित किया जाना शामिल है जो न्यूनतम लागत पर बेहतर सुविधाएं दें और वे बाजार पर आधारित एक वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रणाली के अनुसार कार्य करें।

उत्तर प्रदेश में बीपीएल सर्वेक्षण

5402. डॉ. निर्मल खत्री: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बीपीएल) करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) सर्वेक्षण की तिथि और वर्ष का ब्यौरा क्या है जिस पर ये आंकड़े आधारित हैं;

(ग) क्या क्षेत्र में गत बीपीएल सर्वेक्षण को कार्यान्वित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीपीएल संबंधी मानदंडों को अंतिम रूप देते समय और बीपीएल सूची तैयार करते समय नवीनतम मुद्रास्फिति और महंगाई को ध्यान में रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों (बीपीएल) की संख्या का राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तर पर ही अनुमान लगाया जाता है और राज्य-स्तर से निचले स्तर पर जनगणना नहीं की जाती। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों (बीपीएल) का पता लगाने के लिए बीपीएल जनगणना करवाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पिछली बीपीएल जनगणना दिसम्बर, 2002 में शुरू की गई थी और अक्टूबर, 2006 में पूरी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पता लगाए गए बीपीएल परिवारों की संख्या 5287431 है और बीपीएल जनसंख्या 2,67,75,641 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उक्त तैयार बीपीएल सूची में से किया जा रहा है।

(ङ) और (च) बीपीएल परिवारों के निर्धारण हेतु विद्यमान मानदंड/प्रक्रियाविधि को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल की सिफारिश के आधार पर अपनाया गया था। उक्त प्रक्रियाविधि 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार की स्कोर आधारित रैंकिंग पर आधारित है जो जीवन स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है तथा जिसे गरीबी के प्राक्सी सूचकांक के रूप में माना जाता है।

शुष्क क्षेत्रों का विकास

5403. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में रामनाथपुरम सहित देश में शुष्क क्षेत्रों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कितनी निधियां आवंटित की हैं और उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) शुष्क भूमि क्षेत्रों सहित वर्षासिंचित क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि का विकास करने के लिए भूमि संसाधन विभाग वर्ष 1995-96 से तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूति विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन तीनों योजनाओं को एकीकृत किया गया है और 26.02.2009 से इन्हें समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शुष्क भूमि क्षेत्रों सहित कुल 42.65 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए देश भर में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत नई परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु 22.65 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य है। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 5.41 मिलियन हैक्टेयर, 8.50 मिलियन हैक्टेयर और 8.74 मिलियन हैक्टेयर हैं।

(ग) 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार, देश में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 12646.04 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है। इसमें तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में डीपीएपी, आईडब्ल्यूडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 40.26 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल है। डीडीपी, डीपीएपी और आईडब्ल्यूडीपी के तहत परियोजनाओं की परियोजना अवधि स्वीकृति की तारीख से 5 वर्षों की है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं की परियोजना अवधि 4 से 7 वर्षों की होती है, जिसका उल्लेख विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय किया जाना होता है।

वर्ल्ड एक्सपो फेयर

5404. श्री जी.एस. बासवराज:
श्री के. सुधाकरण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पैवेलियन के ठेकेदारों और चीन श्रमिकों के बीच चीन में शंघाई वर्ल्ड एक्सपो फेयर में कम और अनियमित मजदूरी के भुगतान को लेकर कोई विवाद लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रमिकों ने 18 अगस्त, 2010 को भारत के राष्ट्रीय दिवस के समारोह के दौरान पैवेलियन के प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था और मजदूरी विवाद के शीघ्र निपटान के आश्वासन के पश्चात वे नरम पड़ गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) चीन के श्रमिकों और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा नियोजित भारत पवेलियन के ठेकेदारों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) श्रमिकों ने दिनांक 18 अगस्त, 2010 को भारत के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारत पवेलियन में प्रवेश अवरुद्ध नहीं किया था।

टेलीकॉम गियर विनिर्माताओं द्वारा संघ बनाया जाना

5405. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारी संघ ने यह आरोप लगाया है कि बड़े टेलीकॉम गियर विनिर्माताओं द्वारा संघ बनाए जाने से बीएसएनएल के विकास पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कार्यपालकों के संघों में से एक संचार निगम कार्यपालक संघ (भारत) ने दिनांक 1.11.2010 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अग्रणी टेलीकॉम गियर विनिर्माताओं द्वारा संघ बनाए जाने से बीएसएनएल के विकास पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संघ ने अपने उक्त पत्र में बीएसएनएल में मोबाइल संचार उपकरणों (जीएसएम) की वैश्विक सेवाओं हेतु निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

(ग) जहां तक उपकरण की खरीद हेतु बीएसएनएल की निविदा संबंधी प्रक्रिया का संबंध है, उपकरणों की सामयिक प्राप्ति बीएसएनएल की जिम्मेदारी है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित गवर्नेंस को प्रोत्साहन

5406. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गांव पंचायत के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश पंचायत कार्यालयों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण गांव पंचायत के समक्ष बाधाएं आ रही हैं;

(ग) सरकार ने एक सक्षम वैकल्पिक रक्षित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि अतिरिक्त विद्युत की बिक्री से पंचायत के राजस्व में भी वृद्धि की जा सके; और

(घ) सरकार द्वारा गांव पंचायत कार्यालयों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़वा देने की योजना का ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितना आवंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित गवर्नेंस को प्रोत्साहित कर रही हैं। देश के कतिपय हिस्सों में, ग्राम पंचायतें भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति की कमी के चलते कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

(ग) और (घ) नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2013 तक स्टैंड एलोन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट समेत 200 मेगावाट की ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के पहले चरण को अनुमोदित कर दिया है। जे.एन.एन.एस.एम. में ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग स्कीम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत सब्सीडी एवं 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

5407. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में दुर्बल वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कोई सुझाव/सिफारिश सम्मिलित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नया विधान लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ङ) यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम एनसीएमपी), 2004 में यह उल्लेख है कि "यूपीए सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण सहित, सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर अति संवेदनशील है। यह देखने के लिए कि गैर-सरकारी संगठन अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवाओं की आकांक्षाओं को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, यह सभी राजनीतिक पार्टियों, उद्योग जगत और अन्य संगठनों के साथ अविलम्ब राष्ट्रीय वार्ता शुरू करेगी।'

गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्यागे जगत के साथ सकारात्मक कार्रवाई के बारे में वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 2006 में एक उच्च स्तरीय समन्वयन समिति गठित की गई है। समन्वयन समिति समय-समय पर शीर्ष चैम्बरों से बैठकें आयोजित करती रही है।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ आईसीसीआई), एसोशिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ कामर्स इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), और पीएचडी) चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने अपने सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के बारे में भिन्न-भिन्न आचार संहिताएं तैयार की हैं। इन आचार संहिताओं में अन्य बातों के साथ-साथ समावेशी नीतियां और भेदभाव-रहित व्यवहार शामिल है। इन संहिताओं को अपनाने की प्रगति धीमी है। उद्योग जगत से वार्ता जारी है।

अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु आरक्षण

5408. श्री अधीर चौधरी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंचायती राज्य व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु कोटा आरक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेय जल की आपूर्ति हेतु अभ्यावेदन

5409. श्री राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पेय जल की आपूर्ति के संबंध में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को राज्य सरकारों को भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल उक्त अभ्यावेदन या शिकायतें केवल राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं और राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (घ) जल राज्य का विषय है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, अनुमोदन कार्यान्वयन और निगरानी की शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। इसलिए जन प्रतिनिधियों से जल आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी राज्यों की है। तदनुसार, यदि जनप्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो ये उचित कार्रवाई करने तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश के साथ राज्यों को भेज दिए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी उपयुक्त स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाती है।

[अनुवाद]

पत्रकारों को वेतन

5410. श्री के. सुधाकरण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों को वेतन संबंधी न्यायमूर्ति मजोदिया आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है.

(ग) क्या इस नई वेतन नीति से प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित सभी मीडिया कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चूंकि न्यायामूर्ति जी.आर. मजीठिया की अध्यक्षता में गठित दोनों वेतन बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तथा दूसरा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा अर्थात् 23 मई, 2010 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। अत: सरकार ने वेतन बोर्डों का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दिया है।

प्रक्रियानुसार, केन्द्र सरकार द्वारा वेतन बोर्डों से प्राप्त प्रतिवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

(ग) और (घ) श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर-समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार प्रिंट मीडिया से जुड़े श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-समाचार-पत्र कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण अथवा वेतन दरों की पुनरीक्षा के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिशें अनुप्रयोज्य होती हैं। उक्त अधिनियम में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

5411. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के कारण कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को काली सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों हेतु ऐसे एनजीओ के नाम और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार धोखाधड़ी हेतु इन एनजीओ के पदाधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम और

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के कारण तीन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को काली सूची में डाला है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के नाम और ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	गैर-सरकारी संगठनों का नाम और पता
1.	नूतन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट एडुकेशन एंड अवेयरनैस, वार्ड नं. 20, ए-26, कौशल नगर,
2.	जागृति, 74/3, अशोक नगर, जिला उदयपुर, राजस्थान
3.	श्री सत्य साईं सेवा समिति पोस्ट-देवभूबनपुर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा

(ग) से (च) जी, हां। सरकार इन परिस्थितियों में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों से कड़ाई से निपटती है। इन गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम और पता	की गई कार्रवाई
1.	नूतन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट एडुकेशन एंड अवेयरनैस, वार्ड नं. 20, ए-26, कौशल नगर, बंदीकुई जिला दौसा, राजस्थान	एफआईआर दर्ज की गई है और स्थानीय पुलिस प्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।
2.	जागृति, 74/3, अशोक नगर, जिला उदयपुर, राजस्थान	कपार्ट की स्थानीय अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों से इस मामले पर बात करे।
3.	श्री सत्य साईं सेवा समिति, पोस्ट-देवभूबनपुर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	एफआईआर दर्ज की गई है और स्थानीय पुलिस प्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक उत्पादों का निर्यात

5412. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्याधुनिक उत्पाद निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ मदों के आयात हेतु ड्यूटी क्रेडिट का लाभ प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) उच्च तकनीकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम (एचटीपीईपीएस) दिनांक 1.4.2007 से 26.8.2009 तक विदेश व्यापार नीति में शामिल थी। शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में लाभ प्रदान किए गए थे। स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु शामिल किए गए उत्पादों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दिनांक 27.8.2009 से इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया है और इस स्कीम को फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) में विलय कर दिया गया है।

(ख) और (ग) एचटीपीईपीएस के अंतर्गत निर्यातक पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुओं या निविष्टियों के आयात के लिए सीमाशुल्क के भुगतान हेतु निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिट के रूप में लाभ के पात्र थे बशर्ते वे वस्तुएं आईटीसी (एचएस) के अंतर्गत मुक्त रूप से आयात-योग्य हो। एफपीएस में विलय के बाद इन उच्च तकनीकी उत्पादों को एफपीएस के लाभ मिलना जारी है। फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत उच्च तकनीकी उत्पादों सहित अधिसूचित उत्पादों के सभी

देशों को निर्यात दिनांक 27.8.2010 से किए गए निर्यातों के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप के पात्र हैं। तथापि विशेष फोकस उत्पाद दिनांक 27.8.2009 से किए गए निर्यातों के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त कुछेक फोकस उत्पाद/क्षेत्र विद्यमान दर के अलावा, दिनांक 1.4.2010 से किए गए निर्यातों के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क ऋण स्क्रिम के पात्र हैं। एफपीएस का उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है जिनमें उच्च निर्यात गहनता/रोजगार संभावना है ताकि ऐसे उत्पादों के विपणन में शामिल अवसंरचनागत अकुशलताओं और अन्य संबंधित लागतों की पूर्ति की जा सके।

विवरण

विदेश व्यापार महानिदेशालय

परिशिष्ट 37ङ
(प्रक्रिया पुस्तिका, भाग-1 2004-09)

उच्च तकनीकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम (एचटीपीईपीएस) के अंतर्गत अधिसूचित उत्पादों की सूची

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	उत्पाद का नाम
1.	84702100	बेतार (जीएसएम/सेटेलाइट) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक कॉल कार्यालय
2.	8471300	जीएसएम/सीडीएमए/इथरनैट/वाइफाई/सीरियल/पीएसटीएन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बिक्री टर्मिनल/सौदा टर्मिनल स्थल (ईपीओएस)
3.	85421010	सिम कार्ड
4.	85421020	मेमोरी कार्ड
5.	85252017	सैल्युलर फोन (3 जी मानक, बेतार इंटरनैट और जीपीएस के साथ)
6.	84729030	स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर
7.	901812	अल्ट्रासॉनिक स्कैनिंग उपकरण
8.	901813	मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उपकरण
9.	852540	स्टिल इमेज वीडियो कैमरा,
10.	85171920	वीडियो फोन
11.	854260	हाइब्रिड इंटीग्रेटिड सर्क्रिट
12.	85414011	सोलर सैल/फोटोविाल्टिक सेल चाहे मॉड्यूलो/पैनलों में संगठित हों अथवा नहीं
13.	56031200	मानव निर्मित फिलामैंटा के बुने ना हुए, चाहे संसिक्त, कोटेड, कवर्ड या लैमिनेटिड हों अथवा नहीं, 25 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक परंतु 70 ग्राम/वर्ग मीटर से अनधिक भार वाले (आईटीसी एचएस कोड 56031200 के अंतर्गत शामिल)

बड़े पत्तनों को ऑनलाइन जोड़ना

5413. श्री पी. कुमार: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय प्रशासित स्वायत्तशासी निकाय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आयातित वस्तुओं के शीघ्र परिवहन हेतु वैब के माध्यम से बड़े पांच पत्तनों को आपस में जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तनों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आपस में जोड़ने के अतिरिक्त एफएसएसएआई, देश में आ रहे उत्पादों संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को भी आपस में जोड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत्त-परिवहन मंत्री (श्री जी.के.वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईअपारडी) को वित्तीय सहायता

5414. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कोट्टारकारा में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आबंटित की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षा उपकरणों की खरीद

5415. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीद प्रक्रिया को गति प्रदान करने और देश में ही रक्षा संबंधी उत्पादन करने के लिए एक समेकित संगठन गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे विक्रेताओं जो सूचना हेतु अनुरोध (आरएफआई) का उत्तर देने के पश्चात क्षेत्रीय परीक्षण के चरण में उपकरण प्रदान करने में विफल रहते हैं, से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी): (क) से (ङ) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड की सहायता करने के लिए रक्षा विभाग, वित्त प्रभाग और सेना मुख्यालयों से अफसरों को लेकर रक्षा मंत्रालय में एक एकीकृत ढांचासंयुक्त एक समर्पित अर्जन विंग का वर्ष 2002 में गठन किया हुआ है। पूंजीगत किस्त के अर्जन से संबंधित सभी मामलों पर अर्जन विंग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

अधिप्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित उपस्कर के लिए व्यापक आधार वाली सेना गुणता अपेक्षाओं तथा लागत निर्धारण में शामिल किए जाने वाले अन्य तत्वों, अनुरक्षण/उत्पाद सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी पहलुओं की तैयारी हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 (संशोधन-2009), के प्रावधानों के अनुसार सूचना हेतु अनुरोध जारी किया जाता है। आवश्यकता हेतु स्वीकार्यता श्रेणीकरण तथा प्रमात्रा संबंधी निर्णय लेने के बाद अर्जन की संपूर्ण जरूरतों के संबंध में उनकी पेशकशों पर विचार करने हेतु लघु सूचीबद्ध किए गए विक्रताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया जाता है। तकनीकी रूप से संगत विक्रेताओं/फर्मों को 'कोई लागत नहीं कोई वचनबद्धता नहीं' के आधार पर फील्ड मूल्यांकन (परीक्षणों) के लिए बुलाया जाता है। यदि उपस्कर का प्रारंभिक परीक्षणों में मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो विक्रेता/उपस्कर पर बाद में विचार नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

'मनरेगा' के अंतर्गत बकाया लंबित पारिश्रमिक का जारी किया जाना

5416. श्री प्रबोध पांडा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत राज्य-वार पारिश्रमिक के रूप में देय भारी धनराशि लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त लंबित राशि को जारी करने के आशय का कोई निवेदन राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित विधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिलों/राज्यों को निधियां, स्वीकृत श्रम बजट तथा जिलों/राज्यों के वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पाद के आधार पर रिलीज की जाती हैं। अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा रिलीज की गई निधियों और राज्यों द्वारा किए गए मैचिंग अंशदान में से जिलो द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाता है। स्वीकृत श्रम बजट और राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 40100 करोड़ रु. के कुल बजट प्रावधान की तुलना में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अब तक 23862.45 करोड़ रु. की राशि रिलीज की है। चालू वर्ष के दौरान अब तक रिलीज की गई निधियों को राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	केन्द्रीय रिलीज करोड़ रुपए में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3861.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.55
3.	असम	330.53
4.	बिहार	1469.35
5.	छत्तीसगढ़	1248.55
6.	गुजरात	383.88
7.	हरियाणा	42.20
8.	हिमाचल प्रदेश	420.28
9.	जम्मू और कश्मीर	116.78
10.	झारखण्ड	699.58
11.	कर्नाटक	773.05
12.	केरल	373.79
13.	मध्य प्रदेश	2132.01
14.	महाराष्ट्र	134.78
15.	मणिपुर	84.06
16.	मेघालय	127.09
17.	मिजोरम	102.71
18.	नागालैंड	392.47
19.	ओडिशा	1102.70
20.	पंजाब	34.28
21.	राजस्थान	2788.82
22.	सिक्किम	22.25
23.	तमिलनाडु	1243.57
24.	त्रिपुरा	209.17
25.	उत्तर प्रदेश	3594.13
26.	उत्तराखंड	209.05
27.	पश्चिम बंगाल	1928.62
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.96
29.	दादरा और नगर हवेली	0.48
30.	दमन व दीव	0.00
31.	गोवा	0.93
32.	लक्षद्वीप	0.34
33.	पुडुचेरी	9.10
34.	चंडीगढ़	0.00
	कुल	23862.45

हाट-बाजार

5417. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात में हाट-बाजार स्थापित करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार और जिला-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई/दिए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा गुजरात सहित सभी राज्यों में ग्राम, जिला तथा राज्य स्तरों पर स्थायी विपणन केंद्र अथवा हाट स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत ग्राम हाट स्थापित करने के लिए 15 लाख रु. जिला स्तरीय हाट के लिए 1.5 करोड़ रु. और राज्य की राजधानी में हाट स्थापित करने के लिए 3.0 करोड़ रु. की निधियाँ स्वीकार्य हैं। ये निधियां केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन की जाती हैं, जबकि केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है।

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान देश के 549 जिलों में प्रत्येक में तीन ग्राम हाट स्थापित करने के लिए 27 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र को पहली किस्त के रूप में 9462.375 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान डीआरडी एजेंसियों के पास उपलब्ध एसजीएसवाई निधियों में से इस प्रयोजन हेतु व्यय करने के लिए शेष जिलों को प्रशासनिक अनुमति दे दी है। ग्राम हाट स्थापित करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान पहली किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ग्राम हाट स्थापित करने के लिए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान अब तक राज्यों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 1191.38 लाख रु. रिलीज किए गए हैं। ग्राम हाट के निर्माण हेतु दूसरी किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्रम	संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीआरडी एजेंसियों की संख्या	ग्राम हाट की संख्या	पहली किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	66	371.250
2.	बिहार	29	87	489.375
3.	छत्तीसगढ़	16	48	270.000
4.	गोवा	1	3	16.875
5.	गुजरात	25	75	421.875
6.	हरियाणा	20	60	337.500
7.	हिमाचल प्रदेश	12	36	202.500
8.	जम्मू और कश्मीर	9	27	151.875
9.	झारखण्ड	22	66	371.250
10.	कर्नाटक	29	87	489.375

1	2	3	4	5
11.	केरल	14	42	236.250
12.	मध्य प्रदेश	48	144	810.000
13.	महाराष्ट्र	33	99	556.875
14.	ओडिशा	30	90	506.250
15.	पंजाब	20	60	337.500
16.	राजस्थान	32	96	540.000
17.	तमिलनाडु	30	90	506.250
18.	उत्तर प्रदेश	70	210	1181.250
19.	उत्तराखंड	13.	39	219.375
20.	पश्चिम बंगाल	16	48	270.000
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.000
22.	दमन व द्वीव	0	0	0.000
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.000
24.	लक्षद्वीप	0	0	0.00
25.	पुडुचेरी	1	3	22.500
	कुल	492	1476	8308.125
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरूणाचल प्रदेश	5	15	101.250
2.	असम	27	81	546.750
3.	मणिपुर	0	0	0.000
4.	मेघालय	1	3	20.250
5.	मिजोरम	8	24	162.000
6.	नागालैंड	11	33	222.750
7.	सिक्किम	1	3	20.250
8.	त्रिपुरा	4	12	81.000
	कुल	57	171	1154.25
	कुल योग	549	1647	9462.375

विवरण II

ग्राम हाट-दूसरी किस्त की रिलीज

क्रम सं.	राज्य	जिला	रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	असम	जोरहाद	20.25
		कोकराझार	20.25
		कामरूप	20.25
		दारांग	20.25
		लखीमपुर	20.25
		कामरूप मेट्रो	20.25
		हैलकांदी	20.25
		नालाबारी	20.25
		गोलपारा	20.25
2.	बिहार	पूर्निया	16.875
		गोपालगंज	16.875
		पटना	16.875
		किशनगंज	16.875
		सुपाल	16.875
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर	16.875
		धामत्री	16.875
		कोरबा	16.875
		कोरिया	16.875
		दन्तेवाड़ा	16.875
		बिलासपुर	16.875
		कबीरधाम	16.875
4.	झारखण्ड	पाकुर	16.875
		गोड्डा	16.875
		पालमू	16.875
		साहबगंज	16.875
		सिमदेगा	16.875
		सराईकेला	16.875
		गुमला	16.875
		गिरीडीह	16.875
5.	केरल	त्रिचूर	16.875
		कन्नौर	16.875
6.	मिजोरम	सरछिप	20.25
		कोलासिब	20.25
		ममिट	20.25
		सैया	20.25
		ऐजवाल	20.25
		लुंगलेई	20.25
		चम्फई	20.25
7.	ओडिशा	संभलपुर	16.875
		अंगुल	16.875
		बालासोर	16.875
		बोलंगगीर	16.875
		बारगढ़	16.875
		भद्रक	16.875
		देवगढ़	16.875
		धेनकनाल	16.875
		मयूरभंज	16.875
		गाजापट्टी	16.875
		जगतसिंहपुर	16.875
		जाजपुर	16.875
		झरसूगुडा	16.875
		कोरापुर	16.875
		नयागढ़	16.875
		नवरंगपुर	16.875
		नवपाडा	16.875
		सुवर्नापुर	16.875
8.	राजस्थान	श्री गंगा नगर	16.875
9.	तमिलनाडु	मदुरई	16.875
10.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	16.875
		मथुरा	16.875
		संतकबीरनगर	16.875
		बदायूं	16.875
		फिरोजाबाद	16.875
		सीतापुर	16.875
		कुल	1191.38

एच.एम.टी. के कारखाने

5418. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एम.टी. कंपनी के सभी कारखानों में श्रमिक संघों के साथ दीर्घकालिक समझौतों को लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो श्रमिक संघों के साथ दीर्घकालिक समझौते न होने के कारण और परिस्थितियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि दीर्घकालिक समझौते की अवधि समाप्त होने की परिस्थिति में, एच.एम.टी. के कारखानों में असंतोष और प्रदर्शन का वातावरण बन रहा है; और

(घ) एच.एम.टी. के कारखानों में असंतोष के समाधान और प्रदर्शन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ एच.एम.टी. इकाइयों में दीर्घकालिक करार की अवधि 1997 में समाप्त हो गई है। तथापि, यह अभी भी प्रचालन में है। कलामास्सरी कोची, जहां विभिन्न श्रमिक संघों और अधिकारी संघों से जुड़े कर्मचारी 1.1.2010 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और रिले (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक) भूख-हड़ताल पर हैं, के सिवाय, एचएमटी की इकाइयों से आंदोलन अथवा असंतोष की सूचना नहीं मिली है। उनकी मांगों में वेतन संशोधन, सेवा-निवृत्ति की आयु बहाल करके 60 वर्ष किया जाना और एचएमटी को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखना शामिल है।

(घ) किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए, एचएमटी प्रबंधन ने पुनरूज्जीवन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समुचित दिशा-निर्देशों हेतु मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को भेजा है।

इंदिरा आवास योजना तथा स्वच्छता अभियान में अनियमितताएं

5419. श्री राजेन गोहेन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लाभार्थियों को कम लागत की स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संबंधित कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा काटी गई राशि अभी कोष में जमा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी अनियमितताओं की जांच के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, एक आईएवाई लाभार्थी जो एक स्वच्छ शौच घर का निर्माण करता है वह आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता के अलावा संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में से 2200 रुपये की धन राशि प्राप्त करने का पात्र है। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि कार्यान्वयन एजेंसियां, आईएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध की गई इकाई सहायता में से किसी प्रकार की धनराशि की कटौती कर रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)

5420. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री पकौड़ी लाल:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी) के निर्माण पश्चात् निर्यात क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जेटरो) की विशेषज्ञता, संसाधन और औद्योगिक सूत्रों का लाभ उठाने की दृष्टि से उसके साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित डी.एम.आई.सी. परियोजना के आसपास के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित किए जाएंगे);

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार संपूर्ण औद्योगिक विकास की दृष्टि से डी. एम.आई.सी. परियोजना को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) दिलली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को विश्वस्तरीय अवसंरचना और कम संभार तंत्र लागत के साथ वेस्टर्न डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर एक पट्टी के आकार में वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा अनुमान है कि डीएमआईसी क्षेत्र के विकास के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से निर्यात चार गुना हो जाएगा।

(ख) और (ग) जी. नहीं। तथापि, डीएमआईसी परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण डीएमआईसी विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) ने डीएमआईसी क्षेत्र में सुव्यवस्थित समुदायों और पर्यावरण अनुकूल नगर क्षेत्र के विकास के लिए जेईटीआरओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से जेईटीआरओ डीएमआईसीडीसी को अपनी विशेषज्ञता मुहैया कराने पर सहमत हो गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) जी, हां। डीएमआईसी परियोजना भारत सरकार की एक अग्रणी परियोजना है।

(छ) इस परियोजना के विकास और क्रियान्वयन के लिए जनवरी, 2008 में डीएमआईसी विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को शामिल किया गया है। समग्र डीएमआईसी क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण में निम्नलिखित निवेश नोडों को विकास के लिए शामिल किया गया है:-

1. पीतमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश
2. अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात,
3. दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश,
4. मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा,
5. कुशखेडा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान,
6. इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र, और
7. दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र

[अनुवाद]

राज्य सरकारों के साथ समझौता-ज्ञापन

5421. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित करने तथा एक सलाहकार समिति गठित करने के केन्द्र सरकार के अनुरोध की उपेक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) और (ख) राज्यों में बिहार, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर अन्य सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों, जहां संविधान का भाग IX लागू होता है, ने फरवरी, 2005 से जून 2007 के मध्य पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यद्यपि राज्य सलाहकार समितियां गठित करने का प्रस्ताव था तथापि पंचायती राज के राज्य विषय होने के कारण निर्णय लिया गया कि राज्य सलाहकार समितियां गठित नहीं की जाए।

(ग) संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतरण की जिम्मेवारी राज्यों को दी गई है। इस प्रकार, पंचायती राज के लिए रोडमैप के ऊपर केन्द्र व राज्यों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श संवैधानिक आदेशों के अनुसार अनिवार्य है। केन्द्र सरकार इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगी।

[हिन्दी]

बेरोजगारी दर

5422. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में बेरोजगारी की वृद्धि-दर कितनी रही है; और

(ख) देश में रोजगार की संभावना तथा अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। रोजगार तथा बेरोजगारी पर हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों के दो पंचवर्षीय चक्रों के अनुसार वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर आंध्र प्रदेश सहित भारत की बेरोजगारी दर 1999-2000 में 2.2% से मामूली बढ़कर 2004-2005 में 2.3% हो गई है। यह इस तथ्य के कारण था कि 2.97% प्रतिवर्ष पर श्रम बल में वृद्धि की गति 2.95% प्रतिवर्ष पर कार्यबल की वृद्धि दर से अधिक थी। श्रम बल में वृद्धि मुख्यतया इस तथ्य के कारण है कि कार्यशील आयु जनसंख्या कुल जनसंख्या से अधिक गति से बढ़ी तथा विशेष रूप से 1999-2000 से 2004-05 के दौरान महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई।

(ख) 11वीं योजना का उद्देश्य 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, निवेश, अवसंरचना विकास, निर्यात में वृद्धि आदि से और ज्यादा रोजगार अवसरों के सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, अति लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अलावा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का भी कार्यान्वयन करती रही है। युवाओं में रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संपूर्ण देश को शामिल करते हुए एक वृहद कौशल विकास कार्यक्रम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है। कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल शक्ति हैं और सभी संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को तदनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों को आरंभ करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना भी आरंभ की गई है। परियोजना के तहत, एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है जो आभासी रोजगार बाजार की तरह कार्य करेगा। इसमें एक तरफ कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता तथा दूसरी ओर उद्योग द्वारा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित आंकड़े होंगे। यह युवाओं को उपयुक्त रूप से नियोजित होने में सहायता करेगा तथा उद्योग को वास्तविक समय आधार पर आवश्यक कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

[अनुवाद]

मनरेगा योजना के अंतर्गत खादी का समावेश

5423. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत शामिल करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का अनधिसूचन

5424. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य स्थित कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को हटाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) कर्नाटक में विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत समस्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों की उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों को संस्वीकृत करने वाले बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में स्थिति ऐसे क्षेत्रों का अनधिसूचन करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका सरकार के राजस्व पर क्या प्रभाव होगा; और

(च) राजस्व-हानि के बदले में डेवलपरों द्वारा प्रभिभूति अथवा अर्थदण्ड भरे जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधराव सिंधिया): (क) से (च) 21 एसईजेडों के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने विकासकर्ताओं द्वारा अनधिसूचित किए जाने संबंधी अनुरोधों को अनुमोदित किया है। ये एसईजेड्स दिल्ली, हरियाणा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और दादरा एवं नगर हवेली में अवस्थित हैं। विकासकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए वित्तीय लाभों की प्रतिपूर्ति के अध्यधीन इन अनधिसूचनाओं को अनुमोदित किया गया है।

दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों में 1,76,148 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान एसईजेडों से लगभग 2,20,711.39 करोड़ रुपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं जिनमें पिछले वित्त वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में 121.40% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक अर्थात चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में 1,39,841 करोड़ रुपए तक के निर्यात हुए हैं जिसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातो की तुलना में 55.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों में कुल 6,20,824 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें नव अधिसूचित जोनों में 3,52,349 व्यक्ति शामिल हैं।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार अनुमोदन की वैधता तीन वर्ष की अवधि की होती है जिसके भीतर विकासकर्ता को अनुमोदित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु कारगर कदम उठाने होते हैं। विकासकर्ता से प्राप्त अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड वैधता अवधि को बढ़ा सकता है। एसईजेड इकाई की स्थापना तथा उसका प्रचालन एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं संबंधी योजना

5425. श्री उदय सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजना (पी.यू.आर.ए.) के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2010 के मई-जून माह में की गई नीलामी-प्रक्रिया का विजेता कौन रहा; और

(ग) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रयुक्त होने का अनुमान है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना को मंजूरी दे दी है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 248 करोड़ रु. के बजट प्रावधान से प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दृष्टि से आजीविका संबंधी असवर और शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिए ग्राम पंचायत में संभावित विकास केन्द्र के आस-पास सघन क्षेत्रों के व्यापक एवं त्वरित विकास का प्रस्ताव किया गया है। 15 अप्रैल, 2010 को राष्ट्रीय और वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना जारी की गई थी जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मांगी गई थी। इस सूचना के जवाब में, 93 ईओआई मिली थी जिनमें से ईओआई स्तर पर 45 संगठन योग्य पाए गए थे। ऐसे 45 संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन 45 संगठनों से 7 अक्टूबर, 2010 तक कॉन्सेप्ट प्लान के साथ-साथ विस्तृत बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 9 संगठनों ने 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 11 संगठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्य पाए गए हैं तथा संबंधित परियोजना प्रस्तावकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा गया है। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप से सफल परियोजनाओं की सूची तथा निधियों की जरूरतें विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

विवरण

पुरा योजना के संबंध में रूचि की अभिव्यक्ति स्तर पर योग्य पाए गए संगठनों की सूची

क्रम संख्या	पात्र बोलीदाता
1	2
1.	मैसर्स एग्रीकल्चरल फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुम्बई
2.	मैसर्स टाटा रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 10 वीर नरीमन रोड, मुम्बई

1	2
3.	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, जनपथ, नई दिल्ली
4.	मैसर्स स्माट एक्वा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मंसूराबाद, हैदराबाद
5.	हाइटेक स्वीट वाटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, घोड़ दौड़ रोड़, सूरत, गुजरात
6.	मैसर्स सत्या बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, डिफेंस कालोनी, गुडगांव, हरियाणा
7.	मैसर्स श्री सीमेंट लि. हंस भवन, बीएस जफर मार्ग, नई दिल्ली
8.	मैसर्स रानी इनफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट लिमिटेड, जनकपुरी, नई दिल्ली
9.	मैसर्स एवरोन एजुकेशन लि. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पेरून्गुड़ी, चैन्नई
10.	मैसर्स इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि., साकेत, नई दिल्ली
11.	मैसर्स निसा लेजर लि. ब्रिस्टल होटल के पास), गुड़गांव हरियाणा
12.	मैसर्स इनफ्रास्ट्रक्चर्स केरला लिमिटेड, सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड़, त्रिक्काकारा, कोचीन
13.	मैसर्स डेल्ही वेस्ट मैनेजमेंट लि., ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली
14.	मैसर्स रामकी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड़ सोमाजीगुड़ा हैदराबाद
15.	मैसर्स टाटा पावर लि., कारनैक बुंडर, मुम्बई (पक्षकार ने वापस ले लिया)
16.	मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बाला नगर, हैदराबाद
17.	मैसर्स आईडीएफसी प्रोजेक्टरस लि. मुनिरका, नई दिल्ली
18.	मैसर्स एनएपीसी लिमिटेड नंदानम, चैन्नई
19.	मैसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लि., पंचमुखी छाक के पास, अंगुल
20.	मैसर्स सिटी कारपोरेशन लि., हदपसार खराड़ी बाई पास, पुने
21.	मैसर्स एमएआरजी लि., कोटीवक्कम, चैन्नई
22.	मैसर्स रिलाइंस पावर लि. कोपरखैराने, नवी मुम्बई
23.	मैसर्स रोहतन बिल्डर्स (इंडिया) प्रा.लि., भंडारकर इस्टीयूट रोड़, पुणे
24.	मैसर्स बुलडाना अरबन को. आ. केडिट सोसाइटी लि., हुतात्मा गोरे पथ, बुलडाना
26.	मैसर्स आईवीआरसीआर इनफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्टर लि., बंजारा हिल्स, हैदराबाद
27.	मैसर्स इंटरड्रिल-शिवालया जेबी, सांताक्रुज (प.) मुम्बई
28.	मैसर्स एसवीईसी कंसट्रक्शन्स लि., जुबीली हिलस, हैदराबाद
29.	मैसर्स एसएएचएजे ई-विल्लेज लि., 3 बी/535, पोरूर चैनई
30.	मैसर्स सोमा एंटरप्राइज लि. बंजारा हिल्स हैदराबाद
31.	मैसर्स अपर्णा कंसट्रक्शन्स एंड एस्टेट्स, प्रा. लि., बंजारा हिल्स, हैदराबाद
32.	मैसर्स आईएलएंडएफएस लि, लोधी रोड़, नई दिल्ली

1	2
33.	मैसर्स अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लि., पुनागुट्टा, हैदराबाद
34.	मैसर्स एसपीएमएल इनफ्रा लि., पुष्प विहार, नई दिल्ली
35.	मैसर्स मोहिते एंड मोहिते (इंजीनियर्स एंड कोन्ट्रैक्टर्स) प्रा. लि., ताराबाई पार्क, कोल्हापुर (पक्षकार द्वारा वापस ले लिया गया)
36.	मैसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लि. कुकटपल्ली, हैदराबाद
37.	मैसर्स ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि., साकेत, नई दिल्ली
38.	मैसर्स प्रतिभा कंसट्रक्शन्स, इंजीनियर्स एंड कोन्ट्रैक्टर्स (इंडिया) प्रा. लि., ताराबाई पार्क, कोल्हापुर
39.	मैसर्स एटूजेड मेन्टनेंस एंड इंजीनियरिंग लि., गुडगांव हरियाणा
40.	मैसर्स विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., धरमपेठ, नागपुर
41.	मैसर्स टोटेम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., पुंजागुटटा, हैदराबाद
42.	मैसर्स यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि. ओल्ड प्रभादेवी रोड़, मुम्बई
43.	मैसर्स एमआईसी इलैक्ट्रॉनिक्स लि., कुशाहीगुड़ा हैदराबाद (पक्षकार द्वारा वापस ले लिया गया)
44.	मैसर्स जमशेदपुर यूटिलिटीज़ एंड सर्विस का. लि., कनॉट सर्कस, नई दिल्ली
45.	मैसर्स लक्ष्मी टाउनशिप लि., आरएन मुखर्जी रोड़, कोलकाता (पक्षकार द्वारा वापस ले लिया गया)

अवक्रमित भूमि का विकास

5426. श्री पूर्णमासी रामः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 तक खाद्य-सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से, वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में शुष्क-भू-कृषि वाले भू-क्षेत्र सहित, अवक्रमित भूमि के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पार्थसारथी समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं/सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या साठ प्रतिशत कृषि भूमि असिंचित तथा वर्षा निर्भर है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (ग) और (ङ) वर्षासिंचित क्षेत्रों में शुष्क-भूमि कृषि वाले भू-क्षेत्र सहित अवक्रमित भूमि का विकास करने के लिए भूमि संसाधन विभाग वर्ष 1995-96 से तीन क्षेत्र विकास योजनाओं अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 32.31 मिलियन है के कुल क्षेत्र, जिसमें बंजरभूमि शामिल है, को कवर करते हुए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वाटरशेड कार्यक्रमों में मुख्य मुद्दों को हल करने तथा इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्याक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यवहार्य कार्यनीतियों एवं तंत्रों की सिफारिश करने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2005 में श्री एस. पार्थसारथी की अध्यक्षता में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के संबंध में एक तकनीकी समिति का गठन किया था। तकनीकी समिति की मुख्य सिफारिशों में एक बेहतर वाटरशेड विकास कार्यक्रम के जरिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर अधिक जोर देना; वाटरशेड कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित संस्थाएं, लागत मानदण्डों को बढ़ाकर 1200/- रुपये प्रति हैक्टेयर करना; परियोजना अवधि में लचीलेपन की व्यवस्था; तीन चरणों अर्थात् आरंभिक चरण, संसाधन संवर्द्धन तथा संस्था निर्माण चरण एवं सम्पोषणीय जीविका तथा उत्पादकता वृद्धि चरण में परियोजना का कार्यान्वयन; निगरानी और क्षमता निर्माण के लिए पृथक बजट प्रावधान; भूमिहीनों और दलितों के लिए विशेष प्रावधान; पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था; उत्पादकता और आजीविका

में वृद्धि की व्यवस्था; आदि शामिल हैं। पार्थसारथी समिति की पूरी रिपोर्ट भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट (http://watershed.nic.in) पर उपलब्ध है। समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग के समन्वय से वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 तैयार किये। समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों तथा पार्थसारथी समिति की टिप्पणियों से भूमि संसाधन विभाग की वाटरशेड योजनाओं में संशोधन करना आवश्यक हो गया। तदनुसार, भूमि संसाधन विभाग के डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी को एकीकृत किया गया और 26.2. 2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया। कलस्टर आधार पर माइक्रो वाटरशेडों को विकसित करने की व्यवस्थाएं, लागत मानदंडों में वृद्धि, किस्तों की कम संख्या, परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्ति राज्यों को प्रत्यायोजित करना, समर्पित संस्थाएं, भागीदारों का क्षमता निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशिष्ट बजट प्रावधान, सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए जीविका तथा उत्पादकता में वृद्धि आईडब्ल्यूएमपी की मुख्य विशेषताएं हैं, जिनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिनमें से एक परिणाम अधिकाधिक क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाना है।

(घ) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वर्ष 2008 में प्रकाशित 'भारत के बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि डॉटासेटों का सुमेलन' के अनुसार देश में कुल वर्षासिंचित क्षेत्र 82.75 मिलियन हैक्टेयर है, जो देश में निवल बुआई क्षेत्र का 58.53% है।

इलायची का उत्पादन

5427. श्री प्रेम दास राय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बड़ी इलायची के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त गिरावट का कारण जलवायु परिवर्तन और/अथवा विषाणु आक्रमण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आजीविका से जुड़े इस प्रमुख मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रालय ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव): (क) और (ख) जैसाकि नीचे दिए गए ब्यौरे से स्पष्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इलायची (बड़ी) के उत्पादन में गिरावट आई है:-

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (टन)
2006-07	30039	4480
2007-08	30039	4920
2008-09	27034	4300
2009-10	27034	4180
2010-11*	26984	3960

(ग) और (घ) जलवायु स्थितियों में उतर-चढ़ाव और रोगों का प्रसार इलायची (बड़ी उत्पादन में गिरावट आने के प्रमुख कारण हैं। इलायची (बड़ी) के प्रभावी क्षेत्र में भी लगातार कमी हो रही हैं।

(ङ) भारत सरकार ने इलायची (बड़ी) के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक अनन्य स्कीम अर्थात सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में इलायची बागानों के पनुर्रोपण एवं नवीकरण हेतु विशेष प्रयोजन निधि तैयार की है। एक दूसरी स्कीम अर्थात मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार के अतर्गत भी ऐसे कार्य घटक हैं जो इलायची के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार को सुकर बनाते हैं। 11वीं योजना के दौरान इन स्कीमों का कार्यानवयन किया जा रहा है। इन दोनों स्कीमों का कार्यान्वयन मसाला बोर्ड द्वारा किया जाता है।

प्र.मं. ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सुदूरस्थ ग्राम

5428. श्री पुलीन बिहारी बासके:
श्री एस पक्कीरप्पा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए सभी सुदूरवर्ती ग्रामों को राज्यीय तथा राष्ट्रीय राज्यमार्गों से जोड़ने का विचार

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2010-11 में उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य मैदानों क्षेत्रों में 500 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार) तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 व्यक्ति तथा इससे अधिक आबादी वाली सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़क से न जुड़ी बसावट वह है जो बारहमासी सड़क अथवा सड़क से जुड़ी किसी बसावट से कम-से-कम 500 मीटर अथवा इससे अधिक (पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में 1.5 कि.मी. की दूरी पर) दूरी पर स्थित है।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधन घटक, जिसे शामिल किए जाने की संभावना नहीं है, के रूप में 10,000 करोड़ रु. सहित 22,000 करोड़ रु. कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों में कार्यक्रम के लिए 7,000 करोड़ रु. दिए गए हैं।

(घ) लक्ष्य को वर्ष 2007 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, राज्यों की अपर्याप्त सांस्थानिक तथ निष्पादन क्षमता सहित विभिन्न कारणों से इसे हासिल नहीं किया जा सका था। कार्यक्रम के तहत हासिल किए जाने वाले लक्ष्य 12वीं योजना में जा सकते हैं।

खाद्य निर्यात

5429. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य निर्यात में वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यातकों को प्रदान की जा रही विभिन्न प्रोत्साहन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ है;

(ग) क्या सरकार ऐसे अन्य देशों को सब्जियों का निर्यात करती है जो इस पर शुल्क नहीं लगाते; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य निर्यातों (प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों, पशु उत्पादों एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों तथा अनाजों सहित) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

2007-08	2008-09	2009-10
2895.22	32146.46	29867.77

(ख) निर्यातों का संवर्धन करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सरकार वस्तु बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के अन्तर्गत किए जाने वाले उपायों और प्रोत्साहनों के माध्यम से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं अर्थात बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता के शहर आदि। इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक शिष्टमंडलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भी समग्र कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपने पास पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) सरकार सब्जियों का निर्यात नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीजों का आयात

5430. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अन्य देशों से फसल-बीज आयात करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बीज-आयात पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय ने उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 के दौरान लीची के 500 पौधों और वर्ष 2010 के दौरान नाशपाती के 3000 पौधों के आयात की सिफारिश की है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि के बारे में कृषि मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

हवाई हमले रोकने के उपाय

5431. श्री संजय निरूपम: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली देश के महत्वपूर्ण शहरों पर हवाई-हमले रोकने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे हमलों की स्थिति में वायु प्रतिरक्षा प्रणाली तथा आपदा-प्रबंधन की तैयारी जांचने की दृष्टि से समय-समय पर अभ्यास (मॉक-ड्रिल्स) आयोजित किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) हवाई खतरे से उत्पन्न किसी संभावित समस्या संबंधी आकस्मिकता का सामना करने के वास्ते समयबद्ध और उपयुक्त प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं खतरे की संकल्पना और निगरानी की आवश्यकता के आधार पर हवाई रक्षा उपायों की निरंतर समीक्षा, मूल्यांकन तथा उनका सुदृढ़ीकरण किया जाता है और इसके अनुसार छद्म अभ्यास (मॉक ड्रिल) सहित आवश्यक उपाए किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

कोरिया और जापान के साथ व्यापार

5432. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का जापान और कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में उक्त देशों के साथ कतिपय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार मजबूत होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत का जापान तथा कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष भारत और जापान के बीच प्रधानमंत्री स्तर पर एक द्विपक्षीय शिखर बैठक होती है। कोरियाई राष्ट्रपति ने जनवरी, 2010 में भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक शिखर बैठक की थी।

(ग) से (ङ) भारत ने कोरिया गणराज्य के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए है। यह करार दिनांक 1.1.2010 से लागू हुआ है। कोरिया के साथ करार में न केवल वस्तु व्यापार बल्कि निवेश, सेवा तथा परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 को जापान यात्रा के दौरान जापान के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के लिए वार्ताओं को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की गई थी। दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद मंत्रालयी स्तर पर इस सीईपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जापान ने भारत के लिए अपनी 87% टैरिफ लाइनों को शून्य श्रेणी में रखा है। इनमें से अधिकांश मदें भारत के निर्यात हित की है। इन करारों से वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश तथा सहयोग में अधिक आर्थिक भागीदारी तथा परस्पर समृद्धि में योगदान मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

श्रम कानून

5433. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कंपनियों द्वारा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कंपनियों ने इस विभाग को उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

युवाओं तथा अकुशल कामगारों को रोजगार

5434. श्री रामसिंह राठवा:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों में अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुबंध-प्रणाली तथा कार्य बाहर से करवाने (आउटसार्सिंग) की नीति के कारण केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों में रोजगार के अवसर घटे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारत सरकार शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार प्राप्त निर्धनों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने, उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा साथ ही उन्हें वेतन रोजगार प्रदान करने और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) (1 अप्रैल, 2009 से पुनर्गठित) का कार्यान्वयन कर रही है। पुनर्गठित एसजेएसआरवाई के पांच संघटक हैं: (क) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी), (ख) शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी), (ग) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी), (घ) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) और (ङ) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)। यह योजना केन्द्र एवं राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत अंश आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी रोजगार कार्यनीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विचार किया गया है। 11वीं योजना ने उत्पादन में उच्च वृद्धि की संभावनाओं वाले और नए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है।

सरकार रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी-दोनों क्षेत्रों में महिलाओं सहित वैयक्तिक उद्यमियों/स्व-सहायता समूह की सहायता करके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ एक ऋण-सम्बद्ध राजसहायता कार्यक्रम, करती रही है। विभिन्न पिछड़े और अगड़े संपर्कों जैसे उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, बाजारों के संवर्धन हेतु प्रदर्शनियों, जागरूकता कैम्पों का आयोजन इत्यादि हेतु पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) संविदाओं और सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में निर्णय वैयक्तिक मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों द्वारा लिए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भू-अर्जन

5435. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों ने यह मांग की है कि ऐसे मामलों,जिनमें सरकार ने भूमि का अर्जन तो सार्वजनिक प्रयोजन से किया किन्तु बाद में उसे निजी फर्मों को बाजार-मूल्य पर बेच दिया, की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान होना चाहिए:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसानों से अर्जित भूमि को निजी फार्मे को बेच देने के राज्य-वार कितने मामले हुए है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाए किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (घ) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति वर्ष 2003 में तैयार की गई थी और यह नीति फरवरी, 2004 से लागू हुई है। इस नीति के कार्यान्वयन के अनुभव से यह पता चला कि नीति द्वारा हल किए गए कई मामले ऐसे थे जिनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग ने

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी-2007) तैयार की। एन.आर.आर.पी. 2007 को भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया है।

एन.आर.आर.पी. 2007 के पैरा 6.24.1 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी परियोजना के लिए अनिवार्यत: अर्जित की गई भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता है और यह अंतरण समुचित सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

एन.आर.आर.पी. 2007 के पैरा 6.24.2 में यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी परियोजना के लिए अनिवार्यत: अर्जित की गई भूमि या उसका एक भाग अर्जनकारी निकाय द्वारा कब्जे में लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक परियोजना के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो उसे अर्जनकारी निकाय को कोई प्रतिकर या क्षतिपूर्ति की अदाएगी किए बिना ही समुचित सरकार के कब्जे में और स्वामित्व में वापस कर दिया जाएगा।

एन.आर.आर.पी. 2007 के पैरा 6.25 में यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि को किसी व्यक्ति या संगठन संगठन (चाहे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में) को किसी प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है, तो अंतरितक को इस तरह से उद्भूत किसी निवल अनर्जित आय के अस्सी प्रतिशत भाग को उन व्यक्तियों में, जिनकी भूमि अर्जित की गई थी या उनके उत्तराधिकारियों के बीच उस मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा, जिस पर भूमि अर्जित की गई थी। इस निधि को अलग खाते में रखा जाएगा, जिसका संचालन उस तरह से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

इसके अलावा, एन.आर.आर.पी. 2007 को सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए भूमि अर्जन (संशोधन, 2010 और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक, 2010 को संसद में पुर: स्थापित किए जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

किसानों की भूमि निजी फर्मों को बेचे जाने संबंधी आंकड़े केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

वर्कला नहर में कचरा

5436. श्री ए. सम्पत: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्कला नहर (केरल में तिरूवनन्तपुरम जिला) में कचरे को साफ करने तथा गाद निकालने के लिए विभिन्न इलाकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि वर्कला-कप्पिल कोल्लम मार्ग को नौवहनीय बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) वर्ष 1983 से ही कोल्लम से कोट्टापुरम तक राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के विकास के लिए आबंटित तथा उपयोग की गयी धनराशि कितनी है तथा अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयोजना) को दिए जाने वाले अनुदानों के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए धन दिया जाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के लिए अलग से धन नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3, अर्थात् चंपाकारा और उद्योगमंडल कैनालों के साथ-साथ कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच पश्चिमी तट कैनाल, में विकास के लिए वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के समय से लगभग 130 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के विकास कार्यों में शामिल हैं (i) नौचालनात्मक जलमार्ग का विकास (ii) नौचालन के लिए सहायक उपकरणों की व्यवस्था और (iv) महत्वपूर्ण स्थानों पर टर्मिनल सुविधाओं स्थापना किया जाना। जहां तक नौचालनात्मक जलमार्ग का संबंध है, 88.29% जलमार्ग का विकास कर लिया गया है। संपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में 24 घंटे नौचालन उपलब्ध करवाए जाने में 100% प्रगति हासिल कर ली गई है। टर्मिनलों के निर्माण कार्यों में 70% प्रगति हासिल कर ली गई है।

[हिन्दी]

कामगारों के बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा

5437. श्री तूफानी सरोज: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामगारों/श्रमिकों के बच्चों एवं आश्रितों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय के कब तक कार्य प्रारंभ करने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) कामगारों/श्रमिकों के बच्चों एवं आश्रितों को केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है। तथापि, ऐसे आश्रित देश में पहले से ही स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में हमेशा प्रवेश पा सकते हैं।

[अनुवाद]

दीन दयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना

5438. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में आई है कि दीन दयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता समय पर जारी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) समय पर अनुदान-सहायता जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष स्कूल शिक्षकों को दिए जा रहे मानदेय को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत निधियों की निर्मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों से सभी दृष्टिकोण से पूर्ण प्रस्तावों की समय पर प्राप्ति के अध्यधीन है। विलम्ब विभिन्न कारणों से होता है जिनमें राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से अनुशंसित प्रस्तावों की विलम्ब से प्राप्ति, प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में कमियां, कुछ संगठनों के विरुद्ध शिकायतें इत्यादि शामिल हैं।

(ग) अनुदानों की समय पर निर्मुक्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) वित्तीय वर्ष के आरंभ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रयोगमूलक आबंटन इस अनुरोध के साथ सूचित किए जाते हैं कि गैर-सरकारी संगठनों से पूर्ण प्रस्ताव अनुशंसित करें।

(ii) राज्य स्तर पर प्रभावी मानीटरिंग के लिए अनुदान सहायता समिति गठित की गई है ताकि राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ पूर्ण प्रस्ताव समय पर प्राप्त हों।

(iii) राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति की स्थिति तथा उन पर कार्यवाही की नियमित अन्तरालों पर समीक्षा की जाती है।

(iv) योजना के तहत कार्य निष्पादन के विलम्ब को कम करने के मद्देनजर राज्य सरकारों के संबंधित सचिवों के साथ भी समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मानदेय आवर्ती मदों तथा गैर-आवर्ती मदों के व्यय के लिए लागत मानकों को संशाधित किया है तथा संशोधित मानक 1.4.2009 से प्रभावी हैं। विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए मानदेय की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं–

क्रम सं.	पद	मानदेय की संशोधन पूर्व दर (रुपए में)	मानदेय की संशोधित दर (रुपए में)
1.	सैकेंडरी/मिडिल स्कूल के प्रिसिंपल/हेड मास्टर	6000	8200
2.	विशेष अध्यापक	5000	6900
3.	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक/प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर	4200	5800
4.	सहायक शिक्षक	2800	3800

तटीय क्षेत्रों में बंजर भूमि

5439. श्रीमती दीपा दासमंशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम किन राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गयी परियोजनाओं तथा कृषि के अधीन पायी गयी बंजरभूमि के क्षेत्रों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के दौरान देश में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में बंजरभूमि को और कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक सभी 28 राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को अन्य दो क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के साथ 26.2.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईउब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में एकीकृत एवं समेकित किया गया है। वर्ष 2007-08 से (अर्थात् गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान) आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। तथापि, गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्यों के नाम तथा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्थानिक आंकड़ों की तुलना के जरिए बंजरभूमि में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 और 2008-09 के दौरान बंजरभूमि परिवर्तन विश्लेषण संबंधी एक परियोजना राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद को सौंपी गई है। इस अध्ययन से विभाग इन दो अवधियों के बीच कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हुई बंजरभूमि के विस्तार का आकलन करने में सक्षम होगा। तथापि, इस अध्ययन के जरिए कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित बंजरभूमि के वर्ष-वार क्षेत्रफल का आकलन करना संभव नहीं है।

(ग) भूमि संसाधन विभाग वर्ष 1995-96 से तीन क्षेत्र विकास योजनाओं अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करता रहा है। श्री एस. पार्थसार थी की अध्यक्षता में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) संबंधी एक तकनीकी समिति (2006) ने वाटरशेड कार्यक्रमों के मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया और इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य कार्यनीतियों एवं तंत्रों की सिफारिश की। समिति के सुझावों के आधार पर वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने योजना आयोग के समन्वय से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी विद्धांत, 2008 तैयार किए। भूमि संसाधन विभाग ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए 26.02.2009 से तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)' नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया। आईडब्ल्यूएमपी का मुख्य उद्देश्य अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वानस्पतिक आच्छादन, जल को उपयोग में लाना, उनका संरक्षण करना तथा उन्हें विकसित करना है; मृदा बहाव को रोकना, वर्षा जल का एकत्रण करना तथा भू-जल स्तर की पुनः भराई; फसलों की उत्पादकता बढ़ाना; बहु फसलें तथा कृषि आधारित विविध कार्यकलाप आरंभ करना; सतत् आजीविका को बढ़ावा देना तथा घरेलू आय को बढ़ाना है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं का प्राथमिकता क्रम कुछेक मानदंडों पर आधारित होता है। वे हैं:- गरीबी सूचकांक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, वास्तविक मजदूरी, छोटे और सीमांत किसानों की प्रतिशतता, भू-जल की स्थिति, नमी सूचकांक, वर्षा सिंचित कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, पेयजल, अवक्रमित भूमि, भूमि की उत्पादन क्षमता, अन्य वाटरशेडों, जिन्हें पहले ही विकसित कर दिया गया है, से निकटता तथा सामूहिक पद्धति।

वाटरशेड कार्यक्रमों के अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को शामिल करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तटीय क्षेत्र सहित कोई भी क्षेत्र जो प्राथमिकता क्रम के उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते है, वह आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत विकसित किये जाने का पात्र है।

विवरण

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2011 (*30.11.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं तथा जारी की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा*

(क्षेत्र मि.है. में तथा रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2009-10			2010-11*			योग	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	110	0.473	30.68	171	0.741	119.8	1.214	150.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार							0	0
3.	छत्तीसगढ़		41	0.209	13.69		31.95	0.209	45.64
4.	गोवा	0	0						
5.	गुजरात	151	0.708	50.23			117.19	0.708	167.42
6.	हरियाणा		0	0					
7.	हिमाचल प्रदेश	36	0.204	16.51			34.74	0.204	51.25
8.	जम्मू और कश्मीर		0	0					
9.	झारखण्ड	20	0.118	7.64			17.81	0.1अ18	25.45
10.	कर्नाटक	119	0.492	81	127	0.547	70.96	1.039	151.96
11.	केरल				10	0.052	4.22	0.052	4.22
12.	मध्य प्रदेश		116	0.671	43.48	101.46	0.671	144.94	
13.	महाराष्ट्र	243	0.996	67.77			158.14	0.996	225.91
14.	उड़ीसा	65	0.336	21.77	50.8	0.336	72.57		
15.	पंजाब	6	0.035	2.29				0.035	2.29
16.	राजस्थान	162	0.926	69.92	207	1.222	254.61	2.148	324.53
17.	तमिलनाडु	50	0.260	16.17	62	0.311	60.16	0.571	76.81
18.	उत्तर प्रदेश	66	0.350	22.68	183	0.897	132.13	1.247	154.81
19.	उत्तराखंड		0	0					
20.	पश्चिम बंगाल		0	0					
	पूर्वोत्तर राज्य		0	0					
21.	अरुणाचल प्रदेश	13	0.068	5.45	32	0.091	20.08	0.159	25.53
22.	असम	57	0.221	32.53	16.85	0.221	49.38		
23.	मणिपुर	0	0						
24.	मेघालय	18	0.030	2.43	29	0.052	9.88	0.082	12.31
25.	मिजोरम	16	0.062	5.06	0.062	5.06			
26.	नागालैंड	22	0.106	8.56	19	0.083	26.71	0.189	35.27
27.	सिक्किम	3	0.015	1.17	0.015	1.17			
28.	त्रिपुरा	10	0.030	2.45	10	0.03	8.16	0.06	10.61
	कुल योग	1324	6.310	501.47	850	4.026	1235.66	10.336	1737.13

[हिन्दी]

संपर्क सड़कों के साथ सड़कों का निर्माण

5440. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए चरण-II में सड़कों के निर्माण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में गांवों को संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा इससे अधिक के आबादी और पहाड़ी राज्य, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि (मरुभूमि विकास कार्यक्रम) क्षेत्रों, गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 250 तथा इसके अधिक की आबादी वाली पात्र संपर्क-विहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क से जोड़ना है।

[अनुवाद]

पत्तनों पर खतरनाक अपशिष्ट

5441. श्री एल. राजगोपाल क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक अपशिष्ट से निपटने के लिए कोई केन्द्रीयकृत तंत्र न होने के कारण पत्तनों को खतरनाक अपशिष्टों से निपटने में कई समस्याएं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई पत्तन में क्लोरीन गैस के रिसने के मद्देनजर सरकार खतरनाक सामग्री के आयात की अनुमति देने को रोकने या खेप को एक माह के भीतर उठाने की शर्त लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मुम्बई पत्तन न्यास में क्लोरीन गैस रिसने की घटना के अनुपालन में, पोत परिवहन मंत्रालय ने संयुक्त सचिव (पत्तन) पोत परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। अन्य में से, इस समिति ने सिफारिश की कि सभी अनिष्टकारी कार्गो को दिन के समय में ही संभाला जाएगा। खतरनाक/अनष्टिकारी कार्गो की सीधी सुपुर्दगी, पत्तन परिसर के भीतर ऐसे कार्गो के भंडारगाह से ही की जाती है। सभी आयात कार्गो को सीमा शुल्क की निगरानी में पोतों के हुक से सीधे आयातक के बंधित भंडारगाहों से लिया जाए। निर्यात कार्गो के मामले में, सीमा शुल्क की सभी औपचारिकताओं को निर्यातक द्वारा पूरा किए जाने की आवश्यकता है, जबकि ऐसे खतरनाक कार्गो का पोतों के घाट पर लगने पर ही परिवहन किया जाए और नौचालन से कुछ पूर्व ही जलयान पर सीधी लदाई की जाए। किसी भी कारणवश, यदि अनिष्टकारी कार्गो की निकासी नहीं होती है और उतराई से 7 दिन तक पत्तन में पड़ा रहता है, ऐसे में अगले 7 दिनों के भीतर निर्यात/आयात देश को कार्गो को वापस भेजे जाने हेतु पोत अभिकर्त्ता उत्तरदायी होगा। निर्यात कार्गो के मामले में, शिपमेंट के लिए पत्तन में कार्गो लाया जाता है और 2 दिनों के भीतर उसको भेजा नहीं जाता है तो ऐसे में, अगले 2 दिनों के भीतर कार्गो को वापस लिए जाने हेतु निकासी अभिकर्त्ता उत्तरदायी होगा।

हथियारों का निर्यात

5442. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध निर्माणियों द्वारा बनाए गए हथियार और गोला-बारूद अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए हथियार एवं गोला-बारूद का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को निर्यात किए गए हथियार एवं गोला-बारूद की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (देशवार) निर्यात किए गए उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आयुध निर्माणी बोर्ड अपनी वास्तविक मदों के निर्यात और बाजार में अपनी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

(i) अन्य देशों के रक्षा विदेश अधिप्राप्ति कार्यालयों के साथ स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए रक्षा अताशे कार्यालयो के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ii) निर्यात के लिए संभावित उत्पादों को आयुध निर्माणी बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में सहभागिता बढ़ी है।

(iii) लक्षित ग्राहकों के साथ समय-समय पर बातचीत होती है।

(iv) ग्राहक की जरूरत संबंधी प्रतिक्रिया में सुधार लाने के लिए ग्राहकों से प्राप्त जानकारियों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(v) सैन्य पत्रिकाओं में उत्पाद प्रोत्साहन।

लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड सीमांत लागत पर आधारित सामरिक मूल्य का सहारा ले रहा है।

आयुध निर्माणियों में पहले से ही विद्यमान प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की जा रही है ताकि उनका उन्नयन करके अथवा उनका उन्नत संस्करण बनाकर उन्हें संभावित निर्यात उत्पादों के रूप में उतारा जा सके।

उत्पाद विभेदीकरण हेतु सहक्रियात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी और/अथवा विदेशी स्रोतों की भी पहचान की जा रही है।

(घ) से (च) निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात किए गए हथियारों और गोलाबारूद की गुणवत्ता के बारे में कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं:

(i) तुर्की भेजते समय गोलाबारूद की पेटियों में डेंट आना

(ii) 30 मि.मी. अदेन गोली जिसे इंडोनेशिया निर्यात किया गया था, बंदूक में ठीक से नहीं लग पा रही थी, हालांकि खरीददार द्वारा शिपमेंट भेजे जाने से पहले निरीक्षण किया गया था।

उपर्युक्त शिकायतों का ग्राहकों की संतुष्टि तक समुचित ढंग से समाधान किया गया।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए उत्पादों का विवरण (देश-वार)

(I) वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यात

क्रम सं.	देश	मद
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	बोल्ट एक्शन राइफल (8500 नग)
2.	केन्या	105 मि.मी. गोलाबारूद (2000 नग)
3.	ओमान	कार्टेज 14.5 मिमी. एटीए (5100 नग)
4.	मलेशिया	अतिरिक्त पूर्जे 40 मिमी. एल-70
5.	इंडोनेशिया	ब्रेक पैरा सुखोई (9 नग)

1	2	3
6.	नेपाल	टेंट विस्तार योग्य (2000 नग)
7.	तुर्की	कार्टेज 40 मिमी. एल-70 (20000 राउंड)
8.	बांग्लादेश	नष्ट किए जाने वाले भंडार
9.	आस्ट्रेलिया	पुराने राइफल और हिस्से-पूर्जे
10.	बेल्जियम	शेल 84 मिमी. आईएलएलजी
11.	ओमान	केबल जेडब्ल्यूडी-1
	कुल अमरीकी डालर में	6,824,800
	कुल रुपए में	27.43 करोड़

(II) वर्ष 2008-09 के दौरान निर्यात

क्रम. सं.	देश	मद
1.	इजरायल	छोटे अस्त्र के गोलाबारूद 5.56 मिमी. बैरल, 5.56 मिम. मैगजीन 5.56 मिमी.
2.	चिली	कार्टेज 14.5 मिमी. एटीए
3.	मिस्त्र	नाइट्रोगुएनाइडाइन
4.	सिंगापुर	कार्टेज 5.56 मिमी., बैरल
5.	सऊदी अरब	गन मशीन 7.62 मिी. एमएजी
6.	बेल्जियम	84 मिमी. कार्टेज केस
7.	ओमान	केबल जेडब्ल्यूडी-1
8.	ओमान	कार्टेज 14.5 मिमी. एटीए
9.	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैगजीन 9 मिमी. पिस्टल
10.	बेल्जियम	फ्यूज 84 मिमी.
11.	बेल्जियम	नाइट्रोसेल्यूलोज
12.	इंडोनेशिया	कार्टेज 30 मिमी. अडेन पीआरएसी
13.	श्रीलंका	40 मिमी. एल-70 गन बैरल
14.	बोत्सवाना	105 मिमी. गोलाबारूद
15.	नेपाल	हिस्से-पुर्जे 5.56 मिमी.
16.	मलेशिया	हिस्से-पुर्जे 40 मिमी. एल-70
17.	बेल्जियम	नाइट्रोसेल्यूलोज
18.	तुर्की	टेट्राइल
19.	बेल्जियम	नाइट्रोसेल लुलोस

1	2	3
20.	बांग्लादेश	फॉग सिग्नल
21.	सिंगापुर	40 मिमी. एल-70 बैरल
22.	थाईलैंड	कार्टेज 5.56 मिमी. एसएस-109
23.	केन्या	एएमएमओ 84 मिमी. 105 मिमी.
24.	नेपाल	नष्ट किए जाने वाले भंडार
25.	सिंगापुर	कार्टेज 40 मिमी. एल 70 टीपीटी
	कुल अमरीकी डालर में	8738.324
	कुल रुपए में	41.07

(III) वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात

क्रम सं.	देश	मद
1.	बेल्जियम	84 मिमी. एआई कार्टेज केस
2.	सिंगापुर	40 मिमी. एल-70 गन बैरल
3.	मलेशिया	कोर्ड डेट, 3 पीडीआर ब्लैंक
4.	बांग्लादेश	फॉग सिंगनल
5.	बोत्सवाना	राकेट 84 मिमी.
6.	बांग्लादेश	फॉग सिंगनल
7.	नेपाल	नष्ट किए जाने वाले भंडार
	कुल अमरीकी डालर में	2,559,832
	कुल रुपए में	12.28 करोड़

वर्ष 2010-11 के दौरान आज की तारीख तक जारी

क्रम सं.	देश	मद
1.	इंडोनेशिया	ब्रेक पैराशूट सुखोई
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	कार्टेज 5.56 मिमी. एसएस 109
3.	ओमान	ब्रेक पैरा जगुआर
4.	ओमान	केबल जेडब्ल्यूडी-1
5.	इजराइल	कार्टेज 5.56 मिमी. × 45 मिमी. इनसास
	कुल अमरीकी डालर में	153,825
	कुल रुपए में	0.69 करोड़

वर्तमान निष्पादन 2010 के अधीन मदें

क्रम सं.	देश	मद
1.	इटली	कवच मोड II
2.	इटली	एके 630 एम
3.	केन्या	84 मिमी./105 गोलाबारूद
4.	सूरीनाम	हवा भरने योग्य बोटें
5.	नेपाल	नष्ट किए जाने वाले भंडार
	कुल अमरीकी डालर में	9,336,444
	कुल रुपए में	42 करोड़

पत्तनों का संपर्क

5443. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण देश में और विशेषकर गोवा में मुर्मू गांव पत्तन में प्रमुख पत्तनों में पत्तन संपर्क में समस्या आती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं, सड़क जोड़ने की परियोजनाएं मुरगांव पत्तन का 4 लेन राष्ट्रीय एन. एच 17बीं सड़क जोड़ने की परियोजना को छोड़ कर लगभग सभी महापत्तन में सुचारु रूप से चल रहा है। दुर्भाग्यवश, यह परियोजना राज्य सरकार की असहयोग-शील व्यवहार के कारण लम्बित हुई है। सादा जंगशन से बैना तक 5.2 कि.मी. का अन्तिम विस्तार को छोड़कर, सादा जंगशन से वेनी तक एन एच 17बीं का (18.3 कि. मी.) का लगभग पूरा विस्तार का चार लेन पूरा हो गया है। सादा जंगशन का बैना तक इस विस्तार का 4 लेन एन एच ए आई को भूमि की रिक्त स्वामित्व देने के लिए राज्य सरकार की असमर्थता, जोकि इस परियोजना को निष्पादित करती है के कारण रुका हुआ है। यह सत्य है कि मुरगांव पत्तन ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास की लागत भुगतान पहले ही कर दिया है। यह राज्य सरकार के भाग पर देरी का लेखा पर रु. 12 करोड की पुनर्वास की बढ़ी हुई लागत का भुगतान करने के लिए भी तैयार है। एन एच ए आई के लिए सदा जंगशन भूमि तक का पूरा विस्तार दिए जाने के लिए उच्च न्यायलय द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार लगातार सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों को अनुमति दे रही है, जिससे सड़क के पूरा होने के लिए बाधा है।

(ख) समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उच्च स्तर बैठकें हुई हैं। एक बैठक गोवा सरकार और मुरगांव पत्तन के कार्यकत्ताओं के साथ सचिव (पोत-परिवहन) द्वारा 17 मार्च, 2010 को ली गई थी, जिसमें सचिव (पोत-परिहवहन) पत्तन द्वारा दिए गए विशेष पैकेज के लिए सरकार को मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव, गोवा सरकार से अनुरोध किया। एक स्वतंत्र ऐजेंसी पत्तन द्वारा दिए गए विशेष पैकेज के लिए 78 दखलकारों का मूल्यांकन ओर उनके क्षेत्र के विकास के लिए सड़क की आवश्यकता और राज्य में आर्थिक विकास गठित की जाएगी।

ईपीएफ राशि पर ब्याज

5444. श्री एस. सेम्मलई: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपने स्वयं के न्यासों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि का प्रबंधन कर रही अधिकांश बड़ी कंपनियों ने ईपीएफ राशि पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से 9. 5 प्रतिशत करने पर आपत्ति जतायी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) अपने स्वयं के न्यासों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि का प्रबंधन कर रही कंपनियों से ईपीएफ राशि पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत करने से संबंधित ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [सीबीटी (क.भ.नि.)] की दिनांक 15.9.2010 को आयोजित 90वीं बैठक के दौरान कर्मचारियों

के प्रतिनिधियों द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई थी। लेकिन, बोर्ड ने विचार-विमर्श करने के पश्चात् दिनांक 30.3.2010 की स्थिति के अनुसार ब्याज उचंत खाते में उपलब्ध बेशी धनराशि और वर्ष 2010-11 में संभावित आय के आधार पर वर्ष 2010-2011 के लिए अपने अंशदाताओं हेतु 9.5% ब्याज दर की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेय जल

5445. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में उन गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां स्वच्छ और फिल्टर किए गए पेय जल की आपूर्ति उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विशेषकर चुरू जिले को विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार एवं जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि कितनी है तथा इस संबंध में हासिल की गई उपलब्धि क्या है; और

(घ) राज्य के शेष गांवों में पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) केन्द्र स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की कवरेज बसावट-वार की जाती है। विभागीय समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली पर राजस्थान राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 8.12.2010 की स्थिति के अनुसार राज्य में 276 कवर न की गई तथा 32936 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं जिनमें कुछ स्रोत संदूषण से प्रभावित हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत निधियां राज्यों को रिलीज की जाती हैं न कि जिलों को। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आबंटन तथा रिलीज और राज्य द्वारा किया गया व्यय तथा वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धि नीचे दी गई है।

(रु. करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय प्रगति			वास्तविक प्रगति	
	आबंटन	रिलीज	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	606.72	606.72	619.67	19,123	5,353
2008-09	970.13	971.83	967.95	25,654	7,434
2009-10	1,036.46	1,012.16	680.00	10,929	10,770
2010-11*	1,165.44	553.58	385.05	7,764	2,089

*8.12.2010 की स्थिति के अनुसार समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली के अनुसार।

(घ) जिन बसावटों को अभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, उन्हें भारत निर्माण के चरण-II में अर्थात 2012-13 तक कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

5446. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हेतु दूरसंचार विभाग के आदेशों को लागू करने के लिए मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने अपने नेटवर्क एवं विभिन्न अन्य संसाधनों का उन्नयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं को बदलने के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाने हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को क्रियान्वित करने के लिए अपने नेटवर्क में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। एमएनपी को हरियाणा

में 25.11.2010 को शुरू किया गया है और देश के शेष भागों में इसे 20.1.2011 से शुरू किया जाना है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा एमएनपी सेवाओं हेतु अपनाए जाने वाले मानदंडों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ताओं के पास, अपना नंबर बदले बिना, अपनी पंसद के दूरसंचार सेवा प्रदाता (प्रचालक) के चयन का विकल्प होगा बशर्ते कि उसके वर्तमान सेवा प्रदाता की मोबाइल सेवा का ग्राहक बनने के बाद कम से कम 90 दिन की अवधि समाप्त हो गई हो। सेवा प्रदाता को बदलने, अर्थात् पोर्टिंग के लिए, किसी उपभोक्ता को जिस नंबर से वह पोर्ट करना चाहता है उससे 1900 नंबर पर एक एसएमएस (लघु संदेश सेवा) करना होता है और ऐसा करने पर उसके वर्तमान सेवा प्रदाता से उसे एसएमएस पर एक यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) प्राप्त होगा। उपभोक्ता को उसके द्वारा चुने गए नए सेवा प्रदाता को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन करना होगा जिसमें यूपीसी अधृत किया जाएगा जो नए सेवा प्रदाता के लिए आवेदन प्रपत्र भरते समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। तत्पश्चात् नया सेवा प्रदाता अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई करेगा ताकि उपभोक्ता को उसके नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सके। पोर्टिंग का कार्य 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना होता है। ट्राई ने पोर्टिंग प्रभारों के संबंध में अधिकतम 19/- रु. की राशि निर्धारित की है जो नया सेवा प्रदाता उपभोक्ता से वसूल कर सकता है पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं को पोर्टिंग का अनुरोध करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अंतिम बिल का भुगतान कर दिया गया है अन्यथा नए सेवा प्रदाता के लिए परिवर्तन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि प्री-पेड उपभोक्ता की कोई राशि शेष बची रह जाती है तो उसे नए सेवा प्रदाता को नंबर अंतरित करते समय अंतरित नहीं किया (आगे नहीं लाया) जाएगा।

तटवर्ती क्षेत्रों के लिए पेय जल

5447. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटवर्ती रेखा पर स्थित खारेपन से प्रभावित गांवों को सरकार ने पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनराशि/अनुदान प्रदान करने का हाल में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक राज्यों को इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (ग) भारत सरकार राज्यों के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीउब्ल्यूपी) नाम की केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, अनुमोदित, कार्यान्वित एवं निष्पादन करने की शक्तियां राज्यों के पास हैं। भारत सरकार एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यो को निधियां रिलीज करती है। भारत सरकार ने एनआरडीब्ल्यूपी के अंतर्गत विशेषकर तटरेखा के किनारे बसे गांवों, जो खारापन से प्रभावित हैं, को पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ निधियां उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को निधियां रिलीज नहीं की हैं। तथापि, यह राज्य सरकारों को कार्य है कि वे प्राथमिकता के अनुसार निधियों की रिलीज के बारे में निर्णय लें। तथापि, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को आवंटित एवं रिलीज की गई 20 प्रतिशत निधियां खारापन सहित गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए हैं।

ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा

5448. श्री एम.बी. राजेश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में लागू की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यकरण की व्यापक तरीके से समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं में सुधार करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम यथा रोजगार एवं गरीबी उपशमन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), क्षेत्र विकास के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा की व्यापक प्रणाली शुरू की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य एवं जिला

स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता शामिल हैं। इन योजनाओं की सतत समीक्षा की जा रही है तथा इन योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए जहां कहीं भी इस तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती है वहां आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण निर्यात घोटाला

5449. श्रीमती जया प्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एमएमटीसी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से पैन-कोऑपरेटिव बैंक, कोलकाता द्वार स्वर्ण निर्यात घोटाला किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल आधार पर सेवानिवृत्ति

5450. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेडिकल आधार पर सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए या हटाए गए सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तटवर्ती क्षेत्रों पर वाहक

5451. श्री हर्ष वर्धन:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में वाहक उद्योग अब तक पोत परिवहन कंपनियों की अधिराजत्व में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में विदेशी नौवहन कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने पर विचार रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में विदेशी पोत परिवहन कंपनियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वाणिज्यि पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के प्रावधानों और 2002 के पोत परिवहन विकास प्रपत्र संख्या 2 के अनुसार, विदेशी ध्वज से युक्त पोतों को पहले से ही तटीय क्षेत्रों में नौवहन में लगाए जाने की अनुमति है।

(ङ) विदेशी ध्वज से युक्त पोतों को तभी अनुमति दी जाएगी जब भारतीय टनभार उपलब्ध न हो और यह सुनिश्चित हो कि व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

[अनुवाद]

साइबर युद्ध रणनीति

5452. श्री मनीष तिवारी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की तीनों सेवाओं के रक्षा प्रतिष्ठानों तथा इसके अन्य प्रतिष्ठानों के कमान, नियंत्रण तथा संचार प्रणालियों में घुसपैठ करने तथा इन्हें पंगु बनाने की कोशिशों से निपटने के लिए सरकार के पास साइबर युद्ध प्रणाली है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना प्रौद्योगिकी के सॉफ्टवेयर पहलू में भारत की महारत को देखते हुए सरकार के पास युद्ध में रत होने के लिए पड़ोसी देशों जैसा साइबर युद्ध सिद्धांत है;

(ग) यदि हां, तो क्या साइबर स्पेस/युद्ध में लगने के लिए ऐसे युद्ध-नियम हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय तौर पर बनाया गया है;

(घ) इंडोनेशिया तथा ईरान में तबाही मचाने वाले स्टूक्सनेट वॉर्म द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क को कितनी बार प्रभावित किया गया है;

(ङ) क्या जी एस एल वी एवं पृथ्वी के विफल प्रक्षेपणों का कारण इसरो तथा डी आर डी ओ प्रणालियों में स्टूक्सनेट की मौजूदगी हो सकता है क्योंकि सिमेंटेक ने खबर दी है कि स्टूक्सनेट के सभी पर्याक्रमणों का आठ प्रतिशत भारत में किए जाने की खबर है; और

(च) यदि हां, तो रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की रक्षा करने के लिए अपनायी गयी फायरवाल प्रक्रिया तथा उसका उन्नयन किए जाने की बारंबारता का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सरकार के पास व्यापक साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियां हैं। समुचित प्रतिक्रिया के लिए अनेक संगठनों ने साइबर संकट प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय अथवा बहुपक्षीय स्तर साइबर स्पेस/युद्ध में संलिप्तता के बारे में कोई औपचारिक नियम मौजूद नहीं है। किसी रक्षा स्थापना ने स्टूक्सनेट वार्म द्वारा प्रभावित होने की सूचना प्रदान नहीं की है। रक्षा नेटवर्क में पर्याप्त प्रतिरक्षा उपाय विद्यमान हैं जिन्हें मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार उन्नत किया जाता है।

[हिन्दी]

गांधी जी की पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संकल्पनाएं

5453. योगी आदित्यनाथ: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांधी जी के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संकल्पना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) से (ग) जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के विषय में महात्मा गांधी जी की परिकल्पना के अनुरूप, संविधान का भाग-IX पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला) की स्थापना का प्रावधान करता है। तथापि, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन के मामले में छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद-243क यह प्रावधान करता है कि कोई भी ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं ऐसे कार्य करेगी जो कि राज्य की विधायिका ने विधि द्वारा उन्हें दिये हों।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ के तहत, राज्य विधायिकाओं द्वारा पंचायती को स्व-शासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से सबंधित योजनाएं तैयार कर कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने हेतु शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान किया जाना है। पंचायतों को शक्तियों को अंतरित करने की मात्रा के मामले में राज्यों में भिन्नता है। संवैधानिक ढॉचे के अन्तर्गत, पंचायतें राज्य विषय हैं एवं राज्य अपने-अपने संदर्भ में उपयुक्त विधान पारित करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को कोष, कार्य एवं कर्मी अंतरित करने, परामर्शिकाओं के माध्यम से ग्राम सभाओं को सशक्त करने एवं पंचायतों के माध्यम से आधारभूत स्तर के विकेन्द्रीकृत नियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों से आग्रह करता रहा है एवं उन्हें सहयोग देता रहा है। 2 अक्तूबर 2009 से 2 अक्तूबर 2010 तक के वर्ष को 'ग्राम सभा वर्ष' के तौर पर मनाया गया।

[अनुवाद]

गांवों का सुदृढ़ीकरण

5454. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "संविधान की छठी अनुसूची क्षेत्रों तथा भाग 9 एवं दस-क में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों की आयोजना" से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने निधि की बढ़ती आवक एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों तथा स्वायत्त परिषदों के सुदृढ़ीकरण की सिफरिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम एवं स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी.जोशी): (क) जी, हां।

(ख) छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तथा संविधान के भाग-IX एवं IX-क द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए नियोजन पर विशेषज्ञ समिति ने ऐसी परिषदों इत्यादि को निधियों के प्रवाह की प्रक्रिया से संबंधित सिफारिशों समेत अनेक सिफारिशें की हैं। उत्तर-पूर्व में निधियों के सरल प्रवाह की प्रक्रिया, ग्राम एवं स्वायत्त परिषदों इत्यादि के गठन इत्यादि हेतु, इस मंत्रालय ने इस संबंध में परामर्श की प्रक्रिया की शुरूआत की है। इस उद्देश्य से योजना आयोग, गृह, जनजातीय कार्य, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों तथा विधि कार्य विभाग आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। उत्तर-पूर्वी राज्यों की परिषदों द्वारा निधियों के उपयोग के तरीकों का परीक्षण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) विभिन्न नामों से जानी जाने वाली ग्राम परिषदों एवं स्वायत्त परिषदों का गठन पूर्व में हुआ है। कुछ क्षेत्रों में ग्राम परिषदों का गठन राज्य विधान के तहत तथा अन्य क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत किया जाता है। राज्य-दर-राज्य शक्तियों व प्रकार्यों में भिन्नता है। कतिपय ग्राम परिषदों के पास मात्र न्यायिक प्रकार्य हैं, तो कुछ के पास मात्र विकास प्रकार्य हैं एवं कुछ अन्य के पास न्यायिक व विकास दोनों प्रकार के प्रकार्य हैं।

गरीब लोगों के लिए सामाजिक विकास कार्यक्रम

5455. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में आवंटित और खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धनों में निर्धनतम लोगों तक इन कार्यक्रमों के लाभ पहुंचाए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम जिनके तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है, निम्नलिखित हैं:-

(i) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(iv) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(v) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए छात्रावास)।

(vi) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कियों के लिए छात्रावास)।

(vii) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता।

(viii) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(ix) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।

(x) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित/निर्मुक्त कुल निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से यह जांच करने के लिए कि क्या उनके लाभ लक्षित समूहों को प्राप्त होते हैं, समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है। इन अध्ययनों ने दर्शाया है कि इन योजनाओं के लाभ बड़ी मात्रा में लक्षित समूहों को प्राप्त हो रहे हैं। इन योजनाओं के तहत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर समय-समय पर समुचित सुधारात्मक उपाय भी किए जाते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) और चालू वर्ष (31.11.2010 तक) के दौरान प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30412.83	32998.31	30709.09	46051.25
2.	बिहार	3132.06	9828.28	4853.86	7709.70
3.	छत्तीसगढ़	1513.41	996.10	899.41	145.00
4.	गोवा	53.42	47.12	18.39	3.75
5.	गुजरात	2708.09	6529.80	8478.50	7285.91
6.	हरियाणा	2436.73	2514.00	9230.24	5365.38
7.	हिमाचल प्रदेश	1247.04	577.11	581.00	672.37
8.	जम्मू और कश्मीर	578.95	812.77	347.81	390.75
9.	झारखण्ड	556.88	1428.90	917.61	377.00
10.	कर्नाटक	11949.85	8692.97	16096.08	10554.94
11.	केरल	5044.51	9594.21	4474.91	3380.21
12.	मध्य प्रदेश	6734.10	9655.92	11192.73	7879.11
13.	महाराष्ट्र	21699.85	9014.28	20065.09	11971.94
14.	उड़ीसा	4066.26	6539.68	2375.57	221.41
15.	पंजाब	1600.24	2043.67	1152.23	112.07
16.	राजस्थान	8996.39	16250.28	12521.22	88080.05
17.	तमिलनाडु	14096.55	10027.56	1338.62	16158.26
18.	उत्तर प्रदेश	37803.46	26201.58	37552.56	49535.70
19.	उत्तराखंड	601.68	1442.06	1119.54	1257.41
20.	पश्चिम बंगाल	5714.65	9335.69	8364.69	5510.45

1	2	3	4	5	6
	पूर्वोत्तर राज्य		0	0	
21.	अरुणाचल प्रदेश	32.55	46.20	0.00	0.00
22.	असम	2731.48	1372.23	2281.90	1417.65
23.	मणिपुर	360.51	564.99	319.06	134.00
24.	मेघालय	57.44	0.00	0.00	1144.00
25.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	644.84	718.46	780.11	5293.88
28.	सिक्किम	54.30	185.97	38.98	101.50
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	चंडीगढ़	25.00	29.09	21.14	0.00
30.	दिल्ली	11.21	0.00	3.69	9.00
31.	पुडुचेरी	450.39	117.83	157.71	200.66
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.63	5.49
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	4.22	9.85	9.69	0.73
35.	दादरा और नागर हवेली	96.05	2.66	59.23	60.00

ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन

5456. श्री कमलेश पासवान:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उभरते हुए परिदृश्य के मद्देनजर अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में मजदूरों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों का मत प्राप्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संशोधनों को संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (च) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सभी हितधारकों की राय पर विचार किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय कार्यबल गठित किया गया था। राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के दौरान भी इन मुद्दों पर विचार किया गया था।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र हेतु मंच

5457. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी मंच के अभाव में उन्हें कोई कानूनी सहायता नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र में कुल रोजगार 45.9 करोड़ है। इसमें से, 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे।

वर्तमान में, असंगठित कामगारों को कानूनी सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभों, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य लाभ की सिफारिश करेगा, के गठन का प्रावधान है।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) को 30000 रुपये के स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रावधान करते हुए दिनांक 1.10.2007 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) प्रारंभ की गई और दिनांक 1.4.2008 से लागू की गई। दिनांक 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के 2.18 करोड़ से अधिक परिवारों (पांच की इकाई) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीच के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और अपंगता कवर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने "आम आदमी बीमा योजना" प्रारंभ की थी। दिनांक 31.07.2010 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 1.45 करोड़ से अधिक व्यक्ति कवर किए गए हैं।

पात्रता संबंधी मानदण्ड को संशोधित करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभों हेतु पात्र हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलम्बन योजना नामक राष्ट्रीय पेंशन योजना भी प्रारंभ की है।

[अनुवाद]

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार

5458. श्री निशिकांत दुबे:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक संबंध गति पकड़ रहे हैं तथा दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भागीदारी पक्की हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में किन क्षेत्रों ने सकारात्मक परिणाम दर्शाये हैं;

(घ) आस्ट्रेलिया में भारतीय कपनियों तथा प्रतिविलोमत: निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार क्रमश: 8.96 बिलियन अम.डॉलर, 12.5 बिलियन अम.डॉलर और 13.8 बिलियन अम.डॉलर का हुआ था।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान भारत से आस्ट्रेलिया को किए गए निर्यातों की संचयी वार्षिक वृद्धि पर 15.47% थी और आस्ट्रेलिया से भारत में किए गए आयातों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर 29.35% थी। हीरे तथा हीरे से निर्मित आभूषण, लौह अयस्क, पवन बिजली जनरेटिंग सैट, रेफ्रेजिरेटर, कारें, भेषज उत्पाद, बिजली के मीटर जहां भारत से किए जाने वाले निर्यात की प्रमुख मदें हैं वहीं आस्ट्रेलिया से किए जाने वाले

आयातों में मुख्यत: सोना, कोकिंग कोयला, ताम्र अयस्क, पेट्रोलियम तथा एलएनजी, मसूर, एल्युमीना, ऊन आदि शामिल हैं।

(घ) सितम्बर, 2010 तक भारत में आस्ट्रेलिया से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 0.43 बिलियन अम.डॉलर का हुआ था। इसकी तुलना में अक्तूबर, 2010 तक भारत से आस्ट्रेलिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हेतु प्रदान किया गया कुल संचयी अनुमोदन 0.79 बिलियन अम.डॉलर का था।

(ङ) आस्ट्रेलिया और भारत के बीच कोई मुक्त व्यापार करार मौजूद नहीं है। तथापि वार्षिक संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति (जेएमसी) की बैठक का एक तंत्र मौजूद है, जिसमें आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। चूंकि आस्ट्रेलिया और भारत के बीच कोई मुक्त व्यापार करार (एफटीए) मौजूद नहीं है, अत: अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

4-जी सेवा का आरंभ किया जाना

5459. श्री खगेन दास:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में 4-जी स्पेक्ट्रम को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 4-जी की शुरूआत के संबंध में शामिल मुद्दों का पता लगाने के लिए केवल पूर्व परामर्श पत्र जारी किया है और 4-जी स्पेक्ट्रम के संबंध में अभी तक सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

निधियों का उपयोग

5460. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पोत परिवहन उद्योग को आबंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल आबंटित निधियों में से व्यय की गई धनराशि का प्रतिशत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाएं पूरी की गई; और

(घ) आवंटित निधियों का ईष्टतम उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, इस्तेमाल की गई योजना धनराशि का प्रतिशत निम्नानुसार है। यह प्रतिशत, मूल बजट अनुमानों से संबंधित है:-

2007-2008	55.04%
2008-2009	53.83%
2009-2010	107.54%
2010-2011	47.35% (30.11.2010 तक)

(ग) और (घ) पूरी की गई परियोजनाओं को गिनना व्यवहार्य रूप से कठिन है क्योंकि कुछ परियोजनाएं, चल रहीं परियोजनाओं का हिस्सा होती हैं, जिनमें मौजूदा सुविधा का उन्नयन शामिल होता है। प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण, 2007-2008 और 2008-2009 में समग्र परिव्यय का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। फिर भी, 2009-2010 के दौरान निधियों का मूल बजट अनुमानों से अधिक इस्तेमाल किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लंबित योजनाएं

5461. श्री संजय दिना पाटील:
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्री अधीर चौधरी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री राकेश सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पिछड़े पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के विकास की योजनाओं सहित स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही यह केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित पड़ी हुई हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) इसे अनुमोदित किए जाने के लिए राज्य-वार, योजना-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) संबंधित कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार स्वच्छता तथा पेयजल की आपूर्ति सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा केन्द्रीय रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। प्रस्ताव में यदि किसी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं तो उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकार को स्पष्टीकरण/सुधारने के लिए भेज दिया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण प्रस्तावों को मंत्रालय में गठित परियोजना मंजूरी/अनुमोदन समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक आवंटन आधारित योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार तथा योजना-वार आवंटित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीएसवाई केन्द्रीय आवंटन	आईएवाई केन्द्रीय आवंटन	पीएमजीएसवाई केन्द्रीय आवंटन	एनआरडीडब्ल्यूपी केन्द्रीय आवंटन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	12557.00	86772.58	3684.00	49102.00
अरूणाचल प्रदेश	692.00	3372.56	2000.00	12301.00
असम	17988.00	74575.72	6350.00	41281.00
बिहार	29872.00	256130.00	11824.00	34146.00
छत्तीसगढ़	6635.00	13418.67	8420.00	13027.00
गोवा	200.00	534.46	70.00	534.00
गुजरात	4727.00	42555.24	2280.00	54267.00
हरियाणा	2781.00	5974.79	1053.00	23369.00
हिमाचल प्रदेश	1171.00	2107.33	3052.00	13371.00
जम्मू और कश्मीर	1449.00	6545.51	2280.00	44922.00

1	2	3	4	5
झारखण्ड	11264.00	56595.67	6140.00	16593.00
कर्नाटक	9482.00	33431.11	3859.00	64492.00
केरल	4255.00	18590.80	1053.00	14428.00
मध्य प्रदेश	14214.00	26687.27	15437.00	39904.00
महाराष्ट्र	18744.00	52329.94	5087.00	73327.00
मणिपुर	1206.00	2927.55	1158.00	5461.00
मेघालय	1351.00	5098.75	1579.00	6283.00
मिजोरम	313.00	1086.60	1123.00	3571.00
नागालैंड	927.00	3374.01	1052.00	5170.00
उड़ीसा	14363.00	50321.27	9578.00	20488.00
पंजाब	1351.00	7389.05	1228.00	8221.00
राजस्थान	7200.00	21384.64	8245.00	116544.00
सिक्किम	346.00	645.29	1053.00	1545.00
तमिलनाडु	11103.00	34741.77	3158.00	31691.00
त्रिपुरा	2177.00	6569.52	1403.00	5388.00
उत्तर प्रदेश	43006.00	115043.10	13297.00	89912.00
उत्तराखंड	2264.00	5767.56	3508.00	13939.00
पश्चिम बंगाल	15962.00	69414.01	7929.00	41803.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00	1100.55	0.00	101.00
दमन व दीव	25.00	183.37	0.00	61.00
दादर और नगर हवेली	25.00	82.03	0.00	109.00
लक्षद्वीप	25.00	71.12	0.00	24.00
पुडुचेरी	300.00	548.16	0.00	154.00
दिल्ली			0.00	431.00
कुल	238000.00	1005370.00	126900.00	845960.00

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5462. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री आर. के. सिह पटेल:
श्री पकौड़ी लाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के तहत अधिक जिलों को शामिल किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपीएपी कार्यान्वयन के लिए आवंटित/आवंटन हेतु प्रस्तावित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लातूर जिले में लातूर तालुक तथा सतारा जिले के फाल्तन तालुक को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के चिह्नित ब्लॉकों के अंतर्गत शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से नवम्बर, 2007 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मामले की मंत्रालय में जांच की गई थी और राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ नीचे उल्लेख किए गए अनुसार सूचित किया गया था:

वर्ष 1995-96 से डीपीएपी को प्रो. हनुमंत राव समिति द्वारा चिह्नित डीपीएपी ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से भूमि संसाधन विभाग ने न तो किसी चिह्नित ब्लॉक को कार्यक्रम से अलग किया है और न ही किसी नये ब्लॉक को शामिल किया है।

अब तीनों कार्यक्रम नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम(डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को संसाधनों के इष्टतम उपयोग, सतत् परिणाम तथा समेकित आयोजना के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल कार्यक्रम में समेकित एवं एकीकृत किया गया है। वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 को भी अंतिम रूप दिया गया है और इन्हें 1.4.2008 से लागू किया गया है।

तदनुसार, लातूर तालुक और फाल्तन तालुक को अलग से डीपीएपी के चिह्नित ब्लॉकों के अंतर्गत शामिल करना संभव नहीं है। तथापि, चूंकि ये ब्लॉक सूख प्रभावित प्रतीत होते हैं, अत: आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए इन पर विचार किया जाएगा।

(घ) चूंकि डीपीएपी एक मांग आधारित कार्यक्रम है, अत: निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान कोई नई डीपीएपी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही डीपीएपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार जारी की गई निधियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

11वीं योजनावधि (विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष) (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान डीपीएपी के अंतर्गत जारी निधियां

	जारी निधिया (करोड़ रुपये में)				
राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	56.24	55.87	37.38	17.55	167.0
बिहार	0.20	0.00		0.00	0.20
छत्तीसगढ़	13.92	24.38	20.76	9.01	68.07
गुजरात	16.34	39.33	51.31	9.01	115.99

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	8.35	8.59	4.04	1.80	22.78
जम्मू और कश्मीर	0.00	6.40	3.87	7.02	17.29
झारखण्ड	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90
कर्नाटक	44.46	57.76	54.06	21.17	177.45
मध्य प्रदेश	53.16	56.97	47.56	21.91	179.60
महाराष्ट्र	54.21	64.03	79.79	39.79	237.82
उड़ीसा	23.93	25.13	43.29	12.93	105.28
राजस्थान	13.96	18.10	18.71	10.18	60.95
तमिलनाडु	32.01	35.49	14.48	8.27	90.25
उत्तर प्रदेश	49.40	39.72	25.11	9.40	123.63
उत्तराखंड	14.62	7.07	4.11	5.54	31.34
पश्चिम बंगाल	2.68	6.57	0.00	0.00	9.25
योग	383.48	448.31	404.47	173.58	1409.84

टिप्पणी: डीपीएपी को 16 राज्यों के 195 जिलों में 972 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

घरों तथा विद्यालयों में शौचालयों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट

5463. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्लयूएचओ/यूनीसेफ के सर्वेक्षण के अनुसार देश के केवल 31 प्रतिशत ग्रामीण घरों तथा विद्यालयों में ही शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रिपोर्टों के अनुसार यह सरकार द्वारा संकलित 67 प्रतिशत के आंकड़ों से कहीं कम हैं;

(ग) क्या इन रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण भारत में घरों विद्यालयों के शौचालयों में स्वच्छता का स्तर, जैसा कि रिपोर्ट कहती हैं, अत्यधिक कम है;

(घ) क्या सरकार और यूनीसेफ तथा डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों में इस बड़े अंतर की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र ने देश में स्वच्छता के स्तरों पर नए सिरे से जनगणना कराने का निर्णय लिया है तथा राज्यों से वास्तविक कवरेज को सुकर बनाने को कहा है जो भावी रिपोर्टों का आधार बनेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार यह महसूस करती है कि भारत में स्वच्छता कवरेज की स्थिति एक जैसी तथा विश्वसनीय है ताकि उचित योजना बनाई जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/यूनीसेफ की "प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट" संबंधी रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में स्वच्छता सुविधाएं 31% थीं। रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी में केवल पारिवारिक सर्वेक्षण तथा वर्ष 2007-08 के दौरान की गई जनगणना से प्राप्त डाटा शामिल हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष 2008 तथा इसके

बाद किए गए प्रयासों का उल्लेख नहीं है, जबकि इसके फलस्वरूप खुले में शौच करने की पद्धति को रोकने तथा शौचालयों के उपयोग को प्रोत्साहित करने में काफी सहायता मिली थी। तथापि, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप नवम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़कर 67% हो गया है, जैसी कि राज्यों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई है।

[हिन्दी]

नवीकरण शुल्क का भुगतान

5464. श्री के. सुगुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में यह प्रस्ताव दिया था कि लाइसेंस अवधि के अंत में यदि आपरेटर अपनी सेवाओं को जारी रखना चाहते हैं तो उनसे नवीकरण शुल्क का भुगतान करने को कहा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग रूपरेखा'' के संबंध में दिनांक 11.5.2010 की अपनी शिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि ''नवीकरण कराने पर यूएएस लाइसेंसधारक को नवीकरण शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा जो महानगर और ''क'' सर्किलों के लिए 2 करोड़ रु. ''ख'' सर्किलों के लिए 1 करोड़ रु. तथा ''ग'' सर्किलों के लिए 0.5 करोड़ रु. होगा। इस नवीकरण शुल्क को स्पेक्ट्रम के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा और स्पेक्ट्रम के मूल्य का भुगतान पृथक रूप से किया जाएगा।'' इसके अतिरिक्त ट्राई ने दिनांक 18.5.2010 को सरकार से अनुरोध किया है कि स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और पुनर्गठन पर उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करें। सरकार ने इन सिफारिशों की जांच करने हेतु सदस्य (प्रोद्योगिकी), दूरसंचार आयोग के अधीन पहले ही एक समिति गठित कर दी है। यह नीति-निर्धारण का मामला है और इसके लिए अंतर-मंत्रालयीय परामर्श भी अपेक्षित होता है अत: इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति

5465. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल हैण्डसेट तथा टेलीकॉम टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का स्तर तथा जनरेटरों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण अत्यंत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ता देश में उपस्करों की आपूर्ति करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही देश में मौजूद निगरानी तंत्र, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) जी, नहीं। दिनांक 4.11.2008 के अभिगम सेवा लाइसेंस संशोधन के अनुसार, सभी मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को गैर आयनीकरण विकिरण सुरक्षा (आईसीएनआईआरपी) संबंधी अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा यथा निर्धारित विकिरण की सीमाओं का अनुपालन करना होता है। दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 8.4.2010 के पत्र तहत जारी किए गए नवीनतम विस्तृत अनुदेशों द्वारा आदेश दिया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता इस बात का स्व-प्रमाणपत्र दें कि सभी बेस स्टेशन ट्रांसीवर (बीटीएस) 15.11.2010 तक विकिरण संबंधी मानकों को पूरा करेंगे। यदि कोई स्थल इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है तो प्रति सेवा प्रदाता पर प्रति बीटीएस के लिए 5 लाख रुपए का दंड लगाया जाना होता है।

तदनुसार, 4,16,000 से अधिक बीटीएस के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इस बात के स्व प्रमाण-पत्र दिए गए हैं कि विकिरण स्तर आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों ने बीटीएस के विकिरण स्तर का सत्यापन शुरू किया है और अब तक जांचे गए सभी बीटीएस को आईसीएनआईआरपी मानकों के अनुरूप पाया गया है।

मोबाइल हैंडसेटों के लिए भी, दूरसंचार विभाग ने एसएआर (विशिष्ट अवशोषण दर) मूल्य के अनुसार मूल प्रतिबंध लगाते हुए आईसीएनआईआरपी मानक पारित किए हैं और इसे 10 मेगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में हेड और ट्रंक के लिए स्थानीकृत 2 वाट/किग्रा. तक सीमित किया है। देश में विनिर्मित हो रहे और आयातित किए जा रहे मोबाइल हैंडसेटों में इन मानकों का अनुपालन करना पड़ता है। इस संबंध में विनिर्माताओं को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत में विनिर्मित हो रहे/आयातित किए जा रहे मोबाइल हैंडसेटों के एसएआर मूल्य का परीक्षण करने के लिए दूरसंचार विभाग के तहत दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

संस्थापित जेनरेटर सेटों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदित उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण मानकों का अनुपालन करना पड़ता है।

दूरसंचार नेटवर्क में शामिल किए गए सभी उपस्करों में अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना पड़ता है। दूरसंचार लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारक ऐसी प्रौद्योगिकी/नेटवर्क उपस्कर का प्रयोग करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) / दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी)/अनय अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन/निकायों/उद्योग के संबंधित मानकों को पूरा करते हों।

बहुउपयोगी वाहनों का आयात

5466. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुउपयोगी वाहनों (मल्टी यूटीलिटी व्हीकल्स) के आयात हेतु मानदण्डों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) नए मानदण्ड कब तक लागू कर दिए जायेंगे;

(घ) क्या कुछ वाहन जब्त किए गए हैं तथा उक्त मानदण्डों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कितने जुर्माने की वसूली की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एनजीओ कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना

5467. श्रीमती रमा देवी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन, नई दिल्ली के कर्मचारियों तथा मजदूरों को न्यूनतम भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस इनजीओ की कितनी बार जांच की गई तथा पृथक रूप से प्रत्येक जांच का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या यह संगठन मजदूरों को भुगतान करने की बजाय शौचालयों के रख-रखाव से कमाई करने के लिए मजदूरों को ठेका देता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इस संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों तथा मजदूरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है, जिसमें राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण, पुनरीक्षण और प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। तथापि, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) चूंकि सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन एक सामाजिक सेवा संगठन है अत: श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय/राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा उसमें कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

गैर-शुल्क उत्पादों का निर्यात

5468. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गैर-शुल्क उत्पादों के निर्यातक स्वीकृति (क्लीयरेंस) की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी में विस्फोट

5469. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भण्डारा आयुध निर्माणी में हाल ही में हुए विस्फोट का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कारणों का पता लगाने के लिए इस घटना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) आयुध निर्माणी, भण्डारा में 30.8.2010 को आग लगने की एक दुर्घटना हुई।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा एक जांच अदालत के आदेश दिए गए हैं। जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

[अनुवाद]

मजदूरी निर्धारण तंत्र

5470. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भविष्य के लिए स्थायी मजदूरी निर्धारण तंत्र स्थापित किए जाने की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचायत सशक्तिकरण अभियान

5471. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायत सशक्तिकरण अभियान तथा जिम्मेदार प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इसके तहत कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के लिए योजनाओं को संशोधित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) यह मंत्रालय, पंचायत इम्पॉवरमेंट एंड अकाउटैबिलिटी इन्सेंटिव स्कीम (पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, पी ई ए आई एस) का कार्यान्वयन करता है। स्कीम का लक्ष्य स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर पंचायतों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से (क) कार्य, कोष एवं कर्मियों के अंतरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना एवं (ख) पंचायतों के कार्यकरण को पारदर्शी एवं सक्षम बनाने के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करना है ताकि स्वशासन के संस्थानों के रूप में पंचायतों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। पी ई ए आई एस के लिए विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक आबंटन 10 करोड़ रु. रहा है। विगत 3 वर्षों के लिए आबंटन संबंधित वर्षों में जारी कर दिया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष के लिए इसे मार्च 2011 की समाप्ति से पूर्व जारी कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) वर्तमान में इस स्कीम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

5472. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2010 में सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) का प्रचालन प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां दण्ड से मुक्त होकर श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं जिससे कोयला मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) में सितम्बर, 2010 में श्रमिक संघ द्वारा दिनांक 7.9.2010 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के आह्वान और विद्युत सम्प्रेषण टावर गिर जाने की वजह से मुख्य बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी होने और जिसकी वजह से सिंगरेनी केलियरीज कम्पनी लिमिटेड के बेल्लमपल्ली और मंडामारी क्षेत्र की सभी खानों में दिनांक 10.9.2010 से 20.9.2010 तक कामबंदी घोषित कर दी गयी थी, के कारण खनन संबंधी प्रचालन प्रभावित हुआ था।

(ख) उपर्युक्त हड़ताल और कामबंदी के कारण क्रमश: 49,310 श्रम दिवसों और 1,08,952 टन उत्पादन तथा 1,19,284 श्रम दिवसों तथा 4,34,114 टन उत्पादन की हानि हुई।

(ग) और (घ) विभिन्न श्रम कानूनों यथा ठेका श्रम (विनिमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, खान अधिनियम, 1952 और खान नियमावली आदि, जो कामगारों के हित की रक्षा करने और समय पर मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के संबंध में मानदंड निर्धारित करते हैं, के अंतर्गत नियमित और कठोर निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें चूककर्ताओं के विरुद्ध श्रम कानूनों के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ किया जाना शामिल है।

हर्बल औषधियों का बाजार हिस्सा

5473. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती वैश्विक मांग के कारण हर्बल उद्योग का बाजार का हिस्सा 2015 तक दोगुना होकर पंद्रह हजार करोड़ रुपया होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार तथा देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हर्बली उद्योग द्वारा कितना राजस्व सृजित किया गया है साथ ही ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हमारे देश में ग्रामीण लोगों के बीच उचित जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भेषज निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत से हर्बल उत्पादों का निर्यात 16.8 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि पर 2005-06 में 306.3 करोड़ रुपए से 2009-10 में 570.8 करोड़ रुपए तक बढ़ा। दस शीर्ष निर्यात गंतव्य तथा गत तीन वर्षों में इन देशों को भारत हर्बल निर्यात इस प्रकार थे:-

भारत के हर्बल निर्यात 10 शीर्ष गंतव्य (करोड़ रुपए में)

रैंक	देश	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 में हिस्सा %
1	2	3	4	5	6
1.	यू एस ए	202.4	250.3	203.7	35.7
2.	पाकिस्तान	42.0	48.1	60.7	10.6

1	2	3	4	5	6
3.	जर्मनी	27.7	35.1	32.9	5.8
4.	जापान	24.3	3.1	47.2	8.3
5.	यू के	16.6	22.9	14.5	2.5
6.	स्पेन	25.6	18.4	6.8	1.2
7.	चीन	7.2	18.3	7.5	1.3
8.	फ्रांस	8.0	12.2	8.0	1.4
9.	वियतनाम	4.0	11.3	13.2	2.3
10.	मैक्सिको	10.0	11.0	11.3	2.0

स्रोत: डीजीसीआईएस, फार्मेक्सिल रिसर्च

(ग) आयुष विभाग सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत सभी बड़े शहरों में आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के अतिरिक्त हर्बल दवाओं के प्रयोग की प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय अभियानों का आयोजन करता है, टीवी, समाचार पत्रों तथा अन्य मुद्रण माध्यमों (प्रिंट मीडिया) के जरिए विज्ञापन जारी करता है।) औषधीय पादप क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) बोर्ड भी स्थापित किया गया है। यह बोर्ड दो योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है। "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और धारणीय प्रबंधन की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम" के अंतर्गत आविष्कार, स्वस्थाने तथा बाह्य स्थाने संरक्षण, हर्बल बागानों, संयुक्त वन समिति के साथ संयोजन, क्षमता निर्माण अर्थात् पणधारकों का प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार "औषधीय पादपों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत औषधीय पादप की बाजार प्रेरित कृषि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जीवन रक्षक औषधियों का पेटेंट

5474. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की पेटेंट अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष से अधिक करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत मार्क-2 हैण्डपंप की संस्थापना

5475. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में प्रदूषित भू-जल को पेयजल के रूप में उपयोग करने की समस्या के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में भारत मार्क-2 हैण्डपंप तगाए जाने के लिए निधियों के आवंटन के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) इस विभाग की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन आसूचना

प्रणाली में विभिन्न राज्यों द्वारा अद्यतन जानकारी के आधार पर 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार देश में 1,44,064 बसावटें हैं जो रासायनिक संदूषकों, अर्थात् फ्लोराईड, संखिया, लौह, खारापन एवं नाइट्रेट से प्रभावित हैं।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह विभाग केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी एव वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करता है जिनके अंतर्गत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों मे कवरेज तथा गुणवत्ता की समस्या के समाधान के लिए 65% तक की निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, डिजाईन, मंजूरी एवं कार्यान्वयन की शक्तियां राज्यों को पहले ही सौंप दी गई हैं। विभिन्न राज्यों से इंडिया मार्क-2 हैंडपंप लगाने के लिए प्राप्त प्रस्ताव वापस राज्यों को भेज दिए गए हैं ताकि उनपर आवश्यक कार्रवाई की जा सके क्योंकि भारत सरकार किसी भी जल आपूर्ति योजनाओं को अनुमोदित नहीं करती है।

[अनुवाद]

भारत-ब्राजील व्यापार

5476. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और ब्राजील के बीच व्यापार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत-ब्राजील के बीच व्यापार 2003 में 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2008 में 4.7 बिलियन डॉलर हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और ब्राजील के बीच व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मूल्य मिलियन अम.डा. में

वर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010
ब्राजील को निर्यात	2,525.90	2,651.43	2,414.29
ब्राजील से आयात	949.95	1,185.96	3,437.97
कुल व्यापार	3,475.85	3,837.39	5,852.26

(ख) और (ग) भारत और ब्राजील के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2003-04 में 589.14 मिलियन अम.डा. से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 3837.39 मिलियन अम.डा. हो गया है।

(घ) इस विभाग में फोकस एल ए सी कार्यक्रम जारी है जिसमें लैटिन अमेरिका जिसका ब्राजील एक प्रमुख भागीदार है, के साथ हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्यातकों/कम्पनियों को सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं। जून, 2009 से भारत तथा मर्कोसुर (ब्राजील इस आर्थिक ब्लॉक का एक प्रमुख भागीदार है) के बीच एक अधिमानी व्यापार करार (पी टी ए) प्रचालनरत है। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों के अग्रणी व्यापार एवं उद्योग चैम्बर/शीर्षस्थ व्यापार निकायों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए परस्पर हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रति वर्ष भारत और ब्राजील में क्रेता-विक्रेता बैठकें/व्यावसायिक संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा कानून का दुरुपयोग

5477. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा के प्रयोग से संबंधित दण्डात्मक कानून के दुरुपयोग के कुछ मामलों का स्व-हित अथवा दुर्भावनापूर्ण भावना से ग्रस्त होकर उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कानून को और अधिक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि सामाजिक न्याय हेतु ऐसे कानूनों का दुरुपयोग न हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), गृह मंत्रालय, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के संबंध में आंकड़ों का रखरखाव करता है, ने सूचित किया है कि वह आत्महित या दुर्भावपूर्ण मंशा से अधिनियम के दुरुपयोग संबंधी सूचना का रखरखाव नहीं करता है। तथापि, ''तथ्य अथवा कानूनी गलती के कारण झूठे घोषित मामले'' शीर्षक के तहत, वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों से संबधित 6564 मामलों का एन सी आर बी द्वारा उल्लेख किया गया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना है। तथापि, विशिष्ट झूठे मामलों का निपटान करने के लिए संबंधित एजेसियों द्वारा आई पी सी की संगत धाराओं का आह्वान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बीपीएल लोगों में बढ़ोत्तरी

5478. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह ने देश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 28 से संशोधित कर 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा करने से छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसका राज्यों को दिए जाने वाले संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बीपीएल परिवारों के निर्धारण हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीपीएल जनगणना करने हेतु उपयुक्त प्रक्रियाविधि सुझाने के लिए 12 अगस्त, 2008 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार में नोडल एजेंसी योजना आयोग है। विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि बीपीएल स्तर के लिए पात्र व्यक्तियों की प्रतिशतता 28.3% से बढ़ाकर 50% की जानी चाहिए। समिति ने राज्य स्तरीय गरीबी अनुमान में भी इसी अनुपात में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों के मामले में समिति ने 70% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे रखने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का राज्यों को दिए जाने वाले संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योकि वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) जैसे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को निधियों का आबंटन, योजना आयोग द्वारा 1993-94 के गरीबी अनुपात के अनुसार निर्धारित समायोजित हिस्से के आधार पर किया जाता है।

पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

5479. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 और जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण का लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किया जा सका है और गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितना धन व्यय हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली तथा पर्वतीय राज्यों और जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों में 500 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के तहत कवरेज के लिए पात्र बसावटों और अक्टूबर, 2010 तक हासिल की गई उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के लिए निधियां पीएमजीएसवाई के तहत रिलीज की जाती हैं न कि अलग से रिलीज की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष नवम्बर, 2010 तक रिलीज की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर, 2010 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	236	157
2.	अरूणाचल प्रदेश	104	55
3.	असम	4445	3891
4.	बिहार	9956	3391
5.	छत्तीसगढ़	3831	3634
6.	गोवा	2	2
7.	गुजरात	1468	1115
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	922	612
10.	जम्मू और कश्मीर	1468	573
11.	झारखंड	2991	1318
12.	कर्नाटक	17	17
13.	केरल	73	69
14.	मध्य प्रदेश	7055	6165
15.	महाराष्ट्र	295	276
16.	मणिपुर	249	98
17.	मेघालय	128	50
18.	मिजोरम	130	47
19.	नागालैंड	37	32
20.	ओडिशा	5672	3997
21.	पंजाब	50	50
22.	राजस्थान	3009	2966
23.	सिक्किम	154	101
24.	तमिलनाडु	83	80
25.	त्रिपुरा	810	458
26.	उत्तर प्रदेश	3738	4032
27.	उत्तरांचल	771	310
28.	पश्चिम बंगाल	6954	4343
	कुल	54648	37839

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई के तहत रिलीज की गई निधियां			
		2007-08	2008-09	2009-10	उपलब्धि (नवम्बर, 2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	316.57	470.60	877.46	517.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	102.03	107.98	282.52	249.37
3.	असम	555.00	982.12	1179.00	1170.00
4.	बिहार	733.06	1065.20	1750.73	1397.14
5.	छत्तीसगढ़	1050.89	976.12	540.03	453.52
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	144.56	229.67	193.80	121.29

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	216.21	272.02	255.49	92.75
9.	हिमाचल प्रदेश	320.58	268.90	124.95	199.30
10.	जम्मू और कश्मीर	72.74	191.74	372.60	92.09
11.	झारखंड	0.00	210.67	417.74	501.11
12.	कर्नाटक	271.49	640.46	764.87	433.11
13.	केरल	24.68	84.02	100.11	144.27
14.	मध्य प्रदेश	1615.66	1895.10	2135.65	855.45
15.	महाराष्ट्र	563.96	1030.00	949.18	687.54
16.	मणिपुर	78.99	20.00	149.16	62.00
17.	मेघालय	0.00	35.95	0.00	64.55
18.	मिजोरम	21.96	65.00	44.58	25.00
19.	नागालैंड	12.51	85.71	65.02	25.13
20.	ओडिशा	546.83	1251.38	1594.35	1260.10
21.	पंजाब	360.21	243.42	348.42	99.10
22.	राजस्थान	1646.64	1771.32	603.41	599.00
23.	सिक्किम	174.51	55.00	71.80	27.27
24.	तमिलनाडु	71.03	88.68	525.00	182.13
25.	त्रिपुरा	143.00	379.99	168.49	137.85
26.	उत्तर प्रदेश	1228.40	1675.78	2844.51	1216.83
27.	उत्तरांचल	78.74	116.66	165.95	135.44
28.	पश्चिम बंगाल	5469	635.84	375.00	170.13
	कुल	10899.94	14848.97	16899.82	10918.92

रिलीज में प्रशासनिक व्यय/एजेंसी शुल्क के लिए रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण योजनाओं का विलय

5480. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी ग्रामीण योजनाओं का विलय एक व्यापक जिला योजना में करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यम लड़ाकू विमान

5481. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2011 तक उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को घरेलू रूप से विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) विमान को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना द्वारा बताई गई संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर उन्नत मध्यम युद्धक विमान (ए.एम.सी.ए.) के अभिकल्पन तथा विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है।

पोस्ट बैंक की स्थापना

5482. श्री पी. करुणाकरन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग द्वारा 'पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया' खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाताधारकों के खातों से रुपए के अवैध आहरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे दुरुपयोग की खबर केन्द्र सरकार को मिली; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा खाताधारकों को उनकी धनराशि वापस करने हेतु कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) 'पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया' खोलने की डाक विभाग की योजना फिलहाल, संकल्पनात्मक स्तर पर ही है।

(ख) से (घ) खाताधारकों के खातों से अवैध रूप से आहरण की प्रक्रिया तेजी से नहीं चल रही है। जब कभी भी जहां भी अवैध आहरण की घटना नोटिस में आती है, खाताधारकों के दावों को नियमानुसार निपटाया जाता है।

कनाडा के साथ सी ई सी ए

5483. श्री मिलिंद देवरा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक और सहयोग समझौता (सी ई सी ए) पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इससे देश को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के मौजूदा उद्यमों और समझौतों के मामलों में विदेशी और तकनीकी सहयोग पर प्रतिबंधात्मक शर्तों के संबंध में कोई विचार मांगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत तथा कनाडा दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक एवं साझेदारी करार (सी ई पी ए) हेतु वार्ताएं शुरू करने पर सहमत हुए हैं जिसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत तथा कनाडा के बीच सीईपीए से सभी आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के और अधिक विस्तृत और सुदृढ़ होने तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

(ग) और (घ) विदेशी/तकनीकी उद्यमों, जिनके विदेशी भागीदार के भारत में पहले से समान क्षेत्र में उद्यम/गठबंधन मौजूद हों, हेतु सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा से संबंधित नीतिगत प्रावधान के बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा एक चर्चा-पत्र जारी किया गया है। चर्चा पत्र का पाठ उसके संबंध में प्राप्त मतों के साथ वेबसाइट http://www.dipp.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

मोबाइल नम्बरों का आवंटन

5484. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नम्बरों के आवंटन हेतु सेवा प्रदाताओं पर शुल्क लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा प्रदाताओं ने मुफ्त मोबाइल नंबरों का आवंटन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेवा प्रदाताओं से शुल्क प्रभारित कर मोबाइल नम्बरों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नम्बरों के आवंटन हेतु सेवा प्रदाताओं पर शुल्क लगाने का सुझाव नहीं दिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नम्बर नि:शुल्क आवंटित किए जाते हैं।

(घ) ट्राई ने यह सुझाव नहीं दिया है कि सेवा प्रदाताओं से शुल्क प्रभारित कर मोबाइल नम्बरों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस समय सरकार का सेवा प्रदाताओं से शुल्क प्रभारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीपीएल लोगों हेतु सामाजिक सुरक्षा

5485. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हो रहा है और देश में राज्य-वार कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रहे हैं;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत सभी लाभों का उपयोग सभी लोग कर पाएं यह सुनिश्चित करने हेतु सभी अंत उपयोगकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा संख्या आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की मंशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा संख्या आवंटित करने तथा उनके परस्पर पहचान और सत्यापन हेतु राष्ट्रव्यापी डाटा बेस तैयार करने तथा इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य में सुधार करने के लिए कोई तंत्र बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली श्रेणी के लोगों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा नामक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एनएसएपी के अंतर्गत अंतिम उपयोक्ताओं को कोई अन्य समाज सुरक्षा संख्या आवंटित नहीं की गई है। तथापि, भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई 'आधार संख्या' को एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों के डाटाबेस में शामिल करने की परिकल्पना की गई है। पारदर्शिता, जवाबदेही तथ निगरानी में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम का कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों का डाटाबेस डाटा उपलब्ध कराएं तथा उसे सार्वजनिक डोमेन में डालें। अब तक एनएसएपी के अंतर्गत 158 लाख लाभार्थियों का डाटा वेबसाइट (http://nsap.nic.in) पर डाल दिया गया है।

विवरण

एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सं.

वर्ष 2010-2011 (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित लाभार्थियों की सं.				
		आईजीएनओएपीएस	विधवा (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	अपंग (आईजीएनडीपीएस)	अन्नपूर्णा	एनएफबीएस
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1011153	393945	64595	93200	2500
2.	बिहार	2369656	211585	5956	166600	5760

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	528123	95433	24398	24196	4850
4.	गोवा	2734				183
5.	गुजरात	277365		1735		3153
6.	हरियाणा	127883	46972	11728		3500
7.	हिमाचल प्रदेश	91440	7957	191	2843	689
8.	जम्मू और कश्मीर	129000	4620	4008		
9.	झारखण्ड	676003	182707	45398	200000	20000
10.	कर्नाटक	776613	325000	90000		8820
11.	केरल	176064	34244	15686		
12.	मध्य प्रदेश	1056881	225085	119799		9715
13.	महाराष्ट्र	1086027	160400	125364		
14.	उड़ीसा	1193176	306923	125634	64800	
15.	पंजाब	159792	13672	3375		40
16.	राजस्थान	487568	52057	7950	105293	
17.	तमिलनाडु	896099	357014	119105	71974	13802
18.	उत्तर प्रदेश	3274780	1121500	56300		46916
19.	उत्तराखंड	173883	9824	1973		
20.	पश्चिम बंगाल	1679381	355183	17081	65068	17523
	पूर्वोत्तर राज्य					
21.	अरूणाचल प्रदेश	14500				
22.	असम	598965			25308	10943
23.	मणिपुर	72514	4676	1341		
24.	मेघालय	48112	6749	1341	9263	847
25.	मिजोरम	23747	1192	587	2583	614
26.	नागालैंड	40462	2551	1386	6727	15
27.	सिक्किम	18916	333	241		
27.	त्रिपुरा	136592	26559	2164	14851	1565
	उप-योग	17127429	3946181	847336	852706	151435

1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंड. नि. द्वी. स.	861	4568			
30.	चंडीगढ़	4208	2977	104	26	
31.	दा. न. हवेली	944				51
32.	दमन व दीव	130	43	15		
33.	रा. रा. क्षे. दिल्ली	196446	25913	9099		366
34.	लक्षद्वीप	36				
35.	पुडुचेरी	20757	16945			
	उप-योग	223382	50446	9218	0	443
	कुल योग	17350811	3996627	856554	852706	151878

ग्रामीण स्वच्छता योजना में कमी

5486. श्रीमती जे. शांता: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता योजना में कोई कमी पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण स्वच्छता योजना में कमी को दूर करने हेतु अब सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय और कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसे किस हद तक कम किया जा सका है और इस संबंध में क्या नवीनतम प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एससी हेतु कानून का उल्लंघन

5487. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के जीवन और संपत्ति विशेषकर उनकी भूमि की रक्षा हेतु सरकार द्वारा अधिनियमित कानून का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियमित कानून का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कानूनों के उल्लंघन के संबंध में सरकार को सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से इतर व्यक्तियों द्वारा अपराधों को रोकना है। इस अधिनियम की धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि और सम्पत्ति से संबंधित अपराध शामिल हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

जैसे ही और जब कभी उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों की विशिष्ट घटनाएं जानकारी में आती हैं, संबंधित राज्य

सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 (5) के तहत अनुसूचित जातियों के अधिकारों के वंचन और रक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए अधिदेशित है।

[अनुवाद]

कार्मिकों की शिकायतें

5488. श्री एस. एस. रामासुब्बू:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायाल ने कार्यरत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सशस्त्र बल शिकायत निवारण आयोग की स्थापना करने का सरकार को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निदेश पर कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायाल ने अपने दिनांक 15.11.2010 के आदेश के तहत केन्द्र सरकार को यह निदेश दिया है कि सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कार्मिकों की शिकायतों का समाधान करने हेतु एक आयोग नामत: सशस्त्र बल शिकायत निवारण आयोग की स्थापना करे। इस मामले की इस समय जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

ईंट भट्ठा श्रम कानून

5489. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यमान दर्जनों कानूनों के स्थान पर पृथक ईंट भट्ठा श्रम कानून का अधिनियमन करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल विनिर्माण संघ से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्तमान में ईंट-भट्ठा कामगारों हेतु अलग से विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल विनिर्माण संघ से ईंट-भट्ठा श्रमिकों के लिए अलग से कानून अधिनियमित किए जाने की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) असंगठित कामगारों, ईंट-भट्ठा कामगारों सहित, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत बनाई गयी योजनाओं से ईंट-भट्ठा कामगार भी लाभान्वित होंगे।

दूरसंचार कंपनी का शेयर

5490. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियमों के अनुसार किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी को दूसरी दूरसंचार कंपनी में 9.9 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ दूरसंचार कंपनियों विशेषकर रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की एक अन्य दूरसंचार कंपनी में 9.9 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, "कोई भी एकल कंपनी/वैध व्यक्ति, प्रत्यक्षत: या इसके सहयोगियों के माध्यम से अभिगम सेवाओं नामत: बुनियादी, सेल्युलर और एकीकृत अभिगम सेवा के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनी में पर्याप्त इक्विटी धारित नहीं करेंगे। यहां "पर्याप्त इक्विटी" का तात्पर्य "10% या इससे अधिक की इक्विटी" से है। कोई भी प्रवर्तक कंपनी/वैध व्यक्ति एक ही सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनी में स्टेक धारित नहीं कर सकता।"

(ख) से (घ) हाल ही में, "दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने व 2 जी स्पैक्ट्रम के आवंटन" पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण (सीएजी) की रिपोर्ट 16.11.2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई है। स्वान टेलीकॉम प्रा. लि. में रिलायंस टेलीकॉम लि. (आरटीएल) के गैर-संचयी विमोचनीय अधिमानी शेयरों (एनसीआरपीएस) को ध्यान में रखते हुए सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में रिलायंस टेलीकॉम लि. का इक्विटी स्टेक 10.71% था। सीएजी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 13 सेवा क्षेत्रों में यूएएस लाइसेंसों के लिए आवेदन करते समय स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड आरटीएल की ओर से अग्रणी कंपनी के रूप में कार्य कर रहा था और उनका आवेदन वस्तुतः यूएएस लाइसेंस के दिशा-निर्देशों के आशय और भावना के विरुद्ध था। सीएजी रिपोर्ट के मद्देनजर, दूरसंचार विभाग ने इस मामले को जांच के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास भेजने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा

5491. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पीड पोस्ट नेटवर्क पूरे देश की विशेषकर कारपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कारपोरेट क्षेत्र से विशेषकर शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों/छोटे शहरों से आने वाले डाक के प्रबंध के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस संबंध में डाक गुम होने/इसमें विलंब के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां। स्पीड पोस्ट नेटवर्क देश के सभी राज्यों को कवर करता है और कारपोरेट क्षेत्र की आवश्यकतओं को पूरा करता है।

(ख) स्पीड पोस्ट नेटवर्क में समूचे देश में फैले 314 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र और 986 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र शामिल हैं। यह कारपोरेट ग्राहकों को अभी बुक करो बाद में भुगतान करो (बीएनपीएल), ग्राहकों के परिसरों से मुफ्त पिक-अप, कम्प्यूटर बिलिंग जैसी मूल्य-विर्द्धित सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) कारपोरेट क्षेत्र से आने वाली डाक को हैंडल करने की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेलिंग पूर्व कार्यकलाप (संग्रहण, लिफाफा बंद करना, फ्रैंकिंग, चिपकाना) प्रदान करने के लिए भारतीय डाक ने मेल बिजनेस केन्द्रों एवं बिजनेस पोस्ट केन्द्रों की स्थापना की है। कारपोरेट क्षेत्र से प्राप्त थोक मात्रा की डाक को इन केन्द्रों में प्रोसेस किया जाता है और छोटे शहरों सहित पूरे भारत में वितरण हेतु प्रेषित किया जाता है। मेल बिजनेस केन्द्र तथा बिजनेस पोस्ट केन्द्र कारपोरेट ग्राहकों को सीधी इंटरफेस सुविधा प्रदान करते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डाक के खो जाने/देर से प्राप्त होने से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	डाक के खो जाने/देर से प्राप्त होने से संबंधित शिकायतों की संख्या
2007-08	185643
2008-09	212522
2009-10	220365
2010-11 (जून 2010 तक)	55443

(ङ) देश में सभी डाक डिवीजनों में कंप्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की स्थपना की गई है। ग्राहक सुविधा केन्द्रों में पंजीकृत की गई सभी शिकायतों की डिवीजन, क्षेत्रीय, सर्किल एवं निदेशालय स्तर पर ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है ताकि इन शिकायतों का त्वरित निपटान किया जा सके एवं उन पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

एकीकृत पनधारा प्रबंध कार्यक्रम

5492. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज की तिथि के अनुसार चल रहे एकीकृत पनधारा प्रबंध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य

में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार किन योजनाओं से भू-स्वामियों और भूमिहीन लोगों को लाभ हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर छत्तीसगढ़ में एकीकृत पनधारा प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार और योजना-वार खर्च की गई धनराशि और उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि संसाधन विभाग क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वर्ष 1995 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को अब 26.2.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी को वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) वाटरशेड विकास परियोजनाएं क्षेत्र आधारित परियोजनाएं हैं। अत: परियोजना क्षेत्र में रहने वाले भू-स्वामी और भूमिहीन व्यक्तियों सहित सभी लोग इनसे लाभान्वित होते हैं। तथापि, आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों में भूमिहीन व्यक्तियों के जीविका कार्यकलापों के लिए 10% परियोजना लागत निर्धारित करने की व्यवस्था है।

(ग) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित प्रत्येक राज्य को आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान योजना-वार खर्च की गई राशि तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

लोक सभा में दिनांक 13.12.2010 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्र. सं. 5492 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियों में केन्द्र का भाग

करोड़ रुपये में

राज्य	डीपीएपी*					डीडीपी*					आईडब्ल्यूडीपी*					आईडब्ल्यूएमपी	
	जारी निधियां					जारी निधियां					जारी निधियां					2009-10	2010-11
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग	जारी निधियां	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	56.24	55.87	37.38	17.55	167.04	28.30	35.02	8.68	12.53	84.53	37.13	44.43	34.35	3.90	119.81	30.68	119.80
बिहार	0.02	0.00		0.00	0.20			0.00		0.00	2.00	7.32	5.71	0.00	15.03		
छत्तीसगढ़	13.92	24.38	20.76	9.01	68.07			0.00		0.00	25.75	30.44	13.82	1.94	71.95	13.69	31.95
गोवा		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
गुजरात	16.34	39.33	51.31	9.01	115.99	65.59	75.13	113.63	25.86	280.21	23.57	31.87	23.69	11.03	90.16	50.23	117.19
हरियाणा			0.00	0.00	0.00	28.74	10.26	27.22	15.47	15.47	81.69	4.45	4.28	3.84	1.65	14.22	
हिमाचल प्रदेश	8.35	8.59	4.04	1.80	22.78	2.17	6.45	0.00	11.43	20.05	27.86	23.48	13.52	10.05	74.91	16.51	34.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जम्मू और कश्मीर	0.00	6.40	3.87	7.02	17.29	7.39	2.76	9.45	19.98	39.58	5.97	4.55	11.21	1.60	23.33		
झारखण्ड	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90		0.00		0.00	2.90	8.41	3.07	1.30	15.68	7.64	17.82	
कर्नाटक	44.46	57.76	54.06	21.17	177.45	35.07	49.47	43.79	20.84	149.17	22.92	46.20	35.34	11.42	115.88	81.00	70.96
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	11.46	3.20	5.07	21.83	4.22						
मध्य प्रदेश	53.16	56.97	47.56	21.91	179.60		0.00	0.00	16.47	28.76	28.90	7.95	82.08	43.48	101.46		
महाराष्ट्र		54.21	64.03	79.79	39.79	237.82		0.00		0.00	56.97	60.44	37.56	26.84	181.81	67.77	158.14
उड़ीसा		23.93	25.13	43.29	12.93	105.28		0.00		0.00	17.94	33.54	27.45	6.29	85.22	21.77	50.80
पंजाब	0.00	0.00	0.00	2.50	3.60	2.90	0.70	9.70	2.29								
राजस्थान	13.96	18.10	18.71	10.18	60.95	98.18	216.87	101.39	68.14	484.58	48.45	45.26	22.53	2.72	118.96	69.92	254.61
तमिलनाडु	32.01	35.49	14.48	8.27	90.25	0.00	0.00	27.07	34.60	11.22	5.24	78.13	16.17	60.16			
उत्तर प्रदेश	49.40	39.72	25.11	9.40	123.63	0.00	0.00	55.82	70.58	46.38	4.34	177.12	22.68	132.12			
उत्तराखंड	14.62	7.07	4.11	5.54	31.34	0.00	0.00	16.67	24.64	7.60	7.08	55.99					
पश्चिम बंगाल	2.68	6.57	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	2.62	7.14	5.46	2.52	17.74					
योग गैर पूर्वोत्तर राज्य	383.48	448.31	404.47	173.58	1409.84	265.44	395.96	304.16	174.25	1139.81	399.16	521.00	337.75	111.64	1369.55	443.83	1153.97
पूर्वोत्तर राज्य																	
अरूणाचल प्रदेश											15.64	32.27	26.68	13.91	88.50	5.45	20.08
असम											27.05	38.93	21.52	7.58	95.08	32.53	16.85
मणिपुर											4.50	11.18	10.97	8.34	34.99		0.00
मेघालय											5.47	9.42	15.95	11.81	42.65	2.43	9.88
मिजोरम											31.29	26.50	36.70	16.94	111.43	5.06	0.00
नागालैंड											29.64	27.53	7.49	0.00	64.66	8.57	26.71
सिक्किम											3.86	2.60	8.45	0.84	15.75	1.17	0.00
त्रिपुरा											0.00	1.58	0.39	0.00	1.97	2.45	8.15
योग पूर्वोत्तर राज्य											117.45	150.01	128.15	59.42	455.03	57.66	81.67
कुल योग	383.48	448.31	404.47	173.58	1409.84	265.44	395.96	304.16	174.25	1139.81	516.61	671.01	465.90	171.06	1824.58	501.49	1235.64

टिप्पणी: डीपीएपी को 16 राज्यों में, डीडीपी को 7 राज्यों में और आईडब्ल्यूडीपी को 28 राज्यों में कार्यान्वित किया जाता ॥

*डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई थी।

विवरण II

लोक सभा में दिनांक 13.12.2010 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्र. सं. 5492 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत गत 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (3011.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान निधियों का उपयोग तथा प्राप्त उपलब्धियां

(उपयोग में लाई गई निधियां करोड़ रुपयों में, पूरी की गई परियोजनाओं की सं. तथा पूरी की गई परियोजनाओं का क्षेत्र लाख है. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईडब्ल्यूडीपी(2007-11)			डीडीपी(2007-11)			डीपीएपी(2007-11)			आईडब्ल्यएमपी#
		प्रयोग में लाई गई निधियां	पूरी की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाओं का क्षेत्र	प्रयोग में लाई गई निधियां	पूरी की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाओं का क्षेत्र	प्रयोग में लाई गई निधियां	पूरी की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाओं का क्षेत्र	वर्ष 2009-10 से 31.08.10 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	112.92	29	2.12	93.38	566	2.83	191.28	569	2.85	4.98
2.	बिहार	18.05	0	0.00	0.00	0	0.00	0.57	0	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	61.24	12	0.88	0.00	0	0.00	56.15	205	1.03	14.08
4.	गोवा	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	95.29	20	1.60	353.81	15.19	7.60	156.44	264	1.32	6.74
6.	हरियाणा	13.65	3	0.15	85.57	405	2.03	0.00	0	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	76.83	18	1.58	19.52	123	0.62	31.57	49	0.52	0.53
8.	जम्मू और कश्मीर	11.60	1	0.08	31.43	48	0.24	9.21	0.	0.00	0.00
9.	झारखण्ड	8.67	3	0.15	0.00	0	0.00	51.66	0	0.00	0.34
10.	कर्नाटक	127.82	35	1.96	139.33	909	4.55	210.48	895	4.48	30.22
11.	केरल	18.62	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	173.96	18	1.51	0.00	0.0	0.00	238.56	1162	5.81	0.00
13.	महाराष्ट्र	83.10	60	3.02	0.00	0	0.00	193.68	8.34	4.17	6.63
14.	उड़ीसा	88.68	15	1.09	0.00	0	0.00	117.42	399	2.00	1.90
15.	पंजाब	16.64	1	0.05	0.00	0.	0.00	0.00	0.	0.00	0.00
16.	राजस्थान	144.88	49	2.98	609.83	1979	9.90	99.91	350	1.75	2.42
17.	तमिलनाडु	88.24	16	0.95	0.00	0.	0.00	127.30	322	1.61	3.56
18.	उत्तर प्रदेश	177.34	81	4.42	0.00	0	0.00	107.20	901	4.51	6.09
19.	उत्तराखंड	45.37	5	0.42	0.00	0	0.00	43.96	67	0.34	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	25.22	1	0.05	0.00	0	0.00	13.55	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	अरूणाचल प्रदेश		49.77	12	0.62	0.00	0	0.00	0	0.00	4.16
22.	असम	34.58	8	0.56	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	16.28
23.	मणिपुर	34.96	3	0.27	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
24.	मेघालय	31.87	3	0.12	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	763
25.	मिजोरम		64.14	7	0.56	0.00	0	0.00	0.00	0	0.005.73
26.	नागालैंड	91.24	33	2.88	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	19.28
27.	सिक्किम	28.69	2	0.12	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.31
28.	त्रिपुरा	3.17	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1.36
	योग	**1726.54**	**435**	**28.14**	**1332.87**	**55.49**	**27.75**	**1648.94**	**6017**	**30.19**	**132.34**

टिप्पणी: निधियों के उपयोग में केन्द्र का भाग, निधियों का राज्य भाग, खर्च न की गई शेष राशि पर उपार्जित ब्याज तथा विविध प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
#आईडब्ल्यूएमपी को 2009-10 में आरंभ किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं आरंभिक अवस्था में हैं

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में ब्रेक वाटर

5493. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप के अंडरोट द्वीप समूह में बनाए जा रहे ब्रेक वाटर के तृतीय चरण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) लक्षद्वीप के अन्डरोट्ट द्वीप समूह में परियोजना, पनकटदीवार के तीसरे चरण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और संशोधन स्वीकृत किए जाने की शर्त पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। पनकट दीवार के तीसरे चरण के लिए घाट के डिजाइन का कार्य, नवम्बर, 2010 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंप दिया गया है।

व्यापार कानून

5494. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार कानून में सवंशोधन अथवा आंशिक रियायत कर वल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को निर्बाध रूप से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अब तक कोई प्रतिवेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) वल्लारपदम कंटेनर यानांतरण टर्मिनल से विदेशी ध्वज से युक्त जलयानों के माध्यम से कंटेनरों का यानांतरण समक्ष बनाने के लिए अनुतट यात्रा से संबंधित प्रावधानों में छूट दिए जाने हेतु कोचीन पत्तन न्यास, कोच्चि और डी.पी. वर्ल्ड, कोच्चि से अभ्यावेदन मिल गए हैं। यह जाँच-पड़ताल के अधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बीपीएल परिवारों को रचनात्मक रोजगार

5495. श्री राकेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को रचनात्मक रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख स्वरोजगारी कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में 48 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों में से, 14 डीआरडी एजेंसियों को केन्द्रीय रिलीज की गई है, 9 डीआरडी एजेंसियों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है एवं 3 डीआरडी एजेंसियों का उपयोग निर्धारित सीमा से कम हुआ है। शेष 22 डीआरडी एजेंसियों के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास और पुनर्वास योजना

5496. श्री जयराम पांगी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण आवास और पुनर्वास योजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली एवं चंडीगढ़ के अलावा) के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत, अवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को समतल क्षेत्रों में 45,000 रुपये की एवं पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48. 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य-वार आबंटित एवं रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां एवं राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियां, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज, कुल उपलब्ध निधियां, वास्तविक लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	राज्य	2007-08						2008-09					
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	लक्ष्य (सं. में)	उपलब्धि (सं. में)	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	लक्ष्य (सं. में)	उपलब्धि (सं. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	36027.75	36201.00	50217.71	46838.96	192148	194861	50434.77	82082.9	11225.5	89937.81	192132	262264
2.	अरूणाचल प्रदेश	1396.3	1874.15	3144.19	1332.72	6765	6422	1954.81	3483.08	4810.69	2835.43	6770	7236
3.	असम	30853.66	32429.53	53195.63	43346.7	149593	150776	43225.67	68352.61	199639.49	62704.1	149699	112706
4.	बिहार	10344.49	95693.97	201957.8	149428.6	567171	430864	148870.28	239781.53	400496.67	215436.08	567125	484197
5.	छत्तीसगढ़	5571.39	4571.39	8018.87	7913.32	29714	30093	7798.32	15849.04	21450.1	10733.47	29712	30023
6.	गोवा	221.9	188.12	265.85	109.81	1183	736	310.64	289.24	623.13	398.37	1183	586
7.	गुजरात	17668.8	17668.8	29215.88	24229.87	94234	110908	24734.36	3537.53	56175.08	33836.84	94226	122412
8.	हरियाणा	2480.72	2400.72	3428.42	3566.61	13231	13398	347.72	5031.21	6921.74	6357.24	13229	13302
9.	हिमाचल प्रदेश	874.96	874.96	1332.42	1150.25	4242	4029	1224.84	1805.54	2623.33	2329.51	4242	4501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	2717.68	2717.68	3935.51	2957.88	13177	15361	3804.44	7128.93	9893.78	3938.54	13176	13211
11.	झारखण्ड	8485.46	9485.46	16640.2	1186.43	50589	45936	13278.58	29692.35	45248.8	16379.7	50585	56180
12.	कर्नाटक	13880.5	13880.5	23361.68	13473.46	74029	39990	19431.14	28209.02	50937.1	21783.7	74023	87051
13.	केरल	7718.85	7718.85	11035.08	10186.83	41167	37094	10805.52	15655.73	22558.41	15190.6	41164	53133
14.	मध्य प्रदेश	11080.48	1120.73	15579.97	15072.08	59096	60222	15511.42	23436.36	31871.67	40829.83	59091	74641
15.	महाराष्ट्र	21727.2	21914.89	34263.57	35597.33	115879	125117	30415.7	47024.34	67038.77	54559.1	115869	118611
16.	मणिपुर	1211.19	337.46	1318.27	803.66	5872	3379	1696.87	1640.08	2450.99	425.4	5877	514
17.	मेघालय	2109.47	590.62	339.39	598.18	10228	2271	2955.34	2138.36	3036.05	2642..64	10235	5619
18.	मिजोरम	449.55	451.92	612.31	494.3	2180	1918	629.81	1250.85	1681.9	1528.75	2181	5179
19.	नागालैंड	1395.9	1240.58	1701.55	1338.66	6768	7491	1955.65	3969.18	5434.31	5498.61	6773	24717
20.	उड़ीसा	20893.26	20280.02	30178.91	34394.63	111431	140.863	29248.2	46082.17	66133.76	25709.24	111422	62447
21.	पंजाब	3067.91	3067.91	4180.48	3699.49	16362	17992	4294.73	6004.31	8872.43	4429.98	16361	11700
22.	राजस्थान	8878.84	8888.57	13199.71	11330.47	47354	42517	12429	18111.46	25997.27	20453.65	47350	52654
23.	सिक्किम	266.97	230.71	335.99	320.14	1294	1533	374.02	578.85	791.48	885.8	1295	1774
24.	तमिलनाडु	14424.69	14424.69	19952.1	20091.19	76932	103379	20192.94	29414.38	39734.99	3943.24	76925	94160
25.	त्रिपुरा	2717.96	2745.03	4004.43	5361.62	13178	12946	3807.83	6696.99	10510.44	6343.68	13187	26389
26.	उत्तर प्रदेश	47765.59	4672.95	72660.95	69977.3	264750	264296	66866.42	97568.5	140961.73	107097.03	254729	267543
27.	उत्तराखंड	2394.68	2394.68	4098.1	3654.45	11611	18766	3352.28	4856.72	7481.06	4242.68	11610	12696
28.	पश्चिम बंगाल	28820.5	26044.3	43237.2	27092.16	153709	107575	40345.46	57212.41	89637.36	7	153697	123808
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	456.94	312.73	554.55	52.65	1828	297	639.67	92.55	682.85	74.3	1828	124
30.	दादरा और नगर हवेली	76.13	38.07	40.37	2.16	305	121	106.58	53.29	90.56	16.65	305	41
31.	दमन व दीव	34.06	0.00	7.11	0.56	136	12	47.68	0	0	0	136	0
32.	लक्षद्वीप	2954	29.54	34.86	34.64	118	97	41.34	59.88	59.97	73.54	118	190
33.	पुडुचेरी	227.59	37.50	79.28	42.19	910	101	318.6	0	37.87	24.37	910	52
	कुल	403270.00	388237.01	652717.42	546454.30	21727184	1992349	564577.00	879579.39	1446035.28	834834.33	2127165	2134061

—जारी

क्र सं	राज्य	2009-10						2010-11					
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	लक्ष्य (सं. में)	उपलब्धि (सं. में)	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	लक्ष्य (सं. में)	उपलब्धि (सं. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	75900.82	86629.11	122.9143	130796.29	371982	434733	86772.50	85047.63	114272.2	47374.65	257104	91674
2.	अरूणाचल प्रदेश	2936.66	3336.76	4022.76	2401.38	10873	6026	3372.56	1883.56	2125.38	1082.45	7726	2733
3.	असम	64914.87	66736.67	112257.14	86355.23	240446	181162	74575.72	36308.13	74899.06	43240.23	49	83672
4.	बिहार	224039.39	200854.99	448372.78	299594.41	1098001	653214	258130	117373.55	3202335.05	114573.04	04	229772
5.	छत्तीसगढ़	11737.44	1629.9	41214.29	32204.97	57520	5844	13418.67	7007.17	13001.94	8774.3	39759	23039
6.	गोवा	467.49	467.49	745.35	543.14	2291	1864	634.46	354.68	698.43	290.84	1584	279
7.	गुजरात	37223.48	41574.95	72268.68	56795.98	182429	166760	42555.24	22237.1	51137.29	27331.01	126090	37170
8.	हरियाणा	5226.21	5244.96	8538.91	8453.32	25611	24138	5974.79	4416.96	6236.59	3370.15	17703	5628
9.	हिमाचल प्रदेश	1843.31	1803.81	3136.85	3056.84	8212	9295	2107.33	1150.2	1816.37	1005.84	6793	842
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5725.42	9531.27	5968.31	25508	18594	6545.51	3832.22	5924.68	937.78	17995	2720
11.	झारखण्ड	1993.33	30160.35	58345.37	35997.79	97926	87524	56595.67	288890.2	64838.59	31020.62	167691	108486
12.	कर्नाटक	2924.62	30227.03	73834.07	53634.35	143311	158417	33431.11	16715.56	49716.26	4343.25	55084	26432
13.	केरल	16261.55	16261.56	28317.63	21256.92	79695	51590	18590.8	11109.48	21892.93	11597.43	55084	26432
14.	मध्य प्रदेश	23343.61	24086.27	33310.8	33954.03	114396	96877	26687.27	15792.77	27447.22	12016.17	79073	34090
15.	महाराष्ट्र	45773.5	47443.24	70398.8	128589.14	224323	207695	52329.94	26885.39	43020.55	28045.72	1550.52	25154
16.	मणिपुर	2548.3	2085.92	3242.66	1684.17	9439	3296	2927.66	1325.27	1939.55	499.75	6707	898
17.	मेघालय	4438.24	3783.31	4626.11	3854.48	16440	9875	5098.75	3225.08	4209.7	3028.77	11681	5952
18.	मिजोरम	945.84	1267.79	1427.08	1422.31	3504	4851	1086.6	961.53	1074.74	457.16	2489	989
19.	नागालैंड	2936.92	3996.01	4600.28	3038.92	10878	11646	3374.01	2445	2864.24	3044.64	7730	9485
20.	उड़ीसा	44015.6	46025.72	107271.16	76884.11	215715	170766	50321.27	25555.15	62324.16	26627.73	149100	50923
21.	पंजाब	6463.27	6463.27	11229.16	7782.73	31574	27108	7389.05	3073.61	5914.1	2860.02	21893	8910
22.	राजस्थान	18705.35	18869.6	33346.3	29866.62	91670	86992	21384.64	11359.75	21502.13	13782.23	63362	14287
23.	सिक्किम	661.69	561.69	726.97	78101	2080	1819	645.29	524.48	784.97	175.46	1478	0
24.	तमिलनाडु	30388.96	30547.07	41820.87	44487.29	149929	169753	34741.77	24059.52	32568.58	17194.15	102939	52
25.	त्रिपुरा	6718.48	6368.67	7114.87	3818.96	21182	8322	6569.52	5490.73	7192.67	1378.97	15060	3451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तर प्रदेश	100629.31	101479.94	155196.07	158769.94	493156	483949	115043.1	72418.12	100774.85	66409.63	340868	94012
27.	उत्तराखंड	5044.94	5044.94	10035.08	7828.18	22476	20373	5767.56	2856.19	5178.14	4343.8	15856	6704
28.	पश्चिम बंगाल	60717.1	60727.47	117088.82	89164.28	297564	230155	6941401	40468.12	88475.07	47319.22	205671	109019
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	962.66	98.04	715.29	167.3	2760	242	1100.65	0	263.96	84.95	2446	163
30.	दादरा और नगर हवेली	160.4	80.2	80.2	0	458	0	183.37	91.69	91.69	0	407	0
31.	दमन व दीव	0	0	0	205	0	82.03	0	0	0	0	182	0
32.	लक्षद्वीप	62.21	62.21	67.15	56.72	229	88	71.12	0	0	0	158	0
33.	पुडुचेरी	479.48	239.74	260.09	38.3	1370	47	548.16	0	0	0	1218	0
	कुल योग	849470.00	863573.99	1585234.89	1329246.40	4052243	3385619	1005370.00	572856.83	1132421.09	521209.96	2908697	1011947

*कुल उपलब्ध निधियों में केन्द्रीय रिलीज राज्य अंश, विविध यदि कोई हो तो शामिल हैं।

[हिन्दी]

उज्जैन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

5497. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उज्जैन, मध्य प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों को दस वर्षों के बाद भी नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और इसके परिणाम सहित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण के जरिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की एक बार की विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रख रखाव और स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए इन सड़कों को समय पर पूरा करने की तथा इनको पूरा करने में हुए विलंब पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हो जाती है। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में कार्य आदेश जारी होने की तिथि से कार्य के 9 महीनों के अंदर पूरा करने का प्रावधान किया गया है जिसे मानसून अथवा अन्य मौसमी घटकों के कारण काम प्रभावित होने की स्थिति में 12 कैलेण्डर मास तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में निर्धारित समयावधि के भीतर सड़क परियोजनाओं को पूरा करें। विलंब के मामले में, मानक बोली दस्तावेज के संबद्ध प्रावधानों में परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने तथा लगातार विलंब के मामले में ठेके को रद्द करने की मांग की गई है। अधिक समय लगने की वजह से लागत में हुई बढ़ोतरी का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित्त सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में एक तीन-स्तरीय गुणवत्ता तंत्र का प्रावधान किया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) की जांच निकायों का गठन किया जाता है और इन्हें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों में अनियमितताओं की जांच पड़ताल करने के लिए राज्यों में भेजा जाता है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 (अक्टूबर, 2010 तक) की अवधि के दौरान एनक्यूएम ने उज्जैन जिले में अनियमितता संबंधी 6 शिकायतों की जांच की थी। इनमें से 3 मामलों में अनियमितताएं पाई गई थी। इन मामलों के लिए एनक्यूएम की जांच रिपोर्टें सुधार के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थी ताकि वे जांच रिपोर्टों में दर्शाई गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्टें भेजें। कार्यों के कार्यान्वयन में खामियों के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है।

बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए डीपीआर

5498. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी सलाहकार कंपनियों को सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार कंपनियों को डीपीआर तैयार करने के लिए दी गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य डीपीआर सटीक न होने के कारण सड़कों का निर्माण अधूरा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सलाहकार कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सड़क निर्माण में अनियमितताएं बरतने वाली केन्द्रीय एजेंसियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (च) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण के जरिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की एकबार की विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को निर्माण, रख रखाव और स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तद्नुसार, कोर नेटवर्क में दर्शाए गए सरेखन के अनुसार प्रस्तावित सड़क कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, उन पर शुल्क का भुगतान करने आदि की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावें को शामिल करने के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में अंतर्निर्मित्त प्रावधान किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि;

(i) जिला पंचायतें संसद सदस्यों के सुझावों पर पूरी तरह विचार-विमर्श करने के बाद कोर नेटवर्क और जिला ग्रामीण सड़क योजना को अंतिम रूप देगी।

(ii) व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) को अंतिम रूप देते समय संसद सदस्यों को सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

(iii) लोक सभा सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तथा राज्य सभा सदस्य में राज्य के उस जिले के संबंध में जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनके लिए उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, परामर्श करके वार्षिक योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना होता है।

(iv) निर्धारित अवधि तक संसद सदस्यों से प्राप्ता प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूरी तरह विचार किया जाएगा जिसमें शामिल न किए जाने के प्रत्येक मामले के कारण दर्ज किए जाने की संभावना है।

दिशा-निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश और एडवाइजरी जारी किए जाते हैं।

(छ) सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों की है जो कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक तीन-स्तरीय गुणवत्ता तंत्र बनाया गया है। पहला स्तर इन हाऊस गुणवत्ता नियंत्रण और दूसरा स्तर राज्य स्तर पर केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी है। ये दोनों स्तर कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली केन्द्रीय एजेंसियों की जिम्मेवारी है। तीसरे स्तर को केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में बनाया गया है। इस स्तर के अंतर्गत, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं को औचक आधार पर सड़कों का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय एजेंसियों के जरिए पीएमजीएसवाई की कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए, पटना में एक समन्वयक सलाहकार तैनात किया गया है। सड़क कार्यों की गुणवत्ता की सघन निगरानी करने के लिए स्वतंत्रत गुणवत्ता मूल्यांकनकर्त्ता तैनात किए जाते हैं जो केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यों की जांच करेंगे। गुणवत्ता मूल्याकंकनकर्त्ताओं द्वारा कार्यों की जांच के पश्चात् कार्यों को गुणवत्ता की दृष्टि से तीन श्रेणियों अर्थात संतोषप्रद "एस", संतोषप्रद लेकिन सुधार की जरूरत "एसआरआई" तथा असंतोषप्रद "यू" में श्रेणीकृत किया जाता है। यदि किसी भी कार्य के असंतोषप्रद होने की जानकारी दी जाती है तो संबंधित केन्द्रीय एजेंसी को कार्य में सुधार करने की और समन्वयक सलाहार को भी गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने कि जरूरत होती है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाती है और केन्द्रीय एजेंसियों को ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत होती है।

[अनुवाद]

कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

5499. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का कोई सूत्र लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सार्वजनिक निवेश तथा छोटे और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पूरे देश में एकसमान मजदूरी ढांचा सुनिश्चित करने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू), जिसे दिनांक 1.11.2009 से संशोधित करके 100/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, की अवधारणा विकसित की गई थी। राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी एक असांविधिक उपाय है। अत:, राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी का इस तरह से निर्धारण/पुनरीक्षण के लिए राजी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि सहित सभी अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कम न रहे।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा किसानों (लघु और सीमांत किसानों सहित) को ऋण की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भारत सरकार, वर्ष 2006-07 से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण हेतु ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण 7% की दर पर उपलब्ध हो। वर्ष 2010-11 में, अपने अल्पकालिक फसल ऋण को समय पर चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसानों हेतु 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण 5% प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध होगा।

(ii) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीब्ल्यूडीआरएस), 2008 ने ऋण की उन लाइनों को खोल दिया है जो किसानों पर ऋण के भार के कारण बंद हो गई थी।

(iii) बैंको को यह सलाह दी गई है कि वे छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों तथा इसी प्रकार के व्यक्तियों से 50,000 रुपये तक के लघु ऋणों के लिए "बेबाकी" प्रमाण-पत्रों पर जोर न दें और इसके बजाय ऋण लेने वाले से स्व-घोषणा प्राप्त करें।

(iv) बैंकों (आरआरबी सहित) को यह सलाह दी जा रही है कि जहां नहीं फसलों की खेती आदि के बारे में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज्य संस्थाओं से प्रमाणन प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हों वहां वे 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए भूमिहीन श्रमिकों, बंटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों द्वारा व्यावसायिक स्थिति (अर्थात् खपरैल लगाई गई जमीन/उगाई गई फसल) देते हुए प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को स्वीकार कर सकते हैं।

(v) भारतीय रिवर्ज बैंक ने बैंकों को 1,00,000 रुपये तक के कृषि ऋणों हेतु मार्जिन/सिक्योरिटी आवश्यकताओं को हटाने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक प्रबंधन में कुशलता

5500. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन की कुशलता बढ़ाने तथा उसमें सुधार करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों को पिछले कई वर्षों से वेतन नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारी उद्योग विभाग के अधीन ऐसे रुग्ण/घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वेतन/मजदूरी सहायता प्रदान की जा रही है जो इसके लिए अपने संसाधन जुटा पाने में असमर्थ हैं और जहां अभी तक पुनर्जीवन प्रक्रिया कार्यान्वित नहीं की गयी है। यह सहायता मई 2004 से प्रदान की जा रही है। अभी तक 17 ट्रांचेज में 1953.76 करोड़ रुपये की धनराशि की संस्वीकृति प्रदान की गयी है। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे सभी रुग्ण/घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु मार्च, 2010 तक वेतन सहायता जारी कर दी गयी है।

कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना

5501. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन किराया आधार पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) देश में इस योजना को शीघ्र कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना, जिसके अंतर्गत किराया आधार पर कम्प्यूटर उपलब्ध होंगे, से छात्रों को अवगत कराने के लिए कोई अभियान शुरू करने के लिए विशेष उपाय किए हैं ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना के अतंर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों जैसे सर्वाधिक कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा/दिया गया है; और

(ङ) इस योजना को शीघ्र पूरे देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ङ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु, निजी क्षेत्र के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को दैनिक भाड़े के आधार पर कम्प्यूटर प्रदान करने का तंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान/बांग्लादेश के आप्रवासियों को अनुसूचित जाति का दर्जा

5502. श्री विष्णु पद राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा, असम, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश राज्य में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान/बांग्लादेश के आप्रवासियों, जिन्हें इन राज्यों में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा पुनर्वासित/स्थापित किया गया है, को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके इसके क्या कारण हैं तथा किस वर्ष में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया;

(ग) उक्त समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा किए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) कितने व्यक्तियों को उक्त लाभ दिया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उभयलिंगी समुदाय

5503. श्री सी. शिवासामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव और विभिन्न अन्य अपराध प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उभयलिंगी व्यक्तियों के नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के संबंध में विख्यात विधिवेत्ताओं के सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चर्चा किए गए विषयों और दिए गए सुझावों सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), जो देश में विभिन्न अपराधों के संबंध में आंकड़े रखता है, उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने इस प्रकार के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विशेष संघटक योजना

5504. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासियों के लाभ हेतु विशेष संघटक योजना की धनराशि का अन्यत्र उपयोग के लिए विपथन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) में राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी प्रतिशतता के अनुपात में निधियां निर्दिष्ट करने का उल्लेख है। बहुआयामी स्रोतों से निधि सहित अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास किए जाने के मद्देनजर टी एस पी के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। वह मंत्रालय ऐसी योजनाओं से संबंधित आंकड़े और राज्यों द्वारा निधियों के विपथन संबंधी विवरण का रख-रखाव नहीं करता है।

[अनुवाद]

ओबीसी के लिए कल्याण योजना

5505. श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जो सब्जियों की खेती करने में सिद्धहस्त हैं, के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष रूप से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई मूलयांकन नहीं कराया गया है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यन्वित करता है:

(i) अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(ii) अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रकृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(iii) अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(iv) अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम।

[हिन्दी]

एस ई जेड के लिए कानून

5506. श्री अंजन कुमार एम. यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून सामान्य कानून से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या उक्त कानून के निर्माण के संकल्प पर संसद में रोक लगा दी गई थी अथवा सरकार द्वारा स्वयं ही उक्त कानून को अंगीकृत कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एस ई जेड अधिनियम 2005 के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण अथवा सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए अथवा मुक्त व्यापार भंडारण जोन के रूप में किसी एस ई जेड की स्थापना, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जा सकती है। एस ई जेड विकासकर्ताओं तथा इकाइयों को एस ई जेड अधिनियम 2005 के उपबंधों क अनुसार वित्तीय रियायतें, छूट तथा शुल्क संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 को मई 2005 संसद द्वारा पारित किया गया था तथा जून, 2005 में इसे राष्ट्रपति की सहमति प्रदान की गई थी। एस ई जेड नियम 2006 द्वारा समर्थित एस ई जेड अधिनियम 2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ था। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित मुद्दों के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा एकल-स्थानीय निकासी तंत्र का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

ईको ऑर्गेनिक प्रमाणन

5507. श्री एम.आई. शानवास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय ईको ऑर्गेनिक प्रमाणन के अर्हता के लिए मानदंड संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक किसी कंपनी को व्यापार जारी रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ईको ऑर्गेनिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया और उन्हें मानकों के उल्लंघन के लिए काली सूची में डाला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाणिज्य में ईको ऑर्गेनिक प्रकृति के चरित्र को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय उत्पादों को सुकर बनाए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) निर्यात हेतु जैविक प्रमाणन (उत्पादन/प्रसंस्करण/व्यापार) की पूर्वापेक्षा के अनुसार एफ टी डी आर अधिनियम के 2001) द्वारा अधिसूचित जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानक (एन एस ओ पी) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित है। मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों (सी बी) द्वारा जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ओ पी) के अंतर्गत पूर्वापेक्षाओं का आकलन किया जाता है।

(ख) और (ग) एन पी ओ पी दिशा-निर्देशों का कथित उल्लंघन करते हुए पाई गई कंपनियां (निर्यातक) (i) रागीना कृषि उत्पाद प्रा. लि., (ii) सुमिन्टर इंडिया ऑर्गेनिक प्रा. लि. और (iii) जियो फ्रेश ऑर्गेनिक हैं। कथित उल्लंघन के ऐसे सभी मामलों में एन पी ओ पी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तथापि अभी तक किसी कंपनी को निषेध सूची में नहीं रखा गया है।

(घ) जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के जरिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) 20 प्रमाणन एजेंसियों की नीति एवं प्रक्रिया तथा समनुरूपता आकलन प्रक्रियाओं के गहन मूल्यांकन के बाद उन्हें मान्यता प्रदान करना।

(ii) प्रमाणन एजेंसियों की प्रक्रिया एवं प्रलेखन की निगरानी का कार्य उनके वार्षिक मूल्यांकन के जरिए किया जा रहा है।

(iii) जैविक क्षेत्र से जुड़े हितबद्ध पक्षकारों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिनमें नए प्रमाणन निकायों का सृजन और हितबद्ध पक्षकारों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

(iv) कोडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स (आई एफ ओ ए एम) पर विचार करने के पश्चात तथा भारतीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एन पी ओ पी दिशा-निर्देश तैयार करना।

(v) जैविक प्रमाणन प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अनुमार्गणीयता (15 मई, 2010 को शुरू किए गए वेब आधारित सॉफ्टवेयर 'ट्रेसनेट' के माध्यम से) का विकास एवं कार्यान्वयन।

(vi) 'इंडिया ऑर्गेनिक' प्रमाणन चिह्न के प्रचार हेतु जैविक उत्पादों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों में भागीदारी।

(vii) संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन।

(viii) जैविक पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, जैविक जलकृषि तथा जैविक वस्त्र क्षेत्र हेतु नए मानकों की शुरूआत करना।

[हिन्दी]

एनजीओ और एसएचजी द्वारा युवा गतिविधियों को बढ़ावा

5508. श्री महाबल मिश्रा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में युवा गतिविधियों के संवर्धन हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) उक्त सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्व-सहायता ग्रुपों (एसएचजी) द्वारा उक्त सहायता का उचित उपयोग किए जाने हेतु पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है;

(घ) क्या उक्त संगठनों को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जमा न कराए जाने पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान युवा क्रियाकलापों एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दी गई राज्य-वार वित्तीय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सहायता के समुचित उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और उपर्युक्त संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक विगत तीन वर्षों के दौरान युवा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय एकता 2007-08	साहसिक कार्य 2007-08	एनपीवाईएडी 2008-09	एनपीवाईएडी 2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	428861/-	-	-	-
2.	बिहार	1835616/-	30,000/-	-	3,53,750/-
3.	दिल्ली	65297820/-	17412077/-	4,50,42,250/-	11,75,33,000/-
4.	गुजरात	140517/-	-	57,10,750/-	-
5.	हरियाणा	2423526/-	65900/-	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	26700/-	-	9,75,000/-	12,13,000/-
7.	जम्मू और कश्मीर	-	1768000/-	8,40,000/-	23,13,000/-
8.	झारखंड	45000/-	40,000/-	-	-
9.	कर्नाटक	856384/-	62750/-	-	-
10.	केरल	97300/-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	1442456/-	-	-	4,83,750/-
12.	महाराष्ट्र	1043745/-	-	-	6,81,500/-

1	2	3	4	5	6
13.	उड़ीसा	4931686/-	178250/-	-	-
14.	पंजाब	1164872/-	5,00,000/-	-	-
15.	राजस्थान	3851405/-	22500	-	51,46,250/-
16.	तमिलनाडु	963706/-	4,50,000/-	-	6,38,500/-
17.	उत्तराखंड	193574/-	5,00,000/-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	4460712/-	13750/-	-	-
19.	पश्चिम बंगाल	880048/-	7695000/-	10,00,000/-	44,43,200/-
20.	चण्डीगढ़	-	2,64,000/-	6,34,000/-	6,35,000/-
21.	दमन व दीव	83437/-	-	-	-
22.	अरुणाचल प्रदेश	-	1,20,000/-	-	-
23.	असम	455841/-	1,50,000/-	-	34,22,000/-
24.	मणिपुर	2559821/-	10,000/-	-	40,11,000/-
25.	मेघालय	234374/-	115000/-	-	65,000/-
26.	मिजोरम	106500/-	348950/-	-	-
27.	नागालैंड	1384370/-	2,60,000/-	-	8,00,000/-
28.	सिक्किम	166874/-	235000/-	-	-
29.	त्रिपुरा	281250/-	1,12,500/-	-	-

*एनपीवाईएडी-दिनांक 1.4.2008 से राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम

विवरण II

युवा क्रियाकलाप एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदंड

क्र.सं.	महत्वपूर्ण कार्यक्रम घटक	योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की राशि
1	2	3
(क)	**युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास**	
(i)	युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास परियोजना	रु. 3,00,000/-
(ख)	**राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा**	
(i)	निम्नलिखित स्थानों में 7 दिनों के लिए 15 व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर	

1	2	3
	– राज्य राजधानी	रु. 4,30,000/-
	– अन्य स्थान	रु. 3,53,750/-
(ii)	15 दिनों की अवधि के लिए 50 प्रतिभागियों के लिए अंतर राज्य युवा आवागमन कार्यक्रम	रु. 2,92,500/-
(iii)	बहु-सांस्कृतिक क्रियाकलाप	पहली बार की गारंटी के लिए अधिकतम 3.0 लाख रु.
(iv)	राष्ट्रीय युवा पर्व	अधिकतम 2.0 करोड़ रु.
(v)	राज्य युवा पर्व	रु. 10,00,000/- तक
(iv)	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	
	– व्यक्तियों को	रु. 20,000/-
	– गैर-सरकारी संगठनों को	रु. 1,00,000/-
(ग)	**साहसिक कार्य को बढ़ावा**	
(i)	मान्यता प्राप्त संस्था को अनुदान	अनुमोदित वार्षिक बजट के अनुसार
(ii)	25 व्यक्तियों के लिए निचले एवं मध्यवर्ती स्तर पर साप्ताहिक साहसिक कार्य शिविर	रु. 93,750/-
(iii)	भारत में अगिभयानों सहित उच्च स्तर पर साहसिक कार्य को बढ़ावा	विशिष्ट अभियान के अनुसार
(iv)	तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्र साहसिक कार्य पुरस्कार	रु. 3,00,000/-
(घ)	**किशोर विकास**	
(i)	जीवन कौशल संबंधी शिक्षा (40 मदों के लिए)	रु. 65,000/-
	– साप्ताहिक निवास कार्यक्रम	रु. 23,000/-
	– साप्ताहिक अनिवास कार्यक्रम	
(ii)	परामर्श	
	– संपर्क कार्यक्रम	रु. 1,73,000/-
	– ग्रामीण परामर्श केन्द्र	रु. 1,28,000/-
	– दूरभाष हेल्पलाइन	रु. 1,00,000/-
(iii)	जीवन वृत्ति मार्गदर्शन	
	– जीवन वृत्ति मार्गदर्शन प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष/अनुवर्ती वर्ष	रु. 2,34,000/-
	– जीवन वृत्ति मेला	रु. 2,14,000/-
		रु. 25,000/-

1	2	3
(iv)	द्वितीय शिविर (4 माह)	रु. 4,56,000/-
(ङ)	**तकनीकी संसाधन विकास**	
(i)	पर्यावरण विकास	अधिकतम 2.0 लाख रु.
(ii)	युवा मामलों के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन	पहली बार की गारंटी के लिए अधिकतम 3.0 लाख रु.
(iii)	प्रलेखन एवं प्रकाशन	पहली बार की गारंटी के लिए अधिकतम 3.0 लाख रु.
(iv)	राष्ट्रीय एकता एवं साहसिक कार्य सहित युवा अथवा किशोर संबंधी मामलों के संबंध में गोष्ठी, सम्मेलन एवं कार्यशाला	अधिकतम
	– राष्ट्रीय स्तर पर	रु. 5.0 लाख
	– राज्य स्तर पर	रु. 3.0 लाख
	– क्षेत्रीय/जिला स्तर पर	रु. 0.50 लाख

[अनुवाद]

ई-कचरा का आयात

5509. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक विद्यालयों, पंजीकृत धर्मार्थ चिकित्सालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं सामुदायिक सूचना केन्द्रों को सेकेण्ड हैण्ड कम्प्यूटरों और लैपटापों के रूप में दिये गये डोनेशन के द्वारा भारत में विकसित देशों से ई-कचरे की बड़ी खेप आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी जी एफ टी ने ई-कचरे के आयात का निषेध करने वाले कानून में कोई संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो देश में एन जी ओ एवं अन्य एजेंसियों द्वारा ई-कचरे के आयात संबंधी विभिन्न अधिनियमों में वर्तमान प्रावधान क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न पत्तनों पर जब्त की गई ऐसी खेपों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) ई-अपशिष्ट सहित जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के उपयुक्त प्रबंधन एवं प्रहस्तन के लिए जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन एवं सीमा पार आवागमन) नियम, 2010 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के अनुसार पाटन हेतु ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। सरकार ने विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, परमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सामुदायिक सूचना केन्द्र, व्यस्क शिक्षा केन्द्र तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के संगठन द्वारा दान के रूप में पुराने कम्प्यूटरों, लैपटॉपों तथा कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सहायक सामग्री के मुक्त आयात पर रोक लगा दी है। इसे दिनांक 12 मई , 2010 की सार्वजनिक सूचना सं. 62/2009-2014 द्वारा अधिसूचित किया गया था। ऐसे विशिष्ट मामलों में जहां सीमाशुल्क विभाग को मौजूदा उपबंधों के उल्लंघन में वस्तुओं के आयात का पता चलता है, उन्हें वस्तुएं जब्त करने और अन्य संबद्ध अधिनियमों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफ जारी न किया जाना

5510. श्री यशवंत लागुरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान को जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों में इन उपबंधों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों द्वारा जमा की गई, रोकी हुई धनराशि कितनी है; और

(च) नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफ अंशदान को समय से जमा कराना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) अनेक नियोक्ता अंशदान के भुगतान में चूककर्ता हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा-6 अंशदानों के भुगतान से संबंधित है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा-30 (1) में अंशदान के भुगतान की विधि की व्यवस्था है, यह पैरा इस प्रकार है:

पैरा-30 अंशदान का भुगतान: (1) सर्वप्रथम, नियोक्ता अपनी तरफ से देय (जिसे योजना में नियोक्ता का अंशदान क्या गया है) तथा उसके द्वारा सीधे या किसी ठेकेदार के द्वारा या उसके जरिये नियोजित कर्मचारी द्वारा देय (जिसे योजना में सदस्य का अंशदान कहा गया है) दोनों अंशदानों का भुगतान करे।

(ग) सभी राज्यों में अनेक प्रतिष्ठान चूककर्ता हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निम्नलिखित कार्रवाईयां की हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8च के अंतर्गत बैंकरों सहित तृतीय पक्षकारों को चूककर्ता द्वारा देय भुगतान के विरुद्ध प्रतिषेधात्मक तथा भविष्य निधियों के विरुद्ध इसके विनियोजन की कार्रवाई।

2. निम्नलिखित द्वारा वसूली कार्रवाई:–

(i) चूककर्ता प्रतिष्ठानों की चल तथा अचल संपत्तियों की कुर्की तथा बिक्री।

(ii) चूककर्ता प्रतिष्ठानों के कारोबार के संचालन हेतु रिसीवर की नियुक्ति।

(iii) चूककर्ता की गिरफ्तारी और नजरबंदी।

3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई-न्यायालयों के समक्ष चूककर्ताओं पर अभियोजन चलाना।

4. धारा 14 ख के अंतर्गत-जुर्माने के रूप में हर्जाना लगाना-एक निवारक कार्रवाई।

5. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन-कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए किन्तु जमा न कराए गए अंश के भुगतान न किए जाने हेतु।

6. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई-कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शिकायतें दर्ज कराना।

7. धारा 7 थ के अंतर्गत कार्रवाई-विलंबित धन प्रेषण हेतु ब्याज लगाना।

ऐसी कार्रवाईयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कोई धन राशि रोकी नहीं जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 10 में कुर्की के विरुद्ध संरक्षण का यह प्रावधान है:

धारा 10: कुर्की के विरुद्ध संरक्षण: (1) निधि के किसी भी सदस्य या भविष्य निधि से छूट प्राप्त किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि किसी भी तरीके से असाइन या चार्ज नहीं की जा सकेगी तथा सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा लिए गए कर्ज या देनदारी के संदर्भ में किसी डिक्री या अदालती आदेश के अंतर्गत कुर्की के योग्य नहीं होगी तथा न तो प्रेसीडेन्सी टाउंस इन्सोल्वेन्सी अधिनियम, 1909 (1909 का 3 रा अधिनियम) के अंतर्गत न तो ऑफीशियल असाइनी को और न ही प्रोविंशियल इन्सोल्वेन्सी अधिनियम, 1920 (1920 का 5वां अधिनियम) के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर को ऐसी किसी धनराशि को प्राप्त करने या दावा करने का अधिकार होगा।

(च) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित अनुवीक्षण किया जाता है। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदानों को समय पर जमा कराया जाए, नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई अवपीड़क कार्रवाइयां

कार्रवाई की विधि	2007-08	2008-09	2009-10
जब्त किए गए बैंक खाते	16120	13583	14915
कुर्की की गई चल संपत्तियां	226	212	158
कुर्की की गई अचल संपत्तियां	258	368	176
चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	61	24	22

*अनंतिम

मालवाहक पोतों का निरीक्षण

5511. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से बाहर माल ले जाने वाले मालवाहक-पोतों के निरीक्षण के लिए कुछ एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों की संख्या कितनी है तथा समझौता ज्ञापन पर बातचीत किए जाने से पहले क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं;

(ग) क्या कुछ कंपनियां काली सूची में डाली गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ कंपनियां काली सूची में डाले जाने के बावजूद अभी भी कार्य कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) भारतीय नौवहन रजिस्टर एकमात्र ऐसा अभिकरण है जिसे, अन्य निरीक्षणों के साथ-साथ कार्गो तथा अन्य प्रकार के जलयानों पर लागू होने वाले कुछ निरीक्षणों के लिए प्राधिकृत किया गया है। किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मालावी के साथ व्यापार

5512. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालावी के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था तथा दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त निर्णयों के लागू होने के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच किस हद तक व्यापार में वृद्धि होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी:-

* दोनों पक्षों ने लगातार बढ़ते हुए द्विपक्षीय व्यापार पर संतोष व्यक्त किया था तथा उसमें और वृद्धि करने एवं व्यापार संभावना के दोहन के लिए व्यापार की मदों में विस्तार की आवश्यकता को नोट किया।
* भारत तथा मालावी के बीच अभिज्ञात किए गए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, लघु एवं मंझोले उद्यम, चर्म, कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मूल्य मिलियन अम.डा. में)

वित्त वर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010
भारत से मालावी को निर्यात	64.34	89.38	81.36
मालावी से भारत में आयात	15.64	7.08	103.76
कुल द्विपक्षीय व्यापार	79.99	96.46	185.12

(घ) भविष्य में भारत और मालावी के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की आशा है। कुछ समय के बाद ही वृद्धि की वास्तविक सीमा का पता चलेगा।

शासन का विकेन्द्रीकरण

5513. श्री संजीव गणेश नाईक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शासन का विकेन्द्रीकरण करने के मुद्दे को उठाने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से चिंतित है कि शहरी स्थानीय सरकारों को संस्थागत नहीं बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) शासन के विकेन्द्रीकरण के मुद्दे को उठाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्थानीय शासन संबंधी अपनी छठी रिपोर्ट में स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने तथा स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है। इसी तरह, केन्द्र-राज्य संबंध आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) सरकार ने स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की है तथा वह जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विस्तृत कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रही है। सुधार में कार्यों तथा कर्मियों का अन्तरण शामिल है। इसके अलावा, वह जिला आयोजना समिति तथा महानगरीय आयोजना समिति के गठन पर विचार कर रही है।

भारत और अमरीका व्यापार

5514. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और अमेरिका ने उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका सरकार ने भारत से अत्याधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी पर से प्रतिबंध हटा दिया है;

(घ) अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ङ) अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अमेरिका के राष्ट्रपति की दिनांक 6-9 नवम्बर, 2010 तक भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग और व्यापार बढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी एवं नागरिक क्षेत्र, रक्षा तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाने के लिए पारस्परिक कदम उठाने पर सहमत हुए थे।

(ग) दौरे के दौरान अमेरिका ने भारत को किए जाने वाले दोहरे उपयोग की मदों और प्रौद्योगिकियों के निर्यातों पर नियंत्रण को शिथिल करने हेतु अनेक कदमों की घोषणा की थी। इसमें अमेरिकी वाणिज्य विभाग की 'एंटिटी-लिस्ट' से भारतीय कंपनियों को हटाना और अमेरिका निर्यात नियंत्रण विनियमों में भारत की स्थिति को सुकर बनाना शामिल है।

(घ) और (ङ) अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के अंतर्गत विचार-विमर्श किया जाता है। भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के अंतर्गत विचार-विमर्श पांच फोकस समूहों अर्थात कृषि, अभिनवता एवं सृजनात्मकता, निवेश तथा टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं पर केन्द्रित होता है।

एकसमान दूरसंचार टैरिफ

5515. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों में किफायती और एकसमान दूरसंचार टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में निजी प्रचालक उक्त किफायती और एकसमान दर के लिए सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (ट्राई), 1997 के तहत, ट्राई को प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार दिया गया है। ट्राई के अनुसार, फिलहाल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देशों में निम्न एवं एक समान प्रशुल्क लागू करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारी

5516. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अर्जुन राय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की शाखाओं में विदेशियों की तुलना में अधिक भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों में कार्यरत भारतीय और विदेशी कर्मचारियों का कंपनीवार औसत प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील और अन्य देशों में स्थित भारतीय कंपनियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या के कम होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) देश में स्थित कंपनियों की शाखाओं सहित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्र में लगभग 23 लाख व्यक्ति नियुक्त हैं। इस वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में कार्य कर रहे विदेशियों की संख्या 5000 से कम है। इस प्रकार, देश में स्थित आईटी/आईटीईएस कंपनियों में विदेशियों की तुलना में भारतीय कर्मचारी अधिक हैं। किन्तु, इन सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के संबंध में कंपनीवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा संबंधित औद्योगिक संघ और इलैक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील तथा अन्य देशों में आईटी/आईटीईएस कंपनियों से संबंधित भारतीय कर्मचारियों की संख्या संबंधी आंकड़ों का पूर्ववृत्त नहीं रखते हैं।

लंबित मामले

5517. डॉ. बलीराम: क्या **श्रम रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) से संबंधित अनेक मामले केन्द्रीय श्रमायुक्त जीवनदीप, नई दिल्ली के न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय श्रमायुक्त द्वारा मुख्य श्रमायुक्त, श्रमशक्ति भवन को अब तक अग्रेषित किए गए मामलों में कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एमटीएनएल से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.), जीवनदीप, नई दिल्ली के कार्यालय में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, (एमटीएनएल) से संबंधित मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

विवाद हेतु पक्षकार	मामला शुरू किए जाने की तारीख	विषय
एमटीएनएल/एमटीएनएल मजदूर संघ	24.6.2009	अनुचित श्रम प्रथा
एमटीएनएल/एमटीएनएल मजदूर संघ	16.11.2009	श्री ओम प्रकाश का स्थानांतरण
एमटीएनएल/एमटीएनएंल मजदूर संघ	16.11.2009	श्री राम किशन का स्थानांतरण

(ग) और (घ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.) के कार्यालय द्वारा मंत्रालय को संराधन विफलता (एफ.ओ.सी.) रिपोर्ट अग्रेषित की जाती है। इस मंत्रालय में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.) का कार्यालय, नई दिल्ली से एमटीएनएल से संबंधित चार संराधन विफलता रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और मंत्रालय ने ये सभी मामले निपटा दिए हैं।

वित्तीय अनियमितताएं

5518. श्री गणेश सिंह: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पश्चिम बंगाल सरकार की कंपनी पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तुएं कार्पोरेशन लि. द्वारा किए गए लेन-देन में 2007 में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोलकाता पत्तन के माध्यम से लौह-अयस्क एवं लौह-स्क्रेप की ढुलाई अन्य देशों को करने के लिए चीन, हांगकांग तथा सिंगापुर की घोषित दीवालियां कंपनियों से जलपोतों को किराए पर लेने के लिए अग्रिम भुगतान संबंधी मामले की खबरे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल आवश्यक उत्पाद निगम लि. पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी है।

(ग) और (घ) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर वाणिज्यिक केन्द्र

5519. श्री के.पी. धनपालन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर वाणिज्यि केन्द्र शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी इसी प्रकार का काम करने की योजना बना रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत एवं बांग्लादेश की सरकारों ने 'भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर सीमा हाटों की स्थापना' हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका पूर्ण ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट: Commerce.nic.in पर दिया गया है।

(ग) किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ सीमा पर हाट की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

गन्ना/तिलहन का निर्यात/आयात

5520. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य का गन्ना और तिलहन का निर्यात किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान असंतुष्ट मांग को पूरा करने के लिए, यदि कोई हो, वर्ष-वार कितनी धनराशि की उक्त मदों का आयात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार द्वारा

गन्ने के निर्यात और आयात की मात्रा तथा मूल्य के संबंध में डाटा तैयार नहीं किया जाता है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहन के निर्यात और आयात की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा: टन में, मूल्य: लाख रुपए में)

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2007-08	6,20,870.35	2,81,775.58	57,092.00	14,842.77
2008-09	6,08,274.19	3,02,899.61	40,777.10	12,958.17
2009-10	6,11,763.88	3,08,362.25	70,061.05	18,646.56

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अपराह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय सदस्यों के लिए इंटरनेट सुविधा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि लोक सभा की आंतरिक लॉबी में सदस्यों के उपयोग हेतु इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सदस्य बजट सत्र से इस सुविधा का नियमित रूप से लाभ उठा सकते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

12 दिसम्बर, 2010 को हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में टाईटल जीतने पर सायना नेहवाल को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मैं अपनी और आप सब की ओर से सायना नेहवाल को 12 दिसम्बर, 2010 को हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने पर हार्दिक बधाई देती हूं। वर्ष 2010 के दौरान यह उनकी चौथी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिताबी जीत है। उनके इन शानदार प्रदर्शनों ने यह बखूबी साबित कर दिया है कि वह आज विश्व के सर्वोत्तम बैडमिंटन महिला खिलाड़ियों में से एक है। उनकी ये उपलब्धियां राष्ट्रीय गौरव की बात है और देश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

हम सायना नेहवाल को उनके शानदार प्रदर्शन पर और भविष्य की उपलब्धियों के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): मैं श्री जी.के. वासन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल सर रखता हूं:-

(1) इंडियन मेरिटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन मेरिटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन मेरिटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3812/15/10]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री सलमान खुर्शीद की ओर से संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इलाहाबाद के जुलाई, 2007 से जून, 2008 तक की अवधि के लिए 46 वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3813/15/10]

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निमनलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एलटी 3814/15/10]

...(व्यवधान)

(2) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एलटी 3815/15/10]

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की ओर से विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप खंड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2851(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ अप्रवास अधिकारी, अप्रवास ब्यूरो, हरिदासपुर को पश्चिम बंगाल राज्य में उत्तरी चौबीस परगना जिले के अंतर्गत आने वाले हरिदासपुर, में स्थित अप्रवास जांच चौकी के लिए उक्त आदेश के प्रयोजन के लिये 1 दिसम्बर, 2010 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी 3816/15/10]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री वी. नारायणसामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3817/15/10]

...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन, गांधी नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन, गांधी नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3818/15/10]

...(व्यवधान)

(2) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3819/15/10]

...(व्यवधान)

(3) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट् प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3820/15/10]

...(व्यवधान)

(4) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3821/15/10]

...(व्यवधान)

(5) (एक) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एलटी 3822/15/10]

...(व्यवधान)

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3823/15/10]

...(व्यवधान)

(7) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3824/15/10]

...(व्यवधान)

(8) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 3825/15/10]

...(व्यवधान)

(9) (एक) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3826/15/10]

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2099-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3827/15/10]

...(व्यवधान)

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3828/15/10]

...(व्यवधान)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 3829/15/10]

...(व्यवधान)

(5) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 3830/15/10]

...(व्यवधान)

(6) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3831/15/10]

...(व्यवधान)

(7) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3832/15/10]

...(व्यवधान)

(8) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3833/15/10]

...(व्यवधान)

(9) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3834/15/10]

...(व्यवधान)

(10) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2010 जो 26 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 51-1/2009/एनसीटीई (एन एंड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3835/15/10]

...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एलटी 3836/15/10]

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): मैं श्री हरीश रावत की ओर से औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2278(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के

रूप में नियम किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 3837/15/10]

...(व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एलटी 3838/15/10]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं श्री चौधरी मोहन जतुआ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3839/15/10]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं डॉ. एस. जगतरक्षकन की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 3839/15/10]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं डॉ. एस. जगतरक्षकन की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा -परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एलटी 3840/15/10]

...(व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एलटी 3841/15/10]

...(व्यवधान)

एड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुवर आर.पी.एन. सिंह): मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 3842/15/10]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

213वें से 220वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा): मैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 213वां प्रतिवदेन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानो की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 214वां प्रतिवेदन।

(3) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही 215वां प्रतिवेदन।

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 216वां प्रतिवेदन।

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंधी में समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 217वां प्रतिवेदन।

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 218वां प्रतिवेदन।

(7) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी 219वां प्रतिवेदन।

(8) वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 संबंधी 220 वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के द्वारा जारी की गई लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य व्यवहार नियमावली के नियम 389 (नया निदेश 73-क) के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर वाणिज्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 94वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वाणिज्य विभाग संबंधी स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वर्ष 2010-11 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी 94वीं रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत की तथा यह रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को ही रखी गई थी। इस रिपोर्ट में चौंतीस सिफारिशें हैं।

समिति की सभी चौंतीस सिफारिशों पर आद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा जिन कार्रवाइयों की सिफारिश की गई हैं, वे या तो पहले ही की जा चुकी हैं या आरंभ कर दी गई हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

...(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 3843/15/10)

अपराह्न 12.04½ बजे

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के कार्यानवयन के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्री अजय माकन की ओर से मैं, लोक सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2007 को कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण के संबंध में एक उप-समिति गठित की थी। विषयवस्तु की जांच के एक भाग के रूप में, उप समिति ने दिनांक 21 सितम्बर, 2007 को दिल्ली, दिनांक 14 से 16 दिसम्बर, 2007 तक हरियाणा और पंजाब, दिनांक 30 से 31 मई, 2008 तक छत्तीसगढ़ और दिनांक 1 से 3 जुलाई, 2008 तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जेलों का दौरा किया।

उप-समिति के संयोजक ने गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (डी आर पी एस सी) के अध्यक्ष को मसौदा रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की। समिति ने दिनांक 24 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में वर्तमान रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अंगीकार किया। गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 142वीं रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी, 2009 को राज्य सभा और लोक सभा में प्रस्तुत की गई/रखी गई थी।

समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में 26 सिफारिशें/टिप्पणिया (पैरा संख्या 4.41, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.3,1, 4.4.2, 4.5.4, 4.6.2, 4.7.3, 4.8.4, 4.9.2, 4.10.2, 4.11, 4.12.1,4.13.1, 4.14.1, 4.14.2, 4.15.1, 4.16.1, 4.17.2, 4.18.2, 4.19.1, 4.20.1, 4.21.1, 4.21.2) की हैं जिनके संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था।

समिति की ऊपर वर्णित सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 22.7.2009 को एक कृत कार्रवाई नोट भेजा गया था। चूंकि अधिकांश सिफारिशें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित थी, इसलिए, उनसे सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 19.4.2010, 5.7.2010 और 30.8.2010 को अतिरिक्त कृत कार्रवाई रिपोर्टें भेजी गई थी।

समिति की 142वीं रिपोर्ट के विभिन्न पैराग्राफों में निहित सिफारिशों के संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीव मामलों को सभापटल पर रखा जाएगा माननीय सदस्य परंपरा के अनुसार तत्काल सभापटल पर पर्चियां भेज सकते हैं।

...(व्यवधान)

(एक) राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खेती के लिए अनुपयुक्त ठहराई गई कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु राजस्थान सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): देश में, केन्द्र सरकार की ओर से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग से राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की कृषि भूमि का उचित रख-रखाव करते हुए निरंतर उपज को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र गंगानगर-हनुमानगढ़ जिलों की कृषि भूमि क्षेत्र सेम से प्रभावित है। रावतसर तथा पीलीबंगा तहसील क्षेत्र अत्यधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है।

मैं, भारत सरकार से मांग करता हूं कि गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों का सर्वेक्षण कर यह जानने का प्रयास किया जाये कि किसानों की उपजाऊ भूमि, जो दिनोंदिन सेम से प्रभावित हो रही है, को कैसे बचाया जाये तथा राजस्थान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, ताकि क्षेत्रीय किसान अपनी जमीन से उचित मात्रा में उपज प्राप्त कर सकें।

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एलटी 3844/15/10)

*सभा पटल पर रखे गये माने गए।

(दो) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोलाचेल पत्तन पर 'ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल' स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामसुब्बू (तिरुनेलवेली): तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित कोलोचेल एक महत्वपूर्ण लघु पत्तन है। यह अंतर्राष्ट्रीय पोत-परिवहन चैनल के निकट-स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है जो दुबई और सिंगापुर के बीच चलने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पोतो को आकर्षित कर सकता है। देश के सर्वांगीण विकास हेतु कोला चेल पत्तन पर ट्रांसशिपमेंट-टर्मिनल की स्थापना समय की मांग है। इस पत्तन पर गाद निकालने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए रख-रखाव की लागत कम से कम हो जाएगी।

वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय पोत भारतीय पत्तन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं और कोलंबो पत्तन पर सामान का पटन करते है। उसी प्रकार के पोत उस सामान को कोलंबो से लेकर चेन्नई ऐन्नोर विजग पारादीप और हल्दिया के पूर्व भारतीय पत्तनों तक ले जाते हैं। उस कार्य में काफी समय लगता है और इसके कारण लागत में भी वृद्धि हो जाती है। कोलंबो पत्तन के अतिरिक्त श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन यातायात को आकर्षित करने के लिए हंटारा पत्तन शुरू किया है।

केन्द्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय यातायात को आकर्षित करने हेतु केरल में तिभिजम पत्तन स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है। तकनीकी, कोला चेल को प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2007 में कोला चेल पत्तन के उन्नयन हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि एक बार कोला चेल के प्रमुख बन जाने पर केन्द्रीय सरकार के लिए इसे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में परिवर्तित करना आसान हो जाएगा यदि यह परियोजना शुरू हो जाती है तो इससे इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए कोला चेल पत्तन पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना से दक्षिणी तमिलनाडु में समग्र औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि कोला चेल पत्तन पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खाद्यान्न भंडारण सुविधा बढाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कृपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला राज्य में सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक है। यह क्षेत्र अधिकांशत: कृषि पर निर्भर है। चालू खरीफ मौसम के दौरान जिले में 8 लाख मीट्रिक टन चावल के उत्पादन का अनुमान है। जिले में 80,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। जिले में भंडारण क्षमता चावल उत्पादन की अपेक्षा बहुत कम है। जिले में भंडारण क्षमता की कमी के कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जिले में भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एम ए एन ए जी ई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पूरे देश में कुल 89.42 लाख टन के भंडारण का अंतर है। अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निजी उधमियों के माध्यम से भंडारण गोदामों के निर्माण की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एशियाई उद्यमियों हेतु 10 वर्षों की गारंटी देना योजना के अंतर्गत निजी उद्यमियों और केन्द्रीय तथा राज्य भांडागार नियमों के माध्यम से लगभग 150 लाख टन की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, योजना आयोग ने एक सिद्ध और राज्य से सरकारों द्वारा भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु 149 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। श्रीकाकुलम जिले के पिछड़ेपन के मद्देनजर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य में किसानों की सहायता करने हेतु श्रीकाकुलम जिल हेतु अधिक भंडारण क्षमता की स्वीकृति दे। इससे लोगों विशेषकर-पिछड़े जिले के किसानों को काफी सफलता मिलेगी।

(चार) केरल में अंतर्राज्यीय लॉटरी व्यवसाय में कथित अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थामस (इदुक्की): मैं सभा का ध्यान केरल में अंतरराष्ट्रीय लाटरियों की बिक्री में हो रही अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सिक्किम और भूटान सरकार के नाम पर अंतरराष्ट्रीय लाटरियों की बिक्री से राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। गत चार वर्षों से पन्द्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व का घाटा होने का अनुमान है। हाल में, केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से लाटरी की बिक्री में अनियमिताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया है इन तथ्यों के मद्देनजर में केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वास्तविक वाक्यों का पता लगाने और अपराधियों को दंड देने हेतु सीबीआई से जांच कराए।

(पांच) सिलचर से गुवाहाटी तक एयर बस सेवा शुरू किए जाने तथा सिलचर से कोलकाता तक की एयर बस उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैध (करीमगंज): मैं सभा का ध्यान उचित परिवहन प्रणाली के अभाव में बराक घाटी के लोगों को शेष भारत के साथ न जोड़े जाने के कारण होने वाली परेशानियों

की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपातकाल के मामले में इन लोगों की निराशा और इनके असहाय होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

इसका कारण दयनीय सड़क की स्थिति है इस आधुनिक काल में सिचलर से गुवाहाटी की दूरी जोकि सड़क मार्ग से 320 किमी है को तय करने में 14 घंटे का समय लगता है और मीटर गेंज रेलगाड़ी द्वारा इसे तय करने में 20 घंटे का समय लगता है, जिसे पिछले 14 वर्षो से बड़ी लाइन बनाया जा रहा है।

मैं बराक घाटी के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि सिलचर से गुवाहाटी के बीच एयर बस सेवा शुरु की जाये और सिलचर से कोलकता के बीच एअरबस सेवा की बारम्बारता बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की अत्यधिक परेशानियों को देखते हुए सिलचर से गुवाहाटी के बीच बड़ी रेल लाइन बनकर तैयार होने तक इन मार्गों में विमान के किराये में रियायत दी जाए ताकि आम लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।

(छह) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआई के औषधालय को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): अध्यक्ष महोदया मेरे विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूसापट्टी रेगा मंडल में अनेक उद्योग स्थित हैं। इस मंडल में लगभग 10,000 औद्योगिक श्रमिक हैं। परन्तु यहां कोई ईएसआई औषधालय नहीं है। औद्योगिक श्रमिकों को चिकित्सीय और बीमा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए समीपीय जिले श्रीकाकुलम में जाना पड़ता है। जी. चोड़ावरम, पूसापट्टी रेगा मंडल में ई एस आई औषधालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त गरीवीडी, राजम, सलूर और पिदी भी मवरम में स्थित पैनल क्लिनिक को निदानात्मक सुविधाओं के साथ ईएसआई औषधालयों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराये जा सकें। इसी प्रकार विजयनगरम में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं भी अपेक्षित हैं इसके अलावा विजयनगरम, नेल्लीभरला, गरीवीडी और चिलिवालसा में ईएसआई औषधालय भवनो में मरम्मत की आवश्यकता है।

मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृत करें ताकि औद्योगिक श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके।

(सात) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में सीटों के आवंटन में एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूलों में 22 करोड़ बच्चे पढ़ने जाते हैं। जिसमें केवल 40 प्रतिशत बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 40 लाख बच्चे ही कॉलेज स्तर तक ही शिक्षा के लिए पहुंच पाते हैं। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था सन 2020 तक देश में 30 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालय तक पहुंच पायेंगे। जबकि अभी केवल 12.4 प्रतिशत छात्र ही कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी 500 विश्वविद्यालय एवं 25,000 महाविद्यालय हैं जबकि 4 करोड़ 60 लाख बच्चों को कॉलेज की शिक्षा के लिए 800 विश्वविद्यालय एवं 35 से 40 हजार डिग्री कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। आज देश में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एंव रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कक्षा संचालन के लिए 187 छात्रों को ही मान्यता दी जा रही है जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय जैसे कानपुर में 560, लखनऊ विश्वविद्यालय में 420 पूर्वांचल में 360 सीटें प्रदान की जा रही हैं जबकि उपरोक्त सीटों के अंतर के समाप्त करके प्रत्येक विश्वविद्यालयों की सीटों के आबंटन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकरूपता कायम करने का निर्णय लेना चाहिए।

(आठ) 14 अप्रैल को पड़ने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की वर्षगांठ को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता थे और दलितों का उनके साथ विशेष भावनात्मक लगाव है। उनके अनुयायियों द्वारा यह निरंतर मांग की जाती रही है कि 14 अप्रैल को नियमित राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए।

दलितों के लिए यह एक भावनात्मक विषय होने और 14 अप्रैल एक महान नेता की वर्षगांठ होने और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता होने के कारण इस अवसर को एक नियमित राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि इस निवेदन पर विधिवत विचार करे और संघ सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों हेतु 14 अप्रैल को नियमित राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें।

(नौ) हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा इसकी वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए इस को दी जाने वाली विशेष योजना सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): यद्यपि 13वें वित्त आयोग ने 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अंतरणों की तुलना में सभी राज्यों के लिए 126% की समग्र वृद्धि की सिफारिश की है तथापि हिमाचल प्रदेश के लिए यह वृद्धि केवल 50% है, जोकि देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में न्यूनतम है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण 1.1.2006 से 31.8.2009 तक के वेतन और पेंशन बकायों के कारण हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्ध देयता 2200 करोड़ रुपये से अधिक है। 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11 हेतु वेतन, ब्याज और पेंशन व्यय के लिए क्रमशः 617 करोड़ रुपये 456 करोड़ रुपये और 405 करोड़ रुपये कम आंके हैं।

केवल यही नहीं आयोग ने 2014-15 की अवधि तक वेतन व्यय में केवल लगभग 2% की औसत शीर्षक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जबकि वास्तविक वेतन व्यय राजस्व व्यय का 55% से 60% तक है। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री उपाध्यक्ष योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि निम्नांकित का आवंटन किया जाए:-

(1) चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 15500 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता;

(2) वर्ष 2011-12 हेतु हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष योजना सहायता को बढ़ाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपये कर दिया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश राज्य एक अर्थपूर्ण योजना आकार का निर्माण करने की स्थिति में आ सके।

(3) हिमाचल प्रदेश हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राज्य विशिष्ट अनुदानों को राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोड़े बिना जारी किया जाए; और

(4) राज्य के लिए 2010-11 हेतु 3.5% और 2011-15 हेतु 3% की राजकोषीय घाटा सीमा पर बल न दिया जाए।

(दस) इंदौर से अजमेर और उदयपुर के लिए नियमित रेल सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महू-अकोला खंड पर विगत कुछ माह से रेल यातायात अत्यंत अस्त-व्यस्त है। व बारंबार यात्री गाड़ियों को निरस्त किया जा रहा है। महू से अकोला के मध्यम के स्टेशनों के यात्रियों के लिए इस मार्ग में कोई अन्य वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। यात्रियों की इन असुविधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने इस संबंध में पश्चिमी तथा दक्षिणी मध्य रेवले के अधिकारियों का ध्यान बारंबार आकृष्ट किया था, परन्तु महीनों की अवधि के पश्चात भी न तो इस ओर कोई ध्यान दिया गया और न ही परिस्थितियों में सुधार हुआ है। यात्री भी आक्रोशित हैं। उनकी समस्या का त्वरित समाधान आवश्यक है। पूर्व में इस खंड पर 6 जोड़ी यात्री गाड़ियां अजमेर तक संचालित की जाती थी। रतलाम नीमच-आमान परिवर्तन के पश्चात इंदौर का सीधा सम्पर्क अजमेर व उदयपुर से टूट गया है और उदयपुर के लिए अभी सप्ताह में दो दिन सेवा उपलब्ध है, उसे नियमित करने की भी हम मांग कर रहे हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि रतलाम-अकोला आमान परिवर्तन को अभी काफी समय लगेगा, तब तक इस क्षेत्र में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए तथा मैं चाहूंगी कि आमान परिवर्तन के समय भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना अभी से ही बनाई जाये ताकि इस समस्या को तुरंत हल किया जा सके।

(ग्यारह) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चन्दला-मटौध और रामपुर घट-कंडेला के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्कता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): खजुराहो संसदीय क्षेत्रान्तर्गत आने वाली चन्दला-सरपई-गौरिहार-मटौध मार्ग लम्बाई 42 कि.मी. उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़ती है। यह मार्ग आर्थिक, अंतर्राज्यीय एवं पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चन्दला-मटौध मार्ग एवं रामपुर घाट (उत्तर प्रदेश सीमा) कंदेला मार्ग बनने पर सीधे उत्तर प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध खजुराहो पर्यटन स्थल से जोड़ा जा सकता है। इस मार्ग को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा गया, जो कि लंबित है। इस मार्ग की मंजूरी न मिलने से जनता में आक्रोश है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस अति महत्वपूर्ण मार्ग को शीघ्र स्वीकृति एवं बजट दिये जायें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक, धार्मिक एवं व्यवसायिक नवसृजित जिला है। इस जिले

में तीन ट्रेनों का अप डाउन ठहराव था (चौरी चौरा एक्स., तूफान एक्स., 12 डाउन एक्स.) एवं जिनका 20 दिसम्बर से रेल मंत्रालय द्वारा भरवारी, सिराथू स्टेशनों पर ठहराव रद्द करने की योजना है, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होगी। यात्रियों की मांग है कि (महानन्दा एक्स., मूरी एक्स.) का स्टापेज सिराथू एवं भरवारी स्टेशनों पर अप, डाउन दोनों किया जाये। व्यावसायिक जिला होने के कारण एक ट्रेन भरवारी, सिराथू से मुम्बई के लिए चलाई जाये। बहुत दिनों से सिराथू स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केन्द्र खोलने की मांग है, जो लम्बित है। उक्त समस्याओं को लेकर कई बार स्थानीय लोगों एवं किसान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। मैं रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि उक्त समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

(तेरह) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): आपका ध्यान मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अक्लियती दर्जा अभी तक न दिलाए जाने के बारे में दिलाना चाहता हूं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिलाये जाने की मांग काफी अर्से से चली आ रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में सर सैय्यद अहमद खां ने व जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इसके बाद डॉ. जाकिर हुसैन के प्रयासों से स्थापित हुई थी। इन दोनों इदारों में मुस्लिम भाईयों ने हर तरह का योगदान दिया है। इस बारे में बहुत सारे ऐजीटेशन वगैरह भी हुए हैं। इन दोनों इदारों को माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा न दिये जाने से मुस्लिम तबके में काफी मायूसी है।

आपसे गुज़ारिश है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज को जल्द से जल्द माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिलाने की मेहरबानी करें।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (سنبھل): محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آپ کا دھیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی و جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کو اقلیتی درجہ ابھی تک نہ دلائے جانے کے بارے میں دلانا چاہتا ہوں۔ ان دونوں یونیورسٹیز کو مائنورٹی کیریکٹر کا درجہ دلائے جانے کی مانگ کافی عرصہ سے چلی آرہی ہے۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں سرسید احمد خاں صاحب نے و جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی کوششوں سے عمل میں آئیں۔ ان دونوں اداروں میں مسلم بھائیوں نے ہر طرح سے تعاون دیا ہے۔ اس بارے میں بہت سارے ایجیٹیشن وغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں اداروں کو مائنورٹی کیریکٹر کا درجہ نہ دئے جانے سے مسلم طبقہ میں کافی مایوسی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کو جلد سے جلد مائنورٹی کیریکٹر کا درجہ دلانے کی مہربانی کریں ۔ شکریہ

(चौदह) बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में फलगू नदी नदी बैराज से उद्भूत जल-नहरों की मरम्मत किए जाने और गाद निकाले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के उदेरास्थान में फलगू नदी पर बन रहे बैराज, जिसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है और इसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इससे निकलने वाले लगभग 48 कैनाल और 35 पईन की ओर की मरम्मत और उनमें जमे गाद की सफाई, जिससे किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, का डी.पी.आर. लगभग 349 करोड़ रुपये, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के निदेशक (प्रोजेक्ट अपराईजल) के यहां लंबित है। इस कार्य से 41 लाख 850 हैक्टेयर रकबे की सिंचाई हो सकेगी जबकि राज्य सरकार बैराज युद्ध स्तर पर बनवा रही है तो यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बैराज का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए डी.पी.आर. को स्वीकृति दे ताकि तीन जिले जहानाबाद, गया एवं नालंदा में बाढ़ का पानी न आ पायेगा तथा सूखे से निपटने के लिए खेतों को बैराज से पानी मिलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग इस डी.पी.आर. की स्वीकृति यथाशीघ्र दे ताकि खेतों की सिंचाई नियमित रूप से हो सके एवं तीन जिलों जहानाबाद, गया एवं नालंदा को बाढ़ एवं सूखे से बचाया जा सके।

(पंद्रह) तमिलनाडु के धर्मापुरी में आयकर कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धर्मापुरी, तमिलनाडु में आयकर कार्यालय खोलने की आवश्यकता के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में आयकर कार्यालय कृष्णागिरी में अवस्थित है और नया कार्यालय होसूर में खोला गया है यह भी कृष्णागिरी जिले में पड़ता है और यह धर्मापुरी जिले की सभी राजस्व तालुकों जैसे धर्मापुरी, हरुर, पप्पीरेड्डीट्टी पालाकोड और पेननगरम से काफी दूर हैं। इन तालुकों की आयकर कार्यालय से दूरी 45 से 100 किमी तक है। इन सभी राजस्व तालुको की जनता धर्मापुरी में आयकर कार्यालय की मांग कर रही है।

धर्मापुरी जिले में बड़ी मात्रा में आम, टमाटर और मिर्चो का उत्पादन होता है जो संपूर्ण तमिलनाडु राज्य की मांग पर्याप्त पूरा करता है और इससे काफी मात्रा में राजस्व का सृजन होता है।

इसके अतिरिक्त धर्मापुरी जिला अपने विभिन्न पर्यटक स्थलों जैसे होगेनकल जल प्रपात, अनेक प्राचीन मंदिरो और पर्यटन से संबंधित एतिहासिक महत्ता के अन्य स्थलों हेतु भी प्रसिद्ध है।

चूंकि धर्मापुरी में कोई आयकर कार्यालय नहीं है धर्मापुरी जिले के आयकर प्रदाताओं को इसके कारण काफी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्मापुरी में आयकर कार्यालय खोलने से जनता को लाभ होगा और यह कर दाताओं की संख्या में वृद्धि कर नए कर निर्धारितों को सम्मिलित करेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि धर्मापुरी में आयकर कार्यालय खोला जाए।

(सोलह) तमिलनाडु के पापनाशम में कंबन एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री ओ.एस. मणियन (मईलादुतुरई): पपनसम तमिलनाडु राज्य का एक मुख्य शहर है, जोकि अनेक धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह व्यंजावूर और कुम्बाकोनम के मध्य मुख्य रेलवे स्टेशन है। कंबन एक्सप्रैस चेन्नै-एगमोर-नागौर और नागौर-चेन्नै-प्रगमोर से अदुव्युरई और पपनसम से गुजरती है, परन्तु इसका पपनसम में कोई ठहराव नहीं है, यहाँ से रोजगार सहित विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रतिदिन काफी लोग चेन्नै और नागौर जाते हैं।

इस समय यात्रियों को कुंबाकोनम जाना पड़ता है, जोकि पपनसम से 15 किमी. दूर है, जहां से चेन्नै और नागौर के लिए यह रेलगाड़ी लेनी पड़ती है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा और परेशानी होती है। यह इस क्षेत्र के लोगों की काफी लंबे समय से की जा रही लंबित मांग है, कि इस रेलगाड़ी को पपनसम में ठहराव दिया जाए। इसके अतिरिक्त वे इसके चेन्नै से निधार्रित प्रस्थान को 2315 बजे से 2200 बजे करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि यात्री इस रेलगाड़ी से यात्रा की सुविधा प्राप्त वर सकें।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण दिनाजपुर में एक इंजीनियरी कॉलेज और एक पॉलीटेकनिक खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलूरघाट में दक्षिण दिनाजपुर जिला मुख्यालय है। यद्यपि दक्षिण दिनाजपुर एक जिला मुख्यालय है फिर भी सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कोई प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, चिकित्सा महा विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज या पोलिटेकनिक नहीं है।

दिनाजपुर के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य जिला मुख्यालयों पर निर्भर करना पड़ता है जिससे छात्र हतोत्साहित महसूस करते हैं। इसलिए इस सम्माननीय सभा के माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बलूरघाट में यथा शीघ्र एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा एक पोलिटेकनिक स्वीकृत करे और उसे खुलवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण वन्दे मातरम् के लिए आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर आएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

उस समय श्री शैलन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए। कृपया वंदे मातरम् के लिए शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया वंदे मातरम् की धुन बजाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदया: सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	461
2.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	462
3.	श्री राम सुन्दर दास श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	463
4.	श्री सुरेश कुमार शेटकर डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	464
5.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	465
6.	श्री बलीराम जाधव श्री सुदर्शन भगत	466
7.	श्री भूदेव चौधरी श्री राधा मोहन सिंह	467
8.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	468
9.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	469
10.	श्री जयराम पांगी श्री अंजनकुमार एम. यादव	470
11.	श्री हंसराज गं. अहीर	471
12.	श्री दिनेश चन्द्र यादव श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	472
13.	श्री श्रीपाद येसो नाईक श्री असादूद्दीन ओवेसी	473
14.	श्री रुद्रमाधव राय श्री पी. विश्वनाथन	474
15.	श्री यशवंत लागुरी श्रीमती रमा देवी	475
16.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	476
17.	श्री अर्जुन राय डॉ. मुरली मनोहर जोशी	477
18.	श्री जगदीश शर्मा श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	478
19.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री जयंत चौधरी	479
20.	श्री के. सुगुमार	480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	5379
2.	आदित्यनाथ, योगी	5453
3.	अडसुल, श्री आनंदराव	5421, 5454
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	5332, 5399, 5461
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5469
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	5398
7.	अलागिरी, श्री एस.	5316
8.	अंगड़ी, श्री सुरेश	5397
9.	एंटोनी, श्री एंटो	5306, 5369
10.	अनुरागी, श्री घनश्याम	5368
11.	अर्गल, श्री अशोक	5375
12.	आजाद, श्री कीर्ति	5374
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	5421, 5454
14.	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	5293
15.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	5295, 5465
16.	बलीराम, डॉ.	5400, 5517
17.	बलराम, श्री पी.	5312, 5335
18.	बनर्जी, श्री अम्बिका	5359
19.	बासवराज, श्री जी.एस.	5404
20.	बासके, श्री पुलीन बिहारी	5428
21.	भोई, श्री संजय	5393
22.	भोंसले, श्री उदयनराजे	5382
23.	भुजबल, श्री समीर	5371
24.	बिजू, श्री पी.के.	5384
25.	बिसवाल, श्री हेमानंद	5344, 5357, 5461
26.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	5394
27.	चौधरी, श्री जयंत	5341
28.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	5292, 5310
29.	चौहान, श्री संजय सिंह	5378

1	2	3
30.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	5340, 5499
31,	चिन्ता मोहन, डॉ.	5395
32.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	5376, 5520
33.	चौधरी, श्री भूदेव	5365
34.	चौधरी, श्री अधीर	5408, 5461
35.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	5308, 5461
36.	दास, श्री खगेन	5459
37.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	5397
38.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	5439
39.	देवरा, श्री मिलिंद	5336, 5483
40.	देवी, श्रीमती रमा	5467
41.	धनपालन, श्री के.पी.	5355, 5519
42.	डिएस, श्री चार्ल्स	5418
43.	दुबे, श्री निशिकांत	5422, 5458
44.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	5417
45.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल	5318
46.	गोहैन, श्री राजेन	5419
47.	गौडा, श्री शिवराम	5360
48.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	5497
49.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	5312
50.	हजारी, श्री महेश्वर	5353
51.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	5451, 5460
52.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	5311, 5484
53.	जायसवाल, डॉ. संजय	5406
54.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	5377, 5391, 5411, 5461
55.	जाखड़, श्री बद्रीराम	5299, 5471, 5514
56.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	5423
57.	जावले, श्री हरिभाऊ	5329
58.	जयाप्रदा, श्रीमती	5449
59.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	5321, 5472
60.	जिन्दल, श्री नवीन	5314

1	2	3
61.	जोशी, श्री कैलाश	5323
62.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	5460
63.	जोशी, श्री दिलीप सिंह	5306, 5492
65.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	5347, 5490
66.	करुणाकरन, श्री पी.	5334, 5482
67.	करवारिया, श्री कपिल मुनि	5440
68.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	5294, 5328
69.	कस्वां, श्री राम सिंह	5445
70.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5397, 5405
71.	खत्री, डॉ. निर्मल	5402
72.	किल्ली, डॉ. कुपारानी	5294, 5434
73.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	5331, 5479
74.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	5401
75.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	5300, 5430, 5505, 5514
76.	कुमार, श्री पी.	5413
77.	कुरुप, श्री एन. पीताम्बर	5339
78.	लागुरी, श्री यशवंत	5387, 5510
79.	लाल, श्री पकौड़ी	5368, 5420, 5462
80.	लिंगम, श्री पी.	5397
81.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5327, 5477
82.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5396
83.	महन्त, डॉ. चरण दास	5364
84.	माझी, श्री प्रदीप	5442, 5446
85.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	5407
86.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	5450, 5461
87.	मणि, श्री जोस के.	5294
88.	मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	5373
89.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	5415
90.	मेघ, श्री दत्ता	5383
91.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	5420, 5459, 5465

1	2	3
92.	मेघवाल, श्री भरत राम	5307, 5487
93.	मिश्रा, श्री महाबल	5371, 5508
94.	मित्रा, श्री सोमेन	5360
95.	मुत्तेमवार, श्री विलास	5332
96.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	5338, 5461
97.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	5358, 5412, 5463, 5513
98	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	5304, 5501
99.	नटराजन, श्री पी. आर.	5325, 5368
100.	नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	5381
101.	निरूपम, श्री संजय	5431
102.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5888, 5509
103.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	5337, 5428, 5461, 5485
104.	पांडा, श्री वैजयंत	5392, 5432, 5458, 5515
105.	पांडा, श्री प्रबोध	5368, 5416, 5422
106.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	5306
107.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	5322
108.	पांगी, श्री जयराम	5496
109.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	5461
110.	पासवान, श्री कमलेश	5456
111.	पाटिल, श्री सी.आर.	5433
112.	पटेल, श्री देवजी एम.	5320, 5461, 5462
113.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	5362, 5420, 5462
114.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	5457
115.	पटेल, श्री बाल कुमार	5367
116.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5442, 5446
117.	पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	5330, 5368
118.	पाटील, श्री संजय दिना	5412, 5461

1	2	3
119.	पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराम	5412
120.	पटेल, श्रीमती कमला देवी	
121.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	5313
122.	प्रधान, श्री अमरनाथ	5429
123.	प्रधान, श्री नित्यानंद	5432, 5458, 5515
124.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	5354, 5504
125.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	5363
126.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	5310, 5511
127.	राघवन, श्री एम.के.	5342
128.	राय, श्री प्रेम दास	5427
129.	राजगोपाल, श्री एल.	544
130.	राजभर, श्री रमाशंकर	5422
131.	राजेन्द्रन, श्री सी.	5380
132.	राजेश, श्री एम.बी.	5448
134.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	5343, 5488
135.	रामकिशुन, श्री	5300, 5505, 5514
136.	राणे, श्री निलेश नारायण	5305, 5420
137.	राव, श्री नामा नागेश्वर	5447
138.	राठवा, श्री रामसिंह	5434
140.	रावत, श्री अशोक कुमार	5368
141.	राय, श्री अर्जुन	5516, 5395
142.	राय, श्री विष्णु पद	5366, 5502
143.	राय, श्री रूद्रमाधव	5392, 5466
144.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	5312, 5422, 5476
145.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5368, 5429, 5461, 5499
146.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5473
147.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	5301, 5379
148.	सेम्मलई, श्री एस.	5372, 5436
149.	सम्पत, श्री ए.	5372, 5436

1	2	3
150.	सरोज, श्रीमती सुशीला	5297, 5390
151.	सरोज, श्री तूफानी	5437
152.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5291, 5468
153.	सईद, श्री हमदुल्लाह	5350, 5493
154.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	5443
155.	शानवास, श्री एम.आई.	5370, 5507, 5397
156.	शांता, श्रीमती जे.	5302, 5486
157.	शेखर, श्री नीरज	5449
158.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	5312, 5335, 5455, 5456
159.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	5403
160.	शुक्ल, श्री बालकृष्ण खांडेराव	5303
161.	सिद्देश्वर, श्री जी. एम.	5326, 5368, 5372, 5480,
162.	सिंह, डॉ. भोला	5388
163.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	5298
164.	सिंह, श्री दुष्यंत	5349, 5514
165.	सिंह, श्री गणेश	536, 6368, 5518
166.	सिंह, श्री इज्यराज	5319, 5409
167.	सिंह, श्री जगदानंद	5461
168.	सिंह, श्रीमती मीना	5365
169.	सिंह, श्री मुरारी लाल	5333
170.	सिंह, श्री राकेश	5352, 5461, 5495
171.	सिंह, श्री रवनीत	5383
172.	सिंह, श्री उदय	5425
173.	सिंह, श्री धनंजय	5372
174.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	5561
175.	सिंह राजकुमारी रत्ना	5409, 5461
176.	सिंह, श्री उदय प्रताप	5361, 5512
177.	सिंह, डॉ, संजय	5319, 5391
178.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	5357
179.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	5368
180.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	5312, 5455
181.	शिवासामी, श्री सी.	5309, 5503
182.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	5500
183.	सुधाकरण, श्री के.	5404, 5410
184.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5315
185.	सुगुमार, श्री के.	5464
186.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	5461, 5463
187.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	5414
188.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	5368, 5456, 5482
189.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	5351
190.	तिवारी, श्री मनीष	5452
191.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	5328, 5346
192.	थामराईसेलवन, श्री आर.	5474, 5481
193.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	5356
194.	थॉमस, श्री पी.टी.	5438
195.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	5348, 5491
196.	उपाध्याय, श्रीमती सीमा	5297
197.	वर्धन, श्री हर्ष	5451
198.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5316, 5387, 5510
199.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	5494
200.	वर्मा, श्री सज्जन	5386
201.	विश्वनाथ, श्री अदगुरु एच.	5424, 5461
202.	विश्वनाथन, श्री पी.	5317
203.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	5296, 5489, 5500
204.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	5506
205.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	5389, 5421, 5454, 5514
206.	यादव, श्री ओम प्रकाश	5303
207.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	5435
208.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	5498.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	468, 473
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	464, 478
रक्षा	:	466, 474, 476
श्रम और रोजगार	:	463, 469, 470, 471, 472, 479
पंचायती राज	:	
ग्रामीण विकास	:	461, 462, 467, 475
पोत परिवहन	:	477
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	465, 480.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	5301, 5303, 5330, 5337, 5339, 5353, 5363, 5364, 5369, 5370, 5374, 5382, 5387, 5393, 5395, 5404, 5412, 5420, 5424, 5427, 5429, 5430, 5432, 5449, 5507, 5509, 5512, 5514, 5519, 5520
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	5299, 5305, 5306, 5310, 5316, 5328, 5332, 5346, 5349, 5365, 5405, 5446, 5459, 5464, 5465, 5482, 5484, 5490, 5491, 5501, 5515, 5516
रक्षा	:	5304, 5315, 5320, 5341, 5352, 5360, 5388, 5397, 5415, 5431, 5442, 5450, 5452, 5469, 5481, 5488
श्रम और रोजगार	:	5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5300, 5319, 5322, 5324, 5325, 5326, 5327, 5334, 5342, 5344, 5345, 5354, 5356, 5357, 5359, 5362, 5367, 5368, 5372, 5376, 5379, 5380, 5384, 5385, 5386, 5410, 5418, 5422, 5433, 5434, 5437, 5444, 5456, 5457, 5467, 5470, 5472, 5489, 5499, 5500, 5510, 5517
पंचायती राज	:	5390, 5406, 5408, 5421, 5453, 5454, 5471
ग्रामीण विकास	:	5291, 5293, 5307, 5308, 5311, 5314, 5323, 5329, 5331, 5333, 5335, 5338, 5343, 5348, 5351, 5358, 5361, 5371, 5373, 5377, 5378, 5383, 5389, 5392, 5394, 5396, 5399, 5400, 5402, 5403, 5409, 5411, 5414, 5416, 5417, 5419, 5423, 5425, 5426, 5428, 5435, 5439, 5440, 5445, 5447, 5448, 5461, 5462, 5463, 5475, 5478, 5479, 5480, 5485, 5486, 5492, 5495, 5496, 5497, 5498, 5508, 5513
पोत परिवहन	:	5292, 5309, 5318, 5321, 5336, 5340, 5347, 5350, 5355, 5401, 5413, 5436, 5441, 5443, 5451, 5460, 5493, 5494 5511, 5518
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	5302, 5312, 5313, 5317, 5366, 5375, 5381, 5391, 5398, 5407, 5438, 5455, 5477, 5487, 5502, 5503, 5504, 5505.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।